तुर्दश माला, खंड 5, अंक 4

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004
15 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004/15 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	4–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	39–83
अतारांकित प्रश्न संख्या 690 से 919	83–442
सभा पटल पर रखे गए पत्र	443–450
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	450–451
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2004	451
(दो) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004	452
(तीन) राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004	455
प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, 2004	454
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	452
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण	454
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	454
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के बारे में	456–468
(दो) बांग्लादेश में एक आतंकवादी गुट से भारतीय क्रिकेट टीम को मिली कथित धमकी के बारे में	474–476

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	484–491
(एक) तमिलनाडु के त्यागी धीरण चिन्नामलाई जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	484–485
(दो) कतिपय जातियों को आनुपातिक आरक्षण देने के लिए उनकी जनसंख्या के बारे में सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. चन्द्र कुमार	485–486
(तीन) मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	486
(चार) केरल में खादी और ग्रामीण उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करूणाकरन	486–487
(पांच) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी कामगारों की कार्यदशा में सुधार लाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	487
(छह) शेगांव-खामगांव-जालना रूट पर रेल लाइन बिछाने के लिए पुन: सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री आनंदराव बिठोवा अडसूल	487–488
(सात) देश में एड्स को फैलने से रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
डा. एम. जगन्नाथ	488–489
(आठ) पोतीगई एक्सप्रेस को तिरूथंगल पर ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	489–490
(नौ) असम के नौगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन गोहेन	490
(दस) दार्जिलिंग के लिए एक अलग डाक मंडल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	490–491

विषय	कॉलम
आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
आतंकवाद निवारण और (निरसन) विधेयक, 2004	
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
तथा	
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004	491–606
विचार करने के लिए प्रस्ताव	491
श्री मधुसूदन मिस्त्री	491–497
मोहम्मद सलीम	497–502
श्री मोहन सिंह	502–505
श्री इलियास आजमी	505–509
श्री सुशील कुमार मोदी	509–516
श्री ए. कृष्णास्वामी	516–519
श्री अनंत गंगाराम गीते	519–525
श्री रघुनाथ झा	526–528
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	529–532
श्री भर्तृहरि महताब	532–538
श्री पवन कुमार बंसल	538–546
श्री प्रभुनाथ सिंह	546–551
श्री निखिलानन्द सर	552–553
श्री मानवेन्द्र सिंह	553–555
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	555–557
श्री एल. गणेशन	557–561
सुश्री महबूबा मुफ्ती	562–565
प्रो. एम. रामदास	565–567
श्री असादुद्दीन ओवेसी	568–570
श्री किन्जरपु येरननायडु	570–571
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	571–573
श्री शिवराज वि. पाटील	574–584
श्री रामजीलाल सुमन	590

विषय	कॉलम
खंड 2 से 3 और 1	593
पारित करने के लिए प्रस्ताव	593
खंड 2 से 8 और 1	603
पारित करने के लिए प्रस्ताव	604
अनुबंध I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	605
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	606-610
अनुबंध II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	611-612
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	611-612

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004/15 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल चलाने की क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमारी गरिमा का ध्यान रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे सहमत है। श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपसे इसे प्रश्नकाल के पश्चात् उठाने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं उन्हें नियंत्रित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी तरफ से उन्हें नियंत्रित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न-काल आरंभ करेंगे। श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक घंटे बाद बोलिए, हम आपको समय देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या-61, श्री मोहन सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, मैं यह कह रहा हूं। मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा. शफीकुर्रहमान बर्क, आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न $11.03^1/_2$ बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे विनती करते है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम 12 बजे आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको 12 बजे बोलने पर क्या एतराज है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए, थोड़ा धीरज रखिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप क्या करने का प्रयास कर रहे है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं.-61, श्री मोहन सिंह।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

प्याज का उत्पादन

***61. +श्री मोहन सिंह:**
श्री बाला साहिब विखे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान तथा आज तक राज्य-वार कितनी मात्रा में प्याज का उत्पादन और निर्यात किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस फसल की खरीद और इसके मूल्य को स्थिर करने की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में प्याज की खरीद की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से प्याज को हटाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं प्याज के उत्पादन और निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितने किसानों को सहायता/ऋण मिला; और

(छ) इस संबंध में काम कर रही नोडल एजेंसी का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी ब्याज दर निर्धारित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान उत्पादित प्याज की मात्रा के बारे में राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्याज का निर्यात निम्नलिखित है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु. लाख में)
2001-02	536927	46597.98
2002-03	580951	43919.06
2003-04	840661	82170.50

स्रोत-भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि.

(ख) और (ग) सरकार ने प्याज की खरीद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2004-05 से प्याज को अनिवार्य जिंसों की सूची से निकाल दिया गया है। ऐसा प्याज से मुक्त प्यापार (फ्रीट्रेड) और विपणन को कारगर बनाने की दृष्टि से किया गया है, जिससे घरेलू खपत और निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

(च) और (छ) कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा फार्म पर हैंडलिंग के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 25% सब्सिडी अवसंरचना के विकास के लिए दी जा रही है। राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारण करने की छूट होती है। तथापि, सहायता का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या का विवरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मेनटेन किया जा रहा है। नाबार्ड विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों के जरिए प्याज सहित सब्जियों की खेती के लिए फसल ऋण प्रदान कर रहा है। प्रभारित की जा रही ब्याज दर 12% से 13% है। प्याज के निर्यात में 12 माध्यमिक एजेंसियां लगी हुई है जिसका ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

अनुबंध I

भारत में प्याज का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

	क्षेत्र (000 है.)			उत्पादन (000 मी. टन में)		
राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	28	23.75	19.76	282.63	240	176.25
बिहार	20	22	23.5	192.5	220	258
गुजरात	35	35.5	45	695.41	705.41	900
हरियाणा	11	12.5	13.75	207.5	225	270
कर्नाटक	52	43.1	32	428	363.84	251.69
मध्य प्रदेश	23.5	22.5	24.5	301	276	286.8
महाराष्ट्र	68	65	75.5	1372.5	1375	1535
उड़ीसा	55	55	55.25	465	465	483
अन्य	28	29.5	32	331.5	373	393
राजस्थान	25	25	26.25	316	316	350
तमिलनाडु	30	25.4	19.5	408	337.2	224.76
उत्तर प्रदेश	51	51	53.75	585.5	555	593
योग	426.5	410.25	420.76	5585.54	5451.45	5721.5

अनुबंध II

विभिन्न राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के जरिए निर्यात किया जाता है, यथा-

मसाला व्यापार निगम लि., बंगलौर

गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि., नई दिल्ली

कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ लि., बंगलौर

महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे

उत्तरी कर्नाटक प्याज उत्पादक सहकारी सोसाइटी लि., हुबली

आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम, हैदराबाद

पश्चिम बंगाल अनिवार्य जिंस आपूर्ति निगम लि., कोलकता

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

कर्नाटक राज्य उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि., बंगलौर

मध्य प्रदेश आयलफेड, भोपाल

आंध्र प्रदेश मार्कफेड, हैदराबाद।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में ही दो बातें पूछी गई थीं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया। पहला यह कि प्याज के चलते राजनीति का पारा भी नीचे-ऊपर होता रहता है, ऐसी हालत में प्याज के भंडारण और रख-रखाव के बारे में सरकार की क्या योजना है। दूसरा प्रश्न यह है कि प्याज का कितना निर्यात हुआ। कौन-कौन सी संस्थाएं प्याज का निर्यात करती है, माननीय मंत्री जी ने इसका ब्यौरा दे दिया है, लेकिन कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात हुआ, उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया है। मैं साफ तौर पर दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो यह कि प्याज के भंडारण और रख-रखाव के बारे में सरकार की क्या योजना है और प्याज के निर्यात के लिए भारत सरकार क्या प्रोत्साहन देने जा रही है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करने वाली कम्पनियों के नाम इसमें दिए गए है, उसमें सूची दी गई है कि सबसे अधिक प्याज महाराष्ट्र में पैदा हुआ, दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पैदा हुआ, लेकिन जो निर्यात करने वाली कम्पनियां है, उनमें से कोई भी कम्पनी उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अपना कारोबार नहीं करती है। प्याज के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार की क्या योजना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): एक तो निर्यात करने के लिए जो कम्पनीज है, इसमें भारत सरकार ने यह एप्रोच लिया था कि जिन राज्यों में स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशंस एक्सपोर्ट करने के लिए सामने आती है और भारत सरकार की इजाजत मांगती है, उनको इजाजत देने की नीति है और जो 12 आर्गेनाइजेशंस सामने आई, वे एसेंशियली गवर्नमेंट या सेमी-गवर्नमेंट या कोआपरेटिव की आर्गेनाइजेशंस है। यह बात सही है कि इसमें उत्तर प्रदेश की आर्गेनाइजेशन सामने नहीं आई। पिछले साल 8.4 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था, जिसकी कीमत फारेन एक्सजेंस में देश को 121 करोड़ रुपये मिली थी। इस साल की 24.11.2004 तक 5.98 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ। पिछले साल इसी तारीख तक केवल पांच लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था, इसलिए इस साल पिछले साल से इस महीने की इस तारीख तक 19 हजार टन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा असेसमेंट यह है कि इस साल 10 लाख टन एक्सपोर्ट हो जायेगा और यह आज तक एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा रिकार्ड है।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास प्याज का निर्यात होगा, जो इस देश के किसान समाज के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन प्याज के उत्पादन के लिए नाबार्ड की ओर से प्याज के उत्पादन के लिए जो ब्याज राशि है, वह 12 से 13 फीसदी है। मेरी जानकारी है कि यह राशि, जब अवधि अधिक होती है तो और बढ़ जाती है। मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि जो प्याज के ऊपर किसानों को दिया जाने वाले ऋण की ब्याज राशि है, उसमें कटौती करने की कोई योजना है, जिससे किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री शरद पवार: जहां तक नाबार्ड की स्कीम है, वह केवल प्याज के लिए नहीं है, यह पूरी वेजीटेबल्स के लिए स्कीम है, उसमें प्याज को भी फोरमुलेट किया हुआ है। यह बात सच है कि इसका रेट आफ इंटरेस्ट 12 परसेंट से 13 परसेंट के बीच है। यह रेट ज्यादा है, इस बारे में दो राय नहीं है। इसलिए मैंने खुद देश के सभी कामर्शियल बैंकों के चेयरमेन की मीटिंग बुलाई थी और स्टेट लेवल कोआपरेटिव बैंकों की भी एक मीटिंग बुलाई थी। हमने उनको एक सूचना ऐसी दी है कि बाकी क्षेत्रों में चाहे किसी को एक फ्लैट लेना हो तो सात परसेंट पर, किसी को मारुति गाड़ी लेनी हो तो सात से 7.5 पर सेंट पर पैसा मिलता है, लेकिन किसानों को 12, 13 और 14 परसेंट तक मिलता है तो यह ठीक नहीं है, अन्याय है, इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि जितने कामर्शियल बैंक है, उन्होंने इसमें रिडक्शन करने की तैयारी अगले साल से की है, जो 9 परसेंट के आसपास रहेगी। जहां तक कोआपरेटिव बैंक्स है, उनकी समस्या ऐसी है कि उन्होंने जो डिपाजिट लोगों से लिए है, वे 12 परसेंट, 13 परसेंट से लिए है, इसलिए इण्टरेस्ट रेट कम करने के लिए उनकी तैयारी नहीं है, मगर उन्होंने 2-3 साल का समय मांगा है कि 2-3 साल

में जिनके डिपाजिट लिए है, वे वापस करके कम रेट आफ इंटरेस्ट के डिपाजिट लेकर वे भी कम करने के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से इसमें सुधार हो जायेगा।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से मंत्री मरोदय से जानकारी चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पाद किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया है और इसके लिए केन्द्र सरकार की नीतियों पर ज्यादा निर्भर करते है। पिछले कुछ समय से खासकर मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर में प्याज और लहसुन की इतनी पैदावार हुई कि उसका निर्यात कर नहीं सकते और लोगों ने उसे जलाने का काम शुरू किया है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जब देश में किसान कम पैदावार करता है तो देश के लिए संकट है और ज्यादा पैदा करता है तो किसान के लिए संकट है। अभी कपास की ज्यादा पैदावार हुई तो वह भी किसानों के लिए संकट पैदा हो गया। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, जब सरकार को पहले जानकारी मिल जाती है कि कपास का उत्पादन ज्यादा है, प्याज या लहसुन का ज्यादा है तो उनको निर्यात करने की क्या योजना है, मैं खास तौर से यह जानना चाहूंगा ताकि किसान जीवित रह सकें और किसान आगे बढ़ सकें।

श्री शरद पवार: अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग नीति है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ठीक तरह से डिमांड इण्टरनेशनल मार्केट में होने की आवश्यकता है, जहां डिमांड कम है। अभी आपने कपास की बात की थी। यह बात सच है कि इस साल देश में 30 प्रतिशत कपास का उत्पादन बढ़ा है और इसलिए यहां का मार्केट एस.एम.पी. के भी नीचे आने की परिस्थितियां हमें दिख रही है और हम इस बारे में सोच रहे है कि इस देश में कम से कम 20 लाख बेल्स हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ही डोमेस्टिक मार्केट ठीक रहेगा। अभी इण्टरनेशनल मार्केट में आज तीन सेंट का फर्क है, जब तक यह तीन सेंट का फर्क है, इस बारे में कुछ न कुछ कम्पेंसेशन भारत सरकार की तरफ से हम नहीं देंगे, तब तक इण्टरनेशनल मार्केट में हमारी कपास को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए एक व्यवस्था इस बारे में हम लोगों ने तैयार की है। मुझे विश्वास है कि इस बारे में इस हफ्ते में हम अन्तिम निर्णय लेंगे और कपास एक्सपोर्ट करने के लिए इजाजत देंगे। उनको एक तरफ से सपोर्ट करने की जो आवश्यकता है, वह सपोर्ट भी करेंगे।

जहां तक ओनियन के एक्सपोर्ट की बात है, आज इण्टरनेशनल मार्केट में यहां के एस.एम.पी. के नीचे भाव नहीं गया, इसलिए आज उनको दूसरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब-जब वैसी परिस्थिति पैदा होती है, तब इस बारे में ध्यान देने की तैयारी भारत सरकार की रहेगी और हम इस बारे में ध्यान देंगे।

श्रीमती अनुराधा चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इस विषय में पूरी तरह से आश्वस्त है कि भविष्य में प्याज के भंडारण में कोई भी कमी नहीं आयेगी, क्योंकि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की? दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो भी किसान प्याज को पैदा कर रहे है, उसकी लागत और मूल्य में कितना अन्तर है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं आपको पहले प्रश्न पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक स्टोरेज का अरेंजमेंट है, इस बारे में जवाब में कुछ बताया गया है कि आज भारत सरकार की एक अलग स्कीम है, जिसमें स्टोरेज और हैंडलिंग के बारे में अर्थ सहायता देते है। इसका फायदा आज तक कई राज्यों ने लिया है। जहां तक इसकी प्रोडक्शन या कल्टीवेशन कास्ट की बात है, आज जो एस.एम.पी. है या आज जो कीमत है, इसमें कल्टीवेशन कास्ट को मद्देनजर रखते हुए अभी तक घाटा नहीं है, अभी तक नुकसान नहीं है। मगर अगर इसके नीचे कीमत जायेगी तो नाफेड और दूसरे आर्गेनाइजेशन को बीच में डालकर हम ओपन मार्केट से परचेज करने का प्रावधान करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन:** महोदय, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के सबसे बुरी तरह से प्रभावित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रोत्साहन की घोषणा की थी। तमिलनाडु गत 3 वर्षों से लगातार सूखे की चपेट में है, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम के प्रति भी उनकी इस घोषणा के लिए कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण को दुगुना किया जाएगा, अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं।

परन्तु मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। नए ऋण देने के लिए और लम्बित ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदलने के लिए नाबार्ड को उचित दिशानिर्देश और स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है।

लघु और सीमांत किसानों को संकट से निपटने के लिए अधर में ही छोड़ दिया गया है और इन गरीब किसानों को ऋण लेने

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लिए अपना सामान गिरवी रखना पड़ता है जबकि धनवान किसान आसानी से सभी लाभ हासिल कर लेते है।

क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सूखे से बुरी तरह प्रभावित गरीब ग्रामीण किसानों को पर्याप्त राहत प्राप्त हो?

अध्यक्ष महोदय: यह प्याज के बारे में है।

मंत्री महोदय, क्या आप इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना चाहते है, क्योंकि यह मुख्य प्रश्न से हटकर है?

श्री शरद पवार: वस्तुतः, ऋण नीति में जिसकी इस वर्ष घोषणा की गई है, उन्हें कुछ रियायतें दी गई है। इस वर्ष के लिए यह रूपांतरण स्वीकार किया गया है। परन्तु जब तक अलग से सूचना न हो, तब तक मैं पूरा ब्यौरा नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप एक अलग सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओनियन के लिए नाबार्ड से जो किसानों को ऋण दिया जाता है, उस पर 12 से 13 परसेंट तक सूद लेते है, इण्टरेस्ट लेते है। उसे थोड़ा करने से कैसे ज्यादा सुविधा मिल सकती है? दूसरी बात यह है कि उड़ीसा के लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: दो क्वश्चन मैं पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: दो नहीं, एक ही सही प्रश्न कीजिए।

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष जी, कालाहांडी और नवापाड़ा उड़ीसा के सबसे ज्यादा ड्राउट इफेक्टिड एरियाज है, लेकिन वहां पर ओनियन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन किसानों को उसका ठीक से भाव नहीं मिलता है। जो मिडिलमेन रहते है, वे बीच में ज्यादा हेराफेरी करते है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सुविधा दी है ताकि उनको ठीक से भाव मिलने में सुविधा हो?

अध्यक्ष महोदय: आपको मेडन क्वश्चन पूछने के लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री शरद पवार: जहां तक परचेज की बात है, प्याज के बारे में हर राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें वहां कुछ इंतजाम करना है। हम उनको नैफड द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट करते है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसका प्रोडक्शन में चौथा स्थान है। उड़ीसा स्टेट की जो रिक्वायरमैंट है, वह पूरी करने की ताकत वहां के किसानों में है। आज तक वह प्याज बाहर एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति नहीं आई है। जिन जिलों का नाम आपने लिया है, उन जिलों की स्थिति अलग है। वहां ज्यादा धान देने की आवश्यकता है। मैं शायद खुद 26 तारीख को वहां जाकर वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर इन चार-पांच डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में एक एग्रीकल्चरल प्लान बनाने के बारे में बात करना चाहूंगा। हम वहां उनकी कुछ ज्यादा मदद करना चाहते है, कुछ नयी क्रापिंग पैटर्न हम वहां इंट्रोड्यूस करना चाहते है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते है। हम एक नयी नीति इन जिलों के लिए बनाना चाहते है और मुझे विश्वास है कि इसका फायदा उस क्षेत्र में होगा।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्याज के उत्पादन और निर्यात के बारे में दिए गए आंकड़े इस उत्पाद के बारे में अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते। सम्पूर्ण देश के लिए क्षेत्र और उत्पादन के बारे में सतत रुझान नहीं रहा है। और स्पष्ट रूप से तमिलनाडु में वर्ष 2001-02 में उत्पादन क्षेत्र 30,000 हेक्टेअर से घटकर 2002-03 में 25,400 हेक्टेयर और 2003-04 में 19,500 हेक्टेयर रह गया है। शायद सभी सात या आठ राज्यों में जहां प्याज का उत्पादन होता है, तमिलनाडु में उत्पादन सबसे कम रहा और गिरावट की दर सबसे अधिक रही है। इसके संभावित कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा इसलिए है कि प्याज को भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है जिससे यह गिरावट आई है; अथवा क्या फसल किसानों के लिए अलाभकारी बन गई है; अथवा क्या नीतियां दोषपूर्ण रही हैं?

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न निर्यात से संबंधित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और क्या सरकार के पास इस फसल के लिए कोई टैरिफ संरक्षण योजना है।

श्री शरद पवार: प्याज के बारे में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बाजार की स्थिति पर निर्भर रहती है। यदि बाजार मूल्य अच्छा है, तो किसान तुरंत बड़े पैमाने पर प्याज की खेती शुरू कर देते है। यदि मूल्य गिरते है, तो अगले वर्ष फसल में तुरंत कमी आएगी। ऐसा लगातार होता है। यदि आप 10-15 वर्षों की समग्र स्थिति का अध्ययन करें, तो इस विशेष राज्य में निरंतर

उतार-चढ़ाव हो रहा है। हमारी जानकारी और अनुभव है कि तमिलनाडु में किसान प्याज की खेती छोड़कर किसी अन्य फसल की ओर रुख कर रहे है जो अच्छी उपज तथा अच्छी कीमत देती है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रेरित करना बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्याज एक कच्चा सामान है। कई बार अखबार में पढ़ने को मिलता है खासकर महाराष्ट्र में जब प्याज का उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो किसान उसको बाजार में बेच नहीं पाते जिसके चलते वे आत्महत्या कर लेते है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री शरद पवार जी कृषि मंत्री है। उनके मन में किसानों के प्रति दर्द है। मैं आपने माध्यम से मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि किसान को आत्महत्या से बचाने के लिए क्या सरकार जिन राज्यों में प्याज का ज्यादा उत्पादन होता है वहां क्रय केन्द्र खोलना चाहती है? आप नाबार्ड से किसानों को सुविधा देते है लेकिन जिन राज्यों में सहकारिता बैंक सही ढंग से काम नहीं करता और नाबार्ड से भी उनको सुविधा नहीं मिलती। आप मौनीटरिंग करते है, इसलिए आपको मालूम होगा कि बिहार में सहकारिता बैंक समाप्त होने की कगार में पहुंच चुके है क्योंकि वे काम नहीं करते है। ऐसे राज्यों में किसान को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए आप कोई विशेष इंतजाम करने का विचार करेंगे?

श्री शरद पवार: जहां सहकारिता बैंक का काम ठीक चल रहा है वहां कमर्शियल बैंक को ऐनकरेज करके कोई डेफीनेट प्रोग्राम देकर वहां ध्यान देने की बात की गयी है। यह बात सच है कि जब प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनकी प्रौसेसिंग करने का इंतजाम इस देश में नहीं है। आज कुछ नए प्लांट आ गये है जिसके तहत कुछ ओनियन हम लगाते है। वहां हमें इसकी वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह के कई कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य में आगे आ रहे है। इसका प्रमाण कम है मगर इसको ऐनकरेज करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा: मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिए जा रहे उत्तरों से वास्तव में प्रसन्न हूं।

महोदय, जैसा आप जानते है इसी सभा में बजट भाषण के दौरान और उसके पश्चात् भी वित्त मंत्री ने कहा था कि किसानों से आज अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है। परन्तु माननीय कृषि मंत्री कहते है कि यह ब्याज दर 12 और 13 प्रतिशत के बीच है। अब सही क्या है।

दूसरे, बहुत से राज्यों में बहुत सी सहकारी संस्थाएं कार्य करने की हालत में नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये सहकारी संस्थाओं का पुनरुद्धार कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही यह बता दिया है। उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री आर.एल. जालप्पा: हालांकि, ब्याज दर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

जालप्पा साहब, आप देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास डी. पाटील।

श्री आर.एल. जालप्पा: तीन दिन पहले ही जब वित्त मंत्री बैंकिंग रेगुलेशन बिल पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि नाबार्ड की ब्याज दर 5.25 से 5.5 प्रतिशत है। यदि वे उससे दो प्रतिशत अधिक लेते है, तो एक प्रतिशत शीर्षस्थ बैंक द्वारा और एक प्रतिशत जिला सहकारी बैंकों द्वारा लिया जाता है तब भी यह 7.75 से 8 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। अब, यदि किसानों से 12 से 13 प्रतिशत लिया जाता है, तो वे कैसे जीवित रह सकते है?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आप इसे फिर कभी रखिये। नई सूचना दीजिए।

श्री श्रीनिवास पाटील, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। आप बहुत स्पष्ट बोलने वाले है।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, जब अच्छी फसल होती है तो बाजार में वह सस्ते मूल्यों पर बेची जाती है और किसानों को उसकी बहुत कम कीमत मिलती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसानों के उत्पाद का उनकी ओर से भंडारण किया जाए तथा उस उत्पाद के वर्तमान मूल्य के अनुसार कुछ अग्रिम राशि-जैसे फसल मूल्य का लगभग 25 या 30 प्रतिशत किसानों को दे दिया जाए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस उत्पाद को उस सोसायटी या उस भंडारगाह के माध्यम से फसल कटाई के तीन से चार माह बाद अच्छे दामों पर बेचे जाने की अनुमति दी जाएगी जिससे कि

किसानों को अधिक धनराशि मिल सके और उन्हें लाभ मिले। क्या इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है।

श्री शरद पवार: आज की स्थिति के अनुसार, कुछ राज्यों में ऐसे भंडागार स्थापित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जो प्याज के साधारण भंडागारों से थोड़े से भिन्न है। लेकिन आज तक भी जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, प्याज खाने की ऐसी वस्तु है जिसे ज्यादातर गरीब मजदूर खाता है। अगर उसे और कुछ खाने को न मिले तो वह प्याज और नमक से रोटी खाकर अपना पेट भरता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना, गेहूं और धान के कांटे लगाए जाते है, क्या उसी प्रकार प्याज के दामों को निर्धारित करने के लिए, किसानों को उनका उचित मूल्य देने के लिए हर ग्रामीण क्षेत्र में प्याज के कांटे लगाकर सही मूल्य निर्धारण करेंगे और किसानों को देंगे?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, सभी पैदावार के लिए एसएलपी तय नहीं की जाती। कुछ सलैक्टेड चीजों के लिए सीएसीपी के माध्यम से एसएलपी तय की जाती है। उसमें प्याज नहीं है क्योंकि यह लिमिटेड क्राप है और इसके लिए पूरे देश की नीति बनाना बहुत मुश्किल है।

[अनुवाद]

'सायलेंट वेली' के आसपास 'बफर जोन' का अनुरक्षण''

***62. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'सायलेंट वेली' नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के 'बफर जोन' में निजी वन भूमि है; और

(ख) यदि हां, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास 'बफर जोन' के अनुरक्षण हेतु इस भूमि को अधिगृहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सायलेंट वेली राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व के अंतर्गत एक कोर जोन है, उसके इर्द-गिर्द वन भूमियां है।

(ख) सायलेंट वेली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व के बफर जोन में स्थित निजी वन भूमियों का अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन: अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी निजी भूमि 'बफर जोन' में है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उसे अधिग्रहीत क्यों नहीं कर लिया जाना चाहिए।

श्री ए. राजा: सरकार का 'बफर जोन' घोषित करने के पीछे यह उद्देश्य है कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का रखरखाव कर रही है। ये राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य उस क्षेत्र या उसके आसपास रहने वाले क्षेत्रों या वन क्षेत्र में रह रहे लोगों की सहायता के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। अत: राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का अलगाव दूर करने हेतु हमें अधिसूचित क्षेत्रों तथा अक्षांश और देशांतर सहित खगोलविज्ञान के उपायों द्वारा घोषित जैवमण्डल और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में हमें समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न अधिग्रहण के बारे में है।

श्री ए. राजा: अधिग्रहण का प्रश्न नहीं आएगा। हम उसका रखरखाव कर रहे है। हम राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के बारे में चिंतित है।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन: इस संबंध में केरल सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ए. राजा: महोदय, केरल सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के लिए धनराशि या सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि 'साइलेंट वैली फारेस्ट' पूरे विश्व में एक दुर्लभ सदाबहार वर्षावन है। इसीलिए 'साइलेंट वैली' परियोजना को छोड़ दिया गया था। अब, यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ है कि 'साइलेंट वैली फारेस्ट' के निकट 'पत्रागुडम' नामक स्थान पर एक अन्य जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव है। पर्यावरणवादी तथा इससे संबंधित दलों ने इस परियोजना के बारे में अपनी आशंकाएं दर्शायी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पत्रागुडम में ऐसी किसी परियोजना का कोई प्रस्ताव है। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ए. राजा: ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लम्बित नहीं है और किसी भी परियोजना प्रस्तावक ने इसका प्रस्ताव नहीं रखा है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, एक ओर तो सरकार लोगों, विशेषकर आदिवासियों को अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। गुजरात सरकार ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है कि इन लोगों को अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर उद्योगों की ओर से इन क्षेत्रों में खनन कार्य आरम्भ करने हेतु पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन दिए जा रहे है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, साबरकांठा में स्थित बलराम अभ्यारण्य में खनन कार्य आरम्भ करने हेतु और वहां के लोगों को अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों से बाहर निकालने हेतु सरकार से आवेदन आया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वास्तव में नहीं उठता है। मंत्री महोदय, क्या आपके पास कोई सूचना है।

श्री ए. राजा: महोदय, वास्तव में भारत सरकार अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में तथा इनके आसपास खनन कार्यों की अनुमति नहीं देगी।

जहां तक उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का अन्य लोगों का सम्बन्ध है जब तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां से स्थानांतरित करना विशुद्ध रूप से औचित्यपूर्ण न हो, तब तक हम उन्हें स्थानान्तरित नहीं करते। हम हमेशा पुनर्वास के उपाय करते है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे खेद है कि यह उत्तर बिना किसी ब्यौरे के तथा लापरवाही से दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने उत्तर नहीं देना है। आप प्रश्न रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 'साइलेंट वैली' वह स्थान है जहां दुर्लभतम जीवित मानव जीव उपलब्ध है। मैं नहीं जानता कि सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं।

अब, मेरा मुख्य प्रश्न पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखे जाने से संबंधित है। अब, निजी वनों के नाम पर सभी ओर से अतिक्रमण हो रहा है। अत:, क्या सरकार सभी निजी वनों का अधिग्रहण करके इन दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करेगी? जहां तक मानव जीवन का सम्बन्ध है यह एक दुर्लभ खजाना है। क्या सरकार 'साइलेंट वैली' में और उसके आसपास स्थित उन सभी निजी वनों का अधिग्रहण करने तथा वहां का पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय: वह पहले ही उसका उत्तर दे चुके है।

श्री ए. राजा: महोदय, माननीय संसद सदस्य के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए, मैं इस सभा में यह कह सकता हूं कि सरकार 'साइलेंट वैली' परियोजना के महत्व के प्रति पूर्णतया सजग है।

महोदय, वस्तुत: न केवल 'साइलेंट वैली' के जैव मण्डल अपितु मन्नान की खाड़ी, नन्दा देवी, सुन्दरबन—इन सभी जैव मण्डलों को संयुक्त राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और वे दिशानिर्देश दे रहे है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह संयुक्त राष्ट्र है न कि संयुक्त राज्य।

श्री ए. राजा: महोदय, यह यूनेस्को है। इसे स्वयं यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है और वे इसके बारे में दिशानिर्देश जारी कर रहे है कि इसकी निगरानी किस प्रकार की जानी चाहिए। यूनेस्को द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के अनुसार ही चला जाएगा। सरकार जैवमण्डल को बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध है। समस्या यह है कि इस जैवमण्डल में और इसके आसपास स्थित सभी निजी वनों को अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता और यह आर्थिक रुप से संभव नहीं है।

श्री बिक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से एक बात जानना चाहता हूं। जब कोई सिंचाई परियोजना बनाई जाती है, तो भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तथा उसकी बाजार मूल्य से प्रतिपूर्ति की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: आप 'साइलेंट वैली' पर आइए।

श्री बिक्रम केशरी देव: जी हां, महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कब आयेंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव: जब कोई बड़ी परियोजना या कोई बड़ी औद्योगिक संस्थापना सामने आती है तो वन्य भूमि, पारिस्थितिकीय भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और वहां से हटाए गए लोगों को बाजार मूल्य के अनुसार प्रतिपूरक राशि का भुगतान किया जाता है। पर्यावरण और वन अब एक बड़ा मुद्दा बन चुके है और अब देश भर में बहुत से अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बन रहे है। इसी प्रकार 'साइलेंट वैली' के मामले में भी जैव-विविधता और जैवमंडल को और अधिक कारगर बनाने हेतु निजी और अन्य लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा।

मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जब सरकार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों से लोगों को विस्थापित करेगी तो क्या वह उन्हें पर्याप्त हर्जाना देगी और क्या राष्ट्रीय उद्यानों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाये जायेंगे। यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास इस बारे में कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों से हटाये गये लोगों के लिए किसी पुनर्वास नीति हेतु कोई कानून बनायेगी या संसद द्वारा इस दिशा में कोई विधेयक पारित किया जायेगा अथवा नहीं। मेरा सीधा सपाट और स्पष्ट प्रश्न यही है। महोदय, यहां अपनी बात रखने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ए. राजा: इस बारे में समुचित प्रावधान पहले से ही है।

श्री बिक्रम केशरी देव: लेकिन आप विस्थापितों को समुचित हर्जाना नहीं दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह बीच-बीच में प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री ए. राजा: जब अभयारण्यों अथवा राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण और आजीविका पर विचार किया जाता है। निश्चित रूप से, इस बारे में भारत सरकार के पास राज्य सरकार को धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है। यदि राज्य सरकार इसे ठीक से चिह्नित करती है, तो हम पुनर्वास हेतु निश्चित तौर पर धन उपलब्ध कराते है। इस बारे में समस्या यह है कि उस विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के सहयोग के बिना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का संरक्षण नहीं हो सकता। भारत सरकार के ध्यान में यह बात सदैव रहती है कि इसका परिणाम क्या होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाये। श्री बिक्रम केशरी देव, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: ये प्रश्न पर प्रश्न कर रहे है। स्पष्टीकरण मांगने का भी कोई तरीका होता है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह बीच-बीच में प्रश्न नहीं पूछ सकते। हमने इसकी अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)* *

श्री पी. करूणाकरन: उत्तर के दूसरे भाग में यह बताया गया है कि निजी वन भूमि को अधिग्रहित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो एक अनूठी बात है।

श्री पी. करूणाकरन: जी, महोदय। इसी तथ्य के मद्देनजर राज्य के पर्यावरणीय दृष्टि से कई संवेदनशील क्षेत्र केरल में निजी मालिकों के गैर-कानूनी कब्जे में है। इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने 1.8.2003 में एक विधेयक पारित किया था। इसे भारत सरकार की अनुमति के लिए भेजा गया है। चूंकि इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए इन महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों पर अब भी लोगों का अवैध कब्जा बना हुआ है। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है। क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी? राज्य सरकार ने आपसे इसे गंभीरता से लेने का अनुरोध किया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार का वर्तमान में क्या रुख है।

श्री ए. राजा: मैं समझता हूं सदस्य महोदय राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कुछ विधायी उपायों की बात कर रहे है। यदि ऐसा है तो मेरी समझ से यह प्रस्ताव विधि मंत्रालय में लंबित होगा। मैं इसकी जांच करने के बाद माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री ए. राजा: जी हां, महोदय।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

***63. †श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) को यह अधिसूचना जारी की है कि चालू वित्तीय वर्ष में नौकरी से त्यागपत्र देने वाले या नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को 8.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में 9.5 प्रतिशत ब्याज दर देने का निर्णय ले लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णय से कम ब्याज दर अधिसूचित करने के क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सी बी टी, ई पी एफ) के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर पर कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों में जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, सी बी टी, ई पी एफ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को दी जाने वाली ब्याज दर की सिफारिश करता है, जिस पर सरकार विचार करती है। वर्ष 2002-03 तथा वर्ष 2003-04 के लिए सी बी टी, ई पी एफ ने क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 9 प्रतिशत (+ 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त स्वर्ण जयंती बोनस ब्याज) ब्याज दरों की सिफारिश की है।

(ङ) सरकार ने वर्ष 2002-03, वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर के संबंध में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझसे कहा गया है कि मैं उनकी ओर से आप को उत्तर दूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए पहले से सूचना दी जानी चाहिए थी।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरी समझ से नोटिस दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, यह बिलकुल अनूठी बात है। यह केवल औचित्य का ही प्रश्न नहीं है कि पहले सूचना क्यों नहीं दी गयी, अपितु यह एक अनूठी बात भी है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया है कि सूचना दी जा चुकी है। मैंने इसे मान लिया है। हो सकता है अभी यह पहुंची न हो। आप सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह अजीब बात है क्योंकि मंत्री जी राजधानी में ही है। पर वह यहां न आकर कहीं और चले गये है। यह बहुत ही अनूठी बात है। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक, मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी पूरी तरह तैयार है।

अध्यक्ष महोदय: हां, हां, आप पूछिये।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: जवाब देने में डरते है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: प्रश्न का अंतिम भाग पूरी तरह से भौंचक्क करने वाला, आश्चर्यजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक उत्तरदायी सरकार की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अंतिम पैरा में कहा गया है:

"सरकार ने वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अदा किये जाने वाले ब्याज के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।"

महोदय, आप तो एक वकील है।

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां एक वकील की हैसियत से नहीं बैठा हूं। आप अपना प्रश्न मंत्री जी से पूछिये।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप यहां एक सम्मानित अध्यक्ष और सभा के सदस्य के रूप में है लेकिन आप पेशे से एक वकील है यह हम सबको पता है।

महोदय, भारत सरकार इस भविष्य निधि की संरक्षक नहीं है। इस निधि का संरक्षक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। एक विशिष्ट कानून के कारण वित्त मंत्रालय का इस बारे में अंतिम निर्णय होता है कि भविष्य निधि पर कितना ब्याज दिया जायेगा। यह कोई नहीं जानता कि यह कानून किसने बनाया।

तीन वर्षों से कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। श्रम मंत्रालय में तो जैसे कोई सरकार है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं सरकार की निष्ठुरता के प्रति राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया सीधे प्रश्न पूछें यह 'प्रश्न काल' है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय श्रम मंत्री की ओर से उत्तर दे रहे मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय: वह स्थानापन्न श्रम मंत्री नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: लेकिन इस समय वह यही कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय: ये सब अनावश्यक बाते है। आप कृपया सीधे प्रश्न पूछिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय मंत्री जी यहां सरकार के एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में है।

क्या आप श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से की जा रही इस घोर लापरवाही का बचाव कर रहे है कि लगातार तीन वर्षों से देय ब्याज को खातों में जमा नहीं किया जा रहा है? क्या आप समझते है कि यह एक उत्तरदायी सरकार का का काम है? अथवा आपकी समझ से अनुत्तरदायी सरकार का काम है?

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में यह आपकी राय हो सकती है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप इसे कब तक सही करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, कृपया इसका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह सरकार पिछले केवल छः माह से ही सत्ता में है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे है कि जो पूर्व में नहीं किया गया उसमें सुधार किया जाएगा।

दी जाने वाली ब्याज दर में वृद्धि का निर्णय लेने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब ब्याज दर में वृद्धि करने हेतु कुछ और धन मिले जो कि कर्मचारियों को देना पड़ेगा। केंद्रीय भविष्य निधि न्यास के पास उपलब्ध निधियां श्रमिकों द्वारा अपेक्षित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए, बोर्ड ने इस मामले पर श्रम मंत्रालय से विचार-विमर्श किया और श्रम मंत्रालय इस मामले पर वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहा है। यह निर्धन वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं लिया जाता परन्तु श्रम मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। यदि निधियां पर्याप्त होती है तो वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं होता। यदि निधियां पर्याप्त नहीं होती और कर्मचारियों को मांगी गई ब्याज दर देने के लिए कुछ मिलता है तभी प्रश्न उठता है।

वर्तमान सरकार मामले पर विचार कर रही है। जो किया गया है अथवा जो नहीं किया गया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा किंतु मैं इस सम्माननीय सभा में माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सरकार इस पर अनुकूल निर्धन लेने के लिए विचार कर रही है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भविष्य निधि संगठन के पास 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर देने के लिए निधियां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह जानकारी लेने का समय है जानकारी देने का समय नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भविष्य निधि संगठन के उचंत खाते में 8,000 करोड़ रुपए की भारी राशि पड़ी हुई है जिससे भविष्य निधि संगठन ब्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है। चूंकि भविष्य निधि संगठन असमंजस की स्थिति में है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से सहमत होंगे कि वहां पड़ी हुई निधियों का सरकार को उचित आकलन देने के लिए इसके लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट प्रश्न है और मैं इसका माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं, महोदय। 8,000 करोड़ रुपए उचंत खाते में पड़े है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा कराने के लिए तैयार है।

श्री शिवराज वि. पाटील: निधियां उपलब्ध है और इन निधियों का कर्मचारियों को एक विशेष ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उपयोग करना पड़ेगा।

मेरे पास आंकड़े है जो मैं माननीय सदस्यों को दूंगा। यदि ब्याज दर आठ प्रतिशत है तो हमारे पास अतिरिक्त निधियां है; यदि ब्याज दर 8.5 प्रतिशत है तो 206 करोड़ रुपए का घाटा होता है; यदि यह 9 प्रतिशत पर जाता है तो 566.80 करोड़ रुपए का घाटा होता है; और यदि यह 9.5 प्रतिशत पर जाता है तो घाटा 927.15 करोड़ रुपए का होता है।

अब, यही कारण है कि 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर देने के लिए निधियों का पता लगाने हेतु वित्त मंत्रालय से परामर्श करना आवश्यक हो गया है। मैंने कहा है और आपको यह जानकर प्रसन्नता होती कि सरकार अनुकूल निर्णय देने के लिए इस पर विचार कर रही है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 8,000 करोड़ रुपए उचंत खाते में पड़े हुए है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को मानते है कि यह वहां है या नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुद्दे को टाल दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसे लोग है जिन्होंने इसमें अंशदान नहीं किया है और यह सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है कि निधि के कोष बढ़ाने और इस पर अधिक ब्याज लेने के लिए नियोक्ताओं द्वारा योगदान किया जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती: मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (क) है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: भाग (क) नहीं। कृपया इसे उचित रूप से रखिये; इसे इतना स्पष्ट न बनाएं।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बिना दावे की बड़ी धनराशि भविष्य निधि संगठन के पास निष्क्रिय पड़ी हुई है और यदि ऐसा है तो कृपया कुल राशि का ब्यौरा दीजिए।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) है: क्या सरकार कुछ लाभार्जन करने वाली सरकारी योजना में राशि जमा करने का विचार रखती है ताकि इस निष्क्रिय निधि से आय तथा नियमित कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर आय से श्रमिकों की भविष्य निधि जमाओं पर अधिक ब्याज दर दी जा सकें।

श्री शिवराज वि. पाटील: सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है और उस योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि केंद्रीय सरकार के पास रखी जाती है और कुछ धनराशि राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है और कुछ धनराशि बोर्ड द्वारा या तो केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा निजी क्षेत्र में भी निवेश की जाती है।

अब न्यासी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे है कि निवेश इस तरह किया जाए कि निवेश से अधिकतम आय हो। यह ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है और यहां स्थिति यह है कि 72 प्रतिशत निधियां 'विशेष जमा योजना' में है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है। अब, वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे है कि कैसे सबसे अच्छा निवेश किया जा सकता है और वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे है कि किए गए निवेश पर सबसे अच्छा ब्याज कैसे अर्जित किया जा सकता है और कर्मचारियों को अधिक ब्याज दिया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हाल ही में विशेषकर गत पांच वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ निवेश किए थे जो अविवेकपूर्ण थे बल्कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए थे जिनसे प्राप्ति उचित अनुपात में नहीं हुई बल्कि लोगों के पास रखी रही जहां कि निवेश किया गया था अर्थात् निजी क्षेत्र में और यदि ऐसा था तो उसके कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कितनी हानि हुई?

श्री शिवराज वि. पाटील: बहत्तर प्रतिशत निवेश विशेष जमा योजना में किया जाता है। ऐसी आशा है कि 25 प्रतिशत निवेश केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में, 15 प्रतिशत राज्य सरकार प्रतिभूतियों में, 30 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाता है और केवल 30 प्रतिशत निवेश न्यास द्वारा निजी क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रों में करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए, अधिकांश निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों में है। इसीलिए, अंशदान लिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस निवेश से कर्मचारियों के लिए कुछ आय हो। अब, क्योंकि एक या दो व्यक्तियों ने ब्याज का पुनः भुगतान नहीं किया है और इस तरह की बातें हो रही है इसलिए मैं वह जानकारी प्राप्त करूंगा और वह माननीय सदस्य को दी जा सकती है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: धन्यवाद, महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि से सीपीएफ में स्थानांतरण किया गया है उन्हें अपनी पेंशन नहीं मिल रही है। उन्हें अभी अपना खाता संख्या भी नहीं मिले है। क्या माननीय मंत्री इसमें देरी के कारण और इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताने की कृपा करेंगे?

***अध्यक्ष महोदय:** क्या आपके पास कोई जानकारी है?*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी और मैं उन्हें सूचित कर दूंगा।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि इस देश के कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकार इसका उपयोग संरक्षित कोष की भांति करती है और इसका 72 प्रतिशत विशेष जमा योजनाओं में रखा जाता है। इसकी तुलना बैंकों व अन्य स्थानों पर रखी जमाराशियों से नहीं की जानी चाहिए। यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक योजना के मामले में भी एक सीमा है। लेकिन सरकार 30 वर्ष की समयावधि के लिए जीवन भर की सुरक्षा लेती है और इस अवधि के लिए सरकार इसका उपयोग नहीं कर सकती है ...*(व्यवधान)* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 9.5 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की थी और अगले वर्ष जब मुद्रास्फीति की दर आज की तुलना में आधी थी नौ प्रतिशत ब्याज दर तथा स्वर्ण जयंती का अतिरिक्त बोनस दिए जाने की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सिफारिश की है कि हम उस स्तर पर पहुंच चुके है जहां ब्याज दरों में और वृद्धि नहीं हो सकती, बल्कि बैकों के मामले में आप पाएंगे कि वे ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व श्रमिकों की 9.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर होने के मांग न्यायोचित ही है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने इस देश के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक बेहतर स्थिति का वादा किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस देश के कर्मचारियों तथा श्रमिकों, जो कि पहले से ही उच्च मूल्य वृद्धि तथा इन सब विसंगतियों तले पिस रहे है, को अधिक लाभ प्रदान करने हेतु कोई निर्णय लिया है या वह कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए एकदम यही बात कही थी। सरकार एक सकारात्मक निर्णय हेतु वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले में परामर्श कर रही है। जो भी सकारात्मक निर्णय लिया जा सकेगा उससे आपको अधिसूचना के माध्यम से या यदि संसद का सत्र चल रहा होगा तो संसद में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से आपको सूचित कर दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः इसमें कितना समय लगेगा ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: कर्मचारी और श्रमिक पहले ही परेशान हो रहे है। यह कब होने जा रहा है? कितनी शीघ्रता से? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे देख रहे है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः इसमें कितना समय लगेगा?

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे देख रहे है। मंत्रालय भी इसे देख रहा है। वित्त मंत्रालय के लिए इसमें कुछ कठिनाइयां है। हम यह ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि एक सकारात्मक निर्णय लिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनकी मैंने अनुमति दी है। अब श्री जुएल ओराम अपना प्रश्न रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 9.5 प्रतिशत ब्याज दर देने के लिए बोर्ड, मंत्रालय और लेबर मिनिस्टर दोनों तैयार है तब माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब तैयार क्यों नहीं है जबकि उनके पास सरप्लस मनी पड़ी है। इस सरप्लस मनी को सरकार एम्प्लाइज के फायदे के लिए किस प्रकार खर्च कर रही है, कितना उसका यूज एम्प्लाइज के लिए हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ झा: जब आप मंत्री थे तब क्यों नहीं किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, आपके प्रश्न का उत्तर एक सक्षम मंत्री दे रहे है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, इसमें बोर्ड आफ ट्रस्टीज निर्णय लेते है और जब वे निर्णय लेते है तो उनको देखना

जरूरी हो जाता है कि जिस रेट से इंट्रेस्ट देना चाहते है उतना पैसा उनके पास है या नहीं। अगर पैसा उनके पास है तो लेबर मिनिस्टरी को हां बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, फिर फाइनेंस मिनिस्टरी के पास चर्चा करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा उनके पास नहीं है तो मिनिस्टरी को देखना पड़ेगा कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज ने जो निर्णय लिया है, उस पर अमल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: *आप पहले ही उत्तर दे चुके है।*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अगर उन्हें लगा कि पैसा नहीं है और पैसा देना है तो वह कहां से देना है, इसके लिए वित्त मंत्री के साथ चर्चा करनी होगी।

श्री जुएल ओराम: इसे देने के बारे में लेबर मिनिस्टर ने एग्री किया है लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टरी एग्री क्यों नहीं कर रहे है?

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसे हालात पैदा होने के बाद और पैसे की कमी होने के बाद भी मैं सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि इस बारे में फेवरेबल डिसिजन लेने के लिए कदम उठाए जा रहे है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे वित्त मंत्री नहीं है। आप इतने अनुभवी सदस्य है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। यह बहुत सटीक होना चाहिए और कृपया कोई दोहराव नहीं होना चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, चूंकि बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने यह इंगित किया है कि सरकार के पास बहुत सी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सभा को विश्वास में लेकर यह बताएंगे कि वह धनराशि कितनी है और उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। फिर, मंत्री जी एक सकारात्मक निर्णय लेने का वादा कर रहे है। वह निर्णय कब लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: यथाशीघ्र।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस महा-प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मेरा कहना यह है कि निधियों की कमी के कारण ये कठिनाइयां आ रही है। यदि धनराशि उपलब्ध होती तो यहां कोई कठिनाई नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद। मेरे विचार से हमारे गृह मंत्री जी एक सक्षम श्रम मंत्री भी हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक दफा उठाने से ही होगा।

[अनुवाद]

आपको महोदय, महोदय नहीं कहना पड़ेगा। वे बहुत सक्षम है।

सूखा प्रभावित राज्य

\+
***64. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के एक दल ने सूखे के प्रभाव का आकलन करने के लिए हाल ही में विभिन्न राज्यों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों से अतिरिक्त सहायता और खाद्यान्न हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी सहायता और खाद्यान्न की मांग की गयी है;

(ङ) प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गयी और खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को कोई विशेष पैकेज भी दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गयी रणनीति का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जुलाई, 2004 माह के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून में ज्यादा देरी हो जाने से कई राज्यों में गंभीर सूखे की आशंका पैदा हो गयी थी। इन राज्यों में स्थिति की बहुत गहराई से मानीटरिंग की गयी और केन्द्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इस माह के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों का दौरा किया।

निरंतर मानीटरिंग और कृषि सचिव के दौरों के परिणामों के आधार पर इन राज्यों को समय-समय पर खाद्यान्नों का आवंटन तथा आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से केन्द्रीय अंश के रूप में अग्रिम धनराशियां जारी की गयीं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

राज्य का नाम	आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश को अग्रिम तौर पर रिलीज (करोड़ रु. में)	आवंटित खाद्यान्न (लाख मी. टन में)
आंध्र प्रदेश	45.14	-
बिहार	-	2.00
गुजरात	73.57	-
हरियाणा	37.06	-
झारखंड	-	0.67
मध्य प्रदेश	28.55	0.50
महाराष्ट्र	71.65	-
राजस्थान	94.35	2.00
तमिलनाडु	-	1.50
पंजाब	55.93	-
उत्तर प्रदेश	66.68	-
योग	472.93	6.67

तत्पश्चात, अगस्त महीने में मानसून के आ जाने पर कई राज्यों की स्थिति में काफी सुधार आ गया। जुलाई में वर्षा के अभाव के प्रभाव का विस्तृत सर्वेक्षण कराए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता के लिए अलग-अलग तारीखों को ज्ञापन प्रस्तुत किए।

मांगी गई सहायता, अनुमोदित धनराशि और आपदा राहत कोष (सी आर एफ) में बची धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से अब तक जारी की गई सहायता का ब्यौरा तथा आवंटित खाद्यान्न से संबंधित सूचना को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रु. में) खाद्यान्न (लाख मीटरी टन में)

राज्य	मांगी गई सहायता	अनुमोदित राशि	जारी राशि	मांग	आवंटन
बिहार	2312.48	162.15	162.15	12.93*	2.00
तमिलनाडु	1910.58	156.84	117.27	5.40*	1.50
उत्तर प्रदेश	7226.10	360.94	192.10	-	-

*मांग पूरे वर्ष के लिए की गई थी और आवंटन उससे कम अवधि के लिए है।

निम्नलिखित राज्यों के लिए उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) द्वारा शीघ्र विचार किए जाने की आशा है-

राज्य	मांगी गई धनराशि (करोड़ रु. में)	मांगा गया खाद्यान्न (लाख मीटरी टन में)
आंध्र प्रदेश	1199.68	22.50
झारखंड	928.12	-
मध्य प्रदेश	724.88	7.64

निम्नलिखित राज्यों में केन्द्रीय दल भेजा जा रहा है। इन राज्यों ने हाल ही में अपना ज्ञापन सौंपा है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य	मांगी गई धनराशि (करोड़ रु. में)	मांगा गया खाद्यान्न (लाख मीटरी टन में)
राजस्थान	2378.64	28.80
कर्नाटक	1147.71	4.53
छत्तीसगढ़	604.96	7.20

पंजाब सरकार ने एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने बाढ़ और सूखे के लिए 5100.31 करोड़ रु. की मांग की है, परन्तु इसने दोनों ही आपदाओं में हुई विशिष्ट क्षति के बारे में अलग-अलग सूचना नहीं दी है। गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय

ने राज्य सरकार को इन दोनों आपदाओं से हुई क्षति के बारे में अलग-अलग ज्ञापन देने की सलाह दी है जिनमें अपेक्षित सहायता का विस्तृत ब्यौरा दिया गया हो।

राजस्थान में भी कुछ गंभीर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की रेल द्वारा मुफ्त ढुलाई की सुविधा प्रदान की गयी थी जो अगस्त के मध्य तक रही जब वहां की स्थिति में काफी सुधार आ गया था।

जहां एक ओर कई कार्यक्रमों और योजनाओं में सूखे के प्रकोप को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान की मांग की गई है जिसके अंतर्गत सिंचाई की सुविधा और पानी के संरक्षण की बात भी आती है जिसमें पनधारा भी शामिल है, वहीं दूसरी ओर सूखा बार-बार पड़ता है जिसके लिए राहत सहायता की जरूरत होती है और उसकी गंभीरता के कारण हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, आन्ध्र प्रदेश सबसे अधिक सूखा प्रभावित राज्यों में से एक है जो चार वर्षों से लगातार सूखे का सामना कर रहा है और इस वर्ष भी वहां 23 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में 1093 करोड़ रुपये और सूखा राहत के रूप में 20 लाख मीट्रिक टन चावल की मांग की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सहायता जारी करने हेतु की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ ब्यौरा उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है। सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से के रुप में 45.14 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की जा चुकी है। दूसरे, आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नए प्रस्ताव के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति, जिसके द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, की आज बैठक होनी है। हम आज तीन राज्यों, अंतिम विचार आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड और मध्य प्रदेश के बारे में अंतिम विचार करेंगे।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार इसतथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम लगातार चौथे वर्ष सूखे का सामना कर रहे है और आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए पूरं आन्ध्र प्रदेश राज्य में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को विस्तारित करने की इच्छुक है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप वादा करने की स्थिति में है?

श्री शरद पवार: मूलतः 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम एक अन्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मनसुखभाई डी. वसावा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: श्री मोदी, मैं आप को आश्वस्त कर सकता हूं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है?

श्री मनसुखभाई डी. वसावा-अनुपस्थित, माननीय संसद सदस्य मैं आपके विनम्र सहयोग के लिए आप का आभारी हूं। कृपया इसे बनाए रखें।

श्री एन.एस.वी. चित्तन।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु प्रभावित था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया सहयोग दीजिए। आज प्रश्न काल बहुत अच्छा चल रहा है।

कृपया सुस्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में लगातार चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है। कृषि कार्य पूर्णतया असफल हो चुके है तथा पेयजल की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। कृषि श्रमिक बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए है। माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से में से कोई अग्रिम धनराशि जारी नहीं की गई है।

उत्तर में यह भी बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने 1,910.58 करोड़ रु. की सहायता की मांग की है लेकिन भारत सरकार ने 156.84 करोड़ रु. की थोड़ी सी राशि ही अनुमोदित की है और अब तक केवल 117.27 करोड़ रु. जारी किया गए है।

अध्यक्ष महोदय: ये सब ब्यौरे आवश्यक नहीं है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, 5.40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की मांग की तुलना में लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ही आवंटित किया गया था। मुझे यह कहते हुए पीड़ा होती है कि यह बहुत ही अपर्याप्त है तथा इससे हमारी वेदना में वृद्धि ही हुई है। तमिलनाडु भी हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुआ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। कुछ हिस्सों में हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल पानी में डूबकर नष्ट हो गई। तमिलनाडु के हाल ही के इतिहास में तमिलनाडु के लोग बाढ़ और सूखा दोनों ही से प्रभावित हुए है।

मैं यू.पी.ए. सरकार से और खासकर माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु के लिए एक विशेष पैकेज योजना बनाए तथा भूखे किसानों और मेहनती कृषि मजदूरों को बचाने के लिए उदारतापूर्वक ज्यादा धनराशि जारी करे। मैं इसकी मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पर दो तरफा मार पड़ी है। मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी कृषकों के प्रति उदार ह्रदय है।

अध्यक्ष महोदयः आप अपना प्रश्न एक वाक्य में भी पूछ सकते थे। वह आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे क्योंकि आपने उनकी प्रशंसा की है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप ऐसे समय, जब माननीय मंत्री जी एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे है। जब माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे है तो उसी समय आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री शरद पवारः महोदय, पहले, तमिलनाडु सरकार ने किसी भी तरह की अग्रिम सी.आर.ए. राशि जारी करने के लिए नहीं कहा। तमिलनाडु राज्य द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा अनाज जारी करने के बारे में उठाए गए दूसरे प्रश्न का संबंध है तो अनाज पहले ही जारी कर दिया गया है। तीसरा, भारत सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए है, वह 11वें वित्त आयोग के विस्तृत मार्गनिर्देशों के अनुसार लिये गये है जिसमें भारत सरकार द्वारा किस तरह के प्रस्तावों, आदि को स्वीकार करना है उसका ब्यौरा दिया गया है। अतः, कोई भी निर्णय 11वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए और प्रस्तावित मानकों के अनुसार लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री ए.वी. बेल्लारमिन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यो, अन्य राज्यों के बारे में भी बात करनी है। मैं प्रत्येक दल को प्रश्न पूछने का मौका देने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यो, कृपया उनके साथ सहयोग कीजिए क्योंकि यह उनका पहला प्रश्न है। हां, श्री बेल्लारमिन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए.वी. बेल्लारमिनः महोदय, तमिलनाडु द्वारा खाद्यान्न के लिए वास्तव में क्या मांग की गयी थी, तथा सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु को कितना अनाज दिया गया है। मैं नारियल उत्पादकों, जिन्हें सूखे के दौरान अपने पेड़ों से हाथ धोना पड़ा को दिए गए विशेष आवंटनों के ब्यौरे के बारे में जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री बेल्लारमिन, आपने अपना प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से पूछा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह उनका पहला प्रयास था। हमें इसकी कद्र और प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री शरद पवारः महोदय, तमिलनाडु के लिए अनाज के आवंटन की मंजूरी 27 अक्तूबर, 2004 को दी गयी थी, तथा आज तक, मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने मात्र थोड़ी मात्रा में ही अनाज उठाया है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पंजाब से जो मैमोरेंडम आया है, वह स्पैसिफिक नहीं है और पंजाब सरकार से स्पैसिफिक इनफौर्मेशन देने के लिये दुबारा कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब सरकार से वह मांग आई है, यदि नहीं की गई तो क्या केन्द्र सरकार अपनी टीम भेजकर पंजाब के किसानों का सूखे और बाढ़ दोनों से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिये मदद करेगी?

श्री शरद पवारः अध्यक्ष महोदय, केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार से कहा गया है कि वह सूखे और बाढ़ के बारे में डिटेल्ज दें। उनकी डिटेल्ज आने के बाद ही हम केन्द्र से टीम भेजने के लिये तैयार होंगे लेकिन अभी तक हमारे पास पंजाब सरकार से डिटेल्ड इनफौर्मेशन नहीं आई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री के. फ्रांसिस जार्ज। यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न होगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, उन राज्यों की सूची में केरल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने सूखा राहत की मांग की है। केरल राज्य पिछले दो वर्षों से लगातार सूखे से प्रभावित रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीनों में एक ज्ञापन भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, एक बहु विषयक दल ने भी राज्य का दौरा किया था, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय मंत्री जी मंत्रालय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना खास प्रश्न पूछिए। अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास समय कम है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केरल राज्य के अनुरोध पर सकारात्मक रूप में अविलंब विचार किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: महोदय, एक बहु विषयक दल ने केरल का दौरा किया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

इसकी अनुमति अभी नहीं दी जा सकती। अत:, कृपया इस मामले पर सूचना दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको नियमों की अच्छी जानकारी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: केरल सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए 3,847 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करने के लिए 23 जुलाई, 2004 को ज्ञापन दिया है। केरल द्वारा की गई मांग सूखे के लिए नहीं है, परन्तु केरल की मांग कृषि क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए है। बहु-विषयक दल ने केरल का दौरा किया तथा इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह दल प्रधानमंत्री सचिवालय (पी.एम.ओ.) की ओर से गया था। प्रधानमंत्री सचिवालय 9 दिसंबर को केरल के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुला रहा है। इसलिए, 24 दिसंबर को इस सत्र के खत्म होने के पहले मैं केरल के बारे में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम हो पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल खत्म हो गया है। अब, सभा दूसरे मद, यानि कि 'सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों' पर चर्चा करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आप इस विषय पर आधे घंटे की सूचना दे सकते है।

[हिन्दी]

आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: सर, बिहार को सूखे के लिए एक पैसा भी नहीं मिला। साऊथ बिहार ड्राउट प्रोन एरिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीनी के मूल्यों में गिरावट

***65. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्षों से विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के मूल्यों गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या गन्ना उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इससे चीनी मिलों को भी नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षें के दौरान विशेषकर गुजरात में गन्ना उगाने वाले किसानों और चीनी मिलों को कितना नुकसान हुआ है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार देश में विशेषकर गुजरात में गन्ना उगाने वाले किसानों की सहायता के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) अक्तूबर, 2001 को आधार मानते हुए, चीनी के मूल्यों में गिरावट का रुख अप्रैल, 2004 तक जारी रहा। लेकिन उसके बाद मूल्यों में मजबूती आई है।

(ख) पिछले 3 चीनी मौसमों के दौरान देश की चार प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्यों की माहवार रेंज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल्यों में गिरावट का मुख्य कारण पूर्व के चीनी मौसमों में चीनी के उत्पादन का उच्च स्तर है जो 181.93 लाख मीटरी टन (1999-2000 चीनी मौसम), 185.10 लाख मीटरी टन (2000-2001 चीनी मौसम), 184.98 लाख मीटरी टन (2001-2002 चीनी मौसम) तथा 201.32 लाख मीटरी टन (2002-2003 चीनी मौसम) के रेंज में था।

(ग) और (घ) गन्ने के उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ तथा कृषि जिंसों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, गुजरात सहित देश में चीनी मिलों को हुई हानियां विभिन्न प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकीय कारणों से हो सकती है जिनमें से एक कारण चीनी के चल रहे मूल्य है।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने देश में गन्ना किसानों तथा चीनी मिलों की सहायता करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता कम करके उनके उत्पादन का 10% करने, गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को बफर सब्सिडि मुहैया करने और चीनी के निर्यात शिपमेंट्स पर निर्यात सब्सिडी/प्रोत्साहन देने जैसे उपाय पहले से ही किए है।

विवरण

देश की चार प्रमुख मंडियों में एस-30 ग्रेड की चीन के थोक मूल्यों की रेंज बताने वाला विवरण (रुपए प्रति क्विंटल)

(स्रोत-अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय)

मास	दिल्ली	मुम्बई*	कोलकाता**	चेन्नई	सभी चारों केन्द्र
1	2	3	4	5	6
चीनी मौसम (2001-2002)					
अक्टूबर, 2001	1500-1580	1415-1480	1580-1630	1410-1450	1410-1630
नवम्बर	1530-1560	1418-1480	1580-1620	1415-1430	1415-1620
दिसम्बर	1460-1520	1370-1450	1530-1590	1395-1430	1370-1520
जनवरी, 2002	1420-1460	1355-1441	1510-1540	1400-1435	1355-1540

1	2	3	4	5	6
फरवरी	1400-1430	1360-1435	1540-1550	1430-1440	1360-1550
मार्च	1430-1450	1400-1465	1540-1580	1425-1435	1400-1580
अप्रैल	1430-1450	1400-1455	1550-1580	1410-1430	1400-1580
मई	1400-1450	1333-1450	1540-1575	1400-1415	1333-1575
जून	1425-1440	1320-1400	1510-1550	1350-1390	1320-1550
जुलाई	1420-1440	1305-1375	1500-1520	1350-1370	1305-1520
अगस्त	1380-1420	1310-1425	1450-1490	1340-1350	1310-1490
सितम्बर	1375-1380	1285-1401	1450-1500	1350	1285-1500
चीनी मौसम 2002-2003					
अक्टूबर, 2002	1340-1375	1220-1374	1450-1480	1350	1220-1480
नवम्बर	1320-1340	1160-1271	1350-1450	1250-1280	1160-1450
दिसम्बर	1300-1325	1160-1410	1330-1360	1220-1250	1160-1360
जनवरी, 2003	1280-1300	1165-1230	1340-1380	1220	1165-1380
फरवरी	1250-1280	1150-1215	1350-1370	1215-1230	1150-1370
मार्च	1250-1260	1150-1211	1320-1350	1199-1215	1150-1350
अप्रैल	1240-1250	1148-1252	1340-1360	1199-1241	1148-1360
मई	1240-1250	1147-1204	1340-1400	1194-1241	1147-1400
जून	1240-1270	1130-1310	1325-1400	1194-1241	1130-1400
जुलाई	1270-1310	1237-1425	1380-1490	1241-1441	1237-1490
अगस्त	1300-1440	1325-1443	1480-1575	1441	1300-1575
सितम्बर	1440-1445	1325-1395	1520-1540	1409-1441	1325-1540
चीनी मौसम 2003-2004					
अक्टूबर, 2003	1435-1500	1336-1401	1520-1535	1340-1355	1336-1535
नवम्बर	1450-1500	1296-1401	1470-1530	1345-1355	1296-1530
दिसम्बर	1380-1430	1281-1362	1420-1510	1280-1300	1280-1510
जनवरी, 2004	1350-1370	1271-1461	1400-1460	1275-1300	1271-1461
फरवरी	1360-1460	1350-1545	1480-1605	1300-1550	1300-1605

1	2	3	4	5	6
मार्च	1440-1460	1370-1480	1520-1590	1425-1460	1370-1590
अप्रैल	1450-1480	1375-1575	1550-1635	1460-1510	1375-1635
मई	1525-1570	1490-1571	1660-1720	1535-1600	1490-1720
जून	1525-1535	1500-1595	1670-1690	1540-1600	1500-1690
जुलाई	1525-1535	1498-1597	1670-1700	1500-1550	1498-1700
अगस्त	1535-1550	1535-1695	1680-1790	1540-1600	1535-1790
सितम्बर	1550-1625	1570-1645	1710-1800	1570-1640	1550-1800

*स्रोत: इकनामिक टाइम्स

**सूचित ए.एस.एम.-30

विदेशी पर्यटकों का आगमन

***66. श्री के.सी. सिंह "बाबा":** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन प्रतिशत में वृद्धि होगी जैसा कि दिनांक 17 नवम्बर, 2004 के "नवभारत टाइम्स" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में राज्यवार कितने विदेशी पर्यटक आए;

(घ) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें परिवहन, आवास, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) देश में विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 2003 के दौरान पाई गई लगभग 14% और जनवरी से नवम्बर, 2004 की अवधि के लिए लगभग 24% की अनुमानित वृद्धि दर के आधार पर यह परिकल्पना की जाती है कि आने वाले वर्षों में देश में विदेशी पर्यटक आगमन के प्रतिशत में वृद्धि होगी।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः-

* "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
* विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।
* केन्द्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान।
* विदेशों में टुअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।
* उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
* व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
* इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
* पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।

* विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों, टुअर ऑपरेटरों को भारत के सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

* यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड़ शोज प्रारम्भ करना।

* होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना।

* प्रमुख प्रर्यटक गंतव्यों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना।

विवरण

वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी पर्यटक आगमन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	67147	210310	479318
2.	अरुणाचल प्रदेश*	323	187	123
3.	असम	6171	6409	6610
4.	बिहार	85673	112873	60820
5.	गोवा	260071	271645	314357
6.	गुजरात	30930	34187	37534
7.	हरियाणा	898	85281	84981
8.	हिमाचल प्रदेश	135760	144383	167902
9.	जम्मू एवं कश्मीर	21298	7821	24330
10.	कर्नाटक	140703	59545	249908
11.	केरल	208830	232564	294621
12.	मध्य प्रदेश	107824	67319	92278
13.	महाराष्ट्र*	915399	768935	986544
14.	मणिपुर	183	221	257
15.	मेघालय	2390	3146	6304
16.	मिजोरम	152	259	279
17.	नागालैंड*	920	657	743
18.	उड़ीसा	22854	23279	25020
19.	पंजाब	3258	7558	4589

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	608283	428437	628560
21.	सिक्किम	31028	8566	11966
22.	तमिलनाडु	773073	804041	901504
23.	त्रिपुरा	1512	2602	3196
24.	उत्तरांचल	44429	45070	55228
25.	उत्तर प्रदेश	795000	710000	825000
26.	छत्तीसगढ़	792	993	1150
27.	झारखण्ड	2979	2244	3223
28.	पश्चिम बंगाल	284092	529366	705457
29.	अण्डमान एवं निकोबार	5539	5101	4142
30.	चण्डीगढ़	15203	13706	17057
31.	दमन एवं दीव	10290	6569	3274
32.	दिल्ली*	830092	543036	693827
33.	दादरा एवं नगर हवेली*	400	202	136
34.	लक्षद्वीप	650	912	682
35.	पांडिचेरी	22115	20094	25559
	जोड़*	5436261	5157518	6716479

*अनुमानित

जड़ प्रभावित नारियल जोत

*67. **श्री एस. अजय कुमार:**
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जड़ प्रभावित नारियल की जोतों के प्रबंधन तथा नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार को 231.80 करोड़ रुपये के खर्च से जड़ मुरझान रोगग्रस्त (विल्ट रूट) वाले नारियल वृक्षों को हटाने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के बारे में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के गंभीर रोग ग्रस्त जड़ वाले क्षेत्रों में, 59.14 लाख अत्यधिक रोगग्रस्त वृक्षों को हटा कर उनके स्थान पर रोग प्रतिरोधी पौधों का रोपण करके नारियल की उत्पादकता को बढ़ाना है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना की गहराई से जांच परख की है और नारियल विकास बोर्ड, केरल सरकार के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों, केन्द्रीय पौध रोपण फसल

अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों, केरल कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ इस परियोजना प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन भी किया है। इस विचार-विमर्श के आधार पर केरल सरकार से कहा गया है कि वह परियोजना लागत को कम करने की संभावनाओं पर विचार करके प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करें। जिसमें प्रति वर्ष केवल 10 नट से कम फल देने वाले रोग ग्रस्त पामों, जिन पर प्रबंधन परक तरीकों का प्रभाव नहीं पड़ता हो को ही हटाया जाये। केरल राज्य सरकार ने संशोधित परियोजना प्रस्तुत की है जिसके अंतर्गत उसने रोग ग्रस्त पामों को कटवाने, उनके स्थान पर पुनः पौध रोपण करने, रोग ग्रस्त नारियल बागानों का समेकित प्रबंधन, जिसमें सिंचाई सुविधायें भी शामिल है, तथा चार सीरोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये भारत सरकार से 292.28 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की हैं। इस परियोजना की भारत सरकार द्वारा गठित प्रौद्योगिकीविदों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ''भारत में समेकित नारियल उद्योग विकास'' नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसमें नारियल प्रौद्योगिकी मिशन भी शामिल है जिसका उद्देश्य भारत में नारियल उद्योग के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। भारत में नारियल उद्योग के विकास की समेकित स्कीम में उत्पादकता सुधार हेतु नारियल जोतों में समेकित फार्मिंग के घटक के अंतर्गत रोगग्रस्त पामों की कटाई और उसे हटाने के लिए प्रति पाम 250 रुपये की दर से और जड़ मुरझान रोग के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हेतु प्रति हेक्टेअर 35 हजार रुपये की दर पर सहायता दी जाती है।

इसके अलावा प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत जड़ मुरझान रोगों के उन्मूलन के साथ-साथ कीट कृमि और रोग ग्रस्त नारियल बागानों के प्रबंधन में शामिल प्रौद्योगिकीयों के विकास प्रदर्शन तथा अपनाने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा किसानों को सहायता दी जाती है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को 50.00 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 100% तथा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सक्षम संस्थानों को 25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत के 50% की दर से सहायता दी जाती है। प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को 25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 100% तथा गैर सरकारी संगठनों और अन्य सक्षम संस्थानों को 10.00 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत के 50% की दर से सहायता दी जाती है। सार्वजनिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, अन्य सक्षम संस्थानों और किसानों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए दी जाने वाली सहायता परियोजना लागत का 25% है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केरल में जड़ मुरझान रोग के प्रबंधन हेतु अब तक 4.996 करोड़ रुपये की सहायता की गई है। लगभग 29.93 लाख रोग ग्रस्त पामों को काट कर हटाया जा चुका है। इससे रोग्रस्तता की घटना में कमी आई है जो 32.4% से घटकर 24.0% हो गई है।

खाद्यान्न उत्पादकता

***68. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) अन्य विकासशील देशों की तुलना में रबड़, कॉफी, नारियल इत्यादि जैसी नकदी फसलों की उत्पादकता के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गत पांच वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2003-04 में चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन सहित खाद्यान्नों की उत्पादकता के आंकड़े निम्नवत है:-

(टन प्रति हैक्टेयर)

क्र.सं.	फसल	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04
1.	चावल	1.99	1.90	2.08	1.80	2.05
2.	गेहूं	2.78	2.71	2.76	2.62	2.71
3.	मोटे अनाज	1.03	1.03	1.13	0.96	1.23
4.	दलहन	0.64	0.54	0.61	0.56	0.62
5.	खाद्यान्न (1 से 4)	1.70	1.63	1.73	1.56	1.71

(ख) खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की ओर लक्षित कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल)

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-गेहूं)

(3) मोटे अनाज आधारित फसस प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-मोटे अनाज)

अक्टूबर 2000 से, इन स्कीमों को बृहत प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है ताकि राज्यों को अपनी क्षेत्रीय रूप से भिन्नित जरूरतों के अनुसार लचीलापन प्रदान किया जा सके।

वर्ष 2002-03 से "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन" संबंधी एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वी भारत में प्रचुर भूगत (ग्राउंड)/सतही जल के उपयोग के माध्यम से फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। इस स्कीम के अंतर्गत (i) पंपिंग सैटों सहित उथले नलकूपों (एसटीडब्ल्यू) की संस्थापना (ii) बिजली/डीजल के पानी के पंम्पिग सैटों (iii) लो लिफ्ट सिंचाई पाइंट्स (एल आई पी) और (iv) पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में खुदे कुंओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम एक बैक-ऐंडिड क्रेडिट से जुड़ी स्कीम है और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रमीण विकास बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

जहां तक दलहन का संबंध है, तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का के लिए समेकित स्कीम (आइसोपोम) अप्रैल 2004 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत प्रजनक बीज की खरीद, आधारी (फाउंडेशन) बीज उत्पादन, प्रमाणीकृत बीज उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जहां तक रबड़ का संबंध है, भारत में प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की उत्पादकता विश्व में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। भारत में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता 1999-2000 से 2001-02 के दौरान 1576 किग्रा. प्रति हैक्टेयर पर रही। यह 2002-03 में बढ़कर 1592 किग्रा.स प्रति हैक्टयर हो गई और 2003-04 में और अधिक बढ़कर 1663 किग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई। इस प्रकार, भारत में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता थाइलैंड में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता (1418 किग्रा. प्रति हैक्टेयर) से कहीं अधिक है जो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। जहां तक कॉफी का संबंध है, भारत की उत्पादकता (1.03 टन प्रति हैक्टयर), वियतनाम (1.47 टन प्रति हैक्टेयर) को छोड़कर कॉफी के प्रमुख उत्पादक देशों की उत्पादकता से अधिक है। नारियल के संबंध में, भारत की उत्पादकता (6777 गिरी प्रति हैक्टयर) ब्राजील (12810 गिरी प्रति हैक्टेयर) को छोड़कर प्रमुख नारियल उत्पादक देशों की उत्पादकता से अधिक है।

खाद्यान्न निर्यात घोटाला

*69. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) ने वर्ष 2003-04 के दौरान घरेलू बाजार की उपेक्षा करते हुए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर चुने हुए निर्यातकों को बेच दिया;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान खुली बिक्री योजना के अंतर्गत घेरलू बाजार में एवं निर्यात हेतु कितना खाद्यान्न बेचा गया और निर्यातकों के नाम क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप लगभग 20,000 करोड़ रुपये की राजसहायता की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या अगस्त, 2003 में निर्यात को निषिद्ध करने वाला आदेश वापस ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(च) क्या ऐसे खाद्यान्नों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर घेरलू बाजार में उतार दिया गया;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अनैतिक कार्य करने वाले निर्यातक कौन-कौन से है;

(ज) क्या सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच एजेन्सी का नाम क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गेहूं और चावल के स्टाक के अपेक्षित बफर स्टाक से बहुत अधिक हो जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 2000-01 से (वर्ष 2003-04 भी शामिल है) केन्द्रीय पूल से उन सभी निर्यातकों को बिना किसी भेदभाव के खाद्यान्न बेचे थे, जिन्होंने स्कीम की शर्तों को पूरा करते हुए भारतीय खाद्य निगम से संपर्क किया था। साथ ही साथ गेहूं और चावल की घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया था।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान खुली बिक्री योजना के तहत घरेलू बाजार में तथा निर्यातकों को बेची गई खाद्यान्नों की मात्रा और निर्यातकों की सूची विवरण I और II पर दी गई है।

(ग) 2000-01 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान 334 लाख टन खाद्यान्नों के निर्यात के लिए 16611.20 करोड़ रुपये की राशि राजसहायता के रूप में है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। निर्यात के लिए नए आबंटन को रोकने से संबंधित 11 अगस्त, 2003 के आदेश को वापस नहीं लिया गया है।

(च) और (छ) अनियमितताओं संबंधी कुछ मामले ध्यान में आए है और ऐसे प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई है जिसकी जानकारी विवरण-III के अंतर्गत दी गई है।

(ज) और (झ) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जांच करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण I

निर्यातों की तुलना में खुली बिक्री योजना

(लाख टन में)

वर्ष	खुली बिक्री			निर्यात		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1999-2000	—	32.62	32.62	—	—	—
2000-01	3.86	8.86	12.72	0.42	20.43	20.85
2001-02	4.01	51.94	55.95	23.50	39.65	63.15
2002-03	3.87	50.82	54.69	80.71	67.93	148.64
2003-04	4.05	09.23	13.28	30.71	70.69	101.40
जोड़	15.79	153.47	169.26	135.34	198.70	334.04

विवरण II

निर्यातकों की सूची

क्र.सं.	निर्यातक का नाम	पता
1	2	3
1.	आर डी इंटरनेशनल	सिलिगुड़ी
2.	अग्रवाल फूड्स प्रोडक्ट्स	दिल्ली
3.	एलानासन्स लि.	नई दिल्ली
4.	अलगर एक्सपोर्ट्स	टुटिकोरिन
5.	अन्नपूर्णा एक्सपोर्ट्स	सोनीपत
6.	अन्दाग्रो सर्विसेज लि.	मुम्बई
7.	एग्रोटेक फूड्स लि.	सिकन्दराबाद
8.	अजन्ता सोया लि.	भिवाडी
9.	अलग्यास एक्सपोर्ट प्रा.लि.	ए-17, नाइहोएल्ली रोड, दूनीरि, मुम्बई
10.	अमीर चन्द जगदीश कुमार	12/14, लिबासपुर रोड, सामलीपुर, दिल्ली

1	2	3
11.	अमीरा फूड्स लि.	मेहरौली, दिल्ली
12.	अमीवर्षा एक्सपोर्ट्स इंडिया	मुम्बई
13.	अमृत इंटरनेशनल	नई दिल्ली
14.	अमृत इंटरनेशनल लि.	नेरू प्लेस, नई दिल्ली
15.	अमृत इंटरनेशनल राइस कं.	नई दिल्ली
16.	आनन्द प्रकाश अंकित कुमार	दिल्ली
17	एंकर इम्पेक्स आइएनसी.	नई दिल्ली
18.	ए.आर. इम्पेक्स	सूरत
19.	अंजनी इंटरप्राइज	कोलकाता
20.	एटलांटिक स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स लि.	चेन्नई
21.	अवानी इंटरनेशनल	मुम्बई
22.	एस. नाथा सिंह करम सिंह प्रा. लि.	4124, पहली मंजिल, नया बाजार, दिल्ली
23.	बागोदिया ब्रादर्स	रायपुर
24.	बंसल ओवरसिज	करनाल
25.	बेसिक इंडिया लि.	पीतमपुरा, दिल्ली
26.	बेस्ट फूड इंटरनेशनल	पो.ओ. बाक्स नं. 5, इन्द्री, करनाल
27.	भागवती राइस मिल्स	फिरोजपुर कैन्ट
28.	भंडारी राइस मिल्स ओवरसिज	2244, गली रघुनन्दन, नया बाजार, दिल्ली
29.	बीएचएस ओवरसिज	सहारनपुर
30.	बिशन सरूप राम किशन एग्रो प्रा. लि.	5584, पहली मंजिल, नया बाजार, दिल्ली
31.	गारगील इंडिया लि.	गुडगांव
32.	कोमोडिटिज इंटर ट्रेड	14, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

1	2	3
33.	दौलतराम रमेश कुमार	तरण तारण
34.	डीडी इंटरनेशनल लि.	26, दि माल, अमृतसर
35.	देवा सिंह शाम सिंह	चाटीविन्ड गेट, अमृतसर
36.	दीपिका इंटरप्राइजेज	मालदा
37.	ढिंगरा एक्सपोर्ट प्रा. लि.	
38.	डालफिन इंटरनेशनल लि.	गुलमोहर पार्क एक्सटेंशन, न. दि.
39.	दून वेली इंटरनेशनल	करनाल
40.	इमसंस इंटरनेशनल लि.	12, जमरूदपुर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली
41.	एक्जीम राजाथी	चेन्नई
42.	एक्सपोटेच इंटरनेशनल लि.	बी-15, सेक्टर-3, नोएडा
43.	फिरोजपुर फूड्स प्रा. लि.	फिरोजपुर
44.	फूड्स फैट एंड फर्टिलाइजर लि.	चेन्नई
45.	गंगा ट्रेडर्स	सोनीपत
46.	गाजेबो इंडस्ट्रीज	मुम्बई
47.	जी.एन. ओवरसीज	36/55, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली
48.	जनरल एक्सपोर्ट इंटरप्राइज	मुम्बई
49.	जनरल मिल्स् इंडिया प्रा. लि.	मुम्बई
50.	ग्लोब इंटरनेशनल	5, कोर्ट लेन, सिविल लाइन्स, दिल्ली
51.	जी.एम. ओवरसीज राइस मिलर्स	लाहोरी गेट, दिल्ली
52.	जीएनजी एक्सपोर्ट्स	कोलकाता
53.	जीआरएम ओवरसीज लि.	गोहाना रोड, पानीपत

1	2	3
54.	जी.वी. (भगवान विष्णु) राइस यूनिट	जीटी रोड, तरारी, जिला करनाल, हरियाणा
55.	हल्दीराम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	मथुरा रोड, नई दिल्ली
56.	हरियाणा रोलर फ्लोर मिल्स	जीन्द
57.	हरि शलाक इंडस्ट्रीज	गोन्दिया, महाराष्ट्र
58.	हेमन्त इंटरनेशनल	कुरूक्षेत्र
59.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	165-166, बैकबेय, रेकलामेशन, मुम्बई
60.	एच.एम. ओवरसीज	चिलकाना रोड, सहारनपुर
61.	इंडियन रेजिंगस एंड पोलीमर्स	कोल्लम, केरल
62.	आईओसी एक्सपोर्ट्स लि.	माउन्ट रोड, चेन्नई
63.	आईटीसी लि. इंटरनेशनल	31, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद
64.	इंडिया ट्रेडिंग कं.	दिल्ली
65.	जागोदिया एक्सपोर्ट्स	गंगारामपुर
66.	जय बामलेश्वरी राइस सोरटेक्स धनपत प्लास्टिक	गोंडिया, महाराष्ट्र
67.	जतिन एंड कं.	मुटुन्गा, मुम्बई
68.	जेबी ओवरसीज लि.	20, एमआईजी फ्लैट, पीतमपुरा, दिल्ली
69.	जिन्दल निर्यात लि. (राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्ट्स)	संजय नगर, पाकेट-3, सेक्टर-2, रोहिणी
70.	कपूर ब्रादर्स रोलर फ्लोर मिल्स	पंचकुला
71.	के.सी. इंडस्ट्रीज	जलालाबाद वेस्ट
72.	कंसल ओवरसीज	38-39, पाकेट-डी 11, सेक्टर-7, रोहिणी
73.	कांतिलाल एंड कं.	11/12, जन्मभूमि मार्ग, मुम्बई
74.	करम इंडस्ट्रीज	एफ.बी. रोड सुलतानपुर मेहरौली, नई दिल्ली
75.	किसान इंटरनेशनल	3, गल्ला मंडी, रूद्रपुर
76.	केएलए राइस इंडिया पब्लिक लि.	रूद्रपुर
77.	केएन रिसोर्सेज लि.	सुभाष रोड, रूद्रपुर
78.	कोहिनूर इंटरनेशनल	जालंधर
79.	केआरबीएल लि.	5190, लाहोरी गेट, दिल्ली
80.	कृष्णा एंड कं.	टुटिकोरिन
81.	कृष्णा ट्रेडर्स	कोलकाता
82.	कुंदन राइस मिल्स	दिल्ली
83.	लेखराज नरिन्दर कुमार	कैथल
84.	लिबर्टी आयल मिल्स लि.	कोलाबा, मुम्बई,
85.	एलएमजे इंटरप्राइजेज	कोलकाता
86.	एलएमजे ओवरसीज	नई दिल्ली
87.	एलटी इंटरनेशनल लि.	नई दिल्ली
88.	एल.टी. ओवरसीज	21, ग्रीनपार्क, अरविन्दो मार्ग, दिल्ली
89.	लक्की एक्सपोर्ट	दिल्ली
90.	महालक्ष्मी राइस मिल्स	तारौरी
91.	महेन्द्रा राइस इंडस्ट्रीज	नालगोन्डा सेट्टापालेन-5082117
92.	महेश एग्रो प्रा. लि.	लाहोरी गेट, दिल्ली
93.	महावीर राइस मिल्स	तारौरी
94.	माम चन्द रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	यमुनानगर
95.	नामधारी राइस एंड जनरल मिल्स	
96.	नामधारी फूड इंडस्ट्रीज	सिरसा

1	2	3
97.	माया इंटरनेशनल	14, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
98.	नेफेड	नई दिल्ली
99.	न्यू भारत एक्सपोर्ट	5192, नया बाजार, नई दिल्ली
100.	नई भारत राइस मिल्स	फैजपुरा बटाला, जिला गुरदासपुर
101.	ओलम एक्सपोर्ट इंडिया लि.	8, केएसएफसी बिल्डिंग, इंटल. इस्टेट, मादीखेरी
102.	ओलम एक्सपोर्ट इंडिया लि.	बंगलौर
103.	ओवरसीज कारपेट्स लि.	नई दिल्ली
104.	पीआर सुराना एंड संस	नया बाजार, दिल्ली
105.	पदमश्री इंटरनेशनल	2744, पहली मंजिल, नया बाजार, दिल्ली
106.	परम हंस इंटरनेशनल	करनाल
107.	परवेज ओवरसीज (प्रा.) लि.	नया बाजार, दिल्ली
108.	पवन जैन एंड संस	जीटीके रोड, दिल्ली
109.	पेप्सी फूड प्रा. लि.	गुडगांव
110.	पेप्सी इंटरप्राइजेज	कोलकाता
111.	पेप्सीको इंडिया होलडिंग	गुडगांव
112.	पिकरिक लि.	केएम जीटी करनाल रोड, गांव लाड़सोली (सोनीपत)
113.	पीयुष इम्पेक्स प्रा. लि.	नई दिल्ली
114.	पी.के. ओवरसीज प्रा. लि.	करोलबाग, नई दिल्ली
115.	पूना दल एंड बेसन मिल्स	हादपसर, पुणे
116.	प्रियंका ओवरसीज लि.	डी-1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली
117.	प्रोड्यूसिन प्रा. लि.	मुम्बई

1	2	3
118.	पंजाब बासमती राइस लि.	संगराणा साहिब, अमृतसर
119.	आरके ओवरसीज राइस मिलर्स	जीटी रोड, सुरानुसी (जालंधर)
120.	रागा इंटरनेशनल	बाजार गंडावाला, अमृतसर
121.	राघुनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज	भिखीविन्ड, अमृतसर
122.	राज ब्रादर्स	16, पेरेरा स्ट्रीट, टुटीकोरिन
123.	रायसोनी एक्सपोर्टस	पुणे
124.	राशि एक्सपोर्टस	नाभा
125.	रवि कमल रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	मुम्बई
126.	राइस इंडिया एक्सपोर्टस् (प्रा.) लि.	5587, लाहोरी गेट, नई दिल्ली
127.	आरके एक्सपोर्टस	भोपाल
128.	आरके ओवरसीज	भोपाल
129.	आरपी बासमती एंड कं.	करनाल
130.	आरटी एक्सपोर्ट लि.	मुम्बई
131.	सैन एक्जीम प्रा. लि.	
132.	साईनाथ इंटरनेशनल	सतना, मध्य प्रदेश
133.	सम्राट राइस मिल्स	कैराना
134.	सतनाम ओवरसीज लि.	2, कम्युनिटी काम्पलेक्स, मसजीद मार्ग, ग्रेटर कैलाश
135.	सत्यम इंडस्ट्रीज	जवाहर नगर, रायपुर
136.	सेठ ब्रादर्स	अम्बाला
137.	एसडी हेवी आयरन वर्क्स	मालदा
138.	शाहजी नानजी एक्सपोर्ट	इतवारी, नागपुर
139.	शाहजी नानजी नागसी एक्सपोर्ट प्रा. लि.	अनाज बाजार इतवारी, नागपुर

1	2	3
140.	शंकर राव गणपतिराव पाटील एंड कं., राइस हाउस	इतवारी, नागपुर
141.	शार्प मेंथल इंडिया लि.	जी-15, एसएमएसीआई इस्टेट, जीटी करनाल रोड, दिल्ली
142.	शक्ति इंटरनेशनल	नई दिल्ली
143	शिव नाथ राय हरनारायण	बी-16, भगवान दास नगर, नई दिल्ली
144.	शिव शक्ति राइस मिल्स	तरदरी, करनाल
145.	शिव विष्णु प्रा. लि.	कैथल
146.	श्री गणेश सोरटेक्स	गान्डिया, महाराष्ट्र
147.	श्री विष्णु इटेबल्स इंडिया लि.	कैथल
148.	सिद्धार्थ फर्टिकेम	नई दिल्ली
149.	सिंघल एक्सपोर्ट	21, सागर, 5वीं मंजिल, 327, एनएन स्ट्रीट, मुम्बई
150.	सिंघल मरचेन्डाइज (इंडिया)	सुभाष रोड, विले पार्ले, मुम्बई
151.	सौभिक एक्सपोर्टस्	कोलकाता
152.	एसएस एक्सपोर्टस्	कोलकाता
153	सन स्टार ओवरसीज लि.	4119/7, नया बाजार, दिल्ली
154.	सूरज इम्पेक्स	करोल बाग, नई दिल्ली
155.	स्वामी इंटरप्राइजेज	वेस्ट काटन रोड, टुटिकोरीन
156.	टी.एम. इंटरनेशनल	कपूरथला
157.	ट्रस्ट एक्सपोर्टस् इंटरप्राइजेज	मुम्बई
158.	एटन्ना एग्रो इम्पेक्स प्रा. लि.	मुम्बई
159.	वी.सी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली
160.	तेराई एक्सपोर्ट	133, अलीउमेर, मुम्बई

1	2	3
161.	वी.के. उद्योग लि.	कोलकाता
162.	वर्धमान एक्सपोर्टस	
163.	वीर ओवरसीज लि.	घरौंदा, करनाल
164.	विकास सोरटेक्स	कुदवा लेन, गोन्डिया
165.	विशाल एक्सपोर्टस् ओवरसीज लि.	अहमदाबाद
166.	यूनाइटेड एक्सपोर्टस्	दिल्ली
167.	बंशी बदन श्याम	दीप्ति बाग, श्रीपाली बरदवान, पश्चिम बंगाल
168.	अनंथमल काशी राइस मिल	कोविलपट्टी
169.	पीइसी लि.	नई दिल्ली
170.	नेफेड	रायपुर
171.	पश्चिम बंगाल इस्सेनटियल कामोडिटी	कोलकाता
172.	एसटीसी	कोलकाता
173.	पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	चंडीगढ़
174.	हेफेड	पंचकुला
175.	एमएमएटीसी	नई दिल्ली
176.	मार्कफेड	चंडीगढ़
177.	पंजाब एग्रो (पीएआईसी)	चंडीगढ़
178.	स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन	बंगलौर
179.	ए.पी. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	हैदराबाद
180.	एनसीसीएफ	नई दिल्ली

विवरण III

निम्नलिखित के संबंध में प्रमाणित अनियमितताओं के प्रति दण्डात्मक कार्रवाई की गई है:-

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपने सहयोगी निर्यातक के जरिए लुधियाना (पंजाब) से 2000 टन चावल उठाया

था और निर्यात की प्रतिबद्धता के दायित्व को पूरा नहीं किया था। बाद में करों सहित अन्तर वाली राशि वसूली कर ली गई है। स्टाक को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण क्षतिपूर्ति बंध पत्र पर जारी किया गया था। अत: इस मामले में बैंक गारंटी को भुनाने की आवश्यकता नहीं थी।

भगवानी एक्सपोर्टस और पायनीयर फूड्स की बैंक गांरटियों को गेहूं के लिए निर्यात दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण भुना लिया गया था।

2. हरियाणा क्षेत्र से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 6500 टन चावल का आबंटन लिया था और मै. हेमन्त इन्टरनेशनल ने 2000 टन मात्रा ली थी। इन दोनों मामलों में अंतरीय लागत को बैंक गारंटियों तथा डिमान्ड ड्राफ्टों को भुना करके वसूल कर लिया गया है।

बैंक गारंटियों को भुनाने के साथ-साथ उन निर्यातकों के विरुद्ध मामले भी दर्ज कराए गए है जिन्होंने निम्नानुसार हेरी-फेरी की थी/जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे:-

(i) मै. आर.के. एक्सपोर्टस, भोपाल ने हेरा-फेरीयुक्त निर्यात दस्तावेज और कवरयुक्त बैंक गारंटियां प्रस्तुत की थीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल ने बैंक अधिकारियों तथा पार्टी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

(ii) मै. ए.के. फ्लोर मिल्स प्रा. लि., अंकलेश्वर, गुजरात ने निर्यात के प्रयोजन से 2320 टन गेहूं उठाया था लेकिन पार्टी ने साबुत गेहूं के आटे का निर्यात किया और गेहूं के निर्यात के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसके परिणामस्वरूप बैंक गारंटी को भुना लिया गया। पार्टी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खुला बाजार बिक्री योजना (घेरलू) तथा निर्यात मूल्य के बीच अन्तरीय लागत को पार्टी से वसूल कर लिया गया है। ब्याज तथा अन्तरीय लागत को वसूलने के लिए धन संबंधी एक मुकद्मा दायर किया गया है। मामला न्यायालय में अनिर्णीत है।

(iii) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के दोष के मामले में फरीदाबाद में न्यायालय में एक पुलिस मामला लम्बित है और मैं. हेमन्त इन्टरनेशनल के मामले में जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, कुरुक्षेत्र द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं के लिए प्रत्यायन प्रणाली

***70. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **पर्यावरण** और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य विकासात्मक परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(ङ) पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजनाओं को तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के लिए प्रत्यायन प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सरकार ने वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की है तथा संशोधित प्रक्रिया तैयार की है और प्रस्तावित संशोधित प्रक्रिया पर राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित पणधारियों से विचार-विमर्श किया है। राज्य सरकारों के साथ बैठकों के दौरान कुछ राज्यों ने राज्य सरकारों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का अधिक विकेन्द्रीकरण करने का सुझाव दिया है। वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन सम्बद्ध अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित वैधानिक प्रक्रिया का विधिवत अनुसरण करने के बाद ही किया जाएगा।

(ङ) और (च) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावित संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया पर विभिन्न पणधारियों से चर्चा के दौरान परामर्शदाताओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए किसी प्रकार की प्रत्यायन प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया गया। इस सुझाव पर अभी कोई अंतिम मत नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

मोटे अनाजों की खरीद

***71. श्री देविदास पिंगले:**
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में मोटे अनाजों को सीधे किसानों से खरीदने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को खरीद शुरू करने का निदेश दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की खरीद नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु समुचित कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) मूल्य समर्थन प्रचालनों के तहत किसानों से मोटे अनाजों की वसूली इस समय पूर्ण रूप से राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

मछली का अधिक उत्पादन करने की तकनीक

***72. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान संगठन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के अंतर्गत छह लाख से अधिक किसानों, ग्रामीण युवकों और कृषि सवंर्धक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। जिसके दौरान छोटे तालाबों से 10 गुना अधिक मछली उत्पादन प्राप्त करने की तकनीक प्रदर्शन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या है जिनको इसका लाभ मिलेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) मछलियों का अधिक उत्पादन लेने की तकनीक छोटे जलाशयों में प्रदर्शित की गई।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल राज्यों के छोटे जलाशयों में केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एफ.आर.आई.) बैरकपुर द्वारा अनेक वर्षों से किए जा रहे अध्ययनों से मछलियों के उत्पादन में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश का गुलेरिया जलाशय (150 हैक्टर) से चार वर्षों की अवधि में 10 कि.ग्रा./है./वर्ष से 150 कि.ग्रा./है./वर्ष प्राप्त हुई जिससे 15 गुना से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ; उत्तर प्रदेश के बचरा जलाशय (170 हैक्टर) से तीन वर्षों की अवधि में 4 कि.ग्रा./है./वर्ष से 140 कि.ग्रा./है./वर्ष उत्पादन प्राप्त हुआ जो वृद्धि 35 गुना है, उत्तर प्रदेश के बाघला जलाशय (250 हैक्टर) से 3 वर्षों की अवधि में 7 कि.ग्रा./है./वर्ष से 102 कि.ग्रा./है./वर्ष प्राप्त हुआ जो वृद्धि 14 गुना है; कर्नाटक के मार्कोन्हेल्ली जलाशय (1336 हैक्टर) से 2 वर्ष की अवधि में 5 कि.ग्रा./हैक्टर/वर्ष से 75 कि.ग्रा./है./वर्ष प्राप्त हुई जो वृद्धि 15 गुना है, राजस्थान के बरेथा जलाशय (1160 हैक्टर) से 2 वर्ष में 8 कि.ग्रा./हैक्टर/वर्ष उत्पादन प्राप्त हुआ जो वृद्धि 12 गुना है; केरल के मीनकारा जलाशय (259 हैक्टर) से पांच वर्षों में 10 कि.ग्रा./है./वर्ष से 105 कि.ग्रा./है. वर्ष प्राप्त हुई। मत्स्य उत्पादन की यह वृद्धि 10 गुना है।

हर वर्ष 300-1000 हैक्टर की दर से कार्प के फिंगरलिंग्स के भण्डारण के साथ छोटे जलाशयों में कल्चर आधारित प्रग्रहण मात्स्यिकी प्रबन्धन और रेगुलेटिड प्रग्रहण को एक तकनीक के रूप में इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना।

वर्ष 2003-04 के दौरान देश भर में स्थित 323 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा क्रमश: 19880, 6073 और 2591 पाठ्यक्रमों (कुल 28(44) के माध्यमों से कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, कृषि वानिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबन्धन, मात्स्यिकी पौध संरक्षण मृदा उर्वरता गृह विज्ञान कृषि इंजिनियरी, कृषि विस्तार और संबंधित पहलुओं में कुल 6,48,911 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें 4,77,780 किसान 1,10,210 ग्रामीण युवक और 60,911 विस्तार कार्मिक शामिल थे।

इनमें से 7,919 किसानों और खेतिहर महिलाओं, 3235 ग्रामीण युवकों और 992 विस्तार कार्मिकों, कुल मिलाकर 12,146 कार्मिकों को मात्स्यिकी में क्रमश: 387, 181 और 50 पाठ्यक्रम (कुल 518) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर उपरोक्त तकनीक पर कार्य कर रहा है। उदाहरणार्थ बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में स्थित अनेक छोटे जलाशयों में ''छोटे जलाशयों में संवर्धन आधारित प्रग्रहण मात्स्यिकी प्रबन्धन'' की तकीनक को अपना रहा है। इस तकनीक में मछलियों के फिंगरलिंग का भंडारण किया जाता है। छोटे जलाशयों में कार्प के फिंगरलिंग (80 मि.मी. से बड़े आकार के) 300 से 1000/हैक्टर की दर से (कतला, रोहू और मृगाल) के सही संयोजक में इकट्ठे किए जाते है। किस्मों के चयन का निर्धारण विशिष्ट जलाशयों के पारिस्थितिक प्रोफाइल के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

***73. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना के निष्पादन के लिए सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु समूहों का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये समूह राज्यों के साथ तकनीकी मुद्दों का भी समाधान करेंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। नदियों को जोड़ने के लिए दो प्रस्तावों, जिन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया वे वर्ष 1972 में डा. के.एल. राव और वर्ष 1977 में कैप्टन दस्तूर द्वारा दिए गए थे। ये प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं पाए गए। इसके बाद, जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों को जल के अंतर्बेसिन हस्तांतरण की योजना है। इसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक पर वर्ष 1980 और 1981 में आयोजित राज्य सिंचाई मंत्रियों के सम्मलेन में विचार किया गया था और इसका सभी के द्वारा स्वागत किया गया था। इस संकल्पना के लाभों को देखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता प्रमाणित करने और उसे सुनिश्चित आकार देने के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन 1982 में किया गया था। किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 30 संपर्कों को अभिज्ञात किया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने तेरह संपर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली है और अन्य दिसम्बर 2005 तक पूरा कर लिए जाने के लिए निर्धारित है। राज्यों के बीच सर्वसम्मति स्थापित करने तथा अलग-अलग परियोजनाओं के मूल्यांकन के मानकों और परियोजना वित्त पोषण इत्यादि के लिए तौर-तरीकों संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार ने श्री सुरेश प्रभु, सदस्य (लोक सभा) के अध्यक्षता में दिसम्बर 2002 में एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने व्यवहार्यता अध्ययनों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने के लिए समय सीमा की रूपरेखा, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, लाभ और वित्तपोषण के विकल्प तथा परियोजनाओं के निष्पादन और लागत वसूली की सुझाई गई विधियां देते हुए वांछित कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर दी थीं।

यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का संकेत हैं कि यह दक्षिणी नदियों से प्रारंभ करते हुए देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता व्यापक आकलन करेगी और यह आकलन पूर्णतः परामर्शी ढंग से किया जाएगा। इस व्यापक आकलन के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम प्रायद्वीपीय नदियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जारी रखा जाएगा।

(ग) से (च) वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा संपर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के पश्चात जल के बंटवारे और सर्वसम्मति स्थापित करने के लिए राज्यों के साथ आगे विचार विमर्श प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सर्वसम्मति स्थापित करने और निरन्तर आधार पर विभिन्न राज्यों के साथ तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक सर्वसम्मति दल का गठन किया गया जिसमें राज्यों के सचित अन्य सदस्य थे। केन-बेतवां संपर्क और पारबती कालीसिंध-चम्बल संपर्क के संबंध में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता वाले सर्वसम्मति दल ने कई बैठकें की और बकाया तकनीकी मुद्दों/आपत्तियों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें स्पष्ट किया गया।

(छ) अंतरबेसिन जल हस्तांतरण सम्पर्कों के निर्माण कार्य पूरा करने में लगने वाला समय इन सम्पर्कों के लिए राज्यों की सर्वसम्मति तथा उनके द्वारा दिए गए सहयोग पर निर्भर करता है।

कपास और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

***74. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों के लिए विभिन्न अनाजेत्तर कृषि उत्पादों, विशेषकर कपास और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के आलोक में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कपास और गन्ने के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, यदि कोई हो, कितना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित गैर-अनाज जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुबंध पर दिये गये है। जहां तक आगामी वर्ष हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और सरकार के विचार में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु अन्य महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर इनकी घोषणा करेगी।

(ख) प्रत्येक चीनी मौसम (शुगर सीजन) हेतु चीनी फैक्टरियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस एम पी) का निर्धारण सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 की धारा 3 के तहत किया जाना अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

(i) गन्ने के उत्पादन की लागत;

(ii) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति;

(iii) उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता;

(iv) मूल्य, जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी, चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है; और

(v) गन्ने से चीनी की प्राप्ति।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर 1997 की सिविल अपील सं. 460 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उन राज्यों जिन्होंने गन्ने की आपूर्ति और खरीद के विनियमन के संबंध में कानून बनाया है, को चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने हेतु मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित एस एम पी की अपेक्षा अधिक हो सकता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी भी प्रकार से एस एम पी के निर्धारण हेतु केन्द्रीय सरकार के आशय के विरुद्ध नहीं जाता है।

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का एस एम पी देश के सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू है। तथापि, चीनी प्राप्ति के आधार पर चीनी मिलों द्वारा देय एस एम पी में मिल दर मिल अंतर रहता है। जहां तक कपास का संबंध है, दो आधारभूत किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है जो संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। उचित औसत गुणवत्ता वाली कपास की अन्य किस्मों के समर्थन मूल्य कपड़ा मंत्रालय द्वारा दो मूल किस्मों हेतु समर्थन मूल्यों के आधार पर और गुणवत्ता के अंतर एवं सामान्य मूल्य के अंतर तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपए प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	किस्म	2000-01	2001-02	2002-03	एसडी आर मूल्य	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गन्ना		59.50	62.05	69.50	—	73	74.50
2.	कपास	एफ-414/एच-777/जे34	1625	1675	1675	20	1725	1760
		एच-4	1825	1875	1875	20	1925	1960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	छिलका सहित मूंगफली		1220	1340	1355	20	1400	1500
4.	जूट	टीडी-5	785	810	850	—	860	890
5.	तोरिया/सरसो		1200	1300	1330	10	1600	1700
6.	सूरजमुखी बीज		1170	1185	1195	15	1250	1340
7.	सोयाबीन	काला	775	795	795	10	840	900
		पीला	865	885	885	10	930	1000
8.	कुसुम		1200	1300	1300	5	1500	1550
9.	कोपरा	मिलिंग	3250	3300	3300	—	3320	3500
	(कैलेंडर वर्ष)	बाल	3500	3550	3550	—	3570	3750
10.	तिल		1300	1400	1450	5	1485	1500
11.	रामतिल		1025	1100	1120	—	1155	1180
12.	चना		1100	1200	1220	5	1400	1425
13.	अरहर (तूर)		1200	1320	1320	5	1360	1390
14.	मूंग		1200	1320	1330	5	1370	1410
15.	उड़द		1200	1320	1330	5	1370	1410
16.	मसूर (लेंटिल)		1200	1300	1320	5	1500	1525

नोट: एस डी आर मूल्य: विशेष सूखा राहत मूल्य

[हिन्दी]

एथेंस ओलम्पिक में खिलाड़ियों/टीमों का प्रदर्शन

***75. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खिलाड़ी/टीम एथेंस ओलम्पिक में आशानुसार प्रदर्शन नहीं कर सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) एथेंस ओलम्पिक खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ी मेजर आर.वी.एस. राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। भारत की आजादी के बाद किसी खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जीता गया यह प्रथम रजत पदक है। वर्षों से ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 1996 तथा 2000 में भारत ने केवल कांस्य पदक जीता था। 1976, 1984, 1988 और 1992 के ओलम्पिक में कोई पदक नहीं जीता जा सका। इसके अतिरिक्त एथेंस ओलम्पिक खेल, 2004 की तीरंदाजी, निशानेबाजी और भारोत्तोलन खेलविधाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के काफी निकट थे और एथलेटिक खेलविधाओं में उन्होंने नये राष्ट्रीय रिकार्ड बनाये थे।

एथेंस ओलम्पिक खेल, 2004 के बाद खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण करने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता

प्राप्त करने के लिए उनकी भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा करने के संबंध में मुख्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं।

खेल अवस्थापना प्रदान करने के अतिरिक्त भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुए विभिन्न खेलविधाओं के लिए दिर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप देना और उनका कार्यान्वयन करना।

2. खिलाड़ियों को उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

4. विदेशों में टीमों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता देना।

6. ''प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण'' तथा ''राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजना'' के अंतर्गत देश और विदेश में उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिका सहायता और प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता।

7. युवावस्था में खेलों को व्यापक आधार देने और प्रतिभा का पता लगाने के लिए 'सरकार सेना बाल खेल कंपनी योजना'' (ए.बी.एस.सी.) के अंतर्गत सेना की सहायता कर रही है। चालू वर्ष के दौरान विद्यमान आठ सेना बाल खेल कंपनी के अतिरिक्त दस और ए.बी.एस.सी. को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट मानदंडों की अवहेलना

***76. श्री उदय सिंह:**
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न शहरों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और रसोई अपशिष्ट के पाटन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में कुछ प्रमुख अस्पतालों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट मानदंडों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने अपशिष्ट मानदंडों के पालन में कुछ विसंगतियां पाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस प्रवृत्ति को रोकने और अपशिष्ट निपटान मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए और क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम, 1998 के अनुसार अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की छंटनी करना, शोधन और निपटान करना अपेक्षित है। अनेक अस्पतालों, और विशेषकर छोटे अस्पतालों के बारे में पता चला है कि वे जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की उचित रूप से छंटनी नहीं कर रहे है। परिणामस्वरूप ऐसे अपशिष्टों का अन्य प्रकार के अपशिष्टों में मिले हुए होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अप्रैल 2004 से दिल्ली में 22 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है जिन्हें नियमों का अनुपालन न करते हुए पाया गया था और यह अस्पताल आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे है।

(ङ) जी हां।

(च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में 23 दोषी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने अपने संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में भी दोषी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सामूहिक जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट भस्मक के डिजायन एवं निर्माण के लिए मार्गनिर्देश तैयार किया है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को भेजा है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने 8-9 सितम्बर, 2004 के दौरान नई दिल्ली में हुए राज्य पर्यावरण मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में राज्य सरकारों का भी ध्यानाकर्षण किया है।

[हिन्दी]

विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा

*77. **श्री काशीराम राणा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व पर्यटन में भारत का केवल आधा प्रतिशत हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढावा देने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) वर्ष 2003 में विश्व पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा 0.39% था।

(ख) पर्यटन के क्षेत्र में मुख्य प्रतिस्पर्धी बाधाएं एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत की छवि प्रभावित करने वाली इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत में प्रवेश संबंधी सुविधाएं, अनेक प्रकार के ऊंचे कर, पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता को प्रतिबाधित करने वाली भूमि उपयोग संबंधी नीतियां, व्यस्त पर्यटन सीजन के दौरान एयरसीट क्षमता की कमी आदि है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में पर्यटन को संवर्धित करने के लिए अनेक कदम उठाए है, जैसे:

* पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
* एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
    * नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
    * विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन;
    * ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना;
    * पर्यटन परिपथों का विकास

इसके अलावा, भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपायों को कार्यान्वित भी कर रही है:

* "इन्क्रडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
* विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।
* केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
* विदेशों में टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहयोगी मार्केटिंग करना।
* उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
* व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
* इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
* पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।
* विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों, टूअर ऑपरेटरों को भारत के सुपरिचितीकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।
* यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड शो आयोजित करना।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण खेती योग्य भूमि की क्षति

*78. **डा. अरूण कुमार शर्मा:**
श्री मोहन रावले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि पर बाढ़ द्वारा उपजाऊ गाद के स्थान पर अधिक अनुपजाऊ रेतीली परत के कारण हो रही क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) आमतौर पर बाढ़ भारी वर्षा के कारण ऊपरी आवाह क्षेत्र से नदियों में आने वाले उच्च प्रवाहों को समाने की अपर्याप्त क्षमता के कारण आती है। चूंकि नदियों में बाढ़ अपने साथ भारी मात्रा में तलछट लाती है अतः कुछ मात्रा में तलछट जल आप्लावित भूमि पर जमा हो जाती है। जल आप्लावित क्षेत्र में जमा हुई सामग्री का स्वरूप नदियों द्वारा लाई जाने वाली तलछट के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटी पहाड़ियों के पास स्थित जल आप्लावित क्षेत्र में जमा होने वाली सामग्री कंकड़ और बालू होती है जबकि मैदानी क्षेत्रों में जमा सामग्री आम तौर पर गाद होती है।

(ख) देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जहां बाढ़ द्वारा उर्वर गाद के स्थान पर अनुपजाऊ बलूआ समग्री के अत्यधिक जमा होने से खेती योग्य भूमि को क्षति हुई हैं। तथापि, बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र/प्रभावित फसल क्षेत्र के संबंध में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनकी राज्य योजना निधि से किया जाता है जो कि उन्हें योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है।

अत्यधिक गाद से खेती योग्य भूमि को होने वाली क्षति की समस्या आमतौर पर हिमालय से निकलकर मैदानों में बहने वाली नदियों में होती है। व्यापक तौर पर इस समस्या से प्रतिप्रवाह में भंडारण बांध बनाकर निपटा जा सकता है। एक संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और सप्तकोसी तथा सनकोसी परियोजनाओं की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हो चुका है। यह कार्यालय 17 अगस्त, 2004 को नेपाल में खोला गया है। उपरोक्त संयुक्त परियोजना कार्यालय को कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन और बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना के प्रारम्भिक अध्ययन शुरू करने का कार्य भी सौंपा गया है। बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए नेपाल के साथ सिद्धान्त रूप से समझौता भी हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत सरकार पगलादिया बांध परियोजना अनुमोदित कर चुकी है जिसका निष्पादन ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सियांग और सुबनसिरी बेसिनों में बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का कार्य नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को सौंपा गया है। निचली सुबनसिरी परियोजना के निष्पादन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बराक बेसिन में तिपाईमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना निष्पादन के लिए नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को सौंपी गयी है।

गंभीर बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्य शुरू करने के लिए भारत सरकार भी विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

विवरण

वर्ष 1953 से 2004 के दौरान प्रभावित औसत/अधिकतम क्षेत्र और फसल क्षेत्र दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में			प्रभावित फसल क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में		
		औसत	अधिकतम	वर्ष	औसत	अधिकतम	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.252	3.480	1989	0.209	1.405	1998
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.015	0.207	2003	0.003	0.070	1993
3.	असम	0.955	3.820	1988	0.246	1.258	2004
4.	बिहार	1.436	4.986	2004	0.644	2.240	1987
5.	गोवा	0.000	नगण्य	1974	0.000	नगण्य	1974

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	0.319	2.050	1988	0.247	1.490	1988
7.	हरियाणा	0.176	1.000	1977	0.113	0.800	1977
8.	हिमाचल प्रदेश	0.190	2.870	1999	0.084	0.476	1994
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.029	0.514	1987	0.026	0.514	1987
10.	कर्नाटक	0.060	0.900	1988	0.047	0.900	1988
11.	केरल	0.170	1.470	1989	0.062	0.578	1991
12.	मध्य प्रदेश	0.045	0.377	1994	0.029	0.377	1994
13.	महाराष्ट्र	0.058	0.391	2002	0.053	0.391	2002
14.	मणिपुर	0.014	0.080	1989	0.008	0.080	1989
15.	मेघालय	0.004	0.095	1987	0.004	0.095	1987
16.	मिजोरम	0.010	0.541	1993	नगण्य	0.003	1993
17.	नागालैंड	नगण्य	0.009	1993	नगण्य	0.009	1993
18.	उड़ीसा	0.457	1.400	1960	0.292	1.200	1982
19.	पंजाब	0.399	2.790	1988	0.304	2.790	1988
20.	राजस्थान	0.307	3.260	1977	0.177	3.090	1977
21.	सिक्किम	0.026	1.170	2000	0.013	0.600	2000
22.	तमिलनाडु	0.078	1.280	2002	0.043	0.330	1976
23.	त्रिपुरा	0.029	0.330	1963	0.009	0.053	1993
24.	उत्तर प्रदेश	1.955	7.340	1978	1.087	5.200	1979
25.	पश्चिम बंगाल	0.786	3.080	1978	0.275	1.511	2000
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.001	0.030	1988	0.001	0.030	1988
27.	चंडीगढ़	0.000	0.000	1953	0.000	0.000	1953
28.	दादर व नगर हवेली	0.001	नगण्य	2003	0.000	नगण्य	1976
29.	दमन व दीव	0.000	0.000	1953	0.000	0.000	1953
30.	दिल्ली	0.028	0.458	1977	0.012	0.155	1997
31.	लक्षद्वीप	0.000	नगण्य	1978	0.000	नगण्य	1978
32.	पांडिचेरी	0.002	0.050	1977	0.001	0.012	1991

[हिन्दी]

खाद्य राज सहायता में वृद्धि

*79. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता की धनराशि में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खाद्य राज-सहायता के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्य राज-सहायता की अनुमानित धनराशि कितनी है;

(घ) क्या खाद्य राज-सहायता में वृद्धि होने के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता के रूप में जारी की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
खाद्य राजसहायता	9200	12010	17494	24176	25160

(ग) 2004-05 के दौरान जारी की जाने वाली खाद्य राजसहायता की अनुमानित राशि 24746 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) खाद्य राजसहायता में वृद्धि के मुख्य कारण नीचे दिए गए है-

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक प्रभारों, हैंडलिंग और ढुलाई प्रभारों भंडारण तथा ब्याज प्रभारों आदि में वृद्धि के कारण आर्थिक लागत में वृद्धि होना;

(ii) आर्थिक लागत में वृद्धि के बावजूद जुलाई, 2002 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को स्थिर कर देना;

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्न के उठान में वृद्धि होना; और

(iv) अंत्योदय अन्न योजना का कार्यान्वयन।

[अनुवाद]

पशुओं की संख्या

*80. **श्री परसुराम माझी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पशुओं की संख्या में हुई गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वे कौन-कौन से राज्य है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है; और

(घ) इस संबंध में राष्ट्रीय पशुधन आयोग के क्या विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 1992 तथा 1997 की पशुधन गणना के अनुसार, वर्ण संकर गोपशु संख्या लगभग 32.1 प्रतिशत बढ़ी है तथा स्वदेशी गोपशु संख्या 5.6 प्रतिशत घटी है जिससे पता चलता है कि कुल गोपशु संख्या लगभग 2.8 प्रतिशत घटी है। भैंस संख्या में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बोवाइन संख्या में कुल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 17वीं पशुधन गणना के अब तक संकलित अनन्तिम परिणामों से भी 1997 से 2003 तक की अवधि के दौरान इसी प्रवृति का पता चलता है अर्थात् वर्ण संकर गोपशु तथा भैंस संख्या में वृद्धि हुई तथा स्वदेशी गोपशु संख्या में कमी हुई जिससे उच्च उत्पादक बोवाइन संख्या के प्रति रूझान का पता चलता है। उत्तरवर्ती अवधि में नर गोपशु संख्या में प्रमुख कमी आई है जो शायद मुख्यत: कृषि गतिविधियों, आदि के यांत्रिकीकरण के कारण है।

(ग) जिन राज्यों में गोपशु संख्या में अधिक कमी हुई है वे है आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल मणिपुर तथा पंजाब।

(घ) राष्ट्रीय गोवंश आयोग ने बताया है कि देश में गोपशु की कुछ स्वदेशी नस्लें विलुप्त हो रही है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में कृषि वानिकी परियोजनाएं

690. श्री परसुराम माझी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में स्थान-वार ऐसे कुल कितने क्षेत्र है जहां कृषि-वानिकी परियोजनाएं शुरू की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) कृषि वानिकी, कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही नदी घाटी परियोजनाओं के कैचमैंट में मृदा संरक्षण हेतु केन्द्रीय प्रयोजित योजना और वर्षा जल सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वॉटरशैड विकास परियोजना का एक घटक है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी डी ई टी) योजना के अंतर्गत उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा में कृषि वानिकी आधारित दो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि-वानिकी सहित स्कीमों के भिन्न-भिन्न घटकों के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा इस राज्य के लिए आबंटित निधियां नीचे दी गई है-

(1)	नदी घाटी परियोजनाओं के कैचमैंट में मृदा संरक्षण	- 5.20 करोड़ रुपए
(2)	वर्षा जल सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वॉटरशैड विकास परियोजना	- 11.80 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

मदुरई में दलहन के लिए अनुसंधान केन्द्र

691. श्री ए. के. मूर्तिः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरई में दलहन के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दलहनी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दसवीं योजना के अनुमोदित ई. एफ. सी. के अनुसार तमिलनाडु पहले से ही तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रों अर्थात कोयम्बटूर तथा वम्बन (पुडुक्कोटि) में मौजूद है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खेल सुविधाओं का विकास

692. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में खेल सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) राजस्थान द्वारा भेजे गए उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो अब केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कई खेल योजनाएं धनाभाव के कारण शुरू नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) राजस्थान द्वारा गांधीनगर (गुजरात) स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र की गतिविधियों में कम भाग लेने के क्या कारण है;

(छ) इस क्षेत्रीय केन्द्र में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के खिलाड़ियों और एथलीटों का प्रतिशत कितना है; और

(ज) सरकार द्वारा इस क्षेत्रीय केन्द्र के उन्नयन और राजस्थान में अपने कार्यविस्तार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) "खेल" राज्य सूची का विषय है। राज्यों में विभिन्न स्थानों में उनकी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार खेल सुविधाओं के सृजन के लिए प्रयास करना राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संस्थाओं इत्यादि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य के लिए खेल अवस्थापना की योजना के अंतर्गत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	योजना का नाम	वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
(क)	खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान	2001-02	0.04
		2002-03	10.71
		2003-04	25.00
		2004-05 (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार)	8.275
(ख)	ग्रामीण स्कूलों को खेल उपस्कर खरीदने और खेल मैदान के विकास के लिए अनुदान	2001-02	17.78
		2002-03	11.71
		2003-04	25.198
		2004-05 (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार)	11.09
(ग)	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान	2001-02	0.14
		2002-03	1.10
		2003-04	4.20
		2004-05 (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार)	7.20

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 से 2004-05 (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में रखी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार का यह दायित्व है कि सरकार की खेल अवस्थापना की योजना के अंतर्गत योजना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव भेजकर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करें। मंत्रालय ने सही पाए गए प्रस्तावों के संबंध में राजस्थान को केन्द्रीय सहायता अनुबंध में दिए विवरण के अनुसार प्रदान की है।

(च) और (छ) गांधीनगर में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र अपनी योजनाओं को गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों में कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे खिलाड़ियों की संख्या संबंधित राज्यों में क्रियाशील भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करती है।

वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, गांधीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	गुजरात	181	16.57%
2.	गोवा	198	18.13%
3.	राजस्थान	278	25.46%
4.	महाराष्ट्र	435	39.84%

(ज) क्षेत्रीय केन्द्र का उन्नयन एक अनवरत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं/केन्द्रों के विस्तार के कारण निरपवाद रूप से होती है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य में कार्यरत भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों के अलावा, सिद्धांत रूप से यह निर्णय लिया गया है कि खेरी, जिला-दोसा, राजस्थान में स्थित नवोदय विद्यालय को अपनाया जाए।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	सुखाडिया खेल परिसर भीलवाड़ा	28.5.2001 को कमी संप्रेषित कर दी गई।
2.	जैसलमेर में जिला स्तरीय खेल परिसर	15.7.2002 को कमी संप्रेषित कर दी गई।
3.	बालोत्रा, बाड़मेर में इंडोर स्टेडियम	20.11.2001 को कमी संप्रेषित कर दी गई।
4.	विद्याधर नगर, जयपुर में तरणताल और इंडोर स्टेडियम	27.12.2001 को कमी संप्रेषित कर दी गई।
5.	चंगन स्टेडियम, जयपुर में इंडोर स्टेडियम	5.7.2002 को सैद्धांतिक रूप में 20.00 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया।
6.	माऊण्ट आबू, जिला सिरोही में खेल छात्रावास	15.3.2002 को कमियां संप्रेषित कर दी गईं।
7.	कोटा में तरणताल	25.00 लाख रुपये जारी किए गए और परियोजना पूरी कर ली गई।
8.	कुछमन सिटी, नागौर में आउटडोर स्टेडियम	3.12.2003 को सैद्धांतिक रूप में 18.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
9.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोखरण जिला जैसलमेर में एथलेटिक ट्रैक का विकास	30.9.2003 को सैद्धांतिक रूप में 0.75 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
10.	खेल परिसर चंदर वरदाई नगर, अजमेर में खेत्र छात्रावास	राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने के लिए 2.7.2003 को अनुरोध किया गया।
11.	पाली में जिला स्तरीय खेल परिस्र	16.11.2004 को स्पष्टीकरण मांगा गया।
12.	चंदर वरदाई नगर, अजमेर में जिला स्तरीय खेल परिसर	26.8.2004 को कमियां संप्रेषित की गईं।

1	2	3
13.	नोखा, बीकानेर जेठराम पुदी स्टेडियम	5.2.2004 को सैद्धांतिक रूप में 18.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
14.	ग्राम राजवाड़ी, जयपुर में स्टेडियम	13.2.2004 को प्रस्ताव के पुनर्निर्माण के लिए अनुरोध किया गया।
15.	जिला झालावाड़ में जिला स्तरीय खेल परिसर	20.2.2004 को सैद्धांतिक रूप में 93.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।

[अनुवाद]

असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना

693. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना हेतु 1024.53 करोड़ रुपए के लिए विश्व बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षार किये गये है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है,

(ग) अनुबंध की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पशुधन का विकास

694. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुधन के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को इन योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने पशुपालक लाभान्वित हुए;

(घ) क्या राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुधन विकास के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गोपशु प्रजनकों को प्रजनन सांडों के माध्यम से प्राकृतिक सेवा के अलावा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 30 मिलियन वीर्य खुराकें उपलब्ध कराई गई है।

(घ) और (ङ) विभाग द्वारा आबंटित निधियों का राज्य सरकारों द्वारा कुल मिलाकर उपयोग किया जाता है। 1056.25 लाख रुपए की खर्च न की गई शेष राशि महाराष्ट्र सरकार के पास पड़ी है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष (नवम्बर, 2004 तक) के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (नवम्बर, 2004 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	850.02	992.04	1010.18	554.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.00	19.40	60.00	55.28
3.	असम	18.00	75.00	272.24	149.50
4.	बिहार	36.12	6.72	253.19	0.00
5.	छत्तीसगढ़	382.89	124.13	154.33	284.50
6.	गोवा	15.33	29.83	76.71	84.33
7.	गुजरात	112.74	91.25	399.72	807.42
8.	हरियाणा	432.74	56.96	347.25	839.86
9.	हिमाचल प्रदेश	83.50	265.50	189.16	397.80
10.	झारखंड	18.20	25.96	156.58	21.37
11.	जम्मू एवं कश्मीर	114.79	55.50	94.55	359.11
12.	कर्नाटक	111.50	287.68	589.00	834.73
13.	केरल	142.18	379.13	141.00	502.55
14.	मध्य प्रदेश	858.04	325.00	391.00	930.69
15.	महाराष्ट्र	97.00	75.78	1106.64	880.65
16.	मणिपुर	67.17	34.20	97.01	114.06
17.	मेघालय	51.75	11.47	132.74	33.34
18.	मिजोरम	190.69	147.97	245.58	117.21
19.	नागालैंड	303.82	131.00	400.77	508.72
20.	उड़ीसा	64.54	582.40	230.25	295.97
21.	पंजाब	59.09	222.44	173.00	482.32

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	649.29	197.22	152.57	224.42
23.	सिक्किम	251.93	17.00	52.09	68.50
24.	तमिलनाडु	80.41	792.83	87.60	490.12
25.	त्रिपुरा	191.55	314.26	310.29	53.33
26.	उत्तर प्रदेश	214.86	1516.26	716.15	1570.10
27.	उत्तरांचल	262.00	106.86	296.06	205.89
28.	पश्चिम बंगाल	798.02	144.00	150.40	601.36
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	27.75	20.80	12.20	7.67
30.	चंडीगढ़	3.55	2.67	7.00	5.10
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	1.00	3.20	2.33
32.	दमन एवं दीव	1.00	0.00	3.20	2.33
33.	दिल्ली	25.13	18.95	47.20	56.99
34.	लक्षद्वीप	9.50	9.50	13.45	19.24
35.	पांडिचेरी	12.30	15.00	9.00	13.01
	कुल	6568.40	7095.71	8381.31	11574.73

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

695. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के कार्यकरण में सुधार के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली खरीद के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा भंडारण ढांचे का विस्तार करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम उत्पादाकों से धान की सीधे वसूली का कार्य करे।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में वसूल किए गए चावल को प्राप्त करने हेतु आवश्यक भंडारण स्थान उपलब्ध करने के लिए कार्रवाई की है। राज्य सरकार लगभग 5 लाख टन धान की वसूली करेगी, जबकि भारतीय खाद्य निगम से लगभग 7 लाख टन लेवी चावल की वसूली का काम करेगा।

एन.डी.डी.बी. द्वारा फाउंडेशन फार इकालोजिकल सेक्युरिटी, आनन्द हेतु धनराशि प्रदान करना

696. **श्री ए. एफ. जी. ओसमानी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा फाउंडेशन फार इकोलोजिकल सेक्युरिटी, आनन्द के लिए अनुदान/ऋण के रूप में प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पारिस्थितिकीय सुरक्षा फाउंडेशन को इसकी परियोजना ''डेयरी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन'' के लिए 250 लाख रुपए जारी किए है।

बिन्दुसागर का पुनरुद्धार

697. **श्री जुएल ओराम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भुवनेश्वर में बिन्दुसागर के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत भुवनेश्वर में बिन्दुसागर झील के संरक्षण एवं प्रबंधन का एक प्रस्ताव अगस्त, 2004 में विचारार्थ प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की अनुमानित लागत 7.20 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना के अन्तर्गत झील परियोजनाओं पर विचार के लिए राज्य सरकारों को राज्य में झीलों की प्राथमिकता तैयार करने के लिए कहा गया है। उड़ीसा सरकार से झीलों के प्राथमिकीकरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मूंगफली उत्पादकों को सहायता

698. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चच्ययाकेरे, डोड्डा उलर्थी, आदलागट्टी, कालुवेहल्ली, मैलनहल्ली, ओबालापुर, बुदनीहट्टी, नलीवाला और अन्य स्थानों में इल्ली द्वारा मूंगफली की फसलों को क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया कि चित्रदुर्गा जिले के चल्लाकेरे तालुका में 109 गांवों में 26 ग्राम पंचायतों में मूंगफली की फसल में रेड हैडेड हेयरी केटरपिलर इनफेस्टेशन ध्यान में आया है। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों को सूचना प्रसार सहित क्षेत्रीय प्रदर्शनों को आयोजित करने तथा आर्थिक सहायता देने वाले प्लांट संरक्षण रसायनों के वितरण सहित कृमियों के नियंत्रण के लिए कई उपाय किये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंदरों का निर्यात

699. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ देशों से उनके यहां बंदरों के निर्यात के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम है और इसके क्या उद्देश्य है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि जिन देशों में इन बंदरों का निर्यात किया जा रहा है वहां उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार न किया जाए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) मंत्रालय में अभी हाल में 30 नवम्बर, 2004 को रेहसस बंदरों के निर्यात के लिए अनुसंधान के प्रयोजन से. चार्ल्स रिबर लेबोरेटरीज, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्ताव प्राप्त किया है। इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

गैर-सिंचित क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुसंधान कार्य

700. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने देश के गैर-सिंचित क्षेत्रों और मरूस्थल प्रवण राज्यों में कृषि के विकास के लिए कोई अनुसंधान कार्य शुरू किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों अर्थात केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद; केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर तथा राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर ने बारानी तथा शुष्क कृषि, रेत के टीले के स्थिरीकरण, जलसंभर प्रबंध/वर्षा के पानी का संग्रह, रेंजलैण्ड/चरागाह प्रबंध, समेकित पोषण तथा कीट प्रबंध, सूखा न्यूनीकरण, फसल विविधीकरण तथा पशु पालन आदि सहित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान का कार्य शुरू किया है।

[हिन्दी]

नर्मदा नहर परियोजना

701. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में नर्मदा नहर परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 852 करोड़ रुपए का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को कब तक सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार द्वारा योजना आयोग को दी गई सूचना के अनुसार नर्मदा नहर परियोजना को 853.29 करोड़ रुपये की शेष लागत पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राज्य निधि के संयोजन से वर्ष 2009-10 तक पूरा किए जाने की योजना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत नर्मदा नहर की आवश्यकता सहित राजस्थान के लिए वर्ष 2004-05 से 275 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय ऋण सहायता निर्धारित की गई है। नर्मदा नहर परियोजना के लिए अतिरिक्त त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) निधि का आबंटन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत किए गए कुल आबंटन, परियोजना के लिए राज्य सरकार से किए गए बजट प्रावधान, बजट प्रावधान से संबंधित प्रस्तावित वास्तविक क्रियाकलापों की कार्ययोजना तैयार करने, बाद में जारी निधि का उपयोग और अतिरिक्त निधि उसमें मिलाने के लिए संस्थागत क्षमता से जुड़ा हुआ है।

उत्तर प्रदेश में वृक्षों का विनाश

702. **श्री बृजेश पाठक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के सफीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अच्छेपुर गांव में 23 सितम्बर, 2004 को हजारों वृक्षों का विनाश कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गांवों की सहायता के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अच्छेपुर किरमल्ली गांव में कृषक भूमि पर खड़े कुछ वृक्षों का तेज आंधी के कारण 21-9-2004 को विनाश हो गया।

(ख) यह एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा थी। वृक्षों का तेज आंधी के कारण विनाश हुआ था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रभावित परिवारों के 52 व्यक्तियों को उनके घरों के विनाश के लिए 800 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता दी गई। प्रभावित ग्रामीणों में 41,600 रुपए की कुल राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रभावित परिवारों में 6776 कि.ग्रा. गेहूं, 2544 कि.ग्रा. चावल और 720 लीटर मिट्टी का तेल भी वितरित किया गया।

वन विकास परियोजना

703. श्री सुनिल कुमार महतोः
श्री गिरिधारी यादवः
श्री काशीराम राणाः
श्री बीर सिंह महतोः
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास कुछ वन विकास परियोजना/प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) इनमें से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाएंगे और उनके विलंबन के क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) योजना, का कार्यान्वियन कर रहा है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन विकास एजेंसियों के मैकेनिज्म (एफ डी ए) के माध्यम से देश में वन विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों में सभी वन प्रभागों में वन विकास अभिकरण परियोजनाएं प्रचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बशर्ते निधियां उपलब्ध है।

विवरण

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्य-वार प्राप्त और मंजूर वन विकास अभिकरण प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	30.11.2004 तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या	30.11.2004 तक मंजूर परियोजना प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरियाणा	15	15
2.	उड़ीसा	29	28
3.	जम्मू और कश्मीर	31	31
4.	उत्तर प्रदेश	61	56
5.	हिमाचल प्रदेश	26	25
6.	उत्तरांचल	30	28
7.	पंजाब	9	4
8.	बिहार	9	6
9.	गुजरात	15	13
10.	झारखण्ड	27	26
11.	महाराष्ट्र	41	38
12.	राजस्थान	14	13
13.	तमिलनाडु	32	31
14.	पश्चिम बंगाल	20	14
15.	आंध्र प्रदेश	32	24
16.	छत्तीसगढ़	27	26
17.	गोवा	3	3
18.	कर्नाटक	41	35
19.	केरल	25	14
20.	मध्य प्रदेश	42	30
21.	अरुणाचल प्रदेश	16	13
22.	असम	28	17
23.	मणिपुर	12	11
24.	मेघालय	7	7
25.	मिजोरम	30	19
26.	नागालैंड	18	16
27.	सिक्किम	7	7
28.	त्रिपुरा	13	11
	योग	660	561

खेलों का विकास

704. **श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों के विकास के लिए कुल कितनी राशि आंवटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार 'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों'' की योजना को बढ़ावा देती है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें स्टेडियम के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहायता प्राप्त करती है।

(ग) खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 472.61 करोड़ रुपये और दसवी पंचवर्षीय योजना के लिए 1145.36 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की गई थी।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में ''मिनीकिट'' का प्रावधान

705. **श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से समय पर ''मिनीकीट'' प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष से कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार मांग के अनुसार केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश को समय-सीमा के भीतर पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार नव निर्मुक्त किस्मों/संकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए ''केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का स्कीम'' के अधीन मध्य प्रदेश सहित मुख्य तिलहन और दलहन उत्पादक राज्यों को तिलहन, दलहन और मक्का फसलों की नव निर्मुक्त किस्मों/संकरों के मिनिकिटों की आपूर्ति कर रही है। बीज मिनिकिटों की 100% लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम खरीफ/रबी बुआई मौसमों के दौरान राज्यों को बीज मिनिकिटों की समय पर आपूर्ति के लिए केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है।

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

706. **श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्प्रिंकलर प्रणाली के बारे में रिपोर्ट मांगी है और आई.ए.आर.आई., एन.डी.आर.आई. जैसे अनुसंधान और विकास संस्थानों एवं अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में सफल प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्राप्त रिपोर्ट और मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है एवं क्या ये प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के प्रयोगशाला से भूमि हस्तांतरण का हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में कितने राज्यों को स्प्रिंकलर प्रणाली में शामिल किया गया है; और

(घ) आगामी वर्षों में देश में स्प्रिंकलर प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में हुए अनुसंधान और विस्तार परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से एक समान वितरण क्षमता वाली परम्परागत प्रणाली की तुलना में 50 प्रतिशत या अधिक जल की बचत होती है। स्प्रिंकलर प्रणालियों को कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग की मैक्रो प्रबंध योजना के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले ब्लॉक अनुसंधान के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। प्रयोगशाला से भूमि कार्यक्रम सहित

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रणाली से इसके अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 18 राज्यों को शामिल किया गया है।

(घ) ये योजनाएं सभी राज्यों के लिए है। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इनके लाभों को प्राप्त करते है अथवा नहीं।

बिहार का डकारा नाला गंगा पम्प नहर परियोजना

707. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के मुंगेर जिले में डकारा नाला गंगा पम्प नहर परियोजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना शुरू होने की तिथि क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) डकारा नाला गंगा पम्प नहर परियोजना नामक योजना राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में शुरू की गई थी। इसे आरंभ करने का वर्ष तथा खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है:

योजना का नाम	आरंभ करने का वर्ष	3/3004 तक व्यय (रुपये करोड़ में)
डकारा नाला पम्प नहर योजना चरण-I	1978-80	71.95
डकारा नाला पम्प नहर योजना चरण-II	छठी योजना	5.43

(ग) परियोजना स्थान से गंगा नदी के अपना मार्ग बदल देने के कारण राज्य द्वारा कार्य की प्रगति रोक दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग के एक दल ने परियोजना का दौरा किया है। केन्द्रीय दल की सिफारिशें विचाराधीन है।

[हिन्दी]

तमिलनाडु में नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप

708. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में नेहरू युवक केन्द्रों (एन.वाई.के.) द्वारा कौन-कौन से कार्यकलाप शुरू किए गए है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य में नेहरू युवक केन्द्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में खेलों के विकास हेतु अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा तमिलनाडु में की गई गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दर्शाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2004-05 (1.12.2004 तक) के दौरान नियमित कार्यक्रमों के लिए आंवटित राशि का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	आंवटित राशि
2001-02	1,37,050/-
2002-03	1,44,860/-
2003-04	1,64,860/-
2004-05	1,44,860/-

(ग) और (घ) जी, हां। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार से ''खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों'' और ''सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए है। पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2002-04) और चालू वर्ष (1.12.2004 तक) के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दर्शाया गया है।

विवरण I

तमिलनाडु राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों का ब्यौरा

1. नियमित कार्यक्रम

(1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम (वाई.सी.डी.पी.)

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) जागरूकता अभियान

(4) कार्य शिविर

(5) खेल संवर्धन

(6) कार्यशाला और संगोष्ठियां

(7) सांस्कृतिक कार्यक्रम

(8) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिन/सप्ताह समारोह मनाना

(9) साहस संवर्धन कार्यक्रम

2. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाएं

* राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवा योजना (एन.एस.वी.एस.)
* ग्रामीण युवा और खेल क्लाबों की वित्तीय सहायता और मूल्यांकन

3. विशेष कार्यक्रम/गतिविधियां

- विलेज टॉक एडस
- स्वैच्छिक रक्तदान फोरम
- आपात प्रबंधन कार्यक्रम
- पर्यावरण जागरूकता अभियान
- स्वयं सेवा समूह
- स्वैच्छिक रक्तदान के लिए रेड रिबन क्लब्स
- सरक्युलेटरी लाइब्रेरी
- नेत्र शिविर
- रक्तदान शिविर
- पल्स पोलियो अभियान
- जच्चा और बच्चा देखभाल जागरूकता
- एड्स जागरूकता
- स्वरोजगार जागरूकता
- लघु बचत के लिए अभियान
- ड्रग और शराब निषेध अभियान
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा संबंधित एस.एच.जी. द्वारा क्राफ्ट निषेध प्रदर्शनी
- परती भूमि विकास, वर्षा का पानी जमा करना और वाटर शैड प्रबंधन
- मलेरिया बचाव रैली
- नर्सरी और हर्बल गार्डन लगाना
- रोजगार आश्वासन योजना (सेवक)
- खाद्य संसाधन प्रशिक्षण
- तरूण त्रिवेणी-भावुकता के साथ वृक्षारोपण

विवरण II

2001-2002 से (1.12.2004) की तारीख तक खेल अवस्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	परियोजना	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
''खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों'' की योजना				
1.	कोयम्बटूर में इंडोर स्टेडियम	90.00	90.00	परियोजना पूरी की गयी।
2.	शिवगंगा में जिला स्तरीय खेल परिसर	25.73	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4	5
3.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानीसागर, जिला इरोड में बास्केटबॉल कोर्ट	0.843	0.843	परियोजना पूरी की गयी।
4.	अरियालुर, जिला पेरम्बदूर में जिला स्तरीय खेल परिसर	27.90	21.00	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
5.	तिरूवरूर में जिला स्तरीय खेल परिसर	68.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
6.	नेहरू पार्क चेन्नई में इंडोर स्टेडियम	60.00	60.00	परियोजना पूरी की गयी।
7.	थिनडाल, जिला इरोड में इंडोर स्टेडियम	-	-	25.3.2002 को अस्वीकृत
8.	माईलाडुथुराई, जिला नागपट्टिनम में आऊटडोर स्टेडियम	18.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
9.	तिरूवन्नामलाई में जिला स्तरीय खेल परिसर	28.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
10.	डाल्फिन क्लब द्वारा चेन्नई में तरणताल	25.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
11.	जी.वी. रेजिडेन्सी शोरपल्लायम, कोयम्बटूर में इंडोर स्टेडियम	-	-	5.1.2004 को कमियों के बारे में सूचित किया।
12.	सैन्ट पीटर्स मैट्रिकुलेशन हायर सेकेन्डरी स्कूल, कोडाईकनाल में इंडोर स्टेडियम	-	-	19.1.2004 को कमियों के बारे में सूचित किया।
13.	तूतीकोरीन में तरणताल	25.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
14.	इट्टीमदाई गांव, कोयम्बटूर में तरणताल	90.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
15.	तालुकपेराम्बदूर जिला पेराम्बदूर में आऊट डोर स्टेडियम	-	-	सहायता अनुदान समिति की बैठक के समक्ष रखा जाना है।

1	2	3	4	5
16.	उथानगराई जिला कृष्णागिरी में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	-वही-
17.	शिवालरकुलम, तालुम अलंगुलम जिला तिरूणवेल्ली में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	-वही-
18.	परवाकुडी जिला रामनंतपुरम में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	-वही-
19.	जिला रामनंद में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	-वही-
20.	तालुक कोरिलपत्ती जिला टुथरकुडी में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	8.11.2004 को कमियां बता दी गई।
21.	जिला थेनी में जिला खेल परिसर	-	-	10.11.2004 को कमियां बता दी गई।
22.	करूर में जिला खेल परिसर	-	-	कमियां बताई जा रही है।
23.	देनाकनीककोटई में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	कमियां बताई जा रही है।
24.	थिरूवल्लुर में जिला खेल परिसर	-	-	जांच के अधीन है।
25.	इंडोर स्टेडियम, एस.डी.ए.टी. चेन्नई में स्केटिंग रिंक	-	-	लंबित परियोजना के मामले निपटाये जाने तक तमिलनाडु के इन जिलों के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 9.11.2004 को राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।
26.	थरंगमपुडी जिला नागापत्तनम में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	
27.	तालुक शिवकाशी, विरूद्धनगर में आऊटडोर स्टेडियम	-	-	
	सिन्थेटिक परतों को बिछाने के लिए अनुदान की योजना			
1.	चेन्नई में सिन्थेटिक हॉकी परत को पुन: बिछाना	100.00	-	प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4	5
2.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण, 116-ए, पेरियार ई.वी.आर. हाई रोड चेन्नई, तमिलनाडु-600084	-	-	4.11.2004 को कमियां बता दी गई।
3.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण, 116-ए, पेरियार ई.वी.आर. हाई रोड चेन्नई, तमिलनाडु-600084	-	-	जांच के अधीन है।

युवक कार्यक्रमों संबंधी जिला परामर्शदात्री समिति

709. **श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्र संगठन द्वारा युवक कार्यक्रमों संबंधी जिला परामर्शदात्री समिति गठित की गई है;

(ख) ऐसी कितनी समितियां गठित की गई है और उनके लिए निर्धारित फार्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों का कार्यकाल क्या होगा; और

(घ) श्रीकाकुलम नेहरू युवक केन्द्र संगठन में ऐसी समितियों से कौन-कौन से लोग जुड़े हुए है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ सभी जिलों के पदेन सदस्यों सहित युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समितियां गठित की गई है। कार्यक्षेत्र अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिला प्रशासन से गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन करवाएं।

इन समितियों का कार्य जिले में होने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सुझाव और सहायता प्रदान करना है। ये केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और केन्द्रों के अन्य सरकारी व गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के उपाय सुझाती है।

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों का सेवाकाल तीन वर्ष है और राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों का कार्यकाल एक वर्ष है।

(घ) पदेन सदस्यों को छोड़कर श्रीकाकुलम में डी.ए.सी.वाई.पी. के साथ संबद्ध व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित है:

- श्री प्रीसेदा राव, युवा क्लब, बीजीपुरम
- श्री सनईओपाराव, अध्यक्ष, एम.ए.वी.आई.एस.ए. (गैर-सरकारी संगठन) अमेडेलावेलसे
- श्री के. धनुनजया राव, अध्यक्ष, हैलपिंग हैड्स (गैर-सरकारी संगठन)
- श्री एन. सत्य नारायण, अध्यक्ष, ग्रामभयुदया युवजन सेवा संगम
- सुश्री एम. सारदा, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक।

उत्तर प्रदेश में पेय पदार्थों के संयंत्रों की स्थापना

710. **श्री बालेश्वर यादव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के शारदानगर गांव में पेय पदार्थों की इकाइयों की स्थापना के किसी प्रस्ताव को अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के शारदा नगर गांव में पेय पदार्थों की इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नयी अनुसंधान प्रयोगशाला

711. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान देश में नई अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसी कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है;

(ग) ऐसी अनुसंधान प्रयोगशालाओं की कुल संख्या कितनी है जहां मार्च, 2002 के अन्त तक अनुसंधान कार्य किए गए है; और

(घ) ऐसे कितने और कौन-कौन से खाद्यान्न है जिन पर इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य किए जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में नाम इस प्रकार है; संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र इसकी घटक फील्ड यूनिटों के परियोजना निदेशालय और इनमें अनुसंधान और फार्म सुविधाएं दोनों ही उपलब्ध है। उक्त अवधि के दौरान इनकी स्थापना जहां की गई उनके नाम और स्थान निम्न प्रकार है:

1. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार
2. राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा, बिहार
3. राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, संगोला, महाराष्ट्र (बाद में केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर के साथ समेकित कर दिया गया)
4. राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी, असम
5. पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना, बिहार

(ग) मार्च, 2002 के अंत तक अनुसंधान करने वाले 95 संस्थान/अनुसंधान प्रयोगशालाएं थीं।

(घ) इन नई अनुसंधान गतिविधियों में खाद्यान्न की कोई नई मद शामिल नहीं की गई है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में पर्यावरणीय जागरूकता

712. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय मामलों के बारे में लघु उद्योगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई "मोबाइल एक्जीबिशन प्रोजेक्ट" अनुशंसा अन्य राज्यों के लिए भी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु उद्योगों से होने वाले वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए इन उद्योगों हेतु किन उपायों पर विचार किया गया है तथा उनमें सुधार और अनुरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आव्रजन नियमों में ढील

713. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आव्रजन नियमों को आसान बनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस डील से विदेशों में विशेषकर खाड़ी के देशों में भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) जी, हां। व्यापक समीक्षा के उपरांत "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं" पृष्ठांकन के साथ पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए निर्धारित बेंचमार्क को स्नातक से कम करके 10+2 पास कर दिया गया है। इसके अलावा, 17.01.2005 से विदेशी नियोजकों से मांग-पत्र और मुख्तारनामा प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा रहा है।

विदेशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरी के इच्छुक भारतीय कामगारों को उत्प्रवास प्रक्रियाओं में उदारीकरण से बेहतर सुरक्षा मिलने की संभावना है।

अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में नीति

714. श्री राम कृपाल यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंत्योदय अन्न योजना से संबंधित नीति को बदलने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या अतिरिक्त खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यटन परिसर

715. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित अन्य राज्यों में नए पर्यटन परिसरों को बनाने के लिए सरकार द्वारा स्थानवार किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकारों को परियोजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई/निर्गत की गई; और

(ग) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है इन्हें कब तक पुरा किए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित नए पर्यटक परिसरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं के आकार के आधार पर कार्यपालक एजेंसियों/राज्य सरकार के परामर्श से परियोजना को पूरा करने संबंधी समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्वीकृत नए पर्यटक परिसरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति राशि (लाख रुपयों में)	रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	हरियाणा		
	2003-04		
	पर्यटक अवसंरचना का नवीकरण/सुदृढ़ीकरण		
	(क) कुरूक्षेत्र में कृष्णाधाम पर्यटक परिसर	44.58	97.81
	(ख) पिपली में पैराकीट पर्यटक परिसर	63.67	-

1	2	3	4
	आदि बदरी जिला यमुनानगर में पुरातत्व परिसर	72.00	36.00
	राखी गढ़ी (जिला हिसार) में पुरातत्व परिसर	52.00	26.00
	बनावाली (जिला फतेहाबाद) में पुरातत्व परिसर	52.00	26.00
2.	राजस्थान		
	2003-04		
	कालीबंगा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00	26.00
3.	हिमाचल प्रदेश		
	2001-02		
	बिलासपुर (जिला बिलासपुर) में पर्यटक परिसर	25.00	20.00
	2002-03		
	बिलासपुर (जिला बिलासपुर) में मार्गस्थ सुविधाएं	44.34	44.34
	जंझेली (जिला मंडी) में ट्रेकर्स होस्टल का निर्माण	41.80	41.80
	डार्चा/जिस्पा में मार्गस्थ सुविधाएं लेवल-1	54.60	54.60
	मार्गस्थ सुविधा लेवल-1 सरचू	52.10	52.10
	मनाली (जिला कुल्लू) के पर्वतारोहण संस्थान में पर्यटक परिसर	70.00	70.00
	काजा में मार्गस्थ सुविधाएं	40.00	40.00
4.	झारखंड		
	2001-02		
	गित्लासुद में पर्यटक परिसर	40.00	12.00
	राम रेखा धाम में पर्यटक परिसर	40.00	12.00
	2003-04		
	मधुबन (पारसनाथ) में पर्यटक परिसर	80.00	80.00
5.	उत्तरांचल		
	2003-04		
	पीपलकोटी में मौजूदा पर्यटक विश्रामगृह का उन्नयन	21.14	21.14
6.	असम		
	2003-04		
	अगरटोली रेंज, काजीरंगा में एकीकृत परिसर विकास	158.00	158.00
7.	मणिपुर		
	2003-04		
	मोइरंग में आई एन ए मैमोरियल काम्पलैक्स का सुधार	82.44	24.73
8.	नागालैंड		
	2003-04		
	नागालैंड हैरिटेज परिसर, कोहिमा	300.00	90.00

1	2	3	4
9.	आंध्र प्रदेश		
	2001-02		
	इथीपोथाला वाटरफाल्स में पर्यटक परिसर का निर्माण	32.00	32.00
	फरहाबाद, महबूब नगर में पर्यटक परिसर का निर्माण	45.00	45.00
	बेयरलूटी, करनूल जिले में पर्यटक परिसर का निर्माण	45.00	45.00
10.	गुजरात		
	2001-02		
	भुज में टी आर सी	39.00	11.07
	नारायणा में पर्यटक परिसर	39.00	11.07
	अहमदाबाद में टी आर सी	40.00	32.00
11.	मध्य प्रदेश		
	2001-02		
	नीमच में पर्यटक परिसर	61.00	18.34
	भोपाल में टी आर सी का निर्माण	78.04	23.52
12.	पांडिचेरी		
	2001-02		
	चुनाम्बरा में पर्यटक परिसर	44.06	25.00
13.	तमिलनाडु		
	2001-02		
	कन्याकुमारी में टी आर सी का निर्माण	45.00	36.00

टमाटर की कैंसर रोधी किस्मों का विकास

716. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **कृषि मंत्री** टमाटर की कैंसर रोधी किस्म के विकास के बारे में 6.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3958 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (नेशनल रिसर्च सेन्टर फार प्लांट बायोटेक्नोलाजी) पूसा, नई दिल्ली ने अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने कैंसर से जूझने वाली एंटीआक्सीडेंट लाइकोपेन तत्व के उच्च स्तर वाले दो टमाटर के वंशक्रमों को पता लगाया है। लाइकोपेन के उच्च स्तर वाले दो वंशक्रम एशियन सब्जी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, ताइवान से लाये गये है। इन वंशक्रमों के जीनों का पता लगाने में उपयोग किया जा रहा है जो उच्च लाइकोपेन जैव संश्लेषण से संबंधित है और जिनका बाद में लाइकोपेन तत्व के उच्च स्तर वाली उत्कृष्ट टमाटर की किस्मों के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर स्वागत फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन क्लियरेंस काउन्टर

717. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वागत फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन क्लियरेंस काउन्टर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे विदेशी पर्यटक किस तरह लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन पर जोर देने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में "विशिष्ट पैसेंजर हैडलिंग सर्विसिस" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके लिए सभी भारतीय हवाई अड्डों पर "स्वागत सेवा" नाम से एक एजेंन्सी को नियुक्त किया जाएगा जो एयरपोर्ट औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य करेगी और इच्छुक यात्रियों को चेक-इन तथा आप्रवासन काउन्टरों तक एस्कोर्ट करने का कार्य करेगी।

(ग) इन बाउन्ड विदेशी पर्यटक/यात्री जो विशेष सहायता चाहते है वे इस विशिष्ट पैसेंजर हैडलिंग सर्विस का 24 घण्टे के आधार पर "स्वागत सेवा" का लाभ सभी स्तरों पर ले सकते है। इसके लिए विदेशी यात्रियों को 500 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।

(घ) और (ङ) पर्यटन का विकास मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	कर्नाटक	20	1835.15
2.	तमिलनाडु	19	1898.82
3.	आन्ध्र प्रदेश	8	1454.00

विदेशी एवं घरेलू बाजारों में इन राज्यों के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भी किया जाता है।

[हिन्दी]

संघ सूची में पर्यटन को शामिल किया जाना

718. श्री कमला प्रसाद रावत:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्यटन पर कानून बनाकर उसे संघ सूची में कारगर ढंग से शामिल करके पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और तीर्थ स्थलों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कानून को कब तक अधिनियमित करने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) संविधान की समवर्ती सूची में पर्यटन को लाने के विषय पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है। तथापि, इस समय इसके लिए समय बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

किसानों द्वारा खाद्यान्न का व्यापार

719. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हटाने और समुचित सुरक्षोपायों के साथ किसानों को अपने उत्पादों का व्यापार करने की आजादी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी गोदामों की श्रृंखला स्थापित करने तथा किसानों को भाण्डागार और खाद्यान्न बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का है ताकि किसानों को भाण्डागारों के जरिए अनाज स्टोर करने तथा उनकी बिक्री करने में मदद मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 15.2.2002 को जारी की गई अधिसूचना के जरिए खाद्यान्नों पर से लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमा और उन पर अंतर्राज्यीय संचलन जैसे प्रतिबंधों को हटा दिया था और इस संबंध में दिनांक 16.6.2003 को जारी संशोधन-पत्र के जरिए यह उल्लेख किया था कि अब कोई भी डीलर गेहूं,

धान/चावन, मोटे अनाज, चीनी खाद्य तिलहन और तेल, दालें, गुड़, गेहूं उत्पाद और हाइड्रोजन वनस्पति तेल या वनस्पति की किसी भी मात्रा का मुक्त रूप से क्रय, भंडारण, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिप्राप्ति, उपयोग या उपभोग कर सकता है और इसलिए किसी प्रकार के लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

इस अधिसूचना से खाद्यान्नों का मुक्त व्यापार और संचलन सुनिश्चित हुआ और किसानों को उनकी उत्पादों हेतु सबसे अच्छे मूल्य प्राप्त हुए है।

(ग) और (घ) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत निजी और सहकारी क्षेत्रों के व्यक्तियों को भंडारण परियोजना की पूंजीगत लागत पर राजसहायता दी जाती है। इस योजना ने किसानों को अपने उत्पाद खेतों के निकट भंडारित करने, बैंकों से गिरवी रखकर ऋण लेने और विपणनीय ऋण लेने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप फसल के समय मजबूरन बिक्री रुकी है। इस योजना को मार्च 2001 से कार्यान्वित किया जा रहा है और अब तक देश में 115.1 लाख टन की ग्रामीण भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु बैंकों द्वारा 6974 भंडारण परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

ईपीएफओ के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना

720. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं के मुख्या उद्देश्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् सरकार द्वारा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या ये योजनाएं अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तैयार की गयी निम्नलिखित योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन चलाया जा रहा है:

1. कर्मचारी भविष्य निधि, योजना, 1952
2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976
3. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

(ग) इन योजनाओं का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत शामिल किये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/वृद्धावस्था तथा वास्तविक जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3(2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् निम्नानुसार अंशदान किया है:

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान की गयी धनराशि (रुपये करोड़ों में)
1.	2001-02	485.00
2.	2002-03	400.00
3.	2003-04	450.00
4.	2004-05 (नवम्बर, 2004 तक)	500.00

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रदूषण

721. श्री गिरिधारी यादव:
श्री मुनव्वर हसन:
श्री हरीश नागपाल:
श्री बीर सिंह महतो:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में वायु, ध्वनि वाहन तथा गंदगी से फैलने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण मौजूद हैं;

(ग) यदि हां, तो यह प्रदूषण किस सीमा तक विद्यमान है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान प्रदूषण के बिगड़ते स्तर की ओर आकृष्ट कराया गया हैं, जैसा कि 7 नवम्बर, 2004 के 'दैनिक जागरण' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में फेफड़े से संबंधित बीमारियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को दिल्ली से समाप्त करने के लिए बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में सात स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरी कर रहा है। मॉनीटरी के परिणामों से संकेत मिलता है कि जबकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सामान्य सुधार हैं, कुछ विशिष्ट अवधि के दौरान मुख्य रूप से विविक्त कण पदार्थ और श्वसनीय विविक्त पदार्थ निर्धारित मानदंडों से अधिक बढ़ जाते हैं जो मुख्यत: शहर में प्राकृतिक धूल, वाहनीय उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधि के कारण हैं।

(च) दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण और फेफड़े के रोगों में वृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए कोई अंतिम सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) सरकार ने दिल्ली में विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनीय प्रदूषण के विशेष संदर्भ के साथ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए कार्य योजना के साथ एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया है। इसमें मानव बस्तियों तथा उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल शोधन हेतु मल जल शोधन संयंत्रों तथा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना भी शामिल है। यह नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पुन:स्थापना, डीजल जनरेटर सेटों के संबंध में उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण मानकों के क्रियान्वयन और वाहनों के विनिर्माण स्तर पर व्यापक उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित है।

[अनुवाद]

नेशनल ब्यूरो ऑफ फौरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सिज की स्थापना

722. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नेशनल ब्यूरो ऑफ फौरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सिज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) इससे वानिकी प्रजातियों के संरक्षण और मूल्यांकन में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(घ) पहले से विद्यमान और इसी प्रकार का काम करने वाली अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अक्टूबर, 2004 के दौरान आयोजित अपनी अंतिम बैठक में एक 'नेशनल-ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस' (एन बी एफ जी आर) स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(ख) नेशनल ब्यूरो ऑफ फौरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सिज का लक्ष्य और उद्देश्य देशी और विदेशी फौरेस्ट जेनेटिक संसाधनों के अर्जन और प्रबंधन की जांच-पड़ताल, प्रलेखन, संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके सतत प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगा।

(ग) ब्यूरो, जननद्रव्य संग्रहण, संरक्षण और प्रलेखन और इन संसाधनों को वानिकी अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों के लिए समेकित सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। यह सभी स्टेक होल्डरों को पारिस्थितिकीय, आर्थिक और आजीविका सुरक्षा को पूरा करने के लिए फौरेस्ट जेनेटिक संसाधनों की सतत उपयोगिता और संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल विकसित करने में भी सहायता करेगा।

(घ) 1976 के दौरान स्थापित, नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस (एन बी पी जी आर) किया गया जो अनन्य रूप ये कृषि संबंधी और बागवानी प्रजातियों को डील करती है। वानिकी प्रजातियों के लिए अब तक बहुत कम प्रयास हुए है। वानिकी प्रजातियों का ध्यान रखने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ

प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेज (एन बी पी जी आर) की तरह कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है।

किसानों द्वारा आत्महत्या

723. श्री सुनील खां:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सितंबर, 2004 में आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या लगातार जारी रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय टीम ने हाल में राज्य का दौरा किया था और स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त राशि/खाद्यान्न दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 14.5.2004 से 10.8.2004 तक किसानों द्वारा आत्महत्या के 300 मामलों की सूचना दी है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश में व्याप्त सूखे की स्थिति के मूल्यांकन हेतु एक केन्द्रीय दल ने दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2004 तक आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया। इसकी सिफारिशें विचाराधीन है।

मिट्टी के तेल का आयात

724. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल के आयात से प्रतिबंध हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार मिट्टी के तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मिट्टी के तेल के आयात को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और आई.बी.पी. तथा राज्य व्यापार निगम के जरिए मार्गीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

पीडीएस के अंतर्गत गैस वितरण

725. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत गैस सिलिंडर वितरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ दुकानदारों को ऋण सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दुकानदारों को कमीशन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कमीशन का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) इस समय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पंजीकृत ग्राहकों को राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. (घरेलू) सिलेन्डर सप्लाई कर रही है और गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिलेन्डर (एल.पी.जी.) (घरेलू गैस) वितरित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

आई. सी. ए. आर. में कम्प्यूटरों की खरीद

726. **श्री सूरज सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तथा इसके डिवीजनों/निदेशालयों में कम्प्यूटरों की खरीद का अनुबंध गत कुछ वर्षों से केवल एक कम्पनी को ही दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. में कम्प्यूटरों की खरीद में अनियमितताओं से संबंधित कोई मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है जिनका आईसीएआर में कम्प्यूटरों की खरीद में पता चला है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.कृ.अ.प. के मुख्यालय में कम्प्यूटर की खरीद में कोई भी अनियमितताओं का मामला ध्यान में नहीं आया।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित पर्यटन योजनाएं

727. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित पर्यटन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को, विशेषकर कर्नाटक को, राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि आंवटित/निर्गत की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता राशि निर्गत करने हेतु राज्य सरकारों से विशेषकर कर्नाटक से, अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनायें, अनुमोदित और अवमुक्त धनराशि का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2001-02, 2002-2003 और 2003-04) के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	1621.85	1221.20
2.	असम	19	1479.09	1127.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	1407.80	943.38

1	2	3	4	5
4.	बिहार	15	1525.77	1420.24
5.	छत्तीसगढ़	18	1348.00	486.00
6.	गोवा	12	130.99	85.11
7.	गुजरात	21	1423.13	995.25
8.	हरियाणा	31	1673.07	1273.12
9.	हिमाचल प्रदेश	46	1119.28	924.33
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11	1054.88	1045.42
11.	झारखण्ड	4	1189.00	798.60
12.	कर्नाटक	28	2089.91	1586.77
13.	केरल	28	2149.94	1750.61
14.	मध्य प्रदेश	39	1589.45	1074.74
15.	महाराष्ट्र	28	2683.49	2426.74
16.	मणिपुर	3	87.68	27.35
17.	मेघालय	10	198.44	83.07
18.	मिजोरम	17	782.11	279.41
19.	नागालैंड	14	1113.04	566.93
20.	उड़ीसा	11	505.10	183.07
21.	पंजाब	8	136.50	39.24
22.	राजस्थान	29	2748.51	2512.95
23.	सिक्किम	26	1606.16	1020.68
24.	तमिलनाडु	39	2432.49	1333.89
25.	त्रिपुरा	16	780.70	267.81
26.	उत्तरांचल	10	843.95	662.64
27.	उत्तर प्रदेश	15	1466.54	1258.13
28.	पश्चिम बंगाल	32	1148.39	542.97
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0

1	2	3	4	5
30.	चण्डीगढ़	7	25.75	21.75
31.	दादर एवं नगर हवेली	3	11.77	8.31
32.	दिल्ली	37	3875.29	3708.45
33.	दमन एवं दीव	5	319.57	256.96
34.	लक्षद्वीप	1	17.00	5.10
35.	पांडिचेरी	6	331.65	135.83
	जोड़	628	40916.29	30073.64

लंबित जल परियोजनाएं

728. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की जल परियोजनाएं सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान किन जल परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना था;

(ग) क्या राज्यों को सिंचाई हेतु उपयोग किए जा सकने वाले जल निकायों पर निर्मित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश विचारार्थ परिचालित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या अभी तक तैयार की गई योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या राज्यों ने अपने आशय-पत्र भेजे है परन्तु ठोस योजनाओं का प्रस्ताव नहीं रखा है; और

(छ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (छ) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में की गई घोषणा की तर्ज पर कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों के जीर्णोद्वार, पुनर्स्थापना और नवीकरण संबंधी एक प्रायोगिक स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रायोगिक स्कीम के लिए परियोजना प्रस्तावों की तैयारी के वास्ते पात्रता संबंधी दिशानिर्देश राज्यों को भेजे गए थे। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रायोगिक परियोजना प्रस्तावों का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात परियोजनाओं को शुरू करने की तत्परता पर निर्भर करता है।

कावेरी प्राधिकरण का पुनर्गठन

729. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से कावेरी प्राधिकरण के पुनर्गठन की मांग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्राधिकरण का कब तक गठन किए जाने की संभावना है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि-उत्पादों के विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं हेतु योजना

730. श्री रमाकान्त यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि-विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु देश में नई मंडियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली मंडियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए 20.10.2004 को एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम स्वीकृत की है। इस स्कीम के अन्तर्गत, कृषि जिन्सों के विपणन के लिए सामान्य अथवा जिन्स विशिष्ट अवसंरचना की पूंजीगत लागत पर और विद्यमान कृषि मण्डियों—थोक, ग्रामीण, आवधिक अथवा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित, के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ऋण से जुड़ी पश्च अन्त राजसहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कीम सुधार से जुड़ी है और उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जो निजी और सहकारी क्षेत्रों में कृषि मण्डियों की स्थापना और सीधे विपणन तथा अनुबन्धित खेती की अनुमति देते है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए इस स्कीम हेतु बजट 40 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) कृषि मण्डियों की स्थापना राज्य का विषय है। इसलिए, अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार नई मण्डियों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को पहल करनी होती है। राज्य सरकारें नई स्कीम के अन्तर्गत मण्डियां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता ले सकती है बशर्ते वे कृषि मण्डियों से संबंधित अपने कानून (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) में सुधारों की अपेक्षा को पूरा करें।

[अनुवाद]

वन्यजीव संरक्षण कानूनों में प्रवर्तन

731. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व 21-सदस्यीय वन्यजीव संरक्षण समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 से वन्यजीव संरक्षण कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन करने और उल्लघन करने वालों पर अभियोजन चलाने हेतु की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उल्लंघन करने वाले कितने लोगों को पकड़ा गया और न्यायालय में कितनों को सजा दिलाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधों में लिप्त दोषी व्यक्तियों को पकड़ने व उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। वन्यजीव कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन करने व सुरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वित्तीय आबंटन 1990 से बढ़ा दिया गया है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत, राज्यों को प्रभावी संप्रेषण, अवसंरचना विकास व कानूनी मामलों के बारे में लड़ने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) पकड़े गए उल्लंघनकर्ताओं व न्यायालय में सजा दिलाए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना राज्य व संघ शासित सरकारों के स्तर पर रखी जाती है।

खेल परिसंघों को सहायता

732. श्री अर्जुन सेठी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं में खराब प्रदर्शन के मद्देनजर और देश के हित और प्रतिष्ठा को बचाए रखने हेतु विभिन्न खेल-कूद परिसंघों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परिसंघों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परिसंघों को उपलब्ध कराए गए कुल धन/सहायता का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) खेल संविधान की 'राज्य सूची' में सूचित एक विषय है और राष्ट्रीय खेल परिसंघ चयनित निकाय है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है जिसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों की भूमिका और जिम्मेदारियों को निश्चित किया गया है। तथापि, सरकार इन निकायों के दिन प्रतिदिन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ग) सरकार मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के अंतर्गत प्रशिक्षण/कोचिंग, उपस्करों की वसूली और अपेक्षित वैज्ञानिक/तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मान्यताप्राप्त परिसंघों को प्रदान की गई राशि/सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2001-2002 रकम रुपयों में	2002-03 रकम रुपयों में	2003-2004 रकम रुपयों में
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	1220211	1500974	662657
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	5277322	11681426	16681512
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	1831614	2795514	1598625
4.	अखिल भारतीय कराटे-डू-परिसंघ	0	1511417	0
5.	अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिसंघ	635166	871899	1177522
6.	भारतीय अमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	8170088	9069998	7025325
7.	भारतीय अमेच्योर बेसबाल परिसंघ	1080768	700000	1600000
8.	भारतीय अमेचोर हैण्डबाल परिसंघ	337500	1475000	1775000
9.	भारतीय अमेच्योर कबड्डी परिसंघ	1872182	1737015	3485770
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	2938624	2626548	6883370
11.	भारतीय आत्या-पात्या परिसंघ	1192000	1200000	1650000
12.	भारतीय बैडमिंटन संघ	1167554	13155431	15980746
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	1017100	1250000	1050000
14.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	2762478	3232936	4396382
15.	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ	2664563	3009347	2416455

1	2	3	4	5
16.	भारतीय साइकिल पोलो परिसंघ	813778	1251489	1000000
17.	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ	1758719	2640253	2808508
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	1413089	6805902	2539252
19.	भारतीय फैंसिंग संघ	3142793	806584	1959832
20.	भारतीय जिमनास्टिक परिसंघ	6704411	12687301	3601507
21.	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	8275236	8984951	10842412
22.	भारतीय शारीरिक सौष्ठव परिसंघ	225000	50000	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	0	3343796	1853785
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	17462533	7017214	12878010
25.	भारतीय क्याकिंग एवं केनोइंग संघ	701030	2086136	2720945
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	177050	44491859	5877202
27.	भारतीय पोलो संघ	113186	176913	20241738
28.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	675000	1200000	1750000
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	2754693	3488197	5995302
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	10908974	3510110	3087071
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	5725366	2986892	4435620
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	840000	1450000	1250000
33.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ	600000	1334539	1150000
34.	अखिल भारतीय टेनिस परिसंघ	3843898	7085207	5918312
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	22648120	17436465	17455572
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	1125000	1200000	1645900
37.	भारतीय रोइंग परिसंघ	5216284	3642641	4839159
38.	भारतीय स्कूल खेल परिसंघ	2022809	1484869	1962015
39.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	1176000	1200000	1000000
40.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	195000	0	2100000
41.	भारतीय सॉफ्ट बाल परिसंघ	625000	1699291	1000000

1	2	3	4	5
42.	भारतीय स्क्वैश रैकेट्स परिसंघ	3467236	964888	1858975
43.	भारतीय तैराकी परिसंघ	3525660	4602717	6012609
44.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	5954016	7100759	7490815
45.	भारतीय ताईक्वांडो परिसंघ	0	1756800	2321784
46.	भारतीय टेनि-कोइट परिसंघ	1165200	1200000	1150000
47.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	600000	1650000	1200000
48.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	175000	0	0
49.	भारतीय रस्सा कशी परिसंघ	1200000	1650000	1150000
50.	भारतीय वाली बाल परिसंघ	3703156	5061449	7655295
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	37500	300000	0
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	10591336	10977678	23488942
53.	भारतीय यार्टिंग संघ	8279739	10549498	15988068
54.	भारतीय वुशु परिसंघ	0	750000	150000
55.	भारतीय शीतकालिन खेल परिसंघ	183633001	212000	1227400
	कुल	374180219	265579954	364349456

काजू की खेती

733. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बाजार में काजू की बढ़ती मांग और खेती के विकास की संभावना के मद्देनजर काजू की खेती का विकास करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास काजू की खेती हेतु गैर-कृषि भूमि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) काजू की खेती के विकास और उसकी बढ़ती मांग के संबंध में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने गैर-कृषि भूमि में काजू की खेती के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर

734. **श्री चिन्ता मोहन:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपनी आजीविका चलाने हेतु रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष में कितने श्रम दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं। सामान्य स्थिति आधार पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार, जो वर्ष 1993-94 में लगभग 34.7 करोड़ था, वर्ष 1999-2000 में बढ़ कर 36.9 करोड़ (नवीनतम उपलब्ध) हो गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने निम्नलिखित कार्यनीति के अनुसार 10वीं योजना के दौरान 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा है।

- कारोबार में 8% की सामान्य वृद्धि केवल 3 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान देगी।
- विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों से 2 करोड़ रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।
- कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यमों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं अन्य सेवाओं पर विशेष बल।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार संभावनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार संभावना

क्षेत्र/कार्यक्रम	10वीं योजना में सृजित किए जाने वाले कुल अतिरिक्त रोजगार अवसर (लाख में)		योग (लाख में)
	वृद्धि आधारित	कार्यक्रम आधारित	
1	2	3	4
वर्षा पोषित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना (एनएसडीआरपीए), कृषि प्रबंधन कार्यक्रम, एग्रोक्लीनिक, हरित भारत कार्यक्रम जलाशय एवं बंजर भूमि विकास, औषधीय पौधे, बांस विकास एवं एथनॉल जैसे ऊर्जा प्लांटेशन आदि सहित कृषि	4.1	90.6	94.7
खनन एवं खनिज	-2.0	-	-2.1
निर्माण (प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं	14.2	-	14.2
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को छोड़कर	(बड़ा निर्माता) 60.0 (एसएसआई)	-	60.0
विद्युत, गैस एवं जल	-2.1	-	-2.1
निर्माण	63.0	-	63.0
व्यवसाय, होटल एवं रेस्तरां	112.3	-	112.3

1	2	3	4
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	55.1	-	55.1
वित्तीय क्षेत्र	19.3	-	19.3
सामुदायिक क्षेत्र	-27.1	32.0	4.9
विशेष कार्यक्रम			
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)		22.0	22.0
(एसएसआई) एवं आर ई जी पी (केवीआईसी)		20.0	20.0
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)		12.9	12.9
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एवं		7.7	7.7
स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)		8.0	8.0
योग	296.8	193.2	490.0

टिप्पणी: हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई

735. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के मरायूर रेंज में चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई और केरल के पलक्कड़ जिले में इससे होने वाले चंदन के तेल के अवैध आसवन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पलक्कड़ (केरल) के वन अधिकारियों ने हाल में चंदन की लकड़ी के अवैध भंडार का उपयोग करने वाली कुछ आसवन इकाइयों पर छापा मारा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या पलक्कड़ में आसवन इकाइयों, द्वारा चोरी-छिपे तरीके से उपयोग करने हेतु मरायूर हाई रेंज से चंदन की लकड़ी की चोरी की सूचना की कोई जांच की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। सरकार को मरायूर रेंज में चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में जानकारी है। पलक्कड़ में ऐसी कई इकाइयां कार्यरत है जो मरायूर में अवैध रूप से काटी गई सामग्री का इस्तेमाल करके चंदन के तेल का अवैध आसवन करती है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अपराध के 907 मामले थे जिनमें चंदन के पेड़ों की कटाई के 3608 मामले शामिल थे।

(ग) जी, हां। विभाग के सतर्कता खंड की अगुआई में वन अधिकारियों के एक दल द्वारा 10.10.2004 को छापा मारा गया और कुछ फैक्ट्रियों में छापे मारे गए। इससे पहले मन्नार वन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा 18.4.2004 को भी एक असस्मात छापा मारा गया।

(घ) 10-10-2004 को हाल ही के छापे के दौरान चार इकाइयों से 2711 किलोग्राम चंदन की लकड़ी का पाउडर और 275 किलोग्राम चंदन की लकड़ी के टुकड़े जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 20.60 लाख रुपये था। बाद में इन चारों इकाइयों को सील कर दिया गया। जब्त सामग्री के अवैध संग्रह और भंडारण के बारे में ओ.आर. 14/2004, 15/2004, 17/2004 और 18/2004 के रूप में अपराध के चार मामले दर्ज किए गए। 14-8-2004 को पहले के छापे में प्रभागीय वन अधिकारी, मन्नार द्वारा दो इकाइयों से 24.90 कि.ग्रा. चंदन का तेल और 1025 कि.ग्रा. चंदन की लकड़ी जब्त की गई।

(ङ) और (च) इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

जल की उपलब्धता

736. श्री मुन्शी राम: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हुई अपर्याप्त वर्षा के कारण जल उपलब्धता में भारी कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जल स्तर में हुई कमी की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) जल की कमी के कारण सिंचाई और विद्युत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों हेतु इस स्थिति से उबरने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना पर कितनी धनराशि का व्यय किया जाना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानिटरी किए जा रहे 71 प्रमुख जलाशयों की भंडारण क्षमता की स्थिति दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल की उपलब्धता में कमी नहीं आई है। 29.10.2004 के अनुसार इस वर्ष मानसून अवधि के अन्त में 71 प्रमुख जलाशयों के सक्रिय भंडारण में जल की उपलब्धता पिछले वर्ष की 80 बीसीएम की उपलब्धता की तुलना में 84.8 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) थी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बांस रोपण

737. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बांस-रोपण सहित सतत कृषि उत्पादों हेतु भूमि की उर्वरता चिन्ता का कारण बन गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में होने वाले बांस के पौधों/उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इसका निर्यात मूल्य कितना है; और

(ग) वे स्थान कौन-कौन से है जहां रोजगार सृजित करने और स्थानीय किसानों के लाभ के लिए राजस्व जुटाने हेतु बांस के पौधों को उगाया जा सकेगा और इसके उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार को मृदा उर्वरता में कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसे अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बांस रोपण सहित सतत कृषि उत्पादन के लिए एक चिन्ता का विषय माना जा सके।

(ख) पांच ऐसी बांस प्रजातियां है जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए मूल किस्म मानी जा सकती है और इन द्वीपसमूहों में बांस के अधीन अनुमानित क्षेत्र लगभग 25,000 हैक्टेयर है। विद्यमान बांस की कोई निर्यात क्षमता अथवा औद्योगिक उपयोग नहीं है।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बांस का रोपण टीक बागवानों के अधीन, प्राकृतिक वनों और खाली अवक्रमित कृषि भूमि पर किया जा रहा है। ठोस और मोटी बाह्य परत वाले जिस बांस का रोपण किया जा रहा है वह दस्तकारी वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी है।

मक्के की खेती

738. श्री सुग्रीव सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कंधामल और फूलबनी तथा अन्य अधिसूचित जिलों में मक्के की खेती का बढ़ावा देनें की व्यापक संभवना है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिसूचित जिलों में मक्के की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा में कंधामल और फूलबनी तथा अन्य अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों में मक्का की खेती के संवर्धन की गुंजाइश है।

भारत सरकाार मक्का उगाने वाले 15 प्रमुख राज्यों के सभी मक्का उगाने की क्षमता वाले सभी जिलों, जिनमें उड़ीसा के कंधामल और फुलबनी तथा अन्य अनुसूचित क्षेत्र शामिल है, में मक्का की खेती के संवर्धन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का की एकीकृत स्कीम'' (आइसोपोम) कार्यान्वित कर रही है।

इस स्कीम के अन्तर्गत, प्रजनक बीच की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, मिनिकिटों के वितरण, अवसंरचना विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शनों, एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रौद्योगिकी, पौध रक्षण रसायनों के वितरण, पौध रक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशियों, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाईट के वितरण, छिड़कावक यंत्रों के वितरण, कृषक प्रशिक्षण, स्टाफ तथा आकस्मिक खर्चों, अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, मक्का में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के माध्यम से अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे है।

मिनरल वाटर के उत्पादन पर रोक

739. **श्री के.एस. राव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्ड्डर्स (बी आई एस) ने विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न मिनरल वाटर बोटलिंग इकाइयों में उत्पादन और संवितरण को रोकने के अनुदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) बी आई एस के निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न मिनरल वाटर बोटलिंग इकाइयों अथवा पैकेजबंद पेय जल की बोटलिंग इकाइयों में उत्पादन और वितरण को रोकने के संबंध में कोई अनुदेश नहीं दिए है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खराब खाद्यान्न का निपटान

740. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री कैलाश बैठा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा का निपटान किया गया;

(ख) क्या उक्त खराब खाद्यान्न, निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर राज्य के स्वामित्व वाले विभागों/अभिकरणों को जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त अभिकरणों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन अभिकरणों ने इन भंडारों को खुले बाजार में अधिक मूल्य पर फिर से बेचा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खराब खाद्यान्न की अवैध बिक्री की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निपटाई गई क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा वर्षवार नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)
2001-02	1.17
2002-03	2.01
2003-04	1.74

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

जल संसाधन विकास हेतु परामर्शदात्री परिषद

741. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोगों की भागीदारी से जल संसाधनों के विकास हेतु परामर्शदात्री परिषद् गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) लोगों की भागीदारी सहित वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए एक सलाहकार समिति के गठन के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके विवरण तैयार किए जा रहे है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

742. **श्री बची सिंह रावत "बचदा":** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल के प्रति घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि आंबटित/जारी की गयी है।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों के विकास का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और इसके साथ देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए अधिक राजस्व सृजन वाले परियोजनाओं की सहायता करने संबंधी योजनाएं तैयार की है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान उत्तरांचल में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई है:

वर्ष		परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	अवमुक्त राशि
2002-03	1.	जगेश्वर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	55.00	15.00
	2.	हरिद्वार-ऋषिकेश का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	557.50	399.00
	3.	देहरादून में आर्टिस्ट कैम्प	5.00	4.00
2003-04	1.	विरासत उत्सव, देहरादून	15.00	7.50
	2.	पीपलकोटि में पर्यटक स्वागत केन्द्र	21.14	21.14
	3.	कुमाऊं उत्सव	2.30	2.30
	4.	हरिद्वार में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	192.00	192.00

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक उत्तरांचल सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

कीटनाशक कंपनियों द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन

743. **श्री रामदास आठवले:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों का निर्माण करने वाली कंपनियां देश के विद्यमान श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् उन कंपनियों के नाम क्या है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यमान श्रम कानूनों और सुरक्षोपायों के

समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इन कंपनियों द्वारा अपनाए गए उपाय की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। कुछ कीटनाशक दवाइयों की निर्माता कम्पनियां कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती पाई गई है।

(ख) अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर रही राज्य सरकारों से प्राप्त ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) इस मंत्रालय के अंतर्गत कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान महानिदेशालय ने उद्योगों में प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य परिवेश के संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट कीटनाशक दवाइयों के विनिर्माता संघों और संबंधित राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक को कार्यान्वयन हेतु भेजी गयी थी।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षक यूनिटों का समय-समय पर निरीक्षण कर सुरक्षा उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करते है। उपबंधों के उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है और यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति पायी जाती है तो यूनिटों से उन विसंगतियों को दूर करने को कहा जाता है। इस क्षेत्र में शॉप फ्लोरों में कार्यरत इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों तथा श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनके नाम
1.	गोवा	मैसर्स सिनगेंटा इंडिया लिमिटेड
2.	गुजरात	(1) रेलिज इंडिया लिमिटेड, जी आई डी सी, अंकलेश्वर
		(2) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जी आई डी सी, अंकलेश्वर
		(3) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, वापी
		(4) देवा केमिकल्स इंडिल लिमिटेड, काजीपुर
		(5) फेकॉम ऑर्गनिक्स लिमिटेड, जी आई डी सी, अंकलेश्वर
		(6) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यूनिट, अंकलेश्वर
3.	केरल	मैसर्स हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड
4.	महाराष्ट्र	(1) महाराष्ट्र कीटनाशी लिमिटेड, अकोला
		(2) संजय कीटनाशी प्राइवेट लिमिटेड, जालना
		(3) जयकिशन एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बीड
		(4) रैलीज इंडिया लिमिटेड, थाने-बेलापुर
		(5) घरदा केमिकल्स फार्मा, महाड
		(6) घरदा केमिकल्स, लोट, रत्नागिरी
5.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स एन एफ सी केमिकल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर

[अनुवाद]

काली मिर्च उत्पादकों को सहायता

744. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच आयात शुल्क से छूट देने से संबंधित समझौते से देश के काली मिर्च उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने यह पाया है कि श्रीलंका के माध्यम से भारी मात्रा में भारत लाई जा रही काली मिर्च के कारण भारत में काली मिर्च के मूल्य में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो देश में, विशेषकर केरल में काली मिर्च उतपादकों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में शुल्क की छूट के प्रभावी होने से श्रीलंका से काली मिर्च के आयात की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) घरेलू मूल्यों में गिरावट केवल श्रीलंका से शुल्क मुक्त आयातों के कारण नहीं हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के साथ वियतनाम और इन्डोनेशिया जैसे अन्य देशों से काली मिर्च के आयातों में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है।

(ग) कोलंबो, श्रीलंका में अगस्त, 2004 में भारत और श्रीलंका के मध्य तीसरी वाणिज्यिक सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष मूल नियमावली की प्रवंचना को रोकने के लिए एक निगरानी तन्त्र की स्थापना के लिए सहमत हुए जिससे केरल राज्य सहित हमारे किसानों को संरक्षण मिलेगा।

नया कृषि आयोग

745. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नया कृषि आयोग गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग में कौन-कौन से लोग शामिल है और इसके विचारार्थ विषय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दिनांक 10 फरवरी, 2004 के सरकारी संकल्प के माध्यम से गठित राष्ट्रीय कृषि आयोग हाल ही में पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, चार अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। पुनर्गठित आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

* देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक व्यापक, मध्यम आवधिक रणनीति तैयार करना जिससे अधिसमय में विश्व खाद्य सुरक्षा की दिशा में अग्रसर हो सके।

* कृषि पारिस्थितिकी और कृषि जलवायुवीय दृष्टिकोण के आधार पर तथा अग्रणीय प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करते हुए देश की प्रमुख कृषि प्रणाली से उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और सम्पोषकता में वृद्धि करने वाली पद्धतियां प्रस्तावित करना।

* प्रौद्योगिकी और नीति के बीच सहक्रियात्मकता लाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार क्षमता में वृद्धि करने से संबधित उपायों की सिफारिश करना। ऐसा विविधीकरण और समुचित प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें बाजार, मौसम, ऋण सुविधा और ई-कामर्स के बारे में सूचना देने वाली सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और मण्डी सुधार भी शामिल है।

* ऐसे उपाय सुझाना जिससे कि शिक्षित युवा कृषि की ओर आकर्षित हो सकें और उसमें संलग्न रहे तथा इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी की सिफारिश करना जिससे कि फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी (अंतर्देशीय तथा समुद्री), कृषि वानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण और सम्बद्ध विपणन अवसंरचनाओं का समुन्नयन किया जा सके।

* कृषि अनुसंधान में निवेश को बढ़ाने, छोटे तथा सीमांत किसानों समेत सभी किसानों को ग्रामीण ऋण में सतत वृद्धि करने, कृषि का विकास करने जिससे कि आर्थिक प्रगति हो सके, के लिए तैयार की गई बृहद सुधार नीति के बारे में सुझाव देना जिससे कि ग्रामीण परिवारों के स्वस्थ और लाभप्रद जीवन के लिए अवसर पैदा हो सकें।

* शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के किसानों तथा पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों के लिए बारानी खेती संबंधी विशेष कार्यक्रम तैयार करना जिससे ऐसे क्षेत्रों के किसानों की जीविका सुरक्षित रखी जा सके और इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी सुरक्षा बहाल रखी जा सके। इस संदर्भ में चालू सभी

प्रौद्योगिकी मिशनों, विशेषकर जो दलहन, तिलहन, मक्का, कपास और पनधारा आदि से संबंधित है, की समीक्षा करना और ऊर्ध्वाधर संरचित कार्यक्रमों को क्षैतिज रूप से एकीकृत करने के तरीकों की सिफारिश करना। इसके लिये, ऋण-युक्त बीमा योजनाओं के बारे में भी सुझाव देना जिससे गरीब कृषक परिवारों को असहनीय जोखिमों से बचाया जा सके। इसके आलावा, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड को मजबूत बनाने और उसे सरल तथा कारगर बनाने के बारे में सुझाव देना।

* कृषि जिन्सों की गुणवत्ता तथा लागत संबंधी प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने वाले उपायों के बारे में सुझाव देना जिससे उनको आवश्यक सुविधायें प्रदान करके तथा अग्रणी विज्ञान का प्रयोग करके और कौडक्स एलीमेण्टेरियस स्टैण्डर्ड संबंधी पाठ्य सामग्री को बढ़ावा देकर उनको विश्व में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके तथा इसके लिए विस्तार मशीनरी को उन्मुख तथा ठीक करके किसानों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा जब अन्तरराष्ट्रीय मूल्य तेजी से गिर जाते है, आयात से किसानों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के तरीके सुझाना।

* कृषि में बढ़ती हुई महिला भागीदारी और भू स्वामित्व के अधिकार के प्रस्तावित प्रदत्तीकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए ऋण, जानकारी, दक्षता, प्रौद्योगिकीय और विपणन अधिकारिता हेतु उपाय सुझाना।

* चयनित स्थानीय निकायों के पुरुष और स्त्री सदस्यों की अधिकारिता के तरीके सुझाना ताकि वे सतत कृषि जैसे भूमि, जल, कृषि-जैवविविधता और पर्यावरण में सिंचाई जल की ओर प्राथमिक ध्यान के साथ पारिस्थितिकीय आधारों के संरक्षण और सुधार में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सकें।

* किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना जो उपरोक्त के प्रसंग में हो अथवा सरकार द्वारा विशेष तौर पर आयोग को भेजा गया हो।

बेरोजगार कृषि स्नातकों हेतु योजना

746. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार कृषि स्नातकों हेतु बैंकों के सहयोग से एक नई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष उत्तीण होने वाले कृषि स्नातकों की संख्या कितनी है और कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले कृषि स्नातकों की संख्या कितनी है; और

(घ) कृषि स्नातकों के अन्य क्षेत्रों में जाने पर रोकथाम लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। तथापि, सरकार 10वीं योजना के दौरान वर्ष 2002-03 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु कृषक कृषि-व्यापार परिसंघ (एस.एफ.ए.सी.) और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) के सहयोग से कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्रों की स्थापना संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्रों की स्कीम 9 अप्रैल, 2002 को आरम्भ की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य कृषक समुदाय को शुल्क-आधारित विस्तार तथा अन्य सेवाएं प्रदान कराना और कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना भी है।

कृषि स्नातकों को पूरे देश में अवस्थित सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के 67 से भी अधिक संस्थानों में दो महीनों के लिए कृषि-व्यापार विकास में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसका समन्वयन ''मैनेज'' द्वारा किया जाता है। ये संस्थान प्रशिक्षित स्नातकों को एक वर्ष की अवधि के लिए हैन्डहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करते है। प्रशिक्षण तथा हैन्डहोल्डिंग की समूची लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है। प्रशिक्षित स्नातकों से यह प्रत्याशा है कि वे बैंक वित्त की सहायता से कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्रों की स्थापना करें।

(ग) देश में प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने वाले कृषि स्नातकों की संख्या वर्ष दर वर्ष 9000-10,000 के बीच रहती है। प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार, 43% कृषि स्नातक बेरोजगार थे। (आई.ए.एम.आर. - 2000)

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

नौकरशाहों को विभिन्न खेलकूद निकायों को चलाने से हतोत्साहित करना

747. **श्री नवजोत सिंह सिंद्धू:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौकरशाहों को विभिन्न खेलकूद निकायों को चलाने से हतोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ/संघ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत निकाय है तथा इन खेल निकायों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी उन निकायों से संबंधित संविधानों तथा नियमों के अनुसार निर्वाचित किए जाते है। अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुसार खेल निकायों के चुनाव लड़ने/प्रचार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

सीपीसीएसईए दिशानिर्देशों में संशोधन

748. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमिटी फार परपस टू कन्ट्रोल एण्ड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स (सीपीसीएसईए) के दिशानिर्देशों में परिवर्तन लाने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की संरचना क्या है और यह अपना प्रतिवेदन कब तक सौंपेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) पशुओं पर प्रयोग करने की वर्तमान क्रियाविधि को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा सचिव, पर्यावरण एवं वन की अध्यक्षता में एक परामर्शक दल गठित किया गया था जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर), केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सी डी आर आई), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई वी आर आई) और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान (एन आई आई) के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पशु कल्याण कार्यकर्त्ता सुरी नोर्मा अल्वारेज, पीपल फॉर एनीमल्स (पी एफ ए), गोवा, सुश्री गीता शेषमणि, फ्रेंडिकोज एस ई सी ए, नई दिल्ली और विशेषज्ञ अर्थात् प्रो. शशि मोतीलाल, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, डा. पी. के. दवे, पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डा. एस सी अदलखा, पशु स्वास्थ्य सलाहकार ने भी बैठकों में भाग लिया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

749. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों से राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य के अतिरिक्त कितने नए संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) प्रथम चरण में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के उन्न्यन हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की गई है। राज्य/संघ शासित सरकारों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या एवं प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में उन्नयन किए जाने हेतु निर्धारित किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर जिनके लिए एक दूसरी केन्द्र प्रवर्तित योजना है) के अनुपात में, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रखने के न्यूनतक सामंजस्य के साथ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या का राजय-वार निर्धारण किया गया है।

(ख) नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना या तो राज्य सरकारों अथवा निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में विद्यमान 71 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्न्यन के अतिरिक्त इन राज्यों में 23 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु एक विशेष केन्द्र प्रवर्तित योजना आंरभ की गई है।

विवरण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उन्नयन हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्ताव	उन्नयन हेतु निर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	10	5
3.	बिहार	10	2
4.	चंडीगढ़	1	1
5.	छत्तीसगढ़	9	4
6.	दमन व दीव	2	1
7.	दादर व नगर हवेली	0	1
8.	दिल्ली	1	1
9.	गोवा	8	1
10.	गुजरात	10	8
11.	हरियाणा	10	5
12.	हिमाचल प्रदेश	8	3
13.	झारखंड	7	1
14.	कर्नाटक	12	6
15.	केरल	12	5
16.	लक्षद्वीप	0	1
17.	मध्य प्रदेश	10	8
18.	महाराष्ट्र	15	12
19.	उड़ीसा	10	2
20.	पांडिचेरी	1	1
21.	पंजाब	10	6
22.	राजस्थान	10	5
23.	तमिलनाडु	10	4
24.	उत्तर प्रदेश	61	10
25.	उत्तरांचल	10	3
26.	पश्चिम बंगाल	27	3

जबलपुर में अवैध खनन

750. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबलपुर मदन महल रोड पर संग्राम सागर से शारदा मंदिर तक की पहाड़ियों से करोड़ों रु. के पत्थर और मुरम का अवैध खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अवैध खुदाई को रोकने के लिए जिन राज्यों में सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है उनका बयौरा क्या है; और

(घ) पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण तथा अनुरक्षण हेतु ठोस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जहां तक वन भूमि का संबंध है जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में संग्राम सागर से शारदा मंदिर तक पत्थरों और मुरम का कोई अवैध खनन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्धों को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसे अवैध कार्यों का रिकार्ड संबंधित राज्य सरकारें द्वारा रखा जाता है।

(घ) राज्य सरकारें किसी विशेष वन क्षेत्र के परिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और रखरखाव के लिए कार्य योजना और वार्षिक कार्य कार्यक्रम के निर्देशों का अनुपालन करती है। इसके अलावा केन्द्र सरकार राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन

क्षेत्रों की हरियाली और सतत वन प्रबंधन के लिए वन विकास एजेंसी, जिसमें संयुक्त वन प्रबंध समिति शामिल है, के माध्यम से वनीकरण के लिए भी निधि उपलब्ध करवाती है।

राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं

751. श्री मनोज कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखंड सहित अन्य राज्यों में क्रियान्वयनाधीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम क्या है:

(ख) औरंगा जलाशय परियोजना, कन्हार जलाशय परियोजना, कधवन जलाशय परियोजना और झारखंड में कुटकु उत्तरी जलाशय परियोजना के पूरा होने पर कुल कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित हो पाएगी और कुल कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी;

(ग) उक्त परियोजनाओं की अनुमानित और संशोधित लागत कितनी है;

(घ) झारखंड के लातेहार जिले में कुटकु जलाशय परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन कब तक शुरू होगा और कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन होगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) बिहार तथा झारखंड समेत राज्यों में क्रियान्वयनाधीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) औरंगा जलाशय परियोजना, कन्हार जलाशय परियोजना, काधवन जलाशय परियोजना तथा कुटकु उतर जलाशय परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता 882.97 हजार हेक्टेयर है तथा इन परियोजनाओं से 44,706 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा संशोधित लागत संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) 2×12 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली कुटकु जलाशय परियोजना के जल विद्युत घटक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने 21.94 करोड़ रु. के लिए जून, 1983 के दौरान स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस परियोजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के बाद पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. नागार्जुनसागर
		2. सिंगुर
		3. श्रीसैलम
2.	बिहार	1. गंडक
3.	झारखंड	1. उतरी कोयल जलाशय
		2. सुवर्णरेखा
		3. तिलैया धाधर डायवर्सन
4.	गुजरात	1. सरदार सरोवर
5.	कर्नाटक	1. तुंगभद्रा
		2. वराही
6.	केरल	1. कल्लाडा
		2. इडामालायर
7.	मध्य प्रदेश	1. बाणसागर
		2. बार्गी (रानी अवन्ती बाई सागर)
		3. इंदिरा सागर
		4. हसदेव बांगो
		5. पेंच
		6. राजघाट
8.	महाराष्ट्र	1. तिल्लारी
		2. वरबा
		3. दुधगंगा
		4. भातसा
		5. सूर्या
		6. कृष्णा कोयना
9.	उड़ीसा	1. पोटेरू
		2. रेंगाली

1	2	3
		3. ऊपरी कोलाब
		4. ऊपरी इंद्रावती
10.	पंजाब	1. शाहपुर कांडी बांध
11.	राजस्थान	1. माही बजाज सागर
		2. जाखम
		3. बिसालपुर
12.	उत्तरांचल	1. लखवर व्यासी
		2. टिहरी
		3. किशऊ बांध
13.	पश्चिम बंगाल	1. तीस्ता बैराज

विवरण II

क्र.सं.	झारखंड राज्य में परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लागत रुपये करोड़ में)	
		वास्तविक	अद्यतन
1.	औरंगा जलाशय परियोजना	125.40	914.24
2.	कन्हर जलाशय परियोजना	अनुमोदित	1350.00
3.	कन्धावन जलाशय परियोजना	अननुमोदित	1111.14 (1996 मूल्य स्तर)
4.	लतेहर जिले में कुटकु गांव पर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (बिहार के साथ आईएस)	439.00	836.11

नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा

752. **श्री संतोष गंगवार:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबंध में कोई समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के लिए क्या सुझाव प्राप्त हुए है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, हाँ। नेहरू केन्द्र संगठन (नेहरु युवा केन्द्र संगठन) द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।

योजना आयोग ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1978, 1991 तथा 2003 में मूल्यांकन कराया था। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मुख्यालय में एक निगरानी एकक के माध्यम से इन कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। जिला युवा समन्वयक क्षेत्रीय समन्वयक और मंडल निदेशक भी नियमित निरीक्षणों के द्वारा युवा क्लबों, युवा विकास केन्द्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करते है।

(ग) विभिन्न समीक्षाओं में इन कार्यक्रमों में आगे ग्रामीण युवाओं के बड़े वर्ग को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष-वार आधार पर कार्रवाई योजना तैयार करते समय इन सभी सिफारिशों का ध्यान में रखा जाता है।

(घ) सरकार ने नई पहल और कार्यक्रम जैसे युवा विकास केन्द्र, ग्रामीण खेल क्लब, युवा क्लबों को वितीय सहायता तथा ग्रामीण सूचना प्रोद्योगिकी युवा विकास केन्द्र चलाये है। इस क्षेत्र

में विभिन्न संस्थाओं को सहक्रियात्मक और समाभिरूपी बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में गंडक नहर

753. **श्री सुशील कुमार मोदीः** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में गंडक नहर के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मद में बिहार सरकार को कितनी धनराशि जारी की गयी है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) पूर्वी गंडक नहर के पुनरुद्धार संबंधी परियोजना को राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के तहत वितपोषण के लिए 294 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया है।

(ग) अप्रैल, 2004 में 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्य की शुरूआत बिहार सरकार द्वारा टेंडर पैकेजों को अन्तिम रूप देने और उनको शुरू करने तथा कार्य प्रदान करने से जुड़ा हुआ है।

क्रिकेट और हाकी टीम का प्रदर्शन

754. **श्री पंकज चौधरीः**
श्री ब्रजेश पाठकः

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रिकेट तथा हाकी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने उक्त टीमों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ङ) सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि हाकी और क्रिकेट की भारतीय टीमों के प्रदर्शन में स्थिरता का अभाव है। टीमों के प्रदर्शन की निगरानी तथा सुधारात्मक उपाय करना - भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) तथा भारतीय हाकी संघ, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय है, के क्षेत्राधिकार में आता है।

जहाँ तक हाकी का संबंध है एथेंस ओलंपिक खेल, 2004 के बाद, इनके पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण करने और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी भविष्य की कार्रवाई योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी।

[अनुवाद]

खेलों के विकास हेतु केरल को निधियां

755. **श्री पी.सी. थामस :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास केरल में खेलों के विकास से संबंधित लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या खेल प्राधिकरण ने केरल में वर्ष 2003-04 हेतु 125 करोड़ रु. के कुल योजना आबंटन में से मात्र लगभग 1.00 करोड़ रु. ही खर्च किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य को कितनी निधियां आबंटित की गयीं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने राज्य के लिए और अधिक निधियां आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) वर्ष 2001-02 से 1.12.2004 तक "खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों" की योजना के अंतर्गत केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) द्वारा केरल राज्य को कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया था। वर्ष

2003-04 के दौरान केरल में विभिन्न स्थानों पर स्थित भा.खे.प्रा. के विशेष क्षेत्र खेल/राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 82.24 लाख रु. का वास्तविक व्यय किया गया था।

(घ) मंत्रालय की खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) "खेल" राज्य सूची का विषय है। केन्द्र सरकार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। प्राप्त हो चुके अवस्थापन्रा संबंधी प्रस्तावों की स्थिति संलग्न अनुबंध में पहले ही दर्शाई जा चुकी है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 से (1.12.2004) तक

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
1	2	3
1.	राजकीय उच्च विद्यालय, अजकीकोड, जिला कन्नूर में खेल मैदान का विकास	6.8.2001 को कमियां सूचित की गई।
2.	वाई.एम.सी.ए., कोचीन में बास्केटबाल कोर्ट	15.7.2003 को कमियां सूचित की गई।
3.	इडुक्की में जिला स्तरीय खेल परिसर	7.1.2004 को कमियां सूचित की गई।
4.	कोडूमोन ग्राम पंचायत पाथानामथिट्टा में स्टेडियम	12.7.2002 को कमियां सूचित की गई।
5.	अटिंगाल, त्रिवेन्द्रम में जिला स्तरीय खेल परिसर	सिद्धांत रूप में 30.9.2003 को 98.00 लाख रु. अनुमोदित किये।
6.	नेदूमंगाद म्युनिसिपलिटी जिला तिरूवनंतपुरम में इंडोर स्टेडियम	सिद्धांत रूप में 20.2.94 को 67.50 लाख रु. अनुमोदित किये।
7.	वडाकारा म्युनिसिपलिटी जिला कोजीकोड में इंडोर स्टेडियम/आऊटडोर स्टेडियम	16.8.2004 को कमियां सूचित की गई।
8.	उडयम कला काइका वेदी, पूनथ, जिला कोजीकोड में वालीवाल कोर्ट	प्रस्ताव 5.10.2004 को सहायता अनुदान समिति के समक्ष रखा गया था जिसे आई.एफ.डी. की सहमति के लिए भेजा गया है।
9.	फुटबाल/वालीबाल के विकास के लिए चक्कीटापारा, ग्राम पंचायत तथा चक्कीटापारा, जिला कोजीकोड में वास्केटबाल कोर्ट	-वही-
10.	कट्टाप्पाना ग्राम पंचायत, जिला इदुक्की में आऊटडोर स्टेडियम	25.4.2004 को धनराशि की उपलब्धता के बारे में सूचना मांगी गई।
11.	मीनानकाड़ी ग्राम पंचायत, जिला, वायनाड में जिल स्तरीय खेल परिसर	30.4.2004 को कमियां सूचित की गई।
12.	नाडक्कावू वलियाकोव्वाल, जिला. कैसरागगोड़े में आऊटडोर स्टेडियम	29.12.2003 को कमियां सूचित की गई।

1	2	3
13.	पालीकोड ग्रामपंचायत द्वारा कालीकाडावू में आऊटडोर स्टेडियम, जिला. कैसरगोड़े	23.8.2004 को कमियां सूचित की गई।
14.	पूनालूर म्युनिसिपलिटी, जिला कोल्लम में इंडोर स्टेडियम	सिद्धांत रूप में 1.12.2004 को 67.50 लाख रु. अनुमोदित किये।
15.	पल्लाकाड़ म्युनिसिपलिटी, जिला पालाघाट में इंडोर स्टेडियम	2.7.2004 को कमियां सूचित की गई।
16.	थ्रिप्परायार, थ्रिशूर में इंडोर स्टेडियम	5.10.2004 को सहायता अनुदान समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।
17.	डायना स्पोर्टस एंड आर्ट्स क्लब मनंथावाड़ी, जिला वायनाड में इंडोर स्टेडियम	5.10.2004 को सहायता अनुदान समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।
18.	कानियाम कुलाम, जिला आलप्पूजा में इंडोर स्टेडियम	8.12.2004 को कमियां सम्प्रषित कर दी गई।
19.	परमाडोम ग्राम पंचायत, जिला पथनामथिट्टा में इंडोर स्टेडियम	1.12.2004 को कमियां सम्प्रेषित कर दी गई।
20.	कोचीकोड में करनथूर में वालीवाल इंडोर कोर्ट तथा प्लयेर्स हॉस्टल	जांच की जा रही है।
21.	कालेपेट्टा म्युनिसिपलिटी, वायनाड में इंडोर स्टेडियम	जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार पुनः खोलना

756. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुपर बाजारों को पुनः खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सुपर बाजार के पास परिसम्पत्तियां है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, नहीं। सुपर बाजार के परिसमापन का निर्णय सभी विकल्पों पर विचार करने और उनमें से किसी को भी व्यावहारिक नहीं पाने के पश्चात लिया गया था। संगठन के परिसमापन का आदेश सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा 5 जुलाई, 2002 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के तहत अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पारित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19.12.2003 के अपने आदेश द्वारा परिसमापन आदेश को चुनौती देने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष इजाजत याचिका दायर की गई है जहां यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) सरकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार परिसंपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

सुपर बाजार के कब्जे में 58 दुकानें, तीन भूखण्ड और पालम स्थित क्षेत्रीय वितरण केंद्र (ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त) है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो इससे संबंधित प्राधिकरण है, ने इस संबंध में कोई पट्टा विलेख (लीज डीड) उपलब्ध नहीं कराया है। सुपर बाजार के पास कुछ फिक्सचर, फर्नीचर और मशीनरी/उपस्कर है जो पुराने और क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उन्हें भी सोसायटी की परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

धान की एक सदृश्य विनिर्दिष्टताएं

757. **श्री बृजकिशोर त्रिपाठी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में 2004-05 के आगामी विपणन सत्र के लिए धान की एक समान विनिर्दिष्टताओं में छूट हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा बार-बार अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र है जिससे सामान्य तौर पर फसल की गुणवत्ता विशेषत: धान की फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी हां। खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के लिए धान की एक समान विनिर्दिष्टताओं में छूट के लिए जन प्रतिनिधियों नामत: श्री सुरेन्द्र लाथ, संसद सदस्य, राज्य सभा, श्री मनमोहन समाल, राजस्व, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, उड़ीसा सरकार और श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही, भूतपूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) और भूतपूर्व मंत्री (उड़ीसा), अध्यक्ष, उड़ीसा कोयला मजदूर संघ (आई.एन.टी.यू.सी.) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभ्यावेदनों में इस बात का उल्लेख है कि उड़ीसा लगातार अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाग्रस्त रहा है जिससे सामान्य फसल गुणवत्ता विशेषकर धान की फसल गुणवत्ता प्रभावित होती है जो राज्य का मुख्य भोजन है। उत्पादक गरीब और सीमान्त हैं जिसके कारण वे फसल विफलता के कारण आये आर्थिक झटके को नहीं झेल सकते। राज्य सरकार से छूट के संबंध में अनुरोध भी प्राप्त हुआ था।

(ङ) किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिए और उन्हें धान की मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के लिए धान की एक समान विनिर्दिष्टताओं में छूट की मंजूरी दी है जिसमें उड़ीसा राज्य में दिनांक 17 नवम्बर, 2004 की मूल्य कटौती शामिल है जो निम्नानुसार है:

(1) क्षतिग्रस्त, रंगहीन अंकुरित और घुन लगे दानों के संबंध में अधिकतम सीमा एक समान विनिर्दिष्टताओं के तहत दिए गए 3% के मुकाबले 5% की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है।

(2) कच्चे, पक्के और मुरझाए हुए दानों के संबंध में अधिकतम सीमा एक समान विनिर्दिष्टताओं के तहत दिए गये 3% के मुकाबले 5% की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है।

सरदार सरोवर परियोजना

758. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी संशोधित लागत कितनी है और इसे पूरा करने की समय सारणी क्या है तथा इस पर अभी तक कितना समय लगा और कितना खर्च आया;

(घ) क्या इस परियोजना में असामान्य रूप से समय तथा लागत वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सहभागी राज्यों को कब तक जल उपलब्ध होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। नर्मदा बचाओं आन्दोलन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायलय में दायर याचिका के कारण सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में विलंब हुआ।

(ग) सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जून, 2004 में 110.64 मीटर ऊंचाई स्तर (ई एल) तक बढ़ाई गई है। इस परियोजना पर सितम्बर 2004 तक कुल 17,879,88 करोड़ रुपए व्यय हो चुके है। वर्ष 2000-01 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 28487.50 करोड़ रुपए है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई वर्तमान कार्य योजना के अनुसार सरदार सरोवर बांध को जून, 2005 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। गुजरात राज्य में नहर को 2006-07 तक और राजस्थान राज्य में 2009-10 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के समय और लागत में हुई वृद्धि मुख्यत: अदालती मुंकदमें तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए उदार पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास पैकेज के कारण हुई।

(च) चूंकि बांध को न्यूनतम 110.64 मीटर ई एल के अपकर्ष स्तर तक ऊंचा उठाया गया है अत: नहर शीर्ष बिजली घर में जल विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया है और इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बांटा जाता है। गुजरात सरकार ने आंशिक रूप से सिंचाई लाभ प्राप्त करना और पेय जल संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अर्जित लाभ

759. **श्री सीता राम सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष भारी मुनाफा कमाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक कुल कितना लाभ कमाया गया;

(ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आय का स्रोत क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निधि से वर्ष-वार और मदवार खेलकूद सुविधाओं पर कितनी राशि खर्च की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी हां।

(ख) से (घ) खेल सुविधाओं के लिए कुल लाभ, आय के स्रोत और खर्च की गई राशि के ब्यौरे, जैसाकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) द्वारा सूचित किया गया, निम्नानुसार दिया गया हैं:

(1) कुल लाभ (लाखों में)

2001-2002 - 3350.83 रुपये

2002-2003 - 1343.07 रुपये

2003-2004 - 1593.04 रुपये

(2) टेलीविजन अधिकार, प्रतीक चिह्न (Logo) और प्रायोजक धन आदि के अनुदान से आय सहित आय के स्रोत।

(3) गत तीन वर्षों के दौरान, मद-वार क्रिकेट खेल सुविधाओं के लिए बी.सी.सी.आई. द्वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए है:

(लाख रुपयों में)

विवरण	2001-02	2002-2003	2003-2004
संबद्ध एककों में क्रिकेट विकास	3220.00	3234.00	3220.00
संबद्ध एककों जैसे स्टेडियम, जिम आदि में अवस्थापना विकास	372.72	1028.62	510.35
राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी	168.38	139.37	214.42
क्षेत्रीय क्रिकेट अकादमियां	94.03	77.92	71.74
कुल	3855.13	4479.91	4016.51

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद मैदानों के विकास हेतु निधि

760. **श्री शिवराज सिंह चौहानः क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में खेलकूद मैदानों के विकास के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक खेलकूद स्टेडियमों पर खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यालयों/महाविद्यालयों में खेलकूद मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(घ) राज्यों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उन विद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जहां खेलकूद मैदान सुविधा उपलब्ध नहीं है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल मैदानों के विकास तथा खेल उपस्कर की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत 2004-05 के लिए 4.95 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। उपर्युक्त योजना जनजातीय क्षेत्रों को भी कवर करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 तक) तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 (30.11.2004 की तारीख तक) के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत स्टेडियमों सहित खेल सुविधाओं के सृजन हेतु जारी की गई अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) "खेल" राज्य सूची का विषय है और यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्कूलों/कालेजों में खेल मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। तथापि, केन्द्र सरकार खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुसार सहायता उपलब्ध करा कर इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है बशर्ते राज्य सरकारों/संस्थाओं आदि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(घ) चूंकि "खेल" राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा मंत्रालय में इस प्रकार के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता।

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005 (30.11.2004 की तारीख तक)	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.00	2	13.74	1	484.527	14	41.25	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.85	4	156.44	6	191.00	5	0	0
3.	असम	50.00	2	73.50	3	17	2	130.08	5
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	3.89	2	0.00	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	37.00	2	1.20	1	40.17	2	78.725	6
8.	हिमाचल प्रदेश	45.05	6	6.61	3	100.213	8	76.88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू व कश्मीर	0.409	1	5.02	5	26.823	18	0	0
10.	कर्नाटक	31.45	4	82.20	14	58.7	8	68.75	7
11.	केरल	1.66	1	0.124	1	13.018	4	1.50	1
12.	मध्य प्रदेश	58.83	5	62.40	4	152.27	13	55.00	3
13.	महाराष्ट्र	100.00	4	165.00	7	238.437	13	135.50	5
14.	मणिपुर	33.04	3	62.50	5	0	0	3.00	1
15.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	100.11	5	109.43	2
16.	मिजोरम	0.00	0	57.75	11	136.323	21	30.00	1
17.	नागालैण्ड	107.62	29	194.0	8	962.463	21	105.98	11
18.	उड़ीसा	0.00	0	15.50	2	0.05	1	0	0
19.	पंजाब	162.52	11	10.00	1	45.00	1	0	0
20.	राजस्थान	0.04	1	10.71	2	25.00	2	8.725	1
21.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	79.05	5	97.01	8	170.369	22	45.08	7
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	32.58	2	16.29	1	46.94	3	37.33	3
25.	पश्चिम बंगाल	10.00	1	28.00	2	20.07	15	2.70	2
26.	दिल्ली	2.52	1	0.00	0	0	0	0	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	78.50	4	0	0
28.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	30.00	1
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	47.00	3
संघ शासित क्षेत्र									
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
2.	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
3.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
4.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
5.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
6.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	872.509	86	1057.995	85	2906.983	182	1006.93	66

[अनुवाद]

कृषि के लिए प्रयुक्त खतरनाक व विषाक्त अपशिष्ट

761. **श्री बी. विनोद कुमारः** क्या **कृषि मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न फसलों की खेती के लिए खरतनाक और नगरपालिका ठोस विषाक्त अपशिष्ट से प्राप्त खाद का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के खाद से तैयार हो रही फसलों के परिणामतः मानव जीवन, भूमि की उर्वरता और पैदावार पर क्या असर पड़ेगा; और

(घ) ऐसी खाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संभाल) नियमावली, 2000 के अधीन कम्पोस्ट (खाद) तैयार करने के लिए नगरपालिका खतरनाक और विषाक्त अपशिष्ट वाले ठोस अपशिष्ट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अंतर्देशीय मत्स्यन और जलचर पालन का विकास

762. **श्री अनन्त नायकः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय मत्स्यन और जलचर पालन के विकास हेतु किन राज्यों में सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य की अंतर्देशीय मत्स्यन और जलचर पालन की क्षमता का समुचित दोहन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अंतर्देशीय मत्स्यन के विकास हेतु ऐसे राज्यों विशेषतः उड़ीसा की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना सभी राज्यों एवं पांडिचेरी तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राज्यों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि की क्षमता का समुचित दोहन कराना एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्यक्रम है इस कार्य को उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उड़ीसा सहित संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि विकास संबंधी कार्यक्रम के जरिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त जल क्षेत्र को मछली/झींगा पालन के अंतर्गत लाया जा रहा है। सरकार देश में अंतर्देशी मात्स्यिकी के संवर्धन का प्रयास कर रही है। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास है (1) सम्पूर्ण देश में मछली/झींगा पालन को संगठित करने के उद्देश्य से 429 मत्स्य किसान विकास एजेंसियां (एफ एफ डी ए) और 39 खारा जल मछुआरा विकास एजेंसियां (बी एफ डी ए) स्थापित करना; (2) मछुआरों को और अधिक वित्तीय, तकनीकी एवं विस्तार सहयोग प्रदान करना; (3) मछुआरों को मछली/झींगा पालन में बेहतर प्रणालियों का प्रशिक्षण और पैकेज प्रदान करना; और (4) नए जलवायु क्षेत्रों में एवं आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद मछली प्रजातियों को और विविधीकरण प्रदान करना।

विवरण

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए राज्यवार जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	28.00	33.00

1	2	3	4	5
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	56.10	0.00	0.00
5.	गोवा	2.50	0.00	15.00
6.	गुजरात	28.46	8.26	0.00
7.	हरियाणा	147.33	103.29	99.20
8.	हिमाचल प्रदेश	105.00	25.00	14.46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	112.50	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	24.09	40.00	47.46
11.	केरल	45.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	19.97	0.00	50.00
13.	महाराष्ट्र	12.18	20.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	45.00	0.00	50.00
16.	मिजोरम	35.00	63.00	0.00
17.	नागालैंड	109.95	90.00	90.00
18.	उड़ीसा	35.89	211.71	57.51
19.	पंजाब	0.00	60.00	0.00
20.	राजस्थान	17.26	0.00	0.00
21.	सिक्किम	103.64	6.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	25.42	0.00
23.	त्रिपुरा	71.68	40.59	25.89
24.	उत्तर प्रदेश	419.02	0.00	230.00
25.	पश्चिम बंगाल	436.63	371.63	150.56
26.	पांडिचेरी	0.00	3.64	0.00

1	2	3	4	5
27.	छत्तीसगढ़	21.48	15.17	91.28
28.	उत्तरांचल	100.00	0.00	0.00
29.	झारखंड	51.97	0.00	51.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
	कुल	2035.65	1111.71	1005.36

पर्यटन परियोजनाओं हेतु राज्यों को सहायता

763. **श्री विजय कृष्णः**
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन के प्रोत्साहन तथा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उन्हें सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए है। तथापि, समय-समय पर राज्य सरकारों को पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं को बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है।

राष्ट्रीय पुनर्संरचना कोर की मूल्यांकन रिपोर्ट

764. **श्री थावरचन्द गेहलोतः** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पुनर्संरचना कोर (एन आर सी) की अब तक की मूल्यांकन रिपोर्ट क्या रही है;

(ख) एन आर सी में नामांकित स्वयंसेवकों की संख्या कितनी है;

(ग) स्वयं सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन आर सी पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना को प्रयोग के आधार पर 2001-02 से दो वर्षों के लिए आरंभ किया गया था। इसका आगे जारी रहना योजना के मूल्यांकन के परिणाम पर आधारित था। तद्नुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा चुने गए पांच गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया। मूल्यांकन ने योजना में कुछ संशोधन/सुझाव दिए है। अभी तक इस वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत किसी भी स्वयंसेवक को नामांकित नहीं किया गया है।

(ग) स्वयंसेवकों का चयन एक समिति जिसके अध्यक्ष संबंधित आंचलिक निदेशक (ने.यु.के.सं.) थे और परियोजना अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में और एक-एक प्रतिनिधि गैर-सरकारी संगठन और संबंधित जिला न्यायाधीश/कलक्टर प्रत्येक से थे, द्वारा किया गया था। समिति में एक युवा/सामाजिक कार्य में विशेषज्ञ भी शामिल है जिसे महानिदेशक (ने.यु.के.सं.) द्वारा नामांकित किया गया था।

(घ) शून्य।

जिला खेलकूद कोचिंग केन्द्रों से प्रशिक्षकों को हटाना

765. **श्री सुरेश कुरूपः** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश के जिला खेलकूद कोचिंग केन्द्रों से अपने प्रशिक्षक हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से खेलकूद में केरल के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य से प्रशिक्षकों को नहीं हटाए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) कर्मचारी निरीक्षण एकक, वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय खेल प्राधिकरण चरणबद्ध ढंग से जिला प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षकों को वापस बुला रहा है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत जहां तक संभव है उसी राज्य में प्रशिक्षकों का अनुकूलतम उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि केरल राज्य में तैनात किए गए प्रशिक्षकों का उपयोग भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकतानुसार केरल राज्य में ही किया जाएगा।

पलानी में यूथ हॉस्टल का निर्माण

766. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु स्थित पलानी में सस्ती दरों पर यूथ हॉस्टलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर यूथ हॉस्टल के निर्माण पर विचार किया जाता है। तमिलनाडु सरकार से आज की तारीख तक पलानी में यूथ हॉस्टल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गन्ने की खेती के लिए भूमि पट्टे पर लेना

767. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने गन्ने की खेती और अन्य कार्यों के लिए महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं को कई हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सहकारी संस्थाओं के नाम और पंजीकरण संख्या क्या है और उन्हें कितनी अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन क्षेत्र में राशि आवंटन

768. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान राशि आवंटन को बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें से अभी तक कितनी राशि जारी की गई है और इसका वर्षवार तथा राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं तथा अवमुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) जी, हां। योजना आयोग ने 10वीं योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के लिए 2900 करोड़ रुपए का कुल आवंटन करने का संकेत दिया है।

(घ) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा अवमुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II, III तथा IV में दिया गया है।

विवरण I

नौवीं योजना (31.3.2004 को) के दौरान राज्यवार पर्यटन परियोजनाओं एवं अवमुक्त की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	53	1170.35	1043.02
2.	असम	62	1840.03	837.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	1084.60	634.37
4.	बिहार	44	912.68	415.19
5.	छत्तीसगढ़	77	155.28	60.75
6.	गोवा	52	936.45	482.80
7.	गुजरात	64	1653.75	762.98
8.	हरियाणा	39	933.85	694.43
9.	हिमाचल प्रदेश	63	1680.22	1176.55
10.	जम्मू एवं कश्मीर	47	1338.06	1002.56
11.	झारखंड	8	286.49	212.81
12.	कर्नाटक	87	2163.02	1637.99
13.	केरल	66	3124.66	2075.25
14.	मध्य प्रदेश	68	1580.41	879.91
15.	महाराष्ट्र	80	3098.52	2209.64
16.	मणिपुर	40	1338.36	402.77
17.	मेघालय	26	492.36	173.61
18.	मिजोरम	47	1027.46	921.81
19.	नागालैण्ड	42	824.01	684.17
20.	उड़ीसा	62	1236.07	789.51
21.	पंजाब	30	690.16	381.57
22.	राजस्थान	72	1164.79	734.45
23.	सिक्किम	77	852.43	687.97

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	75	1579.39	913.72
25.	त्रिपुरा	41	1084.28	866.51
26.	उत्तरांचल	10	135.70	83.04
27.	उत्तर प्रदेश	104	2231.91	1381.96
28.	पश्चिम बंगाल	63	1186.24	743.87
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	7	256.65	139.07
30.	चण्डीगढ़	14	150.86	143.99
31.	दादर एवं नगर हवेली	6	66.90	21.85
32.	दिल्ली	32	550.95	404.08
33.	दमन एवं दीव	5	65.17	18.75
34.	लक्षद्वीप	3	51.00	21.40
35.	पांडिचेरी	22	319.33	188.63
	जोड़	1563	37262.39	23828.76

विवरण II

वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	507.50	195.00
2.	असम	9	768.13	618.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50
4.	बिहार	8	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50
6.	गोवा	1	0.50	0.50
7.	गुजरात	2	197.12	59.13
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3	94.38	89.47
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49
13.	केरल	11	861	2075.25
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62
17.	मेघालय	3	70.35	21.20
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46
19.	नागालैण्ड	5	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75
21.	पंजाब	3	23.00	14.60
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	3	7.75	6.63
31.	दादर एवं नगर हवेली	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30
	जोड़	212	11121.10	8680.93

विवरण III

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	946.50	896.44
2.	असम	3	313.46	313.06
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1044.60	700.00
4.	बिहार	6	1019.42	913.89
5.	छत्तीसगढ़	6	1005.00	364.00
6.	गोवा	2	36.76	34.76
7.	गुजरात	8	920.51	815.81
8.	हरियाणा	16	1215.38	879.23
9.	हिमाचल प्रदेश	4	182.32	85.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5	895.00	895.00
11.	झारखंड	2	1109.00	774.60
12.	कर्नाटक	14	932.66	792.151
13.	केरल	6	608.50	564.15
14.	मध्य प्रदेश	10	621.90	394.51
15.	महाराष्ट्र	10	931.83	914.58
16.	मणिपुर	1	82.44	24.73
17.	मेघालय	2	40.22	24.92
18.	मिजोरम	5	567.70	186.75
19.	नागालैण्ड	4	711.00	220.80
20.	उड़ीसा	5	419.55	138.50
21.	पंजाब	2	96.00	12.30
22.	राजस्थान	14	1644.81	1414.25
23.	सिक्किम	8	1151.09	681.49

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	14	1339.82	850.53
25.	त्रिपुरा	6	450.17	135.16
26.	उत्तरांचल	4	230.44	203.94
27.	उत्तर प्रदेश	7	1115.80	916.26
28.	पश्चिम बंगाल	10	717.44	384.34
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	2	10.00	8.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
32.	दिल्ली	17	3316.28	3222.13
33.	दमन एवं दीव	1	265.07	238.56
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	245.17	73.55
	जोड़	207	24185.84	18073.76

विवरण IV

वर्ष 2004-05 (22.11.2004 को) के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं एवं अवमुक्त की गई राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	984.00	787.60
2.	असम	1	437.75	350.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	574.40	459.32
4.	बिहार	2	797.20	593.13
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—
7.	गुजरात	—	—	—
8.	हरियाणा	2	120.20	46.35

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	1	500.00	400.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—
12.	कर्नाटक	2	30.00	19.50
13.	केरल	1	50.00	40.00
14.	मध्य प्रदेश	2	723.67	334.00
15.	महाराष्ट्र	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—
19.	नागालैण्ड	5	28.81	17.53
20.	उड़ीसा	2	505.81	378.91
21.	पंजाब	—	—	—
22.	राजस्थान	1	30.00	4.50
23.	सिक्किम	—	—	—
24.	तमिलनाडु	2	20.92	17.92
25.	त्रिपुरा	—	—	—
26.	उत्तरांचल	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	2	246.92	156.28
28.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	—	—	—
31.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—

1	2	3	4	5
32.	दिल्ली	—	—	—
33.	दमन एवं दीव	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पांडिचेरी	2	451	360.00
	जोड़	31	5500.68	3965.04

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिलें

769. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की उन सहकारी मिलों का ब्यौरा क्या है जिनके कर्मचारियों को अभी उनकी मजदूरी दी जानी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

वनों के विकास हेतु नाबार्ड द्वारा सहायता देना

770. श्री अजीत जोगी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा छत्तीसगढ़ में वनों के विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या वनों के संरक्षण हेतु धनराशि का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य ने अभी तक कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वनों के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 2700 हेक्टेयर निजी बंजर भूमि पर एक फार्म वानिकी परियोजना को स्वीकृति दी गई है जिसमें 511.14 लाख रुपए का बैंक लोन सम्मिलित है जो 100% पुनर्वित पर आधारित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैलेसिस ऑन सी

771. श्री चंद्रशेखर साहु: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'पैलेसिस ऑन सी' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये जलपोत समुद्र तट के पास किन क्षेत्रों में गश्त लगाएंगे; और

(घ) इससे तटीय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी नदी के पानी की बर्बादी

772. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोदावरी नदी का काफी पानी बहकर समुद्र में चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गोदावरी नदी के पानी का उपयोग करने और सिंचाई के प्रयोजन से बेसिन क्षेत्रों में पानी को मोड़ने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अपने अध्ययनों के एक भाग के रूप में किए गए जल संतुलन अध्ययनों के अनुसार गोदावरी बेसिन में 15020 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) का अधिशेष जल अन्य बेसिनों की ओर व्यपवर्तित किए जाने के लिए उपलबध है। मार्गस्थ क्षेत्रों में सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्तियों के अतिरिक्त जल की कमी वाले कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और निचले दक्षिणी बेसिनों को लाभ पहुंचाने के लिए महानदी और गोदावरी प्रणाली के अधिशेष जल को उपयोग में लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-गुंडार संपर्क प्रणाली का प्रस्ताव किया है। इस संपर्क प्रणाली में 9 घटक संपर्क है जिनमें से 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई है।

पश्चिम बंगाल में मछली सुखाने संबंधी कार्यकलाप

773. श्री बसुदेव आचार्य: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आदेश जारी करके 10,000 मछुआरों पर पश्चिम बंगाल के जम्बूद्वीप में मछली सुखाने का काम करने पर पाबंदी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार जम्बूद्वीप पर 100 हेक्टेयर भूमि को मछली सुखाने के काम हेतु विनियमित करने को कहा है और यह भी प्रस्ताव किया है कि क्षतिपूर्तीय वनारोपण के लिए समान राशि की भूमि और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) संघ सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है जिसमें जम्बूद्वीप द्वीपसमूह के मछुआरों के मछली सुखाने के कार्य पर प्रतिबंध लगाया हो। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.8.2003 के आदेश में निर्देश दिया है कि अगले आदेश होने तक कोई भी ट्रालर अथवा यांत्रिकृत नावें जम्बूद्वीप द्वीपसमूह के निकट के जल में प्रवेश नहीं करेंगी। इन आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा मछली सुखाने के कार्यों की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार जम्बूद्वीप द्वीपसमूह में मछली पकड़ने और सम्बद्ध कार्यों के लिए 100 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि के वनेतर प्रयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में माल्टा नदी के किनारे 92.25 लाख रुपये की लागत से 100 हैक्टेयर नई प्रत्यायित भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव किया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मंत्रालय में वन सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने इच्छा जाहिर की कि प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाए। राज्य सरकार मछली सुखाने के कार्यों के लिए जांच किए गए विभिन्न विकल्पों और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के ब्यौरे प्रस्तुत करे। गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से भी अनुमति प्राप्त की जाए। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य विकल्पों के ब्यौरे प्राप्त हो गए है। गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट/अनुमति शीघ्र भेजने के लिए पुनः कहा गया है।

महिला सहकारी संस्थाओं हेतु सहायता

774. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना के अंतर्गत महिला सरकारी संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी/सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इन संस्थाओं हेतु कोई राशि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित वृहद् कृषि प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2004-05 के लिए महिला सहकारी समितियों को उनकी कार्य योजनाओं के माध्यम से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित वृहद् कृषि प्रबंधन स्कीम के लिए निधियां एकमुश्त निर्मुक्त की जाती है न कि केवल महिला सहकारिताओं के लिए।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	महिला सहकारी समितियों के लिए किया गया प्रावधान
1.	छत्तीसगढ़	20.00
2.	हरियाणा	0.50
3.	कर्नाटक	15.48
4.	केरल	5.00
5.	मिजोरम	25.00
6.	महाराष्ट्र	10.00
7.	मणिपुर	15.00
8.	मध्य प्रदेश	60.00
9.	नागालैण्ड	10.00
10.	उड़ीसा	10.00
11.	पंजाब	42.49
12.	सिक्किम	2.00
13.	त्रिपुरा	6.00
14.	उत्तरांचल	4.00

कावेरी नदी का पानी निकालने हेतु पाइपलाइन बिछाना

775. श्री एम. शिवन्ना: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से मलाई महादेश्वरा मंदिर क्षेत्र में विशेषकर मासिक कार उत्सव के दिनों में पेयजल की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी का पानी निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कोलेगल तालुका, जिला चमराज नगर की एम एम पहाड़ियों में श्री मलाई महादेश्वरा मंदिर को कावेरी नदी से जल आपूर्ति के लिए इनटेक वैल, जैक वैल, इन्टरमीडियट पम्पिंग स्टेशन के निर्माण और पाइप लाइन बिछाने के लिए 0.65 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए 9.7.2003 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का कुछ क्षेत्र शामिल था।

(ग) वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 337 में दिनांक 9.5.2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार के गैर-वानिकी कार्यों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति और उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। संबंधित मामले में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्र शामिल था इसलिए राज्य सरकारों के लिए वानिकी मंजूरी लेने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को वापिस लौटा दिया गया था।

[हिन्दी]

झारखण्ड में बीड़ी कामगारों को सुविधाएं

776. श्री फुरकान अंसारी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड राज्य के बीड़ी कामगार आवास, स्वास्थ्य और बीमा आदि की सुविधाओं से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा झारखण्ड के बीड़ी कामगारों को उक्त सुविधाएं कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त सुविधाओं हेतु कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, आवास, समूह बीमा तथा उनके स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति लाभ देने संबंधी बजट प्रावधान क्षेत्रवार किए जाते है। इन क्रियाकलानों पर वर्ष 2003-04 में झारखंड राज्य में 1.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए है जो बिहार राज्य के साथ-साथ कर्मा क्षेत्र में आता है। वर्ष 2003-04 में किए गए खर्च का क्षेत्रवार ब्यौरा और 2004-05 के लिए बजट अनुमान संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

2003-04 के लिए क्षेत्रवार वास्तविक व्यय और बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत 2004-05 के लिए बजट आकलन

(हजार रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	वास्तविक व्यय 2003-04	बजट अनुमान 2004-05
1.	अजमेर	गुजरात राजस्थान हरियाणा	26528	33082
2.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू और कश्मीर उत्तरांचल	32355	40486
3.	बंगलूर	कर्नाटक केरल	146790	171741
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	69322	84076
5.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश तमिलनाडु	221293	268818
6.	जबलपुर	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	86426	94809
7.	कर्मा	बिहार झारखंड	38411	48596
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल त्रिपुरा असम मेघालय	78716	107676
9.	नागपुर	महाराष्ट्र गोवा	108672	129482

[अनुवाद]

अगले ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन हेतु कार्यक्रम

777. श्री हितेन बर्मन:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री रनेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004 के ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2008 में चीन में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन हेतु बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह नियम लागू किया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 8 वर्षों से अधिक समय तक किसी राष्ट्रीय खेल संघ में पद पर नहीं रह सकता है और उक्त नियम का उल्लंघन करने के मामले में सरकार द्वारा वित्तीय और अन्य सहायता रोक दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओलम्पिक खेलों सहित मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है। ओलम्पिक खेलों में प्रतिभागिता के लिए एथलीटों और टीमों को चरणबद्ध तरीके से चयन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दीर्घावधि विकास कार्यक्रम (एल.टी.डी.पी.) तैयार किये गये है ताकि एक चार वर्षीय (एशियाई खेल से एशियाई खेल तक) सतत योजना पर कार्रवाई की जा सके जिसके अन्तर्गत प्रमुख खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जा सके और वैज्ञानिक रूप से निरन्तर तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

खिलाड़ियों, जिन्हें राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल 2006 में अपनी संबंधित खेल विधाओं में उत्कृष्टता हासिल करने की संभावना है और उन्हें ओलम्पिक खेल 2008 में सहभागिता के लिए तैयारी करनी है, के लिए भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के अन्तर्गत वैज्ञानिक निवेश के साथ विशेष प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रयास किये जा रहे है।

(घ) और (ङ) "खेल" "राज्यसूची" के अन्तर्गत आता है। भारत सरकार इस संबंध में कानून बनाने में सक्षम नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघ को 1975 में दिशा-निर्देश जारी किये थे जिसमें यह बताया गया था कि कोई पदाधिकारी दो बार अथवा आठ वर्षों से अधिक लगातार पद पर नहीं बना रहेगा। भारत सरकार की वित्तीय और अन्य सहायता उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के अधीन है। खिलाड़ियों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत यह शर्त अब तक लागू नहीं की गई है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू करना

778. श्री किरिप चालिहा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में तेंदुए सूचीबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिनियम को ईमानदारी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) जी, हां।

(ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधान भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रवर्तन अभिकरणों की सहायता जरूरत पड़ने पर अधिनियम के उपयुक्त रूप से कियान्वयन के लिए ली जाती है।

डोपिंग टेस्ट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला स्थापित करना

779. श्री मोहन रावले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'डोपिंग' के मामलों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में डोप नियंत्रण केन्द्र (डी.सी.सी.) स्थापित किया गया है। स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) को आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। दिल्ली नियंत्रण केन्द्र ने आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणन साथ ही आई.एस.ओ. 17025:1999 प्रमाणन पहले ही प्राप्त कर लिया है।

डॉल्फिनों का शिकार

780. **श्री जुएल ओराम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में डॉल्फिनों के शिकार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में राज्यवार ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसे अवैध शिकार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) डाल्फिन की संख्या में, उनके अवैध शिकार, पर्यावास बर्बाद होने से डॉल्फिन द्वारा खाई जाने वाली मछलियों का अति शोषण, नदियों में सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए विपथन के कारण पानी की अनुपलब्धता के कारण निरंतर गिरावट आती जा रही है।

(ख) पशुओं के अवैध शिकार की सूचना राज्य सरकारों के स्तर पर एकत्र की जाती है। पिछले चार वर्षों में डॉल्फिन के अवैध शिकार की कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) डॉल्फिनों के संवर्धन, सुरक्षा व परिरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है:

- वन्यजीव (सुरक्षा), अधिनियम, 1972 की अनुसची-1 में रिवर डॉल्फिन को शामिल करके उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। डॉल्फिन का शिकार व उससे बने हुए उत्पादों का व्यापार प्रतिबंधित है।
- भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति, वन्य पशुओं की सभी प्रजातियों और उनके उत्पादों के निर्यात को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है।
- डॉल्फिन का व्यापार वनस्पति जात और प्राणि जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन (सी आई टी ई एस) द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ता है।
- राज्य सरकारों ने डॉल्फिन के पर्यावासों को राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया है। भारत सरकार ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय (स्टाफ के वेतन के अलावा) दोनों के लिए 100% निधियां प्रदान करती है।

एन.डी.डी.बी. द्वारा नेचारोत्तर आरोग्य मंडल कर्मसाद (सी. ए. एम. के.) के लिए ठेका लिया जाना

781. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन. डी. डी. बी.) ने नेचारोत्तर आरोग्य मंडल कर्मसाद (सी. ए. एम. के.) के लिए ठेका लिया है;

(ख) इस ठेके की कीमत और सेवा प्रभार कितना है;

(ग) क्या एन.डी.डी.बी. ने सी. ए. एम. के. के अधिकारियों और आगंतुकों को अपने संसाधनों जैसे—वाहन, जनशक्ति, भवन और अतिथिशाला आदि सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:

परियोजना का नाम	कार्यान्वयन की अवधि	मूल्य (लाख रुपए में)	सेवा प्रभार (रुपए में)
गहन हृदय देखभाल यूनिट तथा गहन देखभाल यूनिट का आधुनिकीकरण	1998-99	100	शून्य
विकीर्ण थेरेपी यूनिट	2002-03	130	50,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

782. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री इलियास आजमी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): वर्ष 2000, 2001, 2002 तथा जनवरी से जून 2003 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष के दौरान पंजीकृत अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या				वर्ष के दौरान पंजीकृत अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या			
		2000	2001	2002	2003 (जनवरी-जून)	2000	2001	2002	2003 (जनवरी-जून)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	59.6	56.9	51.9	22.3	29.3	18.0	16.8	8.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	@	0.1	0.1	@	3.9	4.3	2.0	1.2
3.	असम	8.4	9.9	9.4	3.6	16.0	22.6	19.6	6.5
4.	बिहार	44.6	39.6	12.7	7.2	21.4	4.4	1.1	0.7
5.	छत्तीसगढ़	**	15.2	12.7	8.5	**	25.2	24.0	12.5
6.	दिल्ली	25.5	25.9	15.9	6.5	4.4	2.7	1.1	0.7
7.	गोवा	0.4	0.4	0.3	0.1	—	—	—	@
8.	गुजरात	35.0	29.9	25.8	15.6	30.9	28.7	21.3	10.5
9.	हरियाणा	34.4	26.8	20.7	6.2	0.5	0.2	0.1	—
10.	हिमाचल प्रदेश	18.2	15.7	22.0	8.8	2.3	3.3	3.8	1.9
11.	जम्मू व कश्मीर	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2
12.	झारखंड	£	12.4	9.7	3.3	£	24.9	10.1	7.7
13.	कर्नाटक	47.2	46.5	32.3	11.5	12.4	13.9	9.0	2.6
14.	केरल	40.0	40.1	36.9	18.4	4.3	3.1	3.1	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मध्य प्रदेश	54.0	53.9	67.0	30.6	44.8	31.3	49.8	21.1
16.	महाराष्ट्र	96.8	94.8	91.5	50.1	22.8	19.6	18.1	10.0
17.	मणिपुर	0.3	0.1	0.1	0.2	3.6	2.4	1.9	6.6
18.	मेघालय	●	●	●	●	9.5	8.4	5.8	4.3
19.	मिजोरम	—	—	—	—	15.3	1.3	1.0	1.8
20.	नागालैण्ड	●	—	●	●	6.1	8.1	8.1	5.3
21.	उड़ीसा	21.1	17.7	18.2	17.5	16.2	12.4	11.0	10.2
22.	पंजाब	26.4	32.5	23.1	10.6	—	—	—	—
23.	राजस्थान	16.1	22.6	21.3	15.6	9.9	14.3	17.2	5.4
24.	सिक्किम*	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	92.4	97.0	91.1	25.0	1.5	1.7	1.1	0.4
26.	त्रिपुरा	3.1	3.6	5.6	1.2	4.1	6.4	5.3	1.1
27.	उत्तरांचल	#	11.1	14.6	2.2	#	3.2	2.7	0.6
28.	उत्तर प्रदेश	67.2	72.8	103.8	38.3	2.2	1.5	0.9	0.6
29.	पश्चिम बंगाल	25.8	32.2	38.6	7.9	5.0	7.5	5.6	1.6
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	चण्डीगढ़	1.9	2.0	0.8	0.8	●	0.1	0.1	●
32.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	दमन व दीव	●	●	0.2	—	●	●	0.1	●
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	0.2	0.8	0.6	—	—	●	●
	कुल	718.9	759.8	727.7	313.2	266.8	269.8	240.9	122.4

टिप्पणी:

*इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

**मध्यप्रदेश में सूचना शामिल।

£ बिहार में सूचना शामिल।

उत्तर प्रदेश में सूचना शामिल।

@ पचास से कम

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

सिल्क साड़ियों हेतु मानक

783. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने 'सिल्क साड़ियों' की गुणवत्ता निर्धारित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस: 1583: 1991 नामक मानक तैयार किया हैं। हथकरघा, सिल्क धोतियां और छापे वाली साड़ियां-विनिर्दिष्टियां (प्रथम संशोधन)।

(ख) यह मानक हथकरघे से बुनी सिल्क धोतियों और छापे वाली साड़ियों की दस किस्मों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करता हैं-

(1) सन्निर्माण संबंधी विवरण यथा-सूतों की गणना, ताना-बाना/डेसी मीटर, मास(mass), ब्रेकिंग लोड, बुनाई, लंबाई, चौड़ाई।

(2) निष्पादन संबंधी अन्य अपेक्षाएं यथा-विमितीय परिवर्तन (डाइमेंशनल चेंज), स्काउरिंग लॉस, रंग का पक्कापन।

यह मानक उत्पादों के निरीक्षण, चिह्नांकन, पैकिंग और सैम्पलिंग संबंधी ब्यौरों को भी विनिर्दिष्ट करता हैं।

हरित उपकर

784. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की 33 प्रतिशत भूमि को हरा-भरा बनाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए ''हरित उपकर'' लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस मुद्दे पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) बढ़ाए गए वन आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनेक प्रशासनिक और वित्तीय उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विषय पर विभिन्न राज्य सरकारों से विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई हैं। उन्होंने अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

खेलों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान

785. **श्री परसुराम माझी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खेलों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध करा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत, विभिन्न विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय अनुदान दिये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-02 से 2003-04 तक तथा वर्तमान वर्ष 2004-05 में (30.11.2004 तक) विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों और कालेजों को दिए गए अनुदानों का समेकित ब्यौरा विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

विश्वविद्यालयों और कालेजों को खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005 (30.11.2004 तक)	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	55.06	17	58.089	16	87.824	27	73.779	31
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.70	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	1.71	2	3.452	2	26.816	10	38.22255	16
4.	बिहार	7.50	1	0.26	1	20.60	4	0.00	0
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.70	1
6.	गुजरात	2.70	1	8.00	3	18.279	10	27.900	13
7.	हरियाणा	15.49	9	3.02	3	10.313	9	26.625	3
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.167	1	5.85	3	4.719	3
9.	कर्नाटक	99.03	50	50.94	22	39.358	35	138.00338	55
10.	केरल	6.77	6	8.27	5	39.80	18	45.0779	24
11.	मध्य प्रदेश	16.66	6	1.65	3	10.80	4	10.80	5
12.	महाराष्ट्र	189.12	76	186.81	79	197.534	98	230.95018	107
13.	मणिपुर	18.05	4	28.48	2	25.03	3	2.70	1
14.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	10.72	4	0.00	0
15.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.10	3
16.	नागालैण्ड	0.00	0	20.40	3	22.50	11	18.90	9
17.	उड़ीसा	40.04	20	58.98	24	83.60	40	40.40	24
18.	पंजाब	14.01	9	28.48	11	52.689	13	12.56	8
19.	राजस्थान	0.14	1	1.10	1	4.20	2	7.20	3
20.	तमिलनाडु	62.11	29	75.66	17	164.815	27	107.99	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	त्रिपुरा	0.137	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22.	उत्तर प्रदेश	46.01	22	60.24	14	101.564	41	130.056	58
23.	उत्तरांचल	0.00	0	0.00	0	24.60	10	14.10	7
24.	पश्चिम बंगाल	16.69	9	44.09	19	79.865	42	140.38855	60
25.	दिल्ली*	75.05	4	22.50	1	53.50	2	1.00	1
26.	सं.शा.प्र. चंडीगढ़	0.07	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	669.047	269	660.588	227	1080.257	413	1082.17156	450

*अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को जारी किया गया अनुदान।

[हिन्दी]

गन्ना क्षेत्र को मिलों से जोड़ना

786. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि करने हेतु इसे प्रोत्साहन देने और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने संबंधी अपने प्रयासों के दृष्टिगत क्षेत्रीय उत्पादन, वास्तविक पेराई क्षमता और विस्तार योजनाओं के आधार पर गन्ना क्षेत्र अथवा जोन को चीनी मिलों को ध्यान में रखते हुए इनके आकार निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) 14.9.1998 से चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया हैं तथा उद्यमी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार, नई तथा विद्यमान चीनी मिलों के बीच न्यूनतम 15 किलोमीटर की दूरी के मानदंड को बनाए रखते हुए चीनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं।

बछावत और मणिसाना समिति की रिपोर्ट

787. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बछावत और मणिसाना समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को दैनिक/साप्ताहिक/मासिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने बछावत तथा मणिसाना वेतन बोर्डों द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् अधिसूचित किया था। तथापि, कानून के अंतर्गत, राज्य सरकारें इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकारें हैं।

केन्द्रीय सरकार ने पिछले वेतन बोर्डों अर्थात् मणिसाना वेतन बोर्डों की सिफारिशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय स्तर की मॉनीटरिंग समिति भी गठित की हैं।

राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया हैं कि वे:

(1) सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करें।

(2) कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए त्रिपक्षीय मॉनीटरिंग समिति की स्थापना करें।

(3) सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाएं।

(4) सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट इस मंत्रालय में भिजवाएं।

ये सिफारिशें विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशनों की अवधि को ध्यान में रखे बिना श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र एवं समाचार एजेंसी के कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।

बोतलों पर मुद्रित अवयव

788. **श्री मोहन सिंह:**
श्री मुन्शीराम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पेय पदार्थों की बोतलों पर कीटनाशक और रसायनों की उपस्थिति के संबंध में निदेश लिखे जाने से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई कार्यवाही की गई हैं जैसाकि 22 सितम्बर, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार पेय पदार्थों की बोतलों पर उसके तत्वों को स्पष्ट रूप से लिखे जाने को आवश्यक बनाने के लिए कोई कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कानून के कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) पेय पदार्थों पर लेबिल लगाने की अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यक्षेत्र में आती हैं जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता हैं। तथापि, राष्ट्रीय मानक निकाय होने के नाते भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्बोनेटिड पेयों के लिए एक भारतीय मानक आई.एस. : 2346 बनाया हैं जो स्वैच्छिक प्रकार का हैं। यह मानक कार्बोनेटिड पेयों के कन्टेनरों के लिए उत्पाद का नाम, विनिर्माता का नाम और पता, विनिर्माण की तिथि, बैच संख्या, कुल मात्रा और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत आवश्यक कोई अन्य घोषणा जैसी लेबिल लगाने की अपेक्षाओं को निर्धारित करता हैं।

[अनुवाद]

बी.सी.सी.आई. द्वारा धन का कुप्रबंधन

789. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई) प्राधिकरण द्वारा धन के कुप्रबंधन के संबंध में शिकायतों की जानकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के सम्बन्ध में कुछ आरोप जैसे, प्रसारण अधिकार आदि के विक्रय में विसंगतियों को सरकार के ध्यान में लाया गया हैं। यह विषय न्यायाधीन हैं।

चूककर्ता सरकारी उपक्रम

790. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 31 मार्च, 2004 तक कतिपय सरकारी उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) में जमा नहीं कराया हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद चूक करने वाले सरकारी उपक्रमों के राज्यवार क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा ने करने वाले चूककर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं और उनसे कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चूक करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ब्यौरे (क्षेत्रवार) विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) जब कभी किसी चूक का पता चलता हैं तब चूक करने वालों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क, 8 च, 8 ख से 8 छ, 14 (1क), 14ख और 7 थ के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 एवं आपराधिक दंड संहिता की धारा 110 के अधीन कार्रवाई की जाती हैं।

विवरण

चूक करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ब्यौरे

(रु. लाखों में)

क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	25	2224.65	52	4101.74	65	6032.20
बिहार	27	5544.16	32	4410.94	28	3854.63
छत्तीसगढ़	2	1227.03	3	1105.65	2	5.97
दिल्ली	4	55.78	1	35.43	4	1047.59
गुजरात	25	14573.80	24	882.22	24	689.48
गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
हरियाणा	5	5246.87	5	1300.78	5	499.35
हिमाचल प्रदेश	4	22.40	2	18.67	1	2.18
झारखण्ड	9	1831.08	8	1931.34	6	942.02
कर्नाटक	20	1212.05	30	2440.55	25	2202.75
केरल	36	754.59	40	1069.47	50	952.46
मध्य प्रदेश	39	6672.38	46	6379.98	44	5471.82
महाराष्ट्र	46	5400.47	46	5321.24	46	5684.47
उ.पू. क्षेत्र	35	2734.44	35	2539.53	45	2189.21
उड़ीसा	147	2698.07	124	3900.04	201	7231.47
पंजाब	20	576.60	23	691.65	94	1348.11

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	8	1421.85	13	1436.90	11	2981.11
तमिलनाडु	32	978.77	31	1059.81	48	937.62
उत्तरांचल	7	345.27	22	842.40	28	4069.77
उत्तर प्रदेश	54	12419.68	98	7022.18	92	8868.11
प. बंगाल	83	19272.75	68	14213.93	100	14554.34
कुल योग	628	85212.69	703	60704.48	919	69564.66

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची में विसंगतियां

791. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में कुछ विसंगतियों का पता चला हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी तय की गई हैं;

(च) यदि हां, तो जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं/किए जाने का विचार हैं; और

(छ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को इस सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (छ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ग्रामीण गरीबों की पहचान करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना की जाती हैं जिसके लिए विधि संबंधी दिशा-निर्देश और कुछ वित्तीय समर्थन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता हैं। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की सूची में वे परिवार शामिल हैं जिन्हें 1997 की गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना के दौरान सूचीबद्ध किया गया हैं। यह सूची इसको अंतिम रूप दिए जाने के समय से लागू है और इस सूची में सरकार के ध्यान में कोई विसंगति नहीं आई हैं। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे की एक नई जनगणना 2002 करें जिसमें केवल ग्रामीण परिवारों को ही कवर किया जाए। अब तक इस जनगणना के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

केरल में विशेष पर्यटन क्षेत्र

792. **श्री एस. अजय कुमार:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री पी. सी. थामस:
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री पी. के. वासुदेवन नायर:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय में केरल राज्य सरकार से वेली-कोवलम-पूवार क्षेत्र में एक पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित

करने के लिए एक संकल्पना प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। तथापि, ऐसे क्षेत्र स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय में कोई योजना नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में खेल सुविधाओं में सुधार

793. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल खेल परिषद से राज्य में खेल सुविधाओं में सुधार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) मंत्रालय को राज्य में खेल सुविधाओं में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल खेल परिषद से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल की सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन हेतु स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा दी गई थी जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)	परियोजनाओं की संख्या
2001-02	10.00	1
2002-03	28.00	2
2003-04	20.07	15
2004-05 (1.12.2004 की तारीख तक)	2.70	2

परती भूमि को बदलने के लिए बागवानी मिशन

794. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परती भूमि को सब्जी और फलों का उत्पादन करने वाली भूमि बनाने के लिए 45,000 करोड़ रुपये के बागवानी मिशन पर कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस मिशन में निजी क्षेत्र भी भागीदार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) इस उद्देश्य के लिए चयन की गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(च) क्या इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया गया हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस पर कुल कितना धन खर्च किए जाने की संभावना हैं और सरकार को इस मिशन में निजी क्षेत्र से कितना धन मिलने की आशा हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने पर कार्य कर रही हैं जिसका उद्देश्य 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दुगुना करना हैं।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव हैं कि इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने जैसे बीजों और रोपण सामग्री के उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना के सृजन में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाए।

(ङ) क्षेत्र आधारित समूह दृष्टिकोण अपनाकर क्षमतावान बागवानी फसलों का संवर्धन किए जाने का प्रस्ताव हैं जिसके लिए इस मिशन की स्वीकृति के बाद राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।

(च) और (छ) राज्य सरकारों, किसान समूहों और उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक परामर्श किए गए हैं और उनके विचारों को मिशन कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में ध्यान में रखा जाता हैं।

(ज) इस मिशन के अंतर्गत व्यय के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का क्रियान्वयन

795. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 9 सितम्बर, 2004 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मलेन में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण कार्यक्रमों और इनकी निगरानी करने संबंधी तंत्र की स्थापना के लिए सरकारी-निजी भागीदारी का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को विशेषकर महाराष्ट्र को कितना धन आवंटित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) राज्य पर्यावरण मंत्रियों के 9 सितम्बर, 2004 को हुए सम्मेलन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कार्यों को पूरा करने और राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए संसाधन पैदा करने के विभिन्न तरीके और उनकी निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया। सुझाव दिए गए उपायों में बाह्य विकास लागत जैसे भूमि की कीमत, सम्पति कर पर प्रभार और स्टाम्प शुल्क, प्रयोक्ता प्रभार लगाना, स्लज की बिक्री और सीवेज शोधन संयंत्रों में बायोगैस से विद्युत उत्पादन आदि के माध्यम से नए शहरी केन्द्रों में सीवेज के वहन और शोधन की लागत के संग्रहण पर चर्चा की गई थी। राज्यों द्वारा सुझावों का सामान्यतया समर्थन किया गया था। बैठक में राज्य सरकारों को इन उपायों को लागू करके संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया था।

(ङ) से **(छ)** मंत्रालय राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को स्कीम की प्रगति के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए उचित "निधि उपयोगिता प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने और राज्यों में इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अपेक्षित निधि के आधार पर निधि जारी करता है। राज्य सरकारों और महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि आवंटन में वृद्धि की विशेष रूप से कोई मांग नहीं की है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए योजना

796. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शीराम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) आज की तारीख तक राज्यवार कितनी महिलाए इससे लाभान्वित हुई हैं;

(ग) इस संबंध में किन-किन राज्यों को शत-प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) संघ सरकार द्वारा दो स्कीमों/कार्यक्रमों नामत: (1) केन्द्रीय क्षेत्र की कृषि में महिलाएं स्कीम; और (2) भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

गत तीन वर्षों में इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार की गई निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत अब तक लाभान्वित महिलाओं की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:

(1) केन्द्रीय क्षेत्र की कृषि में महिलाएं स्कीम:

राज्य	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
हरियाणा	11250
पंजाब	11250
राजस्थान	11250
उत्तर प्रदेश	11250
हिमाचल प्रदेश	11250
केरल	11250
महाराष्ट्र	11250
असम	11250
अरूणाचल प्रदेश	11250
मणिपुर	11250
मेघालय	11250
मिजोरम	11250
नागालैंड	11250
त्रिपुरा	11250
सिक्किम	11250

(2) भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

राज्य	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	17,500
उड़ीसा	17,500
उत्तर प्रदेश	14,550

(ग) 17 राज्यों को इस संबंध में शत-प्रतिशत निधियां प्रदान की गई हैं। राज्यों के नाम इस प्रकार हैं:

1. हरियाणा
2. पंजाब
3. राजस्थान
4. उत्तर प्रदेश
5. हिमाचल प्रदेश
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. असम
9. अरूणाचल प्रदेश
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. मिजोरम
13. नागालैंड
14. त्रिपुरा
15. सिक्किम
16. उड़ीसा
17. आंध्र प्रदेश

(घ) इस संबंध में दसवीं योजना अवधि के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार और वर्षवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्कीम/कार्यक्रम का नाम

सी.एस.एस. ''कृषि में महिलाएं''

(लाख रुपये में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05 (30.11.04 तक)
1	2	3	4
हरियाणा	शून्य	3.00	शून्य
पंजाब	शून्य	12.22	शून्य

1	2	3	4
राजस्थान	शून्य	7.00	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	23.41	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	9.07	शून्य
केरल	शून्य	7.14	शून्य
महाराष्ट्र	3.70	12.50	शून्य
असम	9.44	16.00	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	5.00	8.18	शून्य
मेघालय	5.00	7.00	शून्य
मिजोरम	4.00	13.19	शून्य
नागालैंड	8.00	6.00	शून्य
त्रिपुरा	3.56	14.00	शून्य
सिक्किम	5.00	16.51	शून्य
भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम			
आंध्र प्रदेश	238.56	163.46	72.85 (30.11.04 तक)
उड़ीसा	158.20	95.02	207.48
उत्तर प्रदेश	67.66	310.28	175.34

मदिरा की खरीद में नियमों का उल्लंघन

797. **श्री पारस नाथ यादव:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री रमाकान्त यादव:
श्री रामचन्द्र पासवान:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री रामकृपाल यादव:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की दुकानों पर शुल्क मुक्त मदिरा की खरीद में नियमों के उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिना क्रयादेश के क्रय की गई मदिरा के मामलों की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) इस संबंध में नियमों तथा प्रक्रियाओं के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन आरोपों के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

एथलीटों को दैनिक भत्ता न मिलना

798. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री मोहन रावले:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को दिए गए दैनिक भत्ते/जेब खर्च और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में एथेंस ओलंपिक में भारत के अच्छे एथलीटों को दैनिक भत्ता नहीं मिला हैं, जैसाकि 6 अगस्त, 2004 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) सरकार ने, सरकारी खर्च पर क्लीयर भारतीय खिलाड़ी दल की सहभागिता के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) को 66.08 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृत की थी और व्यय के लिए निम्नलिखित मदों को अनुमोदित किया:

(1) खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को 50 अमेरिकी डालर प्रति व्यक्ति/प्रति दिन की दर से जेब खर्च और सहायक कार्मिक को 40 अमेरिकी डालर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जेब खर्च।

(2) भारतीय खिलाड़ी दल के लिए 10,000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से समारोह ड्रैस और दो युवा कैम्परों के लिए 7500/- रुपये प्रति व्यक्ति।

(3) 2500/- रुपये प्रति खिलाड़ी की दर से प्रतियोगिता किट।

(4) 10,000/- अमेरिकी डालर रोइंग बोट का किराया।

(5) यांटिंग बोट के लिए किराया और संबद्ध व्यय 18700/- अमेरिकी डालर।

(6) निशानेबाजी के अभ्यास के लिए गोला-बारूद-5,000/- अमेरिकी डालर।

(7) 2 व्यक्ति प्रशिक्षकों/प्रशिक्षण भागीदारों के लिए 150 यूरो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आवास और भोजन तथा हवाई पास लागत बशर्तें कि इन व्यक्तियों को किसी अन्य सरकारी योजनाओं से प्रशिक्षण शुल्क आदि के लिए सहायता भुगतान न किया जा रहा हो। इसके अलावा, तीरंदाजी, हाकी, निशानेबाजी के खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त सामान दोनों तरफ के लिए 20 किलोग्राम की दर से और भारतीय खिलाड़ी दल के शेष खिलाड़ियों के लिए दोनों तरफ के लिए 10 किलोग्राम भी स्वीकृत किया गया था।

(ख) से (घ) 13 अगस्त, 2004 को ओलंपिक खेलों के आरंभ में भारतीय खिलाड़ी दल की सहभागिता के लिए औपचारिक प्रस्ताव 7.7.2004 और 29.7.2004 को भारतीय ओलंपिक संघ से प्राप्त हुआ था। तदनुसार, सरकार ने, अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर 31 जुलाई, 2004 को 66.08 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। 9 अगस्त, 2004 और 10 अगस्त, 2004 को क्रमश: 21,21,408/- रुपये और 24,17,744/- रुपये के चेक भी भारतीय ओलंपिक संघ को सुपुर्द किए गए थे। अलग से, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए जेब खर्च हेतु मानदण्डों को और अधिक संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई थी। बढ़े हुए जेब खर्च के लिए 50 अमेरिकी डालर की दर से 7,94,430/- रुपये का एक चेक खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को देने के लिए 25 अगस्त, 2004 को भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपा गया था।

भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया हैं कि उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ी दल हेतु 10 अगस्त एवं 11 अगस्त, 2004 को क्रमश: 25,000/- यूरो तथा 10,000/- यूरो भेजे गए।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

799. **श्री चन्द्रकान्त खैरे:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तीन अथवा चार वर्षों के अल्प समय में पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को विदेशियों को आकर्षित करने के लिए चलाए जा रहे अवैध मसाज पार्लरों की जानकारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मसाज पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) भारत तथा विदेशों में सतत् एवं गहन मार्केटिंग अभियान के कारण केरल में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, केरल राज्य में अवैध मसाज पार्लरों के प्रचालन पर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं। उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर "ग्रीन लीफ तथा ओलिव लीफ" के रूप में आयुर्वेद केन्द्रों को अनुमोदित करने की इसकी एक योजना हैं।

वन्य जीवों पर वनों की कटाई का प्रभाव

800. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रख्यात पर्यावरणविदों ने विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई के कारण वन्यजीवों पर आए संकट पर अपनी चिंता जताई हैं जैसाकि 6 अक्टूबर 2004 के 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन्यजीव और वन भूमि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा हैं और विभिन्न एजेंसियां इसे सुरक्षित रखने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा इसके संरक्षण हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों द्वारा अपने दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 के पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वन भूमि तथा वन्य जीव पर्यावासों की सुरक्षा भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, सहित विभिन्न कानूनों द्वारा की गई हैं। वनों तथा वन्यजीव पर्यावासों का गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु पथान्तरण एवं उपयोग को इन कानूनों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के तहत विनियमित किया जाता हैं। मामलों का परीक्षण विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता हैं। तथा कानूनों एवं सरकार की नीतियों के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर भली भांति विचार करके ही निर्णय लिया जाता हैं।

विवरण

कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों द्वारा अपने दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 के पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

1. भारत भर में विकास परियोजनाओं से वन्य जीव पर्यावासों एवं जीवों को गम्भीर खतरा हैं।
2. खुलेआम साहित्यिक चोरी सहित पर्यावरणीय मूल्यांकन ठीक न होने के बावजूद विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
3. सुरक्षित क्षेत्रों के अन्दर अथवा उनकी सीमा के बिल्कुल पास बहुत सी विध्वंसक विकास परियोजनाओं को अनुमति दी गई।
4. नागरिकों, इनपुट्स को पूरी तरह नजरंदाज करते हुए बहुत सी स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
5. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा पर्यावरणीय स्वीकृति पर विशेषज्ञ समितियों को कमजोर किया गया हैं।
6. व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर आधारित उचित निर्णय, परियोजनाओं के प्रतिपूर्ति तन्त्र का स्थानापन्न नहीं हो सकता।
7. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं को बार-बार कमजोर बनाने से वन्यजीव पर्यावासों तथा संवेदनशील परितन्त्र विकास दबावों के समक्ष और अधिक असुरक्षित बन गया हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन

801. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन की योजना सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रशिक्षण के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड तैयार की गई वृहत योजना की प्रमुख विशेषताएं, परिव्यय आबंटन और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बोर्ड को नदी प्रशिक्षण, बाढ़ और अपरदन नियंत्रण योजनाओं को लागू करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक कार्ययोजना की उपलब्धियों को दर्शाने वाली ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए श्रमशक्ति और संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। इस प्रस्ताव पर जल संसाधन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मुख्य शाखा के लिए मास्टर योजना भाग-I और बराक नदी और इसकी वितरिकाओं के लिए भाग-II तैयार की थी जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में अनुमोदित किया गया। मास्टर योजना भाग-II के अंतर्गत, भारत सरकार ने अब तक अभिज्ञात 49 उप बेसिन मास्टर योजनाओं में से 32 योजनाओं को अनुमोदित किया है और, शेष उप बेसिन मास्टर योजनाएं तैयारी की विभिन्न चरणों में हैं। इन मास्टर योजनाओं में बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी/नदी नियंत्रण कार्य का प्रावधान है। वर्ष 2000 मूल्य स्तर पर मास्टर योजना भाग-I के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित परिव्यय 1,22,944 करोड़ रुपये और मास्टर योजना भाग-II के लिए 6322 करोड़ रुपये है। अनुमोदित मास्टर योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I पर दी गई हैं।

इन मास्टर योजनाओं के आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 34 जल निकास विकास स्कीमों की पहचान की है जिनमें से 9 की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं और 25 स्कीमें तैयारी के विभिन्न चरण हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 5 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी भी पूरी की है जबकि 10 परियोजनाएं तैयारी के विभिन्न चरण में हैं। जल निकास विकास स्कीमों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं, की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। तथापि ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जिसके पास नदी नियंत्रण, बाढ़ और कटाव स्कीमों के निष्पादन का अधिदेश है, ने निष्पादन के वास्ते मास्टर योजना में अभिज्ञात कुछ निर्माणाधीन स्कीमें भी प्रारंभ की हैं।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	10वीं योजना परिव्यय	अनुमानित लागत	31.10.04 तक व्यय
1.	हरंग जल निकास विकास स्कीम का निर्माण	21.17	30.49	23.31
2.	पगलादिया बांध परियोजना	557.41	1069.40*	27.18
3.	माजुली द्वीप असम, दिबांग परियोजना, आदि के लिए नई स्कीम			
	(1) धौला हातीधुली चरण-I और II में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्सन	42.00	15.69	17.86
	(2) बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा		6.22	
	(3) बोरभग जल निकास विकास स्कीम		7.23	

*पगलादिया बांध परियोजना 542.90 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2001 में अनुमोदित की गई। प्रेस सूचना ब्यूरो/आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 1069.40 करोड़ (जनवरी, 2004 मूल्य स्तर) रुपये की अनुमानित लागत के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है।

मास्टर योजनाओं की तैयारी, जलनिकास विकास स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के सामान्य कार्यकलापों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पहले से चली आ रही स्कीम कार्यान्वित की जा रही हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 102 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई हैं जिसमें से वर्ष 2004-05 के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2002-03 के लिए व्यय 17.51 करोड़ रुपये, 2003-04 के लिए 17.60 करोड़ रुपये था और अक्टूबर 2004 तक वर्ष 2004-05 के लिए व्यय 9.75 करोड़ रुपये हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्मिकों और संस्था का ब्यौरा

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड में नियमित स्वीकृत पदों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं;

समूह	स्वीकृत पद
1	2
क	81
ख	106
ग	284
घ	157
कुल	628

(2) पगलादिया बांध परियोजना के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:

समूह	स्वीकृत पद
क	38
ख	46
ग	221
घ	79
कुल	384

परियोजना के लिए स्वीकृत स्टाफ द्वारा पगलादिया बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा हैं जबकि सभी सामान्य कार्यकलापों और अन्य निर्माण कार्यकलापों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के नियमित स्टाफ जुटे हुए हैं।

विवरण I

अनुमोदित मास्टर योजनाओं कटावरोधी नदी नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन उपायों की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	बेसिन/उप बेसिन मास्टर योजना का नाम	नदी की लम्बाई कि.मी.	आवाह क्षेत्र वर्ग कि.मी.	वार्षिक वर्षा मि.मी.	कटाव रोधी उपाय सं./लंबाई (कि.मी.)	बाढ़ प्रबंधन उपाय	
						कि.मी. में नये तटबंध की लम्बाई	ऊंचाई उठाने और सुदृढ़ करने की लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ब्रह्मपुत्र मुख्य शाखा (भाग-1) सीमा तक	2,543 भारत बंगलादेश सीमा तक	5,33,000 भारत बंगलादेश सीमा तक	2125 से 4142	11	225.26	900

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बराक और इसकी वितरिकाएं (भाग-II) भाग-III	532, भारत बंगलादेश सीमा तक	43,456 भारत बंगलादेश सीमा तक	2198	77	162.27	469
3.	बुरी-दिहींग	360	8730	2421	28	13.00	39.00
4.	दीखो	236	4022	2493	7	18.25	101.50
5.	धनसिसिर (एस)	352	10305	1806	5	19.47	18.00
6.	कापली कलांग	261300 203500	20068	1690	13	62.50	143.78
7.	पुथिमारी	112	1787	1750	17	4.90	52.00
8.	रंगानाडी	150	2941	2336	7	3.20	38.00
9.	नोआ-नादी	103	745	2550.3	0.88 कि.मी.	3.20	शून्य
10.	दिकरोंग	145	1528	2834	8	4.00	34.80
11.	मुहुरी	56	576	2548.5	11	11.83	शून्य
12.	गुमटी	167.4	2492	2238.4	23	14.50	शून्य
13.	पगलादिया	196.8	1674	2317.6	7	शून्य	16
14.	जिया-भराली	229	10289	1620	6	शून्य	29.57
15.	मनु	140	2278	2541	13	6.50	13.00
16.	चम्पामती	99.50	1142	3727	13	शून्य	शून्य
17.	दिसंग	253	3809	2562.3	2.2 कि.मी.	*	22.00
18.	जीनारी	84	594	2821.5	शून्य	शून्य	5.50
19.	जूरी	79	482	2522	89	48.75	10.75
20.	नानोई	103	909.37	1723	3	8.00	शून्य
21.	धलाई	75.85	630	2693	4.00 कि.मी.	6.00	6.00
22.	बुरीमा	54	414	2197	4	*	शून्य
23.	लोहित	413	29487	3800	3	शून्य	शून्य
24.	जियाधल	187	1346	3851	5.00 कि.मी.	9.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	भरालु	30.623	115.25	1864	शून्य	शून्य	शून्य
26.	माजुली द्वीप	85	800	2090	35.00 कि.मी.	18.00	50.00
27.	खोवाई	166	1328	2418	5.00 कि.मी.	0.7	2.00
28.	घिलाधारी	61	670	2005	शून्य	*	शून्य
29.	जिनजिराम	158	3467	2139	2	48.00	शून्य
30.	झानजी	108	1139	3313	शून्य	शून्य	शून्य
31.	धालेश्वरी	290	4784	2810	1.23 कि.मी.	3.3	4.70
32.	सुबनसिरी	468	37000	2629	शून्य	शून्य	शून्य
33.	मोरीधाल	123	929	3961	शून्य	शून्य	शून्य
34.	गौरंग	114	1023	3478	2	2.00	शून्य

*मात्रा सूचित नहीं की गई हैं।

विवरण II

अभिज्ञात जल निकास विकास स्कीमों की सूची जिनसे संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी की गई

क्र.सं.	जल निकास स्कीम का नाम	वितरिका/ उप बेसिन	बेसिन	प्रभावित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	राज्य	अभ्युक्ति
1.	हरांग	बराक	बराक	139	असम	पूरी की गई
2.	बोरभंग	पगलादिया	ब्रह्मपुत्र	70	असम	
3.	बरपेटा पूर्व	पहुमारा	ब्रह्मपुत्र	180	असम	
4.	जकाईचुक	झांजी	ब्रह्मपुत्र	30	असम	
5.	जोयसागर	कलांग	ब्रह्मपुत्र	55	असम	
6.	जेनगराई	सुबनसिरी	ब्रह्मपुत्र	18	असम	
7.	कैलाशहर	मानु		16	त्रिपुरा	
8.	सिंगला	बराक	बराक	322	असम	
9.	देरोई	बुरीदिहींग	ब्रह्मपुत्र	194	असम	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई

बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सूची जिनसे संबंधित परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बेसिन	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	अभ्युक्ति
क. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई				
1.	दिहांग (सिबांग) बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	20000	एन एच पी सी को सौंपी गई
2.	सुबनसिरी बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	4800	एन एच पी सी को सौंपी गई
3.	पगलादिया बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	3	निष्पादनाधीन
4.	तिपाईमुख बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	1500	नीपको को सौंपी गई
5.	बैराबी बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	75	मिजोरम सरकार को सौंपी गई

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

802. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बारे में कोई मूल्यांकन किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दुग्ध उत्पादन की लक्षित उपलब्धि 91.0 मिलियन टन हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं

803. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को कोई पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1166 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल गुणवत्ता प्रभावित आवासों का समाधान करने के लिए 6 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) ग्रामीण पेय जल राज्य का विषय हैं। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती हैं। चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी के तहत अब तक पश्चिम बंगाल सरकार को 63.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैं। एआरडब्ल्यूएसपी निधि का 15% विशेष रूप से जल गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए उप मिशन परियोजना के वास्ते निर्धारित किया गया हैं। 01.04.1998 से उप मिशन परियोजनाओं की स्वीकृति का राज्यों को अधिकार दिया गया हैं। चूंकि राज्यों को जल गुणवत्ता सुधार स्कीमों को शुरू करने का पूर्ण अधिकार दिया गया हैं अत: ये प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वापस कर दिए गए हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जल गुणवत्ता प्रभावित आवासों का समाधान करने के लिए प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	मुर्शिदाबाद जिले (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	242
2.	मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज-I ब्लॉक के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	55
3.	मुर्शिदाबाद जिले (दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	248
4.	हरिनघाटा-चकडाह क्षेत्रों में नदिया जिले के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	198
5.	नदिया जिले के कालीगंज-नाकसीपाड़ा क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	213
6.	हावड़ा-गाईघाट और उत्तर 24 परगना जिले से लगा हुआ मौजा के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित जल आपूर्ति स्कीम	210
	कुल	1166

[हिन्दी]

फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

804. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की तरह फलों एवं सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर कीमतों का नियमन करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना हैं; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खाद्यान्नों की भांति फलों और सब्जियों के मूल्यों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, मंडी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही हैं जिसके अंतगर्त शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी और अन्य कृषि फसलों को कवर किया गया हैं। भरपूर फसल होने की स्थिति में इन फसलों के उत्पादकों को मजबूरन बिक्री से संरक्षण प्रदान करने के लिए उन राज्य सरकारों के अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप स्कीम को कार्यान्वित किया जाता है, जो इसके कार्यान्वयन में यदि कोई हानि हो तो 50% हानि (उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामलों में 25%) वहन करने के लिए तैयार हो।

कृषि भूमि का औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तन

805. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई क्षेत्रों में कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तित किया जा चुका हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिकी क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कितना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भू-उपयोग वर्गीकरण डाटा से पता चलता हैं कि बोया गया निवल क्षेत्र 1970-71 में 140.27 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 1999-2000 में 141.23 मिलियन हैक्टेयर हो गया। इसी अवधि के दौरान, गैर-कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र 16.48 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 22.97 मिलियन हैक्टेयर हो गया। इससे पता चलता है कि बोया गया निवल क्षेत्र गत तीन दशकों में 0.96 मिलियन हैक्टेयर बढ़ा है, जबकि गैर-कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र 6.49 मिलियन हैक्टेयर बढ़ा हैं। अत: इसका तत्पर्य हैं कि भले ही कुछ कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों हेतु किया गया हैं, किन्तु फिर भी बंजर भूमि और अन्य अवक्रमित भूमि सुधार के माध्यम से काफी क्षेत्र खेती के अंतर्गत लाया गया हैं जिससे बोये गए निवल क्षेत्र में वृद्धि हुई हैं।

(ग) गैर-कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र 1997-98 में 22.70 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 1999-2000 में 22.97 मिलियन हैक्टेयर हो गया जिससे पता चलता हैं कि इन तीन वर्षों के दौरान इससे 0.27 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि हुई हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के आयात पर रोक

806. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंग्लैण्ड से आयात किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप का देश में पुन: चक्रण किया जा रहा हैं जिससे स्थायी प्रदूषण तथा स्वास्थ्य की अपूरणीय क्षति हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो जनहित में इस आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) इलैक्ट्रानिक छीजन समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 की अनुसूची 3 की सूची क और ख में शामिल हैं। इस अपशिष्ट के आयात के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष अनुमति अपेक्षित हैं। मंत्रालय द्वारा इस समय तक किसी प्राधिकरण अथवा व्यक्ति को कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई हैं।

केरोसीन की कमी

807. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में केरोसीन की अत्यधिक कमी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में केरोसीन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सरकार को मिट्टी के तेल की इस प्रकार की किसी किल्लत की रिपोर्ट नहीं मिली हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को 56,11,71 मी. टन मिट्टी का तेल जारी किया गया हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए मिट्टी का तेल एक आबंटित वस्तु हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसका आबंटन तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता हैं। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किए गए तिमाही आबंटन के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मासिक आबंटन का निर्णय करते हैं जो अधिकतर एक समान होता हैं। राज्य के भीतर मिट्टी के तेल के वितरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता हैं। सरकारी तेल विपणन कंपनियों को गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी के तेल (सफेद-मिट्टी का तेल) को खुले बाजार में बेचने की अनुमति होती हैं जो प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की राजीव सागर परियोजना

808. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों की अन्तर्राज्यीय परियोजना हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के कार्य में विलम्ब हो रहा हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या परियोजना का कार्य त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा हैं; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तीय बाधाओं और जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले आठ गांवों के परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित न किए जाने के कारण इस परियोजना के कार्यों मे विलंब हुआ हैं।

(घ) और (ङ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 2003-04 से परियोजना के मध्य प्रदेश भाग को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत शामिल किया गया हैं और बांध और बायी तट नहर प्रणाली की शेष शेयर लागत के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) के रूप में 18.330 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

मेला तथा त्योहार परियोजनाएं

809. **श्री अब्दुल रशीद शाहीनः** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई मेले तथा त्यौहारों संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/अस्वीकृत प्रस्तावों का एवं राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित चालू पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) मेले एवं त्यौहारों के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता वार्षिक आधार पर उनके साथ परामर्श करके प्रदान की जाती हैं, बशर्ते कि उसके लिए धनराशि उपलब्ध हो।

पिछले 3 वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली की राज्य सरकारों को मेलों और त्यौहारों के संवर्धन के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली में इस समय चल रही पर्यटन परियोजनओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

विवरण I

वर्ष 2001-02 के दौरान जम्मू-कश्मीर और दिल्ली राज्य के लिए स्वीकृत मेले और त्यौहार

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त की गई राशि
1.	जम्मू व कश्मीर	देसकिट में बुद्ध महोत्सव	5.00	4.00
2.		लेह में सिंधु दर्शन	25.00	25.00
		कुल	30.00	29.00
1.	दिल्ली	चौदहवीं का चॉद उत्सव	1.02	1.02
2.		कुतुब उत्सव	1.42	1.42
3.		गार्डन उत्सव	4.13	4.13
4.		जहान-ए-खुसरों उत्सव	22.00	22.00
		कुल	28.57	28.57

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त की गई राशि
		वर्ष 2002-03 के दौरान जम्मू-कश्मीर और दिल्ली राज्य के लिए स्वीकृत मेले और त्यौहार		
1.	जम्मू व कश्मीर	सिंधु दर्शन	26.00	22.83
		कुल	26.00	22.83
1.	दिल्ली	गोल्फ टूर्नामेंट	7.17	6.45
2.		अनन्य उत्सव	10.00	9.00
3.		कुतुब उत्सव	5.00	5.00
4.		गार्डन उत्सव	5.00	5.00
		कुल	27.17	25.45
		वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू-कश्मीर और दिल्ली राज्य के लिए स्वीकृत मेले और त्यौहार		
1.	जम्मू व कश्मीर	सिंधु दर्शन	35.00	35.00
2.		गोल्फ टूर्नामेंट	15.00	15.00
3.		कारगिल में बुद्ध महोत्सव	10.00	10.00
		कुल	60.00	60.00
1.	दिल्ली	शून्य		

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान जम्मू-कश्मीर और दिल्ली राज्य के लिए स्वीकृत मेले और त्यौहार (चल रही परियोजनाएं)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	जम्मू व कश्मीर	सिंधु दर्शन	35.00	35.00
2.		गोल्फ टूर्नामेंट	15.00	15.00
3.		कारगिल में बुद्ध महोत्सव	10.00	10.00
		कुल	60.00	60.00

1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	कुतुब उत्सव	5.00	5.00
2.		गार्डन उत्सव	5.00	4.00
3.		अनन्य उत्सव	15.00	12.00
		कुल	25.00	21.00

सबरीमाला का विकास

810. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रनः**
श्री सी.के. चन्द्रप्पनः
श्री पी.के. वासुदेवन नायरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सरकार ने सबरीमाला के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई मास्टर प्लान भेजा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय ले लिया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की सम्भावना हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रशीतन गृह

811. **प्रो. महादेवराव शिवनकरः**
श्री हरिभाऊ राठौड़ः
श्री रघुवीर सिंह कौशलः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रशीतन गृहों की कमी के कारण आलू तथा प्याज के भण्डारण में मुश्किलें आ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप ऑफ सीजन में इन वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितने प्रशीतन गृह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव हैं तथा उनकी क्षमता कितनी हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यों का उपलब्ध करायी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किये गए प्रशीतन गृहों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) वर्ष में अलग-अलग समय पर प्याज तथा आलू की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया हैं। नए प्रशीतन गृहों की स्थापना करके तथा विद्यमान प्रशीतन गृहों की क्षमता बढ़ाकर, भण्डारण क्षमता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा रहा हैं। कृषि और सहकारिता विभाग अपने एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से देश में प्रशीतन गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण तथा बागवानी उत्पादों के भण्डारण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा हैं। इस स्कीम के तहत पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत की 25% की दर से पार्श्वान्त पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान की जाती हैं; जो प्रति परियोजना 50.00 लाख रुपये तथा परियोजना लागत के 33.33% की दर से अधिक नहीं हैं तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए इसकी उच्चतम सीमा 60.00 लाख रुपये हैं। इस स्कीम के तहत दिनांक 31.3.2004 तक 262.78 करोड़ रुपये की

पात्र पाश्र्वांत राज सहायता के साथ 41.00 लाख मी. टन की भण्डारण क्षमता सृजन वाली 1046 प्रशीतन भण्डारण परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें से 0.25 लाख मी. टन क्षमता सृजन वाले 120 प्याज भण्डारण गृह हैं। यह स्कीम मांग आधारित हैं तथा परियोजना प्रस्ताव पात्र संगठनों से आने होते हैं, और इस प्रकार कोई भी समयबद्ध राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं और साथ ही इस के तहत कोई राज्यवार निधियां आंबटित नहीं की गयी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता और पात्र राजसहायता सहित, स्वीकृत प्रशीतन गृहों (नए/आधुनिक/विस्तारित) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 (31.3.2004 के अनुसार) के दौरान "प्रशीतन गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण तथा बागवानी उत्पाद के भण्डारण के लिए पूंजी निवेश सहायता स्कीम" के तहत स्वीकृत प्रशीतन भण्डारण परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002			2002-03			2003-04			कुल योग (31.3.2004 तक)		
		सं.	क्षमता (मी. टन)	पात्र राजसहायता	सं.	क्षमता (मी. टन)	पात्र राजसहायता	सं.	क्षमता (मी. टन)	पात्र राजसहायता	सं.	क्षमता (मी. टन)	पात्र राजसहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पंजाब	9	31054	181.33	8	21658	170.33	7	12095	4.49	24	64807	356.15
2.	हरियाणा	17	63548	529.29	4	10146	80.74	7	13338.18	125.66	28	87032	735.69
3.	तमिलनाडु	5	12137	147.31	4	12921	104.94	0	0	0.00	9	25058	252.25
4.	हिमाचल प्रदेश	2	2392	14.74	1	600	3.49	0	0	0.00	3	2992	18.23
5.	उत्तर प्रदेश	84	459613.6	2458.51	49	278228	1284.29	146	786583.4	4256.78	279	1524425	7999.58
6.	उत्तरांचल	2	8619	49.30	0	0	0.00	0	0	0.00	2	8619	49.3
7.	महाराष्ट्र	15	37792	384.55	29	60837	593.69	13	19145	142.58	57	117774	1120.82
8.	राजस्थान	6	18317	133.09	9	27976	203.00	1	4360	35.00	16	50653	371.09
9.	कर्नाटक	8	38174	230.04	4	11328	83.70	0	0	0.00	12	49502	313.74
10.	गुजरात	17	47796	430.05	20	59677.54	410.51	136	40928.76	421.04	173	148402	1261.6
11.	उड़ीसा	2	8064	80.25	5	26690	236.79	1	2500	25.00	8	37254	342.04
12.	मध्य प्रदेश	3	17703	94.99	9	20454	120.61	10	23741	187.68	22	61898	403.28
13.	छत्तीसगढ़	13	79480	432.68	5	34800	196.54	2	6089	76.87	20	120369	706.09
14.	पश्चिम बंगाल	21	48140	292.67	9	37440	348.27	4	14220	152.03	34	99800	792.97
15.	आंध्र प्रदेश	11	41880	404.72	2	8000	72.56	1	4100	35.17	14	53980	513.45
16.	असम	6	28400	315.88	3	14500	189.00	1	1860	5.45	10	44760	509.92
17.	बिहार	20	86723	576.88	5	23706	244.84	18	73184.8	444.25	43	183614	1265.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	झारखण्ड	2	9318	71.52	4	13338	145.28	4	14214	112.55	10	36870	329.35
19.	त्रिपुरा	0	0	0.00	1	5000	60.00	0	0	0.00	1	5000	60
20.	दिल्ली	4	12260	309.99	0	0	0.00	1	530	1.33	5	12790	311.32
21.	केरल	2	500	5.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	500	5
22.	नागालैण्ड	0	0	0.00	1	5000	60.00	0	0	0.00	1	5000	60
23.	गोवा	0	0	0.00	1	3633	36.33	0	0	0.00	1	3633	36.33
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	1	4000	53.33	1	4000	53.33
	कुल	249	1051910.6	7143.38	173	675932.5	4644.91	353	1020889	6079.21	775	2748732	17867.5

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में वृद्धि

812. श्री सूरज सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए निचले क्षेत्रों या जल भराव वाले क्षेत्रों का विकास करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार के बेगुसराय जिले में जल भराव वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त योजना के तहत उपयुक्त जल निकास प्रणाली उपलब्ध कराकर कृषि योग्य बनाने के लिए लाया जाएगा;

(घ) क्या सरकार को बिहार के इन जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकास प्रणाली के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने; और सिंचित भूमि आदि से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में वर्ष 1974-75 में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत, अनुमोदित परियोजना के सिंचित कमान क्षेत्र में 1.4.1996 से एक नए घटक के रूप में जल जमाव क्षेत्रों के सुधार को शामिल किया गया था। तब से जल जमाव क्षेत्रों के सुधार के लिए राज्यों से प्राप्त कई प्रस्तावों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित स्कीमों की संख्या	सुधार किए जाने वाला क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)
1.	बिहार	77	13.958
2.	गुजरात	7	1.290
3.	जम्मू एवं कश्मीर	4	9.684
4.	कर्नाटक	51	3.284
5.	केरल	265	20.820
6.	मध्य प्रदेश	6	1.437
7.	महाराष्ट्र	4	0.196
8.	उड़ीसा	15	1.133
9.	उत्तर प्रदेश	12	5.321
	कुल	441	57.123

इसके अतिरिक्त, देश के गंभीर क्षेत्रों में जल निकास के सुधार के संबंध में कार्यों को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने 49.62 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से के साथ 54.57 करोड़ रुपये अनुमानित लागत से देश के गंभीर क्षेत्रों में जल निकास के सुधार संबंधी

केन्द्र प्रायोजित स्कीम को फरवरी, 2004 में अनुमोदित किया। इस स्कीम का उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाढ़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों की जल निकास स्थितियों में सुधार लाना हैं।

(ग) बेगूसराय जिले से जल जमाव संबंधी स्कीम बिहार राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय में बिहार राज्य में जल जमाव क्षेत्र में जल निकास स्कीमों के लिए बाह्य सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

[अनुवाद]

पैकेट वाले दूध में अपमिश्रण की रोकथाम

813. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पैकेट वाले दूध में अपमिश्रण की रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ये कदम किस सीमा तक सफल रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दूध सहित किसी भी खाद्य सामग्री में अपमिश्रण की जांच खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम संबंधी प्रावधानों के तहत की जाती हैं जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता हैं। पैकिंग किए जाने वाले पदार्थों के नमूनों के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम नियमावली, 1955 के तहत दुग्ध मानकों को निर्धारित किया गया हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्राधिकारियों से समय-समय पर अनुरोध किया गया हैं कि वे बेचे जा रहे दूध की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करें क्योंकि वे खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 तथा खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम संबंधी नियमावली, 1955 के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) पिछले दिनों में, पैक किए गए दूध में अपमिश्रण संबंधी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय के ध्यान में नही लाई गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन

814. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण कुल उत्पादन का लगभग दो प्रतिशत ही हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में और सुधार के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) फिलहाल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण का स्तर लगभग 2% हैं। प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाने के लिए, सरकार ने प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की हैं। फल एवं सब्जी के प्रसंस्करण, परिक्षरण और पैकेज के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के मामले में आयकर अधिनियम के अंतर्गत, पांच वर्षों के लिए 100% लाभ घटाने और अगले पांच वर्षों के लिए 25% लाभ घटाने की अनुमति हाल ही में दी गई हैं। खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीमें तैयार की गई हैं। फल एवं सब्जी यूनिटों सहित खाद्य प्रंसस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता की मात्रा सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% हैं। इसकी अधिकतम सीमा क्रमश: 50 लाख रु. और 75 लाख रु. हैं।

[हिन्दी]

शहरों में प्रदूषण

815. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मोहन रावले:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो रैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या हैं; और

(घ) प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा इसे निर्धारित सीमा के अन्तर्गत लाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से परामर्श करके, प्रवेशी वायु गुणता आंकड़ों के आधार पर 1995-2003 की अवधि हेतु प्रदूषित शहरों की पहचान की हैं। इन शहरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रदूषण मुख्यतः वाहन यातायात, उद्योगों, प्राकृतिक भू-जलवायु दशाओं तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण हैं।

(घ) सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- सामान्य एवं स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- नए वाहनों के लिए निर्माण स्तर पर आटो एगजास्ट उत्सर्जन मानकों का प्रवर्तन।
- उन्नत किस्म का ईंधन।
- ताप विद्युत स्टेशनों में हितकारी कोयले का उपयोग।
- उद्योगों की 17 श्रेणियों के संदर्भ में पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कारपोरेट उत्तरदायित्व पर चार्टर का क्रियान्वयन।
- पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के लिए नियमित मॉनीटरी
- वायु गुणता में सुधार हेतु शहर विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना।

विवरण

भारत में अत्यधिक प्रदूषित शहरों की राज्यवार सूची
(प्रवेशी वायु गुणता आंकड़ा 1995-2003 पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य	शहर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		विशाखापट्टनम
3.	असम	गुवाहाटी
4.	बिहार	पटना
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	भिलाई
7.		कोरबा
8.		रायपुर
9.	दिल्ली	दिल्ली
10.	गोवा	पणजी
11.	गुजरात	अहमदाबाद
12.		अंकलेश्वर
13.		जामनगर
14.		राजकोट
15.		सूरत
16.		बड़ोदरा
17.		वापी
18.	हरियाणा	फरीदाबाद
19.		यमुनागढ़
20.	हिमाचल प्रदेश	डामटल
21.		पौंटासाहिब
22.		परवानू
23.		शिमला
24.	झारखंड	धनबाद

1	2	3
25.		जमशेदपुर
26.		झरिया
27.	कर्नाटक	बंगलौर
28.	केरल	कोयट्टम
29.		कांची
30.		तिरूअनन्तपुरम
31.	मध्य प्रदेश	भोपाल
32.		इंदौर
33.		जबलपुर
34.		नगदा
35.		सतना
36.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
37.		मुंबई
38.		नागपुर
39.		नासिक
40.		पुणे
41.		शोलापुर
42.	मेघालय	शिलांग
43.	उड़ीसा	अंगूल
44.		रायगढ़
45.		राउरकेला
46.	पंजाब	गोबिंदगढ़
47.		लुधियाना
48.		जालंधर
49.	राजस्थान	अलवर
50.		जयपुर
51.		जोधपुर
52.		कोटा
53.		उदयपुर
54.	तमिलनाडु	चेन्नई
55.		मदुरै
56.	उत्तर प्रदेश	आगरा
57.		अनपारा
58.		गजरौला
59.		कानपुर
60.		लखनऊ
61.		नोएडा
62.		वाराणसी
63.	उत्तरांचल	देहरादून
64.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
65.		कोलकाता

[अनुवाद]

'अश्वमीन का लुप्तप्राय होना'

816. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में समुद्री जीवों में संकटापन्न घोषित 'अश्वमीन' का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से संकटापन्न जीवों की श्रेणी में लाए गए समुद्री जीवों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में इन जीवों की वर्तमान संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या हाल ही में चेन्नई से सिंगापुर जा रहे एक जहाज को अनधिकृत रूप से भारी मात्रा में अश्वमीनों को ले जाने के आरोप में पकड़ा गया हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(छ) जहाज के चालक दल के सदस्यों एवं मालिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ज) जहाज में लदे अश्वमीनों का क्या किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) 'अश्वमीन' को अवैध रूप से बंदी अवस्था में रखने, पर्यावास को नष्ट करने व अति शोषण के कारण संकटपन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। संकटापन्न प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किए गए समुद्री जीवों का 1991 से ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में, तमिलनाडु के पॉक बे तट के पास, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान द्वारा अश्वमीन मत्स्यन का प्रारम्भिक अध्ययन किया गया था। अश्वमीन संख्या अति मत्स्यन और गुप्त व्यापार द्वारा संकटग्रस्त हैं। परन्तु भारत सरकार द्वारा कुछ समुद्री जीव मत्स्य उद्योग और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के कारण, लक्षित मत्स्यन में अत्यधिक गिरावट आयी हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। जहाज को पकड़ा नहीं गया हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने विर्निदिष्ट आसूचना निवेशों के आधार पर मैसर्स नायागारा इम्पैक्स, चेन्नई के नाम पर शिपिंग बिल संख्या 00057, दिनांक 17.6.2004 के अंतर्गत कवर किए गए कन्टेनर संख्या ई ओ एल यू 3280812 को सिंगापुर से वापिस बुलाया। चेन्नई से शुरू हुए प्रेषण माल का सानम रेड चिलीज नाम बताया गया। कस्टम अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 23.7.2004 को सूखे अश्वमीन के 76 बैग और रेंड चिलीज के 7 बैग कब्जे में लिए गए। उत्पादों की कीमत 2.68 करोड़ लगाई गई।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) पकड़ा गया कार्गो जहाज और सूखे अश्वीन को कस्टम हाऊस, चेन्नई की निगरानी के अंतर्गत चेन्नई कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड (सी सी आई एल) में रखा गया हैं।

विवरण

1990-91 से संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत समुद्री प्रजातियां

क्र.सं.	प्रजातियों का नाम
1	2
1.	व्हेल शार्क (रिनकोडोन टाइम्स)
2.	एनोक्सप्रिसटिस क्यूसीडाटा
3.	कार्चीहीनस हेमीडॉन
4.	ग्लीफिअस गेन्जटीक्स
5.	ग्लीफिअस ग्लीफिअस
6.	हिमानटूरा फ्लूविआटिलिस
7.	प्रिसटिस माइक्रोडॉन
8.	प्रिसटिस जिसरॉन
9.	रिनकोबेटस जिडडेनसिस
10.	यूरोगिमनस एसपेरीमस
11.	कैसिस कोमुटा
12.	कैरोनिआ ट्रिटोनिस
13.	कोनस मालनीडवार्डसी
14.	सिप्रॉकैसिस रूफा
15.	हिप्पोपस हिप्पोपस
16.	नौटिलस पोम्पीलस
17.	ट्रिडेक्ना स्कैमोसा
18.	ट्रिडेक्ना मैक्सीमा
19.	टुडीक्ला स्पीरालिस
20.	सिप्रा लेमासिना
21.	सिप्रा मैया
22.	सिप्रा टेल्पा
23.	फासीओलेरिआ ट्रेपाजियम
24.	हरपुलिना अरायुसिका

1	2
25.	लैम्बिस चिराग्रा
26.	लैम्बिस चिराग्राधिटीका
27.	लैम्बिस क्रोसिआ
28.	लैम्बिस मिलेपेड
29.	लैम्बिस स्कोरप्लस
30.	लैम्बिस ट्रेनकेटा
31.	प्लेसेन्टा प्लेसेन्टा
32.	स्ट्रोम्बस पिलकैक्टस सिबालडी
33.	ट्रोक्स निलोटीकस
34.	टर्बो मैमोप्रेटस
35.	शार्क और रे (ऑल इलोस्मोबैन्की)
36.	अश्वमीन (ऑल सिग्नथीडिआन्स)
37.	गोडमट ग्रुपर (ऐपीनेप्लेअस लैन्सीओलेटस)
38.	रीफ बिल्डिंग कोरल (ऑल शेलराटीनिअन्स)
39.	ब्लैक कोरल (ऑल एन्टीपैथारीअन्स)
40.	ऑरगन पाइप कोरल (टुबीपोरा म्यूजीका)
41.	फायर कोरल (ऑल मिलीपेराप्रजातियां)
42.	सी फैन्स (ऑल गॉरगोनीअन्स)
43.	सी कुकम्बरस (ऑल होलाथुरिअन्स)
44.	स्पोन्जेज (ऑल कैलाकेरिअन्स)

निधि प्रबंधकों को व्यापक आधार वाला बनाया जाना

817. **श्रीमती मनोरमा माधवराजः** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियुक्त किए गए निवेश सलाहकारों ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने के लिए अतिरिक्त निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकमात्र निधि प्रबन्धक (भारतीय स्टेट बैंक), जो इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश को सम्भाल रहा है, द्वारा दिया जा रहा लाभ बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिरिक्त निधि प्रबन्धक नियुक्त कर निधि प्रबन्धन को व्यापक आधार वाला बनाने है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न बैंकों को पोर्टफोलियो प्रबन्धन को सौंपकर प्रबन्धन को व्यापक आधार वाला कब तक बना लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुरूप किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नोकिया (इंडिया) प्रा. लिमिटेड द्वारा जमा की गई भविष्य निधि की धनराशि

818. **श्री अधीर चौधरीः** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनी नोकिया (इंडिया) प्रा. लिमिटेड नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के मासिक वेतन में से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती करती रही है लेकिन अपने अंशदान सहित उक्त धनराशि को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा नहीं कराया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त संबंधित प्राधिकारियों के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

बिस्कुट उद्योग

819. **श्री मुन्शी राम:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिस्कुट उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का दर्जा देने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बिस्कुट उद्योग की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सम्मिलित करने के बाद इस उद्योग के लिए किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा करने पर भी विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बिस्कुट उद्योग पहले से ही शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीमें तैयार की गई हैं। बिस्कुट यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता की मात्रा सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% हैं। इसकी अधिकतम सीमा क्रमश: 50 लाख रु. और 75 लाख रु हैं।

[अनुवाद]

घरेलू कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई

820. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेड़ों को काटने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण स्थानीय ग्रामीणों को अपने घरेलू निर्माण हेतु, आम, अमरूद, कटहल, ताड़, नारियल आदि के पेड़ काटने की भी अनुमति नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय घरेलू कार्यों के लिए इन पेड़ों को प्रयोग में लाने की अनुमति देने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) वन भूमियों पर वृक्षों की कटाई कार्य को योजनाओं के निर्धारण द्वारा विनियमित किया जाता हैं। गैर वन भूमियों पर उगे वृक्षों को काटने के लिए विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के अपने कानून, नियम और विनियम हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत वृक्षों की कटाई न्यायिक आदेशों के अध्याधीन, यदि कोई हो, की जा सकती हैं।

कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की नियुक्ति

821. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के कार्यपालक निदेशक के लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण संस्थान के कार्यकरण में बाधा आ रही हैं और इसके कारण संस्थान के कर्मचारियों और खिलाड़ियों में असंतोष भी उत्पन्न हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संस्थान का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहा हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.आई.एस.), पटियाला का पद, जो तत्कालीन पदाधिकारी की अधिवर्षिता के कारण 1 मई, 2004 को रिक्त हो गया था, का कार्यभार भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में लिया गया हैं। यह पदोन्नति से भरा जाने वाला पद हैं तथा प्रशासनिक कारणों से नही भरा जा सका।

(ग) एस.ए.आई. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा संस्थान के अधिकारियों के साथ सतत अन्योन्यक्रिया के जरिए एन.आई.एस., पटियाला की कार्य प्रणाली के बारे में नियमित निगरानी की जा रही हैं। पद को नियमित आधार पर शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में नारियल उत्पादकों को सहायता

822. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नारियल उत्पादकों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जांच की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, भारत सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला हैं जिसमें नारियल बगीचों के विकास के लिए 85.39 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की गयी हैं, जिनमें से 35.50 करोड़ रुपये नारियल बागानों में माइट प्रबंधन के लिए हैं।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रस्तावों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद, उड़ीसा के नारियल बागानों में माइट प्रबंधन संबंधी तत्काल उपाय करने के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, 47.95 लाख रुपये के अव्ययित शेष के पुन: वैधीकरण के अतिरिक्त, उड़ीसा में निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 49.50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई हैं·

(1) क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना

(2) अनुमोदित/पंजीकृत/अन्य विशेष नारियल नर्सरियों को सहायता

(3) प्रदर्शन प्लॉट तैयार करना

(4) जैव खाद इकाईयों की स्थापना

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

यमुना कार्य योजना चरण-II

823. श्री के.एस. राव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री रामदास आठवले:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण के बारे में गहन अध्ययन किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस अध्ययन में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(घ) क्या यमुना कार्य योजना का चरण-II आरंभ हो चुका हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(च) क्या यमुना कार्य योजना का चरण-I असफल हो चुका हैं जिस पर सरकार द्वारा 1000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए गए थे, जैसाकि दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार में प्रकाशित हुआ हैं?

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यमुना कार्य योजना के चरण-II को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण के बारे में कोई गहन अध्ययन नहीं किया हैं।

(घ) और (ङ) यमुना कार्य योजना चरण-II का कार्यान्वयन 1 दिसम्बर, 2004 से शुरू हुआ हैं। यह परियोजना हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों में जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन की ओवरसीज विकास सहायता के अन्तर्गत 13.33 बिलियन जापानी येन से कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले मुख्य घटक इस प्रकार हैं;

दिल्ली: सीवेज शोधन संयंत्र (प्रतिदिन 135 मि.ली. क्षमता का नया और प्रतिदिन 324 मि.ली. क्षमता का पुनर्वास)

ट्रंक सीवरों (30.82 कि.मी.) का पुनर्वास/पुनर्स्थापन

उत्तर प्रदेश: सीवेज शोधन संयंत्र (प्रतिदिन 38 मि.ली. क्षमता का नया)

सीवरलाइन (73 कि.मी.)

राइजिंग मेन (12.7 कि.मी.)

हरियाणा: सीवरलाइन (73 कि.मी.) और वर्तमान सीवेज शोधन संयंत्रों की कार्यक्षमता में सुधार करना।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 624 करोड़ रुपए हैं और 3 राज्यों का हिस्सा हरियाणा-62.5 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश-124 करोड़ रुपए और दिल्ली-387 करोड़ रुपए हैं। इसके अतिरिक्त 50.5 करोड़ रुपए की राशि क्षमता निर्माण, जल गुणता प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए हैं।

(च) से (ज) यमुना कार्य योजना चरण-I यमुना नदी की सफाई के लिए 1993 में तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 15 शहरों को शामिल कर जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन निधि के साथ शुरू किया गया था। परियोजना फरवरी, 2003 में पूरी हो गई हैं। परियोजना पर कुल व्यय 668 करोड़ रुपये हुआ था जिसमें हरियाणा का 218 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश का 270 करोड़ रुपये और दिल्ली का 180 करोड़ रुपये था। इस योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण की कुल 218 स्कीमें पूरी हुई थी और 741 एम एल डी की अतिरिक्त शोधन क्षमता के साथ 34 सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित स्थापित किए गए थे जिसमें उत्तर प्रदेश में 402 एम एल डी, हरियाणा में 309 एम एल डी और दिल्ली में 30 एम एल डी थी। यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं। यमुना कार्य योजना चरण-II को यमुना कार्य योजना चरण-I के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था।

विवरण

यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत पूरे हो चुके कार्य

क्र.सं.	स्कीम की किस्म	स्कीमों की संख्या
1.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	72
2.	सीवेज शोधन संयंत्र	64 (741 एम एल डी)
3.	अल्प लागत शौचालय	30
4.	शवदाह गृह	18
5.	नदी तटाग्र विकास	4
6.	अन्य स्कीमें (वनीकरण, जनभागीदारी आदी)	30स
	कुल	218

'रोजगार बढ़ाओं' रणनीति

824. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु 'रोजगार बढ़ाओं' रणनीति बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार की 'रोजगार बढ़ाओ' रणनीति में राज्य सरकारों और देश के आर्थिक क्षेत्रों द्वारा किस प्रकार की भूमिका की आशा हैं;

(घ) 'रोजगार बढ़ाओ' रणनीति के क्रियान्वयन से रोजगार संबंधी अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या हैं; और

(ङ) रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना हैं और 'रोजगार बढ़ाओ' रणनीति के अंतर्गत किन क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) दसवी योजना की विकास नीति में उच्च गुणात्मक रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाईयों के समाधान की सम्भावना वाले क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया गया हैं।

दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दृष्टिकोण से योजना के उद्देश्य की पुनरावृत्ति होती हैं कि बेरोजगारी के बैकलॉग को कम करने के लिए रोजगार वृद्धि, श्रम बल वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिफारिश की गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं;

- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन।
- लघु एवं मझोले उद्यमों में अधिक निवेश हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार।
- निर्माण क्षेत्र, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाओं का पता लगाना।
- निजी निवेश के विस्तार हेतु अवसंरचना में सुधार।
- सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सभी सेवाओं, व्यवसाय, संवितरण, परिवहन, दूरसंचार, वित्त तथा पर्यटन सहित सेवा उद्योग को प्रोत्साहन।
- कृषि -संसाधन तथा ग्रामीण सेवाओं पर अधिक बल।

2. रोजगार सृजन हेतु देश में अनेक रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

3. प्रत्येक उस निर्धन परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हों, को कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हेतु केन्द्रीय कानून को अधिनियमित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। 14.11.2004 को 153 पिछड़े जिलों में, इन क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाने के मद्देनजर कार्य के बदले अनाज नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया गया हैं।

4. रोजगार सृजन हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना एवं क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व हैं। तथापि, देश में रोजगार सृजन की गति और पैटर्न अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर और संरचना पर निर्भर करते हैं।

अप्रयुक्त वर्षाजल के उपयोग संबंधी अनुसंधान

825. **श्री रामदास आठवले:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए अप्रयुक्त वर्षाजल के उपयोग संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या देश में वर्षा जल के उपयोग हेतु कोई तकनीक हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह तकनीक कितनी उपयोगी रही हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल प्रबंधन और अधिशेष मानसून अपवाह के पूर्ण उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करता हैं। देश के विभिन्न भागों में कराये गए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की हैं। इस रिपोर्ट में देश में पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहार्यता के बारे में एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई हैं। इसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना हैं। उपरोक्त रिपोर्ट में की गई परिकल्पना के अनुसार कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र और पुनर्भरण किए जाने वाले सतही जल की मात्रा के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अप्रयुक्त वर्षा जल के उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों से संबंधित कृत्रिम पुनर्भरण के बारे में मैन्युअल और दिशानिर्देश तैयार किए हैं। अप्रयुक्त वर्षा जल के उपयोग के लिए परिश्रवण टैंक, चेक बांध, पुनर्भरण शैफ्ट्स/ट्रेंचेज/पीट्स, उपसतही डाइक, नालाबंध, कंटूर बंध, गल्ली प्लग्स आदि प्रचलित वर्षा जल संचयन संरचनाएं हैं।

(घ) 8वीं और 9वीं योजना के दौरान कार्यान्वित वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीमों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पुनर्भरण स्कीमों का प्रभाव आकलन संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

विवरण I

मास्टर योजना में अभिकल्पित कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र और पुनर्भरण किए जाने वाले सतही जल की मात्रा के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र वर्ग	मि. घन मी. में पुनर्भरण किए जाने वाले सतही जल की मात्रा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65333	1095
2.	बिहार एवं झारखंड	4082	1120
3.	छत्तीसगढ़	11706	258
4.	दिल्ली	693	444
5.	गोवा	3701	529

1	2	3	4
6.	गुजरात	64264	1408
7.	हरियाणा	16120	685
8.	हिमाचल प्रदेश	—	149
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	161
10.	कर्नाटक	36710	2065
11.	केरल	4650	1078
12.	मध्य प्रदेश	36335	2320
13.	महाराष्ट्र	65267	2318
14.	उड़ीसा	8095	406
15.	पंजाब	22750	1200
16.	राजस्थान	39120	861
17.	सिक्किम	—	44
18.	तमिलनाडु	17292	3597
19.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	45180	14022
20.	पश्चिम बंगाल	7500	2664
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	3
22.	चंडीगढ़	33	26
	कुल	448831	36453

विवरण II

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के प्रभाव आकलन

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की सं. जिसके प्रभाव का आकलन किया गया	कृत्रिम पुनर्भरण संरचना	प्रभाव आकलन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 4500-5900 घनमीटर अपवाह जल पुनर्भरण किया गया।
		3	चेक बाध	एक वर्ष में 1000-1250 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	पुनर्भरण गड्ढों तथा पार्श्विक शाफ्ट्स का संयोजन	एक वर्ष में 370 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 7000 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
3.	असम	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 5500 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।

1	2	3	4	5
4.	बिहार	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 4700 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
5.	चंडीगढ़	6	छत पर वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 1440-13,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 34.50 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	पुनर्भरण खाईयां	एक वर्ष 9.50 लाख घनमीटर अपवाह वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
6.	गुजरात	3	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 11000-45000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
7.	हरियाणा	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 2350 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	पुनर्भरण शाफ्ट्स और इंजेक्शन कुओं का संयोजक	एक वर्ष में 3.50 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया। क्षय दर 1.175 मी./वर्ष से घटकर 0.25 मी./वर्ष हो गया।
8.	हिमाचल प्रदेश	3	चेक बांध	एक वर्ष में 1.20-21.00 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 300-1200 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
10.	झारखंड	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 4500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
11.	कर्नाटक	1	परिस्त्रवण टैंक, वाटरशेड, संरचानाओं, पुनर्भरण कुओं, छत के वर्षा जल के संचयन का संयोजन	परिस्त्रवण टैंकों से जलस्तर में 2-3.5 मीटर की वृद्धि और 9-16 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुए। पुनर्भरण कुओं सं 8.60 लाख घनमीटर जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
				वाटरशेड संरचनाओं से भूजल स्तरों में 3 से 5 मीटर की वृद्धि।
				छत के वर्षा जल संचयन से 530 घनमीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
12.	केरल	1	उप-सतही डाइक	भूजल स्तरों में 2 मीटर की वृद्धि से भूजल के प्रतिप्रवाह में 5000 घनमीटर के वृद्धि।
		1	पुनर्भरण कुएं	एक वर्ष में 2800 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 2000-15000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	ज्वारीय विनियामक	4000 घनमीटर अपवाह जल संरक्षित किया गया और प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह जल स्तर में 1.5 मीटर का अंतर देखा गया।
		1	चेक बांध	एक वर्ष में 30,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
13.	लक्षद्वीप	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 300 घनमीटर वर्षा जल का संचयन किया गया।
14.	मध्य प्रदेश	4	उप-सतही डाइक	उत्खनन कुओं में 0.80 से 3.80 मीटर तक और हैंडपंप में 6 से 12 मीटर तक जलस्तर में वृद्धि देखी गई हैं।
		1	परिस्रवण टैंक	कमान क्षेत्रों के अनुप्रवाह टैंकों में भूजल स्तरों में 1 से 4 मीटर तक वृद्धि देखी गई।
		1	छत के वर्षा जल का संचयन (1000 मकान)	एक वर्ष में 2 लाख घनमीटर से अधिक अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	उप-सतही डाइकों तथा चेक बांध का संयोजन	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में मौजूदा ट्यूबवेलों में 0.30 मीटर से 2.00 मीटर तक जल स्तर में वृद्धि देखी गई हैं।
15.	महाराष्ट्र	2	छत के वर्षा जल का संचयन प्रणाली	एक वर्ष में 196 से 280 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
		1	परिस्रवण टैंकों, और चेक बांधों का संयोजन	लाभान्वित क्षेत्र-लगभग 60 से 120 हेक्टेयर प्रति परिस्रवण टैंक, 3 से 15 हेक्टेयर प्रति चेक बांध। जल स्तर में वृद्धि- 1.5 मी. तक।
		1	परिस्रवण टैंकों, पुनर्भरण शाफ्ट, डगवेल पुनर्भरण	लाभान्वित क्षेत्र- स्कीम के आस पास 400-500 हेक्टेयर
16.	मेघालय	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 6800 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
17.	मिजोरम	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 50,000 घनमीटर अपवाह, जल का संचयन किया गया।
18.	नागालैंड	2	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 3700-12,800 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	चेक बांध	चेक बांधों के आसपास के क्षेत्र में जल स्तर 2.55 मीटा ऊपर हो गया है और जे.एन.यू. तथा आई.आई.टी. में प्रत्येक चेक बांध से 30 हेक्टेयर तक क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। कुशक नाला में एक वर्ष में 1.30 लाख घनमीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
		7	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 800 से 5000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		8	छत और फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 8500 से 20,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
20.	उड़ीसा	1	छत और फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 19,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
21.	पंजाब	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
		3	पुनर्भरण कुएं	एक वर्ष में 9 से 15.50 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	खाइयां	जल स्तर में 0.32 से 0.70 मीटर की औसत वृद्धि देखी गई हैं।
		2	क्षैतिज शाफ्ट, इंजेक्शन कुओं और पुनर्भरण खाइयों का संयोजन	स्कीम क्षेत्र के आस-पास भूजल स्तर में 1.70 लाख घनमीटर अपवाह जल के पुनर्भरण से 0.25 मीटर की औसत वृद्धि हुई।
		1	पुनर्भरण शाफ्ट और इंजेक्शन कुओं का संयोजन	एक वर्ष में 14,400 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
22.	राजस्थान	1	चेक बांध	एक वर्ष में 88,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया। जल स्तरों में वृद्धि-0.65 मीटर।
		12	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 350 से 2800 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	उप-सतही बैरियर	एक वर्ष 2000-11,500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
				जल स्तर में वृद्धि 0.25 से 0.60 मीटर।
23.	तमिलनाडु	1	उप-सतही डाइक	39.25 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुए।
		7	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 10,000-2,25,000 अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष 3700 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
24.	उत्तर प्रदेश	5	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 350 से 1100 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
25.	पश्चिम बंगाल	1	खेत, तालाब, नाला, बंद, उप-सतही डाइकों का संयोजन	जल स्तर में 0.15 मीटर की वृद्धि देखी गई।
		1	उप-सतही डाइक	जल स्तर में 0.45 मीटर की वृद्धि देखी गई।

वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संवर्धन

826. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेजी से समाप्त हो रहे जंगलों के कारण बाघों, तेंदुओं, शेरों तथा इसी प्रजाति के अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां तो नवीनतम चार गणनाओं के अनुसार उक्त प्रजाति के विभिन्न वन्य जीवों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वन्य जीवों की सुरक्षा करने और उनके संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत सरकार के नोटिस में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई हैं।

(ख) पिछली चार गणनाओं के दौरान तेंदुओं और बाघों का राज्य-वार संलग्न विवरण I और II में दिया गया हैं।

(ग) वन्यजीवों की सुरक्षा व संवर्धन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) वन्यजीवों और उनके पर्यावासों पर किस विकासात्मक परियोजना के प्रभाव का आकलन।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत शिकार व वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध बाघों, तेंदुओं, शेरों और बिल्ली जाति के अन्य बड़े जानवरों सहित वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई हैं।

(3) केन्द्रीय प्रायोजक स्कीमों के अंतर्गत, वन्य पशुओं के लिए पर्यावास की प्रभावी सुरक्षा व सुधार प्रदान करने के लिए क्षमता व अवसंरचना बढ़ाने हेतु राज्यों को वित्तीय व तकनीकी सहायता मुहैय्या कराई जा रही हैं।

(4) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) को वन्य जीवों के अपराधियों को पकड़ने व मुकदमा चलाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सशक्त बनाया गया हैं।

(5) गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वन्य जीवों के अवैध व्यापार शिकार को नियंत्रित करने के लिए फील्ड फॉरमेशन हेतु सहायता करने के लिए लिखा हैं।

विवरण I

राज्यों द्वारा सूचित की गई देश में तेंदुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1989	1993	1997	2001-02
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	119	138	110	41
2.	महाराष्ट्र	580	417	431	513
3.	केरल	27	16	एन.आर.	एन.आर.
4.	उड़ीसा	279	378	422	457
5.	कर्नाटक	283	455	एन.आर.	एन.आर.
6.	राजस्थान	461	475	474	481
7.	मध्य प्रदेश	2036	1700	1851	1066
8.	उत्तर प्रदेश	1095	711	1412	207
9.	आंध्र प्रदेश	301	152	138	505

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	199	821	एन.आर.	एन.आर.
11.	मणिपुर	—	—	एन.आर.	एन.आर.
12.	त्रिपुरा	37	18	एन.आर.	एन.आर.
13.	दादर और नगर हवेली	10	15	15	एन.आर.
14.	मिजोरम	38	49	28	एन.आर.
15.	नागालैंड	72	—	एन.आर.	42
16.	अरूणाचल प्रदेश	121	98	एन.आर.	एन.आर.
17.	सिक्किम	1	—	एन.आर.	एन.आर.
18.	गुजरात	702	772	832	999
19.	हरियाणा	19	25	एन.आर.	एन.आर.
20.	गोवा, दमन और द्वीव	18	31	25	41
21.	जम्मू और कश्मीर	4	—	एन.आर.	7
22.	पश्चिम बंगाल	108	108	एन.ए.	331
23.	बिहार	134	203	एन.ए.	एन.आर.
24.	असम	123	246	एन.ए.	248
25.	छत्तीसगढ़	—	—	—	1140
26.	उत्तरांचल	—	—	—	1961
27.	झारखंड	—	—	—	164
	कुल	6767	6828	5738	8203

विवरण II

देश में राज्यों द्वारा सूचित की गई तेंदुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1989	1993	1997	2001-02**
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	95	97	62	60
2.	महाराष्ट्र	417	276	257	238
3.	पश्चिम बंगाल	353	335	361	349
4.	कर्नाटक	257	305	350	401

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	157	137	103	76
6.	असम	376	325	458	354
7.	राजस्थान	99	64	58	58
8.	मध्य प्रदेश	985	912	927	710
9.	उत्तर प्रदेश	735	465	475	284
10.	आंध्र प्रदेश	235	197	171	192
11.	मिजोरम	18	28	12	28
12.	गुजरात	9	5	1	शून्य
13.	गोवा दमन और द्वीव	2	3	6	5
14.	उड़ीसा	243	226	194	173
15.	केरल	45	57	73	71
16.	छत्तीसगढ़	—	—	—	227
17.	झारखण्ड	—	—	—	34
18.	उत्तरांचल	—	—	—	251
	कुल	4026	3432	3508	3511
19.	मेघालय	34	53	*	47
20.	मणिपुर	31	—	*	एन.आर.
21.	त्रिपुरा	—	—	*	एन.आर.
22.	नागालैंड	104	83	*	23
23.	अरूणाचल प्रदेश	135	180	*	61***
24.	सिक्किम	4	2	*	एन.आर.
25.	हरियाणा	—	—	—	—
	कुल	308	318	—	131

एन.आर.: राज्यों द्वारा सूचित नहीं किये गए।

*पूर्वोत्तर राज्य में 1997 में बाघों की गणना नहीं की।

**संकलन/पुनरीक्षण हो रहा हैं।

***केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए।

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा

827. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति बनाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कार्यकरण की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने 26.2.2004 को प्रधान सचिव, सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया हैं। समिति में जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान सरकारों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यदल ने पहले ही अपना विचार विमर्श शुरू कर दिया हैं और इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति पर अपनी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी हैं।

(ग) कार्यदल की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

भारत और नेपाल द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी संयुक्त सर्वेक्षण

828. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री निखिल कुमार:
श्री विजय कृष्ण:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल भारत में बाढ़ नियंत्रण के उपाय ढूंढने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों ने पूर्व की उक्त बैठकों में लिए गए अपने निर्णयों की भी जांच की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) नेपाल से आने वाली नदी के जल के कारण होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत और नेपाल सप्त कोसी उच्च बांध बहुद्देशीय परियोजना ओर सन कोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम (एस के एस के आई) के लिए क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हो गए हैं जिसके लिए नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना कर ली गई हैं। इस परियोजना से अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण लाभ होंगे।

(ग) से (ङ) जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जे सी डब्ल्यू आर) की अक्टूबर, 2004 में आयोजित दूसरी बैठक में जल संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सहयोग से संबंधित विविध मामलों पर विचार विमर्श किया गया और समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों द्वारा बाढ़ से होने वाली तबाही में कमी लाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों की पहचान प्राथमिकता आधार पर करने के वास्ते विभिन्न नदियों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अल्पकालिक कार्यनीति संयुक्त रूप से तैयार की जानी चाहिए, जिसके लिए संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी।

यह भी निर्णय लिया गया कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं का पता लगाने के लिए एस.के.एस.के.आई. के संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा कमला का व्यवहार्यता अध्ययन और बागमती बहुद्देशीय परियोजनाओं संबंधी प्रारंभिक अध्ययन किए जाएंगे ताकि इनका उपयुक्त रूप से समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति ने बाढ़ पूर्वानुमान मास्टर योजना का भी अनुमोदन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय पक्ष को अनुप्रवाह में पूर्वानुमान के लीड समय को बढ़ाने के लिए नेपाल के पक्ष को जल मौसम वैज्ञानिक केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा चरणबद्ध ढ़ंग से आंकड़ा पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उन्नयन करने की भी योजना हैं।

भारत और नेपाल द्वारा इस पर भी सहमति हुई कि बिहार में इन तटबंधों के ऊंचा करने और सुदृढ़ करने के अनुरूप लाल बकिया, बागमती, कमला और खांडो के तटबंधों को नेपाल में ऊंची भूमि से जोड़ा जाये। इसके लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता मुहैया करा रही हैं। गंभीर बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों का वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जा रही हैं।

प्याज पर लगे प्रतिबंधों का हटाया जाना

829. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के राहत देने हेतु प्याज पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या प्याज पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बाद किसान प्याज का निर्यात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से घरेलू आवश्यकता प्रभावित नहीं होगी; और

(ङ) इस निर्णय के क्रियान्वयन के बाद प्याज की कृत्रिम कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किए जाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्तमान आयात-निर्यात नीति (एक्जिम) के अनुसार प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं हैं। सरकार ने प्याज को दिनांक 25.11.04 से अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के क्षेत्राधिकार से भी बाहर कर दिया हैं जिससे प्याज के लाइसैंस प्राप्त करने, स्टॉक करने और आवाजाही जैसे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं।

(ग) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से सरकार के नामित राज्य व्यापार उद्यमों (एस टी ई) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्राप्त करने के पश्चात प्याज का निर्यात किया जा सकता हैं।

(घ) और (ङ) अंतरमंत्रालयीय समीक्षा समिति और उच्चधिकार प्राप्त मूल्य प्रबोधन बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्याज की उपलब्धता और मूल्यों का प्रबोधन किया जाता हैं। यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक नीतिगत उपाय किए जाते हैं।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम

830. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि विश्व बैंक द्वारा 150 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण पर्यावरणीय प्रबंधन कार्यक्रम पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्रेडिट सं. 2930-आई एन) 29.62 लाख अमरीकी डालर (140.62 करोड़) से कार्यान्वित की गई हैं। परियोजना सितम्बर, 1997 में शुरू की गई थी और इसका कार्यान्वयन पहले ही पूरा हो चुका हैं और परियोजना 30-6-2004 को बंद हो गई हैं। परियोजना का समग्र निष्पादन संतोषजनक रहा हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योगों का स्थानांतरण

831. **श्री मुनव्वर हसन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से नगर-वार किन-किन और कितने उद्योगों को स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या उक्त उद्योगों का वैकल्पिक स्थान आंबटित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में गजरौला स्थित 'वैम आर्गेनिक्स' को भी अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पेंशन योजना

832. श्री सुरेश चन्देल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारी सेवानिवृति के बाद पेंशनयोजना को प्राथमिकता दे रहे हैं और केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा अंशदायी भविष्य नीधि (सीपीएफ) से कटौती के अनुपात में परिवर्तन किया हैं जिसके द्वारा अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पेंशन योजना लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस योजना के कारण सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कर्मचरियों का वेतन घट गया हैं तथा उन्हें मिलने वाली पेंशन घटे हुए वेतन के अनुपात में नहीं होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र की सीमेंट फैक्ट्रियों के कर्मचारी इस योजना के आंरभ होने के बाद से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि पेंशन बहुत कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विसंगति को कब तक दूर किया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बनाई गई पेंशन स्कीम, 1995 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं जिन पर अधिनियम लागू हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण पर बढ़े हुए प्रदूषण का प्रभाव

833. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन राज्यों का ब्यौरा क्या हैं जहां धूल कण के कारण लोगों के जीवन, करोड़ों रुपये की संपति और फसलों का अत्यधिक नुकसान हो रहा हैं;

(ख) क्या गत अनेक वर्षों से धूल कणों, जिससे भूमि के उर्वरता प्रभावित हुई हैं और परिणामस्वरूप भूमि बंजर हो गई हैं में तेजी से वृद्धि होने के कारण पर्यावरण में और अधिक आई गिरावट को रोकने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए क्या निवारक उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से नेशनल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानिटरिंग प्रोग्राम (1995-2003) के अंतर्गत देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा पर आधारित 65 शहरों की पहचान की हैं जिनमें वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित प्रतिमानकों से अधिक हैं। एक राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) धूल प्रदूषण के स्तर की जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य योजना बनाने के लिए फार्मेट/दिशानिर्देश परिचालित किए हैं जिनमें शामिल हैं:

- वायु प्रदूषण के स्त्रोतों की पहचान।
- प्रदूषण भार का आकलन।
- पहचाने गए स्त्रोतों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहर-वार कार्य योजना की तैयारी।
- कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए इण्टर-एजेंसी कार्य बल की स्थापना।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, पर्यावरण (प्रदूषण और निवारण नियंत्रण) प्राधिकरण ने संबंधित सात शहरों की कार्य योजनायें अपनी टिप्पणियों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दी हैं।

(3) कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुविधा के लिए वायु प्रदूषण की वस्तु सूची की मानिटरिंग के लिए, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया हैं।

(घ) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में मेसर्स डायमण्ड सीमेंट प्लान्ट, नामक एक सीमेंट प्लान्ट हैं। उद्योग ने जहां भी धूल उत्पन्न होने की उम्मीद हैं, उन सभी स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण साधन स्थापित किए हैं।

विवरण

भारत में गैर प्राप्य शहरों की सूची

(परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ा 1995-2003)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शहर	प्रदूषण का प्रमुख स्रोत	प्रदूषक का संबंध
1	2	3	4	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		विशाखापट्नम	वाहन, उद्योग	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
2.	असम	गुवाहाटी	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
3.	बिहार	पटना	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
4.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
5.	छत्तीसगढ़	भिलाई	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		कोरबा	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		रायपुर	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
6.	दिल्ली	दिल्ली	वाहन	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
7.	गोआ	पणजी	उद्योग, वाहन	एसपीएम
8.	गुजरात	अहमदाबाद	वाहन, उद्योग	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		अंकलेश्वर	उद्योग	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		जामनगर	उद्योग, वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		राजकोट	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		सूरत	उद्योग, वाहन	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		बड़ोदरा	वाहन, उद्योग	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		वापी	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	वाहन, उद्योग	एसपीएम
		यमुनानगर	उद्योग, वाहन	एसपीएम
10.	हिमाचल प्रदेश	डमताल	प्राकृतिक धूल कण	एसपीएम
		पाँटा साहिब	प्राकृतिक धूल कण	एसपीएम
		परवाणु	उद्योग, प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
		शिमला	प्राकृतिक धूल कण	एसपीएम
11.	झारखण्ड	धनबाद	उद्योग	एसओ$_2$, एनओ$_2$, एसपीएम
		जमशेदपुर	उद्योग	एनओ$_2$, एसपीएम
		झरिया	उद्योग, प्राकृतिक धूल कण	एसपीएम

1	2	3	4	4
12.	कर्नाटक	बंगलौर	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
13.	केरल	कोट्टयम	वाहन	आरएसपीएम
		कोचि	वाहन उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		तिरुवनन्तपुरम	वाहन	आरएसपीएम
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		इन्दौर	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		जबलपुर	वाहन	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		नागदा	उद्योग	एसओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		सतना	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
15.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		मुम्बई	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		पुने	वाहन	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		नागपुर	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		नासिक	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		सोलापुर	वाहन प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
16.	मेघालय	शिलांग	वाहन	आरएसपीएम
17.	उड़ीसा	अंगुल	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
		रायगढ़	उद्योग	आरएसपीएम
		राउरकेला	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
18.	पंजाब	गोविन्दगढ़	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		लुधियाना	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		जालंधर	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
19.	राजस्थान	अलवर	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		जयपुर	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		जोधपुर	प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
		कोटा	वाहन, उद्योग	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम
		उदयपुर	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम

1	2	3	4	4
20.	तमिलनाडु	चेन्नई	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		मदुरई	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		अनपारा	उद्योग	आरएसपीएम
		कानपुर	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		लखनऊ	वाहन	आरएसपीएम, एसपीएम
		गजरौला	उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		नोएडा	वाहन, प्राकृतिक धूल कण, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम
		वाराणसी	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
22.	उत्तरांचल	देहरादून	वाहन, प्राकृतिक धूल कण	आरएसपीएम, एसपीएम
23.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	वाहन, उद्योग	आरएसपीएम, एसपीएम, एनओ$_2$
		हावड़ा	वाहन, उद्योग	एसओ$_2$, एनओ$_2$, आरएसपीएम, एसपीएम

पर्यटन क्षेत्र में अंतर-मंत्रालयीय समूह का गठन

834. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर-मंत्रालयीय समूह ने सरकार को सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अंतर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श हेतु एक प्रणाली गठित की हैं।

[अनुवाद]

समेकित डेयरी विकास परियोजना

835. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित डेयरी विकास परियोजना के कार्यकरण से संबंधित कोई मूल्यांकन अध्ययन किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और उक्त अध्ययन किन-किन राज्यों में किया गया हैं; और

(ग) देश में समेकित डेयरी विकास परियोजना की सफलता हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) मंत्रालय ने आई.डी.डी.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव के अध्ययन का काम दो विभिन्न संगठनों को सौंपा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अध्ययन का कार्य मानव विकास संस्थान को सौंपा गया था। अध्ययन में योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यकलापों को जारी रखने और आगे विस्तार करने की सिफारिश की गई हैं। इसमें यह भी सुझाव दिया गया हैं कि राज्य दुग्ध संघों द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए और धनराशि राज्य सरकारों के बजाय सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाए।

उड़ीसा, महाराष्ट्र और नागालैंड राज्यों के अध्ययन का काम योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ) को

सौंपा गया था। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं: योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की बजाए राज्य दुग्ध संघों के जरिए किया जाए, अधिक वास्तविक एवं प्रभावी नियोजन हेतु परियोजना के स्थानों का सर्वेक्षण किया जाए, अंतर एजेंसी समन्वय में सुधार किया जाए, इत्यादि। इन अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, आई डी डी पी योजना के संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

हिमालय के वन संसाधनों का संरक्षण

836. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमालय के वन संसाधनों के संरक्षण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) हिमालय क्षेत्र में वन भूमि के मृदा अपरदन, घटते वन क्षेत्र, भूस्खलन आदि की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही हैं; और

(ग) हिमालय क्षेत्रों के लोगों को जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तीन प्रमुख योजनाएं, नामत: राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (एम एन आर एम एस), गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान (जी बी पी आई एच ई डी) को सहायता और एकीकृत परि-विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आई ई आर पी) कार्यान्वित की जा रही हैं। इस मंत्रालय की राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) योजना के तहत देश के वन विकास अभिकरणों को, संयुक्त वन प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत वन संसाधनों के सहभागी विकास हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाती हैं। 15-11-2004 की स्थिति के अनुसार एन ए पी योजना के अन्तर्गत हिमालयी राज्यों में 2.60 लाख हेक्टेयर खेत्र के उपचार हेतु 404.47 करोड़ रुपये की लागत पर 185 एफ डी ए परियोजनाएं चलाई गई हैं।

(ख) वन भूमि का मृदा अपरदन, वन क्षेत्र में गिरावट आना और भू-दृश्य के पहलूओं पर अनुसंधान करना, गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान की अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं में से एक हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय में भू-दृश्य जोखिम मूल्यांकन, गढ़वाल हिमालय की अलकनंदा घाटी में पर्यावरणीय खतरों का वर्गीकरण, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) का उपयोग करते हुए मणिपुर नदी के ऊपरी कैचमैंट में वन क्षेत्र और भूमि उपयोग गतिकी का विश्लेषण भी किया जा रहा हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत मृदा और आर्दता संरख हेतु एफ डी ए परियोजना के बागान घटक का 15 प्रतिशत व्यय करने की अनुमति दी गई हैं।

(ग) गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान द्वारा ऑन-साइट प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों जागरूकता शिविरों आदि का आयोजन करके सम्बद्ध अनुसंधान और विकास से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाता हैं।

[अनुवाद]

क्रिकेट टीम का चयन

837. श्री राम कृपाल यादव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्ट्रेलिया दौरे के लिए क्रिकेट टीम के चयन में कोई समस्या सामने आई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार का विचार चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किया गया हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) क्रिकेट टीम का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई) के अधिकार क्षेत्र में हैं और सरकार चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती हैं।

भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण

838. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-जल को कृत्रिम रूप से भरने के लिए कोई योजना बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृत्रिम भू-जल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन संवर्धन के लिए योजना तैयार करने का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकार का हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने दसवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रस्तुत की हैं। इस स्कीम के तहत प्रस्तावित निधि का राज्य वार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

विवरण

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन से संबंधित केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत प्रस्तावित निधि का राज्य-वार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित निधि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00
3.	असम	2.00
4.	बिहार	3.80
5.	झारखंड	3.70
6.	छत्तीसगढ़	5.00
7.	दिल्ली	3.00
8.	गोवा	1.50
9.	गुजरात	13.50
10.	हरियाणा	3.50
11.	हिमाचल प्रदेश	3.50
12.	जम्मू एवं कश्मीर	3.50
13.	कर्नाटक	13.50
14.	केरल	3.50
15.	मध्य प्रदेश	11.00
16.	महाराष्ट्र	11.00
17.	मणिपुर	1.50
18.	मेघालय	1.00
19.	मिजोरम	1.00
20.	नागालैंड	1.00
21.	उड़ीसा	8.00
22.	पंजाब	5.00
23.	राजस्थान	13.50
24.	सिक्किम	1.50
25.	तमिलनाडु	13.50
26.	त्रिपुरा	1.50
27.	उत्तर प्रदेश	10.15
28.	उत्तरांचल	4.85
29.	पश्चिम बंगाल	9.00
30.	अण्डमान और निकोबार	1.00
31.	चंडीगढ़	1.00
32.	दादरा और नगर हवेली	1.00
33.	दमन और दीव	1.00
34.	लक्षद्वीप	1.00
35.	पांडिचेरी	1.00
	कुल	175.00

जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन संभाव्यता का दोहन

839. **श्री अनन्त नायक**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन सम्भाव्यता का पूरा दोहन नहीं किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटक स्थलों के विकास का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए अधिक राजस्व सृजन वाले परियोजनाओं की सहायता करने संबंधी योजनाएं तैयार की हैं।

पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके साथ परामर्श के आधार पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	अवमुक्त राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
	(क) उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं		
	2002-03		
1.	रघुराजपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	50.00	40.00
2.	कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण और आई टी ग्रुप्स	7.50	3.75
	2003-04		
1.	पुरी का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	394.55	118.00
2.	राजारानी संगीत उत्सव	5.00	4.00
3.	लोकनृत्य उत्सव	5.00	4.00
4.	बौद्ध महोत्सव	10.00	8.00
5.	कोणार्क उत्सव	5.00	4.50
	(ख) झारखंड राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं		
	2003-04		
1.	झारखंड परिपथ का विकास	716.00	381.60
2.	मधुबनी और गिरडीह में पारसनाथ का एकीकृत विकास (आई टी डी सी) (गंतव्य विकास)	393.00	393.00
	(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत परियोजनाएं		
	2002-03		
1.	जगदलपुर (बस्तर) का गंतव्य विकास	277.50	83.00

1	2	3	4
2.	आई टी उपकरणों की प्राप्ति	30.00	15.00
3.	विश्व पर्यटन दिवस के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता	0.50	0.50
	2003-04		
1.	नगरनार में ग्रामीण पर्यटन	48.00	38.40
2.	ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत चित्रकूट गांव का विकास	50.00	40.00
3.	चंपारण में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	15.00
4.	कवर्धा-रायपुर-बरनावपारा-राजीम-गंगरेल-कांकड़-केशाल-कोंडागांव-नगरनार को कवर करते हुए पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	800.00	250.00
5.	राजीम और भोरामदेव उत्सव	7.00	5.60
6.	चित्रकुट ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	15.00

केरल फॉरेस्ट (वेस्टिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजीकली फ्रेजाइल लैन्ड्स) बिल 2001

840. श्री सुरेश कुरूप: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल फौरेस्ट (वेस्टिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजीकली फ्रेजाइल लैन्ड्स) बिल, 2001 को अपनी मंजूरी दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) दी केरल फौरेस्ट (वोस्टिंग एंण्ड मैनेजमैंट ऑफ इकोलॉजीकली फ्रेजाइल लैण्ड्स) बिल, 2001 केरल राज्य में इकालोजिकली फ्रेजाइल लैण्ड्स की वेस्टिंग के लिए हैं जिसमें पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने तथा जैव-विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमियों के प्रबंधन हेतु प्रावधान हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के पलानी में भगवान कार्तिक के मंदिर का विकास

841. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि तमिलनाडु के पलानी में भगवान कार्तिक के प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन अनेक श्रृद्धालु आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मंदिर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी करने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) गंतव्यों तथा एकीकृत पर्यटन परिपथों पर कार्यान्वयन का प्रावधान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का कोटा

842. श्री हरिकेवल प्रसादः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश को आवंटित मिट्टी के तेल के कोटे का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य का मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश को क्रमशः 12,88,674 मी.टन, 12,61,121 मी.टन और 12,32,633 मी.टन मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2002 में, सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले मिट्टी के तेल के आबंटन में कमी करने का नीतिगत निर्णय लिया था। तदनुसार, सरकार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में कमी करती रही हैं। अतः उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को नहीं माना गया था। तथापि, वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान क्रमशः बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 3891 मी.टन और 5837 मी.टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया हैं।

[अनुवाद]

नई सिंचाई परियोजनाएं

843. श्री दुष्यंत सिंहः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में नई सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई योजना हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इसमें कितनी अनुमानित लागत आएगी तथा ऐसी प्रत्येक परियोजना की सिंचाई संभाव्यता क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन तथा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 211 नई वृंहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया हैं। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		
		वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19	24	43
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	4	2	6

1	2	3	4	5
5.	झारखंड	0	3	3
6.	गोवा	0	2	2
7.	गुजरात	3	27	30
8.	हरियाणा	5	3	8
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0	6	6
11.	कर्नाटक	3	10	13
12.	केरल	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	3	2	5
14.	छत्तीसगढ़	4	0	4
15.	महाराष्ट्र	6	21	27
16.	मणिपुर	1	2	3
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	1	1
20.	उड़ीसा	11	5	16
21.	पंजाब	1	0	1
22.	राजस्थान	4	15	19
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	6	0	6
27.	उत्तरांचल	—	—	0
28.	पश्चिम बंगाल	6	12	18
	कुल	76	135	211

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	इंचमपल्ली	4000.00	63.58
2.	गुंदालाकम्मा	195.00	30.55
3.	भीमा लिफ्ट	1549.00	82.15
4.	पोलावरम बैराज (बहुउद्देश्यीय)	10111.00	291.11
5.	हंदरी नीवा सुजाला	740.00	242.82
6.	वेलिगोंडा	1664.00	177.33
7.	ताराकरमा कनष्ट नावेल एलआईएस	68.28	22.66
8.	श्री गुरू राघवेन्द्र डायवर्सन स्कीम	163.60	20.25
9.	पोलावरम यू स्कीम	280.00	414.76
10.	दुम्मुपुरम एमपीपी	1226.00	36.87
11.	निजाम सागर एलआई स्कीम	229.96	25.91
12.	गोदावरी यू स्कीम	1800.00	200.00
13.	यालमपल्ली बैराज	980.00	110.00
14.	प्रणहिता एलआई स्कीम	180.00	20.24
15.	नेत्तामपादु एलआई स्कीम	134.31	10.93
16.	एस.एस.एल.सी. स्कीम	243.00	34.00
17.	थोटापल्ली	450.00	74.49
18.	निचली पेनगंगा	138.00	16.19
19.	कलवाकुर्ती एलआई स्कीम	380.00	10.93
	उप जोड़	24532.15	1884.77
	बिहार		
20.	ऊपरी महानंदा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	ऊपरी सकरी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
22.	पश्चिमी कंकाई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
23.	पुनपुन बैराज	102.260	13.920
	उप जोड़	102.260	13.920
	गुजरात		
24.	भातपुर	114.840	21.22
25.	ओरसांग	20.36	15.070
26.	कल्पसर	53916.000	0.00
	उप जोड़	54051.200	36.290
	हरियाणा		
27.	मेवात लिफ्ट सिंचाई परियोजना	207.540	44.0
28.	घरौंदा सिंचाई परियोजना	15.00	12.0
29.	लदवा लिफ्ट परियोजना	40.00	13.00
30.	नलवी सिंचाई परियोजना	200.00	47.0
31.	कांडी क्षेत्र सिंचाई परियोजना	50.00	उपलब्ध नहीं
	उप जोड़	512.54	116.00
	कर्नाटक		
32.	भीमा प्रवाह	185.18	42.17
33.	रामथल लिफ्ट	114.05	22.26
34.	स्वर्ण	—	—
	उप जोड़	299.230	64.430
	मध्य प्रदेश		
35.	हलोन	193.01	उपलब्ध नहीं
36.	निचली गोई	164.45	13.76
37.	ऊपरी नर्मदा	340.65	18.61
	उप जोड़	698.11	32.37
	छत्तीसगढ़		
38.	अरपा	265.71	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
39.	मोंगरा	77.27	उपलब्ध नहीं
40.	केलो	92.43	उपलब्ध नहीं
41.	पैरी	—	—
	उप जोड़	435.410	0.000
	महाराष्ट्र		
42.	इरकुक एलआईएस	171.170	30.100
43.	जिहे कथापुर एलआईएस	483.900	23.900
44.	जीगांव	929.700	91.800
45.	भागापुर एलआईएस	557.020	18.140
46.	ऊपरी तापी चरण-II	907.090	59.910
47.	बोदवाद एलआईएस	689.140	27.030
	उप जोड़	3738.020	250.880
	मणिपुर		
48.	चकपी बहुउद्देश्यीय परियोजना	160.00	12.00
	उप जोड़	160.00	12.00
	उड़ीसा		
49.	बुरतांग	277.25	31.00
50.	ओंग बांध	304.66	34.50
51.	राउल उत्ताई	300.000	45.00
52.	आई बी परियोजना	966.030	115.00
53.	जोकादिया बैराज	218.40	17.50
54.	क्रीक सिंचाई	20.00	9.87
55.	कतरा	69.00	7.20
56.	महेन्द्र तनाया	68.96	7.04
57.	तुरीगुंताल	56.960	7.77
58.	देवकुंदा	30.750	3.96
59.	तेलनगिरी	104.070	13.83
	उप जोड़	2416.080	292.670

1	2	3	4
	पंजाब		
60.	श्री दसमेश सिंचाई परियोजना	64.700	130.000
	उप जोड़	64.700	130.000
	राजस्थान		
61.	इंदिरा लिफ्ट	1476.00	74.070
62.	मोहनार्थना	365.00	37.970
63.	माही एचएलसी	450.00	उपलब्ध नहीं
64.	यमुना संपर्क नहर	756.00	—
	उप जोड़	3047.00	112.04
	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल		
65.	कचनौधा बांध	70.45	13.55
66.	भरोत उत्तरी बांध	52.10	12.800
67.	मध्य गंगा नहर फेज-II	1645.31	150.34
68.	बदौम सिंचाई स्कीम	270.00	36.45
69.	हथनीकुंड संपर्क चैनल चरण-II	159.00	112.00
70.	सारदा सहायक चरण-II	75.00	उपलब्ध नहीं
	उप जोड़	2271.860	325.140
	पश्चिम बंगाल		
71.	धारकेश्वर एवं गांदेश्ववरी	120.00	45.000
72.	ऊपरी कंग्सावती	43.80	59.00
73.	दोलोंग	35.00	22.000
74.	अजोय जलाशय	70.00	20.000
75.	सिदेश्वरी नोरीभुल जलाशय	50.00	55.000
76.	तीस्ता बैराज चरण-II	111.60	314.000
	उप जोड़	430.40	456.00
	कुल जोड़	90562.10	3401.37

दसवीं योजना की नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता (हजार (हेक्टेयर
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	वेलिगालु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	लेंडी (एस)	उपलबध नहीं	उपलबध नहीं
3.	मोदकुमबागा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	येरावागु	11.13	उपलब्ध नहीं
5.	पेद्यागांत्स	0.00	उपलब्ध नहीं
6.	कोवादतगुवा	9.76	उपलबध नहीं
7.	भुपथपातेन	0.00	उपलब्ध नहीं
8.	बहुदा बैराज	0.00	उपलब्ध नहीं
9.	मुत्सुपुनिल	0.00	उपलब्ध नहीं
10.	मल्टीयेदु वागु परियोजना	0.00	उपलब्ध नहीं
11.	गोलावागु	0.04	उपलब्ध नहीं
12.	पेद्दावागु (बकरापुदेम)	0.00	उपलब्ध नहीं
13.	पेद्दावागु (दसनापुर)		2.43
14.	रालीवागु (मुकाकाला)		3.85
15.	मथाड वागु परियोजना		3.44
16.	पेद्दावागु (नीलवारा)		5.26
17.	पेद्दावागु डाइवर्सन (अप्रनातपुर स्कीम)		4.86
18.	ताराकारनताई तीर्थ सागरम		12.21
19.	पेद्दावागु (अदा)		12.34
20.	स्वर्णमुखी बैराज		2.33
21.	संगनतांधा एलआई स्कीम		6.42

1	2	3	4
22.	जेमक्यावागु		2.50
23.	सुद्दावागु		5.66
24.	सुरम		8.26
	उप जोड़	20.93	69.56
	बिहार		
25.	अवसाने स्कीम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	वांडेल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	उप जोड़	0.00	0.00
	झारखंड		
27.	कन्होर	1350.00	57.67
28.	गढ़ी	143.94	उपलब्ध नहीं
29.	ताहली	200.00	17.00
	उप जोड़	1693.94	74.67
	गोवा		
30.	जुराल नदी बेसिन परियोजना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31.	मांडवी नदी बेसिन परियोजना	उपलब्ध नहीं	उपलबध नहीं
	उप जोड़	0.00	0.00
	गुजरात		
32.	चिंचपाद	15.04	2.80
33.	खातम्बा	27.00	2.96
34.	महुप्पादा	50.21	3.64
35.	मनमोदी	42.21	2.35
36.	नाज पावती	15.80	4.00
37.	अंबा	67.97	6.35
38.	पलून्द्रा	6.24	4.00
39.	हन्मात्म	28.98	2.24

1	2	3	4
40.	उमरगुम	4.50	उपलब्ध नहीं
41.	वाधवन	50.00	उपलब्ध नहीं
42.	राना खिर	50.00	उपलब्ध नहीं
43.	गोरथिया एम	25.00	उपलब्ध नहीं
44.	अनी	8.12	3.52
45.	मच्छू- II	33.50	1.36
46.	संताली	47.60	9.00
47.	वालन	30.00	7.40
48.	चौक्या	40.50	2.97
49.	जलोदा	19.55	4.01
50.	उगता	37.16	4.96
51.	नानी-बरसान	49.67	5.41
52.	गलकुंड	45.22	1.37
53.	वर्धा	135.39	9.15
54.	बड़ीपादा	50.64	2.17
55.	सिंगोदा- II	26.30	3.50
56.	उमरचा	22.42	6.45
57.	उद्याम	22.09	5.46
58.	वधावन भोगावो- II	23.00	3.29
	उप जोड़	838.72	98.36
	हरियाणा		
59.	जत्तीपुर माइनर एवं पासिंग उपमाइनर	5.00	5.00
60.	नारदिक डिस्टी	5.00	उपलब्ध नहीं
61.	आगरा नहर प्रणाली की संभरण वाहिकाएं	10.00	उपलब्ध नहीं
	उप जोड़	20.00	5.00

1	2	3	4
	जम्मू एवं कश्मीर		
62.	कांदी नहर भदेर वाह	24.87	3.20
63.	अंबारन	89.00	8.73
64.	लरखुल सोफियान	37.85	10.12
65.	लार नहर गंदेरभाल	6.08	2.02
66.	दाब नहर गंदेरभाल	5.41	2.06
67.	सोनमुन खुली कुलगाम	4.58	4.00
	उप जोड़	167.79	30.13
	कर्नाटक		
68.	कोगना	51.91	उपलब्ध नहीं
69.	मंजरा लिफ्ट	27.51	उपलब्ध नहीं
70.	गुरूपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
71.	कालीनदी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
72.	कल्लुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
73.	मुल्ली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
74.	हरिहोल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
75.	पयस्विनी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
76.	शालमाला	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
77.	शरवती	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	उप जोड़	79.42	0.00
	मध्य प्रदेश		
78.	ऊपरी बेदा	87.86	13.37
79.	ककराकी मऊ	13.93	2.27
	उप जोड़	101.79	15.64
	महाराष्ट्र		
80.	अनाला एलआईएस	28.00	2.50

1	2	3	4
81.	हिरण्यकेशी (एंबीहोल)	50.85	6.34
82.	हिरण्यकेशी (सर्फनाला)	46.56	3.39
83.	लोंधानाला	13.06	0.67
84.	कलमोदी	119.17	5.07
85.	मुलशी	11.63	6.50
86.	संगोला एलआईएस	0.00	6.53
87.	शिराला एलआईएस	35.00	2.85
88.	सिना मेहेकारी एलआईएस	43.00	4.05
89.	गोमाई	7.30	4.48
90.	कुरहा वदहोदा एलआईएस	207.08	9.73
91.	नाशिराबाद एलआईएस	141.16	7.09
92.	पद्मालया-II एलआईएस	95.45	9.00
93.	प्रकाशा बुराई एलआईएस	205.88	7.09
94.	सुलवादे जामफल एलआईएस	905.84	33.37
95.	वारखेडे लोंधे	161.86	8.86
96.	बभाली बैराज	92.60	8.00
97.	लोहारा एलआईएस	40.77	2.22
98.	ऊपरी कुंडालिका	28.29	3.50
99.	अर्जुन	257.38	7.11
100.	कोरले सातंदी	134.41	3.41
	उप जोड़	2625.29	141.76
	मणिपुर		
101.	इरिल बहुउद्देश्यीय परियोजना	110.00	6.45
102.	कनगोई हिरामफन पर सेकमल नदी परियोजना	100.00	3.50
	उप जोड़	210.00	9.95

1	2	3	4
	नागालैंड		
103.	डीजुजा	136.00	11.50
	उप जोड़	136.00	11.50
	उड़ीसा		
104.	चेलीगादे	उपलब्ध नहीं	3.12
105.	धोरा गोथे	84.60	2.00
106.	दरक सिंचाई	42.50	3.55
107.	बडाझोरे सिंचाई	23.61	2.26
108.	रेत सिंचाई	86.14	8.50
	उप जोड़	236.85	19.43
	राजस्थान		
109.	पिपलाद	75.00	3.75
110.	चकन	40.00	2.88
111.	ओलावारा (लिफ्ट)	65.00	4.58
112.	करेली	60.00	3.62
113.	करई	95.00	4.80
114.	हिंडलोट	60.00	2.92
115.	लहासी	60.00	4.32
116.	तकली	64.00	5.17
117.	गैंग्रिन	185.00	उपलब्ध नहीं
118.	गुलेंडी	45.00	2.47
119.	हथियादेह	96.00	उपलब्ध नहीं
120.	अंधेरी	87.00	उपलब्ध नहीं
121.	बंदीसेंद्रा	31.87	4.09
122.	गरारदा	39.51	7.35
123.	सुल्दी	25.23	3.89
	उप जोड़	1028.61	49.84

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
124.	करू	57.60	2.10
125.	दमबेरा	78.87	3.60
126.	होराई	10.08	2.10
127.	सोभा	54.57	2.50
128.	सफाई	48.20	2.20
129.	राजबंध	52.58	2.10
130.	अटला	46.01	2.10
131.	पथारीकुरी	52.58	2.40
132.	कुश्करनी	18.00	6.00
133.	पागला	12.00	5.00
134.	बन्सलोई	15.00	9.00
135.	खाड़ियो तथा नालों में आप्लावित वीयरों का निर्माण	3.60	2.40
	उप जोड़	449.29	41.50
	कुल जोड़	7608.63	567.34

खतरनाक विषाक्त अपशिष्ट का पुनः चक्रण

844. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत खतरनाक विषाक्त अपशिष्ट का आयात कर रहा हैं जिससे बड़ी संख्या में देश के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वव्यापी पर्यावरण के लिए अपशिष्ट का पुनः चक्रण सबसे बड़ा खतरा हैं तथा पुनः चक्रण की प्रक्रिया से भारी मात्रा में विषाक्त सामग्री उत्पन्न होती हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता हैं तथा वहां कर्यरत श्रमिकों के लिए खतरा पैदा हो जाता हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों को विषाक्त अपशिष्ट का निर्यात व आयात उन देशों के लिए जिम्मेदारियों का अस्वीकार्य हस्तांतरण हैं जो कि इसके लिए सक्षम नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्टों के निर्यात को समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 के माध्यम से कड़ाई से विनियमित किया जाता हैं। परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत डम्पिंग अथवा निपटान के लिए खतरनाक अपशिष्ट का आयात प्रतिबंधित हैं। अत्यधिक परिसंकटमय अपशिष्टों की 29 श्रेणियां आयात और निर्यात उद्देश्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित

हैं। परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों की अनुसूची 3 की सूची क और ख के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ अभिनिर्धारित खतरनाक अपशिष्टों का कठोर विनियमित शर्तों के अन्तर्गत पुनः चक्रण/पुनः प्रयोग के लिए आयात किया जा सकता हैं। प्रयुक्त तेल और परिसंकटमय अपशिष्ट नियम की अनुसूची 4 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 22 श्रेणी के नान-फेरस धातु अपशिष्टों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत वास्तविक प्रयोगकर्ता, जिनके पास ऐसे अपशिष्टों की पुनः प्रक्रिया के लिए पर्यावरणीय अनुरूप प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध हैं; आयात कर सकते हैं।

भारत सहित 162 देशों द्वारा अनुसमर्थित खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पर मूवमेंट नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन में व्यवस्था हैं कि खतरनाक अपशिष्टों का आयात केवल आयात करने वाले देश की सहमति से होगा और वह भी केवल पुनः चक्रण/पुनः प्रसंस्करण के लिए/बेसल कन्वेंशन के मुख्य उपबंधों को परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों में शामिल किया गया हैं।

कर्नाटक में चित्रदुर्ग किले का विकास

845. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चित्रदुर्ग किले के विकास के लिए कोई प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना हैं तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) जी हां।

बाद में 5.00 करोड़ रुपयों की राशि के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लेने और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

अवैध भर्ती

846. श्री मोहन रावले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भर्ती एजेंटों तथा विदेशी सुरक्षा संविदाकारों सहित कई दलालों ने खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के लिए कुछ भारतीय को भर्ती किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कामगारों को नौकरी मिलने से पहले उप-संविदाकारों तथा रोजगार एजेंटों के पांच विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुंबई सहित देश के ऐसे दलालों के विरुद्ध कोई जांच कराई हैं जिन्होंने भारतीयों को इराक भेजा था;

(घ) यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा इराक में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने जा रही हैं तथा उन्हें यहां वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं कि कुछ पंजीकृत और अपंजीकृत बेईमान एजेंटों ने खाड़ी देशों में नौकरियों का आश्वासन देकर कुछ भारतीयों की भर्ती की थी।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और संबंधित भर्ती एजेंट का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिया गया था। पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज की गई थीं।

(ङ) इराक में विद्यमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सरकार ने 15.04.2004 से इराक के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को उत्प्रवास अनुमति/स्थगन आस्थगित कर दिया हैं। सभी भारतीय नागरिकों को इराक की अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई हैं। जो पहले से ही इराक में हैं उनके मामले में भारतीय दूतावास, भारत में प्रत्यावर्तन सहित, जब कोई भारतीय किसी भी तरह की मदद के लिए दूतावास आता हैं तो उसके मामले में तुरंत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उपद्रवी हाथी द्वारा लोगों का मारा जाना

847. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन अधिनियम के उपबंधों के कारण झारखण्ड में एक उपद्रवी हाथी को मारा नहीं जा रहा जो कई लोगों की जान ले चुका हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को झारखण्ड सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972, की धारा 11 के अंतर्गत राज्य का वन्यजीव वार्डन, किसी ऐसे हाथी को जो मानव जीन के लिए खतरनाक हो, का शिकार करने या पकड़ने की अनुमति देने के लिए सक्षम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों में वृद्धि

848. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने और उचित दर पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्य तेल की उपलब्धता

849. **श्री मोहन सिंह:**
श्री चंद्रकांत खैरे:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य तेलों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन ही इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन देशों से और कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुधारने के लिए श्वेत क्रांति की तर्ज पर कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक रूप से 124.04 लाख टन खाद्य तेलों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) खाद्य तेलों का मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेन्टीना तथा संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया जाता है। चूंकि किसी देश से आयात की मात्रा, आयातक के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करती है, अतः यह अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) और (ङ) देश में तिलहनों/खाद्य तेल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने तथा देश को तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों, दालों तेल ताड़ तथा

मक्का की एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम कार्यान्वित कर रही हैं।

(च) घरेलू बाजार में खाद्य तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नारियल के तेल के सिवाय खाद्य तेलों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी हुई हैं।

[अनुवाद]

सूखे के कारण आंध्र प्रदेश के किसानों की बीमा पालिसियों का व्यपगत होना

850. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि पिछले तीन वर्षों (अप्रैल 2001 से मार्च 2004) के दौरान सूखे के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहने पर आंध्र प्रदेश के किसानों की पांच लाख से अधिक बीमा पालिसियां व्यपगत हो गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पालिसीधारकों को अनुमानत: कितना नुकसान हुआ; और

(ग) प्रभावित किसानों की सहायता करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रहीं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रारम्भिक तीन वर्षों में प्रीमियम का भुगतान लगातार न हो पाने के कारण 2001 से 2004 की अवधि के दौरान ग्रामीण आंध्र प्रदेश में 421 124 बीमा पालिसियां, जिनकी कुल बीमित राशि 2810.78 करोड़ रु. हैं, व्ययगत हो गयी हैं।

(ग) पालिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी पालिसी बंद न होने पायें-

> भारतीय जीवन बीमा निगम देय तिथि के पहले पालिसी धारकों को नियमित प्रीमियम नोटिस भेजता हैं।

> यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता हैं तो तीन महीने के बाद ''डिफाल्ट नोटिस'' भेजा जाता हैं।

> यदि प्रीमियम का फिर भी भुगतान नहीं हो पाता हैं तो लगातार रिवाइवल कोटेशन्स भेजे जाते हैं।

> साधारणतया 'स्पेशल रिवाइवल कम्पेन' वर्ष में एक बार चलाया जाता हैं जिसके अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन प्रिमियम पर ब्याज में रिआयत दी जाती हैं। पालिसी धारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजने के अलावा ऐसे अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता हैं।

> संबंधित एजेंसियों और विकास अधिकारियों को बंद पालिसियों की सूची भी दी जाती हैं जिससे वे पालिसी धारकों से संपर्क बनाये रखते हैं।

> गांवों के लोगों के लिए ''नई जनरक्षा'' नामक एक विशेष नामित पालिसी तैयार की गयी हैं जिसके अंतर्गत भुगतान न किए गए पहले प्रीमियम की देय तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा भुगतान करने का प्रावधान हैं बशर्ते कि कम से कम दो वर्ष तक लगातार प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

जेट्टी का निर्माण

851. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने मत्स्यन के लिए ''जेट्टी'' के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात सरकार से मत्स्यन के लिए मात्र जेट्टी के निर्माण हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

तथापि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान, दो नए मत्स्यन बंदरगाहों, एक नवासरी जिले के धोलाई में और दूसरा जामनगर जिले के ओखा में दो नए बंदरगाहों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया हैं।

गिद्धों की कम होती जनसंख्या

852. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्लभ गिद्ध लाल फीताशाही के कारण मर रहे हैं जैसा कि 8 सितंबर, 2004 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में गिद्धों को बचाने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच लटक रहा हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या 1990 से गिद्धों की जनसंख्या में 95 प्रतिशत की कमी आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गिद्धों को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) डाइक्लोफिनाक से शोधित पशुधन कंकाल को खाने से भारत की नौ गिद्ध प्रजातियों में से तीन की संख्या बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। प्रजातियों को बचाने के लिए एक बहुमुखी रणनीति अपनाई गई हैं। इसमें वेटरीनरी डाइक्लोफिनेक को बंद करने और इसको किसी ऐसे प्रभावी विकल्प से बदलने, जिससे गिद्धों एवं अन्य वन्य प्रजातियों पर हानिकर प्रभाव न हो, शामिल हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने सलाह दी है कि स्थापन्न औषधियों के अवशिष्ट प्रभावों का इन्हें लागू करने से पहले अध्ययन कर लिया जाना चाहिए।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में प्रायोजित एक विशेष परियोजना के तहत मुम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में उजागर किया कि देश के कई भागों में गिद्धों की तीन प्रजातियों अर्थात् व्हाइट बैक्ड, लॉग वाइल्ड तथा सैलेन्डर वाइल्ड की संख्या में 90% से अधिक की कमी आई हैं। पोस्टमॉर्टम तथा निदानात्मक परीक्षणों से उजागर हुआ हैं कि यह प्रचंड कमी उन गिद्धों द्वारा, जो पशुओं के कंकाल खाते हैं, पशु चिकित्सा औषधि डाइक्लोफिनेक से अंतड़ियों में यूरिक एसिड जमा हो जाता हैं जिसकी वजह से अचानक मृत्यु हो जाती हैं।

(ङ) सरकार द्वारा गिद्धों को बचाने के लिए अब तक उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम इस प्रकार हैं:

(1) व्हाइट बैक्ड, लॉग वाइल्ड तथा सैलेन्डर वाइल्ड गिद्धों के सुरक्षा स्तर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV का क्रमोन्नयन अनुसूची I में दिया गया हैं।

(2) गिद्धों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों से परामर्श करके एक व्यापक रणनीति तैयार करने हेतु सितंबर, 2000 तथा अप्रैल, 2004 में दो कायाशालाएं नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(3) गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई हैं।

(4) मुंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी ने हरियाणा राज्य वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण पर एक परियोजना शुरू की हैं। पंचकुला में एक 'वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी' की स्थापना की हैं।

(5) स्वास्थ्य मंत्रालय से डाइक्लोफिनेक औषधि को किसी उपयुक्त वैकल्पित औषधि से बदलने का अनुरोध किया गया हैं।

(6) उत्तरांचल सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, रूड़की पशु चिकित्सा अस्पताल की चारदीवारी में एक अनंतिम गिद्ध देखभाल केन्द्र ने कार्य करना शुरू कर दिया हैं।

(7) उत्तरांचल सरकार ने सभी मुख्य पशु-चिकित्सा अधिकारियों को अपने पशु चिकित्सकों को डाइक्लोफिनेक के उपयोग को कम करने के निदेश देने को कहा हैं।

(8) उत्तरांचल सरकार ने औषधि नियंत्रणकों से डाइक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक लगाने का अनुरोध किया हैं।

(9) उत्तरांचल सरकार ने भारतीय औषधि निर्माता संघ से डाइक्लोफिनेक को किसी अन्य उपयुक्त विकल्प से बदलने का अनुरोध किया हैं।

(10) राज्य सरकारों से गिद्धों की तीन प्रजातियों के संरक्षण हेतु गिद्ध देखभाल केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया हैं।

प्रायद्वीपीय और हिमालय की नदियों का आपस में जोड़ा जाना

853. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने प्रायद्वीपीय और हिमालय की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना का कोई पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा केन्द्र सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 31 संपर्क परियोजनाओं के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं (14: हिमालयी और 17: प्रायद्वीपीय)।

(ग) इन रिपोर्टों को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्यों और संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। इन रिपोर्टों पर तकनीकी सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया गया और तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

854. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री सुरेश अंगडि:
श्री भाल चन्द्र यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में गन्ने के उत्पादन के आयी गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ना उत्पादकों को उन्नत उर्वरक उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2003-04 में गन्ने का उत्पादन 236.18 मिलियन मी. टन था जोकि 2002-03 के गन्ना उत्पादन से 16% अथवा 45.39 मिलियन मी. टन का था। जबकि 2002-03 में गन्ने का उत्पादन 20.13 मिलियन मी. टन था 2003-04 में इसका उत्पादन 13.96 मिलियन मी. टन होने का अनन्तिम अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (टी ए सी) ने उन गन्ना किसानों जिन्हें निजी क्षेत्र की गन्ना मिलों द्वारा 2002-03 मौसम के लिए गन्ना के बकायों का भुगतान नहीं किया गया है, कि कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्य परामर्शी मूल्य (एस ए पी) राज्य सरकारों को एक बारगी वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

बिहार सरकार ने जनवरी, 2004 में 18.86 करोड़ रु. की निर्मुक्ति का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और तदनुसार पैकेज की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार बिहार सरकार को 18.86 करोड़ रु. निर्मुक्त कर दिए गए थे।

उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा 45.54 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार उत्तरांचल सरकार को 45.54 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त कर दी गई थी।

चूंकि यह पैकेज एस ए पी राज्यों में 2002-03 मौसम के लिए गन्ना बकायों की क्लियरेंस के लिए एक बारगी दी गई सहायता थी इसलिए वर्ष 2004-05 के कृषि एवं सहकारिता विभाग के बजट में किसी राशि का प्रावधान नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ) 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को सही गुणवत्ता वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तदनुसार एफ सी ओ के अंतर्गत स्ट्रेट और नाइट्रोजन-फास्फेट-पोटाश (एन पी के) मिश्रणों जैसे उर्वरकों की श्रेणियों की बड़ी संख्या, सूक्ष्म पोषक तत्वों और पुष्ट (फोर्टिफाइड) उर्वरकों एवं उपजाऊपने (फर्टिगेशन) के लिए 100% जल में घुलनशील उर्वरकों को गन्ना सहित विभिन्न फसलों में प्रयोग के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने मृदा विशिष्ट एवं फसल की जरूरतों के अनुसार उर्वरक मिश्रणों की विभिन्न श्रेणियां भी निर्धारित की हैं।

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन

855. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की विकासात्मक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 विनियामक हैं न कि निषेधात्मक। गैर-वानिकी प्रयोग के लिए वन भूमि से संबंधित विकासोन्मुखी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत गुणदोष के आधार पर वानिकी मंजूरी प्रदान की जाती हैं। यह अधिनियम पारि-मैत्री विकासात्मक परियोजनाओं की वानिकी मंजूरी में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करता हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1980 से 9.81 लाख हैक्टेयर वन भूमि की 11,282 विकासात्मक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचार

856. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने लोगों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के रूप में पहचान की गई हैं;

(ख) पहचान प्रक्रिया के लिए क्या मानदंड अपनाया गया हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचार व्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को ऐसे कदाचार रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(च) सरकार उक्त प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए इसे गरीबों तक पहुंचाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहीं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 8.14 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की हैं और इन्हें राशन कार्ड जारी किए हैं।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए दिशा-निदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में गरीब और भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कुली, टेपर्स, बुनकर, लुहार, बढ़ई आदि जैसे ग्रामीण दस्तकार और शहरी क्षेत्रों में झुगी झोंपडी में रहने वाले तथा कुली, रिक्शा चालक, हथठेला चालक और पटरी पर फल तथा फूल बेचने वाले जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति जैसे समाज के कमजोर वर्गों की ही पहचान करने का प्रावधान हैं। उन्हें यह परामर्श भी दिया गया हैं कि पात्र परिवारों की पहचान करने के काम में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें क्योंकि वे लाभभोगियों के निकट होते हैं।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती हैं और देश के सभी भागों में रहने वाली जनता की जरूरत पूरी करती हैं। इसलिए इसमें कुछ कदाचार होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता हैं।

(घ) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का हैं। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, गरीबों तक इसकी और पहुंच बनाना तथा सुधारात्मक उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया हैं। तथापि, इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं-

(1) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कहा गया हैं कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(2) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया हैं कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को देखने के लिए राज्य जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें।

(3) उपभोक्ताओं के पास पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मॉडल सिटीजन चार्टर जारी किया गया हैं।

(4) राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के संबंध में जानबूझकर मिलावट, प्रतिस्थापन, विपथन आदि को रोका जा सके। आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आपराधिक मामला बनता हैं।

(5) पहचान किए गए क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक कार्यबल दल गठित किया गया हैं। कार्यबल दल द्वारा ध्यान में लाई गई कमियों/अनियमितताओं को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता हैं।

[अनुवाद]

बांध की मरम्मत

857. **श्री उदय सिंह:**
श्री के. सुब्बारायण:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में बांध टूटने के कगार पर हैं और इनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने ऐसे बांधों की मरम्मत के लिए धनराशि प्रदान की हैं लेकिन सरकार ने राज्य सरकारों को यह धनराशि जारी नहीं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने देश के सभी बांधों की मरम्मत करने के लिए क्या कार्रवाई की हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) बांधों के स्वामित्व वाली राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को ऐसे किसी बांध के मामले की सूचना नहीं दी हैं जोकि ढहने की कगार पर हो।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता से 422.95 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना वर्ष 1991 में शुरू की गई और वर्ष 1999 में पूरी की गई थी जिसके तहत 33 बांधों के नवीकरण और पुनर्वास के लिए तथा 182 बांधों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हुए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु नामक चार पक्षकार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बांधों की मरम्मत सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण और राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता हैं।

बाढ़ और अपरदन नियंत्रण परियोजनाएं

858. **डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान बाढ़ और अपरदन नियंत्रण परियोजनाओं के केन्द्रीय वित्त पोषण संबंधी मानदंड में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किए गए बाढ़ और अपरदन नियंत्रण प्रस्तावों की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान बाढ़ और कटाव नियंत्रण परियोजनाओं के केन्द्रीय वित्तपोषण संबंधी मानदण्ड में कोई संशोधन नहीं किया गया हैं।

(ख) और (ग) कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ और कटाव नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों की अपनी

प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता हैं। तथापि, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी गंभीर कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही हैं। नौवीं योजना के दौरान राज्यों को जारी की गई कुल राशि तथा दसवीं योजना में निर्धारित और जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	9वीं योजना केन्द्रीय हिस्से के लिए जारी की गई राशि	10वीं योजना	
				निर्धारित निधि (केन्द्रीय हिस्सा)	3.11.2004 तक केन्द्रीय हिस्से के लिए जारी की गई राशि
1.	उत्तर बिहार में बाढ़रोधी कार्यक्रम	बिहार	2.37	3.50	1.25
2.	कोसी और गंडक परियोजनाओं की बाढ़ सुरक्षा कार्य का रखरखाव	बिहार (कोसी) उत्तर	15.60	27.00	11.72
		प्रदेश (गंडक)	2.70	8.00	2.06
3.	गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य	बिहार	22.08	57.42	26.14
		उत्तर प्रदेश	10.89	38.61	16.69
		उत्तरांचल प्रदेश	1.00	4.95	0.95
		पश्चिम बंगाल	17.88	63.12	10.78
		हिमाचल प्रदेश		2.32	
		झारखंड		2.30	
4.	लालबकिया, कमला, बागमती और खांडो नदियों पर तटबंधों को ऊंचा उठाना, सुदृढ़ करना और विस्तार करना	बिहार	4.80	46.00	1.50
5.	देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास का सुधार	आंध्र प्रदेश		5.45	1.50
		बिहार		27.38	5.00
		उड़ीसा		12.84	1.50
		उत्तर प्रदेश		3.65	

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की दर

859. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं और चावल के खरीददारों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान खाद्यान्नवार और वर्गवार क्या दर निर्धारित की गई;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान इन दरों में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु खाद्यान्नों के निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं-

(रुपये प्रति क्विंटल)

श्रेणी	गेहूं	चावल
गरीबी रेखा से ऊपर	610.00	830.00
गरीबी रेखा से नीचे	415.00	565.00
अंत्योदय अन्न योजना	200.00	300.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बारिश में भीगे हुए खाद्यान्न का वितरण

860. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में बारिश में भीगे हुए गेहूं और चावल के वितरण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को राज्यवार कितने मामलों का पता चला; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच वितरण करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का गेहूं और चावल जारी किया जाता है। जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप होता है। खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता के बारे में किसी भी राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को क्षतिग्रस्त गेहूं वितरित करने के बारे में अध्यक्ष, शहीदे आजम बलिदान दिवस संयोजन समिति, मेरठ और सचिव, देश भक्त सोसायटी, मेरठ से प्राप्त हुई एक शिकायत की जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है।

[अनुवाद]

जल बंटवारे संबंधी विवाद

861. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते हुए जल विवादों तथा संधियों और पंचाट फैसलों के उल्लंघन से राज्यों के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए नदियों के राष्ट्रीयकरण अथवा कोई कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) कुछ अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे पर राज्यों के बीच विवाद हैं। कुछ मामलों में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों के खंडों की व्याख्या करने में भी राज्यों के

बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विवादों/मतभेदों को बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए प्रयास किए जाते हैं जिसके न होने पर संबंधित राज्यों के अनुरोध पर विवादों को निर्णय के लिए अधिकरणों को भेजा जाता हैं। नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं। सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया हैं जिसमें किसी अधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी जल विवाद का निर्णय करना समयबद्ध कर दिया गया हैं।

रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग

862. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो कीटों में प्रतिरोधकता और जल तथा भूमि में प्रदूषण के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) देश में प्रतिबंधित/बंद कर दिए गए कीटनाशियों के लगातार या अन्य किसी प्रकार के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप, 27 कीटनाशियों को तथा 3 अन्य कीटनाशियों के 4 उत्पादों पर प्रयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया हैं और 7 अन्य कीटनाशियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई हैं।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति किसी कीटनाशी का तभी पंजीकरण करती हैं जब वह मानव तथा अन्य प्राणियों के प्रति ऐसे कीटनाशियों की निरापदता के बारे में आश्वस्त हो जाती हैं। यदि किसी कीटनाशी का प्रयोग उप पर लगे लेबल या पर्ची में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता हैं तो उनसे मानव, अन्य प्राणियों तथा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता हैं।

देश में समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) को पादप संरक्षण के एक मूलभूत सिद्धांत तथा प्रमुख आधार के रूप में अपनाया गया हैं जिसमें रासायनिक कीटनाशियों के प्रयोग की कल्चरल, मेकेनिकल और बायोलाजिकल विधियां तथा इनका आवश्यकता आधारित प्रयोग शामिल किया हैं। 22 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्रों में फैले 26 केन्द्रीय समेकित प्रबंध केन्द्र किसानों को आई पी एम में प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं। केन्द्र सरकार राज्यों को राजकीय जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एस वी सी एल) की स्थापना के लिए सहायता अनुदान देती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों को कीटनाशियों के सुरक्षित और न्यायसंगत प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देती हैं।

चीनी उद्योग में विदेशी कम्पनियां

863. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी का मूल्य कम बनाए रखने हेतु बाजार को अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस की प्रमुख चीनी कम्पनी 'सुकेस ईटी डेन्रीज एस.ए.' भारतीय बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहीं हैं तथा इसने भारत में एक निर्यातक इकाई की स्थापना करने हेतु अनुमति हासिल की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने फ्रांसीसी कम्पनी को आयातित और स्थानीय रूप से निर्मित चीनी को बेचने की अनुमति दी हैं;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय किसानों/चीनी मिलों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन करवाया हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चीनी का आयात और निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जाता हैं। चीनी को 60% यथा मूल्य शुल्क की दर और 850 रुपये प्रति टन (प्रति शुल्क) पर आयात किया जा सकता हैं।

(ख) से (घ) मै. सुकेस ईटी डेन्रीज एस.ए., फ्रांस. को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मै. सुकडेना इंडिया प्रा. लि. में 15.00 लाख रुपये तक की राशि की 100% विदेशी इक्वीटी प्रतिभागिता के लिए दिनांक 10.10.2003 के एफसी अनुमोदन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी:

(1) निर्यात के प्रयोजनार्थ घरेलू चीनी की खरीदारी करना;

(2) चीनी को रिफाइन्ड करने और ऐसे तीसरे देशों, को फिर से चीनी निर्यात करने के लिए रॉ चीनी का आयात करना जिन देशों में भारत के पास स्थान संबंधी और बुनियादी (लोजिस्टिक) सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(3) भारतीय चीनी के निर्यात की सक्षमता में सुधार करने के लिए बुनियादी (लोजिस्टिक) प्रबंधन विशेषज्ञता प्रदान करना; और

(4) कोई अन्य संबंधित गतिविधि चलाना जो भारतीय नियमों के अधीन अनुमेय हो।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में उच्च प्रौद्योगिकीय फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र का खोला जाना

864. **श्री सुकदेव पासवान:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर बिहार में खोले जाने हेतु स्वीकृत उच्च प्रौद्योगिकीय फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) प्रत्येक केन्द्र हेतु आवंटित बजट का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) दसवीं योजना में सस्योत्तर प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के आठ नये केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इन केन्द्रों की राज्यवार सूची अनुबंध-I में दी गई हैं। इस स्कीम का एक केन्द्र पहले से ही राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार में चालू हैं।

(ख) जैसा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं।

(ग) जैसा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

(घ) इस समय सभी केन्द्र क्रियाशील हैं।

विवरण I

(ख) सस्योत्तर प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प. के केन्द्रों के स्थान

क्र.सं.	राज्य	जिला	स्थान
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	अकोला	पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय
2.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
3.	मध्य प्रदेश	भोपाल	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान
4.	राजस्थान	जोधपुर	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
5.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
6.	गुजरात	जूनागढ़	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय
7.	केरल	कासरगोड़	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान
8.	प. बंगाल	मिदनापुर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
9.	पंजाब	लुधियाना	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय

1	2	3	4
10.	केरल	तिरूअनन्तपुरम	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान
11.	राजस्थान	उदयपुर	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
12.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
13.	आंध्र प्रदेश	बापतला	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
14.	बिहार	समस्तीपुर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
15.	छत्तीसगढ़	रायपुर	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
16.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
17.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला
18.	उत्तरांचल	उधमसिंह नगर	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
19.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
20.	कर्नाटक	बंगलौर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
21.	असम	जोरहट	असम कृषि विश्वविद्यालय
22.*	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
23.*	हरियाणा	हिसार	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
24.*	केरल	त्रिचूर	केरल कृषि विश्वविद्यालय
25.*	राजस्थान	बीकानेर	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
26.*	प. बंगाल	कोलकाता	प. बंगाल मात्स्यिकी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
27.*	तमिलनाडु	चेन्नई	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
28.*	हिमाचल प्रदेश	सोलन	डाक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
29.*	कर्नाटक	धारवाड़	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
30.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
31.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	गन्ना एवं खांडसारी अनुसंधान का क्षेत्रीय केन्द्र
32.	आंध्र प्रदेश	अंकापल्लेय	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र
33.	असम	जौरहट	असम कृषि विश्वविद्यालय
34.	उत्तरांचल	उद्यमसिंह नगर	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

*चिन्हित केन्द्र नये केन्द्र हैं।

विवरण II

(ग) दसवीं योजना के दौरान सस्योत्तर प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प. के केन्द्रों के लिए बजट आबंटन

क्र.सं.	स्थान	आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय	235.83
2.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	240.69
3.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	35.52
4.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	34.00
5.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	239.69
6.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	244.89
7.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	33.02
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	186.44
9.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	243.28
10.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	36.02
11.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	237.28
12.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	71.98
13.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	75.41
14.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	71.41
15.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	73.34
16.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	77.28
17.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	40.07
18.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	405.86
19.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	301.55
20.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	302.78
21.	असम कृषि विश्वविद्यालय	323.66
22.*	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	129.90
23.*	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	134.09

1	2	3
24.*	केरल कृषि विश्वविद्यालय	147.19
25.*	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	142.41
26.*	प. बंगाल मात्स्यिकी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	136.00
27.*	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	139.16
28.*	डाक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	133.13
29.*	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	133.00
30.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	58.91
31.	गन्ना एवं खंडसारी अनुसंधान का क्षेत्रीय केन्द्र	62.76
32.	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र	64.36
33.	असम कृषि विश्वविद्यालय	323.66
34.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	57.56

*चिन्हित केन्द्र नये केन्द्र हैं।

एम.डी.एफ.वी.एल. हेतु एन.डी.डी.बी. द्वारा मांगी गई पंजीकरण स्वीकृति

865. श्री निखिल कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने अनुषंगी कम्पनी मदर डेयरी फ्रूटस एंड वेजिटेबल्स लिमिटेड (एम.डी.एफ.वी.एल.) के पंजीकरण हेतु मंत्रालय में स्वीकृति मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1999 में मदर डेयरी फल एवं सब्जी लि., जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी हैं, के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की थी।

[हिन्दी]

धार्मिक पर्यटन के लिए पैकेज

866. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी विशेष पैकेज का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस पैकेज के अंतर्गत लाया जा सकने वाले संगठित और असंगठित धार्मिक स्थलों की संख्या की जानकारी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार धार्मिक पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती हैं;

(ङ) सरकार ने इन स्थलों पर कितनी धनराशि का निवेश किया हैं;

(च) क्या सरकार ने सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटक पैकजों को तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग अर्थात टूअर आपरेटरों तथा ट्रेवल एजेटों की होती हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार कोई भी पर्यटक पैकेज तैयार नहीं करता।

(घ) धार्मिक पर्यटन सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता हैं।

(ङ) से (छ) धार्मिक पर्यटक स्थलों सहित पर्यटक स्थल का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता हैं। तथापि, धार्मिक स्थलों सहित पर्यटक स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

किसानों के बीमा दावों का निपटान

867. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियां किसानों के दावों के निपटान के लिए अधिक समय ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दावों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यों से उपज संबंधी आकड़े और राज्यों से कोष का हिस्सा प्राप्त होने में बिलम्ब होता हैं, साधारण प्रकृति के दावों का निपटान राज्यों से उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त होने पर दो माह के भीतर कर दिया जाता हैं। दावों के निपटान में कभी-कभार इसलिए भी देर हो जाती हैं कि बोए गए क्षेत्र तथा बीमित क्षेत्र के बीच विसंगति दिखाई पड़ जाती हैं।

(ग) और (घ) इस स्कीम में दावों के निपटान के लिए एक समय-संरचना निर्धारित की गयी हैं। क्रियान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी जाती हैं कि वे क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को विनिर्दिष्ट समय में उपज संबंधी आवश्यक आकड़ें उपलब्ध कराए और अपने बजट में पर्याप्त प्रावधान करें कि वे राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में अपने वित्तीय देयताओं संबंधी हिस्से का भुगतान समयपूर्वक कर सकें।

पश्चिम बंगाल में नई चीनी मिलें

868. श्री बीर सिंह महतो: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में नई चीनी मिलों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी नयी चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या पूर्व में स्थापित की गई मिले रुग्ण हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये मिले कब से बंद हैं; और

(ङ) सरकार ने इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विदर्भ क्षेत्र में खरीफ की फसल

869. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में खरीफ की फसल को दो तीन बार बोने से उत्पन्न संकट के संबंध में जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचना दी हैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कुल 1826451 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई दो बार या तीन बार की गयी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुणवत्ता मानक प्रमाणन

870. **श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानक प्रमाणन जारी करने के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया हैं;

(ख) क्या बी आई एस द्वारा गुणवत्ता मानक प्रमाणन मार्कों का प्रयोग करने वाली कम्पनियों की निगरानी हेतु कोई तंत्र हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणन मार्कों वाले उत्पादों द्वारा गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बी आई एस मार्क के गैर-कानूनी प्रयोग के कितने मामलों का पता लगा; और

(ङ) बी आई एस मार्क के गैर-कानूनी प्रयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) प्रमाणन स्कीम के माध्यम से प्राप्त आय के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अर्जित राजस्व वर्ष 2002-03 के दौरान 9313.48 लाख रुपए तथा वर्ष 2003-04 के दौरान 9814.91 लाख रुपए (अपरीक्षित) था।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस देने के बाद आई.एस.आई. मार्क उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी, नियमित फैक्ट्री निरीक्षणों तथा फैक्ट्री एवं बाजार से लिए गए नमूनों की जांच द्वारा करता हैं। यदि भारतीय मानकों में विनिर्दिष्ट गुणता अपेक्षाओं का उल्लंघन पाया जाता हैं तो लाइसेंसधारी को पहली बार चेतावनी दी जाती हैं परन्तु बार-बार उल्लंघन की स्थिति में उसे चिह्न का उपयोग रोक देने के निदेश दिए जाते हैं। लाइसेंसधारी द्वारा पर्याप्त उपचारात्मक कार्रवाई करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उसे सत्यापित कर दिए जाने के पश्चात मार्क लगाने का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया जाता हैं। यदि उपचारात्मक कार्रवाई अपर्याप्त पाई जाती हैं, तो लाइसेंस रद्द अथवा समाप्त कर दिया जाता हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत खाद्य उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नमूने में मात्र एक बार कमी पाई जाने पर भी लाइसेंसधारी को चिह्न का उपयोग न करने के निदेश दिए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2001-02, 2002-03 के दौरान तथा नवम्बर 2003 तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों में से सही न पाए गए नमूनों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

अवधि	प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों की संख्या	सही न पाई गई परीक्षण रिपोर्टों की संख्या
2001-02	17588	2716
2002-03	17615	3251
2003 (नवम्बर, 2003 तक)	9898	1368

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के मार्क का गैर-कानूनी उपयोग करने के मामलों की संख्या नीचे दर्शायी गई हैं:

क्र.सं.		2001-02	2002-03	2003-04
1.	आई.एस.आइ. मार्क का दुरूपयोग करने के रजिस्टर्ड मामलों की कुल संख्या	36	34	180
2.	की गई तलाशी एवं जब्ती	30	12	206 (इनमें से कुछ तलाशी और जब्ती वर्ष 2004-05 में रिकार्ड की गई थीं।)

(ङ) आई.एस.आई. मार्क के दुरूपयोग का पता मार्किट के सर्वेक्षण, प्रदर्शनियों के दौरों, उद्योग व्यापारी एसोसिएशनों से बातचीत, भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारियों से प्राप्त फीड बैक तथा शिकायतों से लगाया जाता हैं। पता लगने के पश्चात भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालयों के प्रवर्तन तथा विधायी विभागों के परामर्श से देश भर में स्थित इसके विभिन्न कार्यालयों के जरिए व्यापक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि दस्तावेजी और जिन्सी/(सामान संबंधी) साक्ष्य एकत्रित किए जा सकें। तलाशी और जब्ती का आयोजन भी किया जाता हैं ताकि जहां भी आवश्यक हो सामान को जब्त किया जा सकें। जहां यह सिद्ध हो जाता कि उत्पाद पर आई.एस.आई. का जाली मार्क लगाया गया हैं, वहां दोषी पार्टी के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यरो अधिनियम, 1986 के तहत प्रवर्तन विभाग, विधायी विभाग तथा संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाती हैं। अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को कैद जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती हैं अथवा जुर्माना जिसकी सीमा 50,000/- रुपए तक हो सकती हैं अथवा दोनों जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान हैं, से दण्डित किया जा सकता हैं।

[अनुवाद]

वैश्विक भुखमरी का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता

871. श्री महबूब जाहेदी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक भुखमरी का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त 50 बिलियन डालर इकट्ठा करने के लिए हाल ही में 100 से अधिक देशों में अभियान चलाए जाने को अपनी सहमति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त धन एकत्र करने के लिए कई विकल्पों की पहचान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रदेश सिंह): (क) से (ग) ब्राजील, फ्रांस, चिल्ली के राष्ट्रपतियों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बीच 30 जनवरी, 2004 को हुई बैठक में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में एक संयुक्त घोषणा जारी की गई थी जिसमें 2015 तक कुपोषित व्यक्तियों की संख्या को आधा करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अनुसरण में आवश्यक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों विशेष रूप से भुखमरी और गरीबी की चुनौती का सामना करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया गया हैं। इसमें गरीबी और भुखमरी के खिलाफ एक भूमण्डलीय सहयोग स्थापित करने की भी मांग की गई हैं। आरंभिक कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि उचित बहुआयामी एजेंसियों के पर्यवेक्षण के अधीन भुखमरी और गरीबी से लड़ने के लिए सृजित एक विशेष निधि के लिए अत्यंत कुशलता से यथा संभव अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिए वित्त पोषण के नए स्रोतों को बढ़ावा देने और तंत्र की जांच करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन करने हेतु एक तकनीकी समूह की स्थापना की जाए। इसके अलावा न्यूयार्क में 20 सितम्बर, 2004 को भुखमरी और गरीबी के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में विश्व नेताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें अनेक राज्याध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों, राज्य/सरकार के उपाध्यक्षों/मंत्रियों आदि ने भाग लिया था। इस बैठक के दौरान नए वित्तीय तंत्र पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इस सम्मेलन के दौरान भुखमरी तथा गरीबी के खिलाफ न्यूयार्क घोषणा अपनाई गई थी। भारत ने उक्त घोषणा का समर्थन किया हैं। घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया गया हैं कि वह जनवरी, 2004 में स्थापित तकनीकी समूह द्वारा तैयार रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करे। भारत सरकार तकनीकी समूह की रिपोर्ट पर विचार कर रही हैं।

गुजरात में लघु सिंचाई कार्य

872. श्री वी. के ठुम्मर:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि गुजरात सरकार कृषकों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई कार्यों पर अत्यधिक बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कितनी धनराशि के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ हैं; और

(ग) इय प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां, गुजरात सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान सरदार पटेल सहभागिता जल संसाधन

परियोजना के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत वाले 5000 चेक बांधों के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं।

(ग) इस प्रस्ताव के लिए गुजरात के वास्ते निधि जारी करना संभव नहीं हैं क्योंकि लघु सिंचाई स्कीमों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता केवल विशेष श्रेणी राज्यों (अर्थात पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य और उड़ीसा के के.बी.के. जिले) को ही दी जाती हैं।

चावल और मिट्टी के तेल के कोटे में कमी

873. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा राज्य को दिए जाने वाले चावल और मिट्टी के तेल के कोटे में भारी कमी की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के लिए चावल के कोटे में कमी नहीं की गई हैं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे के लिए पहली जुलाई, 2002 से इसमें मामूली कमी कर उसे 7,031 टन प्रति महीना से 6,498 टन प्रति महीना किया गया था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गोवा को मिट्टी के तेल के आबंटन में गत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार कमी की गई हैं:

वर्ष	आबंटन (टन में)
2001-02	23,639
2002-03	21,999
2003-04	20,469

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2002 में गरीबी रेखा से ऊपर के लिए प्रति परिवार प्रति महीना 35 किलोग्राम खाद्यान्न जारी करने का निर्णय किया था। यह निर्णय उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर सामान्य रूप से लागू होता हैं, जहां योजना आयोग के मानदंडों के अनुसार 1.3.2000 को गरीबी रेखा से ऊपर की अनुमानित आबादी के हिसाब से गरीबी रेखा से ऊपर का आबंटन प्रति परिवार प्रति महीना 35 किलोग्राम तक सीमित कर दिया गया था। गोवा को मिट्टी के तेल के आबंटन में राज्य को जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक समान नीति के अनुसार कमी की गई हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

874. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर उनकी स्वीकृति के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की सुनियोजित तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता हैं।

वे सभी परियोजनाएं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हैं, उन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया हैं।

गेहूं का समर्थन मूल्य

875. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार गेहूं का कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) 2005-06 में बिक्रय किए जाने वाली

2004-05 मौसम की रबी फसलों, जिसमें गेहूं भी शामिल हैं, के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 3 नवम्बर, 2004 को की जा चुकी हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो 2003-04 मौसम में 630 रु. प्रति क्विंटल था 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाकर 640 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए व्यय में कटौती

876. श्री महेश कनोडीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र के लिए किए जा रहे व्यय में लगातार कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया गया व्यय नौवी एवं दसवीं योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में, सिवाए वर्ष 2002-03 के, सामान्यतया बढ़ता ही जा रहा हैं जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया हैं-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	व्यय
नौवीं योजना	
1997-98	1208.00
1998-99	1344.00
1999-2000	1457.00
2000-01	1649.00
2001-02	1777.92
दसवीं योजना	
2002-03	1656.78
2003-04	2055.95 (अनंतिम)

नांदेड़ में हजूर साहिब का विकास

877. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर्थिक पर्यटन नीति के अंतर्गत गुरूद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अब्वल नगर साहिब, नांदेड़ के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी नहीं। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव संशोधित बीज/खाद्य की अनुमति

878. श्री पी. मोहन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव संशोधित पदार्थ बीज अथवा खाद्य को भारत में अधिकारिक विपणन की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन जैव संशोधित उत्पादों का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें बाजार में प्रवेश की अनुमति मिल गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तैयार किए गए ''रूल्स फार दि मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज आफ हजार्डस माइक्रोआर्गेनिजम्स जेनेटिकली इंजिनियर्ड आर्गेनिजम्स आर सेल 1989'' में यह प्रावधान किया गया हैं कि सभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर्गेनिज्म्स या सेल्स या उससे तैयार उत्पादों का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जेनेटिक इन्जीनियरिंग एप्रूवल कमिटी की अनुमति के बिना न तो उत्पादन किया जाएगा, न बेचा जाएगा, न आयात किया जाएगा और न ही इनका प्रयोग किया जाएगा। आज तक सरकार ने केवल कपास की संकर किस्मों यथा बी.टी., एम.ई.सी.एच-12, एम ई सी एच-162,

एम ई सी एच-184 और आर सी एच-2 बी टी जिसमें एम ओ एन-531 इवेंटइन क्राई 1 ए सी जीन, शामिल हैं और जिन पर पर्याप्त जैव सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण किए गए हैं, को विपणन के लिए प्राधिकृत किया हैं। यद्यपि जी.ई.ए.सी. ने अन्य किसी खाद्य या खाद्य उत्पाद के विपणन के लिए प्राधिकृत नहीं किया हैं, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों (आई सी डी एस) के अंतर्गत परिशोधित वनस्पति सोयाबीन के तेल सीमित आयात और क्रूड डिग्यूम्ड सोयाबीन आयल के सीमित आयात की अनुमति दी गई हैं।

इन्क्रेडिबल इंडिया कम्पेन

879. **श्री खारबेल स्वाईं:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "इन्क्रेडिबल इंडिया कम्पेन" की शुरूआत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने देश हैं जहां यह अभियान शुरू किया गया हैं और इसके क्या परिणाम हासिल हुए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से विश्वव्यापी आधार पर प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा इंटरनेट मीडिया में अतुल्य भारत अभियान शुरू किया है।

(ख) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया का मुख्य लक्ष्य यूरोपियन बाजार, यू.के., आस्ट्रेलिया, एशिया पैसेफिक, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्यपूर्व तथा सार्क देश हैं। चालू वर्ष के लिए यह अभियान अभी हाल ही में सम्पन्न किया गया हैं। अत: अभी इसके परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इंटरनेट अभियान को भी विश्वव्यापी आधार पर मुख्य रूप से अमरीका, जापान, यूरोप, चीन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मध्यपूर्व को लक्ष्य करके शुरू किया गया हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आरम्भ किए गए इन अभियानों के परिणामस्वरूप वर्ष 2003 की इसी अवधि की तुलना में (जनवरी-अक्टूबर में) पर्यटक आगमन में 23.7% तथा डालर आधारित विदेशी मुद्रा में 37.5% की वृद्धि हुई हैं।

श्रम कानूनों को लागू करना

880. ***श्रीमती मिनाती सेन:*** *क्या* ***श्रम और रोजगार मंत्री*** *यह* बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित श्रम कानून सिक्किम में लागू हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सिक्किम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में अब तक निम्नलिखित श्रम कानून लागू किए जा चुके हैं:

1. बंधित श्रम प्रणाली (उत्पादन) अधिनियम, 1976
2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
3. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
4. सिक्किम दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983
5. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
6. घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855
7. कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938
8. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
9. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
10. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
11. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
12. भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
13. भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (कल्याण उपकर) अधिनियम, 1996
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

केरल की पर्यटन परियोजनाएं

881. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2003-04 के दौरान केन्द्रीय सहायता के साथ केरल की नई पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तावित भी किन्तु केरल राज्य सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं और ये परियोजनाऐं कब तक पूर्ण हो जायेगी?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी हां। 2003-04 के दौरान पर्यटन विभाग ने 608.50 लाख रुपये की राशि की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य के लिए 36 परियोजनाएं मंजूर की गई थी। अधूरी परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित हैं:

	वर्ष	अधूरी परियोजनाओं की संख्या
1.	2002-03	7
2.	2001-02	8
3.	2000-01	4

सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों को 8वीं तथा 9वीं योजना से संबंधित सभी परियोजनाओं को मार्च, 2005 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया हैं।

दुग्ध उत्पादों का आयात

882. मो. मुकीम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित दुग्ध उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पाद के आयात तथा उक्त अवधि के दौरान आयातित दुग्ध उत्पादों के मूल्य का ब्यौरा विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (अप्रैल से मार्च) दुग्ध उत्पादों का आयात

(मात्रा लाख टन में)
(मूल्य लाख रुपए में)

क्र.सं.	चार अंकों का आयात निर्यात कोड	दुग्ध उत्पाद	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	0401	मिश्रित मीठे पदार्थ अथवा चीनी रहित गाढ़ा दूध एवं क्रमी (तरल दूध)	6.2	0.98	0.30	0.26	207.99	24.17
2.	0402	मीठे पदार्थ मिश्रित/चीनी मिश्रित गाढ़ा दूध एवं क्रीम (दूध पाउडर)	381.35	386.75	487.43	523.87	9539.63	8007.94
3.	0403	बटर मिल्क, कर्डल मिल्क एवं क्रीम, योगर्ट, केफिर तथा अन्य खमीरयुक्त या अम्लीकृत दूध और क्रीम, योगर्ट	7.77	10.71	15.37	60.54	29.17	28.35
4.	0404	दही का पानी तथा दूध के प्राकृतिक अवयवों से युक्त उत्पाद/मीठे पदार्थ या चीनी युक्त अथवा इनसे रहित	773.55	440.61	642.22	370.03	1770.54	895.69
5.	0405	दुग्ध, डेयरी उत्पादों से बनाए गए मक्खन तथा अन्य वसा एवं तेल	3344.27	1820.77	8321.99	4335.01	4740.52	3095.48
6.	0406	चीज एवं दही	401.84	578.94	533.46	871.51	548.56	868.87

(स्रोत: डीजीसीआईएस, कलकत्ता)

एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों को उठाना

883. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों को उठाने और वितरण में बहुत अंतर हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार खाद्यान्नों के उठान और वितरण का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन आबंटित खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के उठान का प्रतिशत क्रमशः 72.51, 75.07 और 79.51 था।

(ख) 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का राज्यवार आबंटन और उठान बताने वाले ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III पर दिए गए हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) मध्याह्न भोजन योजना को क्रियान्वित करने और मानीटरिंग करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं। खाद्यान्नों के उठान में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता हैं कि वे इस योजना के अधीन खाद्यान्नों का अधिकतम उठान करें।

विवरण I

वर्ष 2001-02 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टनों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	232.75	167.87	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.30	0.55	0.00	0.00
3.	असम	91.72	32.03	0.00	0.00
4.	बिहार	46.92	35.87	170.65	107.87
5.	छत्तीसगढ़	126.72	59.93	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.21	6.87
7.	गोवा	2.41	1.01	0.00	0.00
8.	गुजरात	45.08	10.65	45.08	11.36
9.	हरियाणा	24.25	18.43	24.25	18.34
10.	हिमाचल प्रदेश	20.06	19.19	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	21.50	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	झारखण्ड	21.43	18.17	2.04	0.81
13.	कर्नाटक	120.45	106.11	35.70	29.16
14.	केरल	46.69	43.38	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	44.35	35.91	146.26	131.51
16.	महाराष्ट्र	293.76	249.86	0.00	0.00
17.	मणिपुर	8.38	6.49	0.00	0.00
18.	मेघालय	12.57	8.42	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.95	2.36	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	4.79	4.62	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	92.22	79.85	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.42	49.79	28.83
23.	राजस्थान	0.00	0.00	186.65	147.31
24.	सिक्किम	2.42	2.37	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	116.01	81.04	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	14.24	9.26	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	161.26	128.61	313.87	245.25
28.	उत्तरांचल	19.21	15.87	1.72	0.51
29.	पश्चिम बंगाल	287.44	207.91	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	1.15	0.58	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.04	0.56	0.15
32.	दा. व न. हवेली	0.76	0.61	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.45	0.33	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.10	0.00	0.00
	जोड़	1867.50	1348.81	996.79	727.96

विवरण II

वर्ष 2002-03 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टनों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	223.69	184.83	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.00	0.77	0.00	0.00
3.	असम	91.72	43.62	0.00	0.00
4.	बिहार	57.59	31.96	185.29	100.83
5.	छत्तीसगढ़	74.55	0.31	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.22	3.80
7.	गोवा	2.07	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	32.59	13.66	32.59	13.48
9.	हरियाणा	23.07	21.49	23.07	21.39
10.	हिमाचल प्रदेश	19.20	18.78	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	24.66	0.46	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	47.43	15.35	4.36	0.99
13.	कर्नाटक	142.92	108.57	10.64	8.54
14.	केरल	47.11	47.09	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	49.31	42.88	161.34	143.31
16.	महाराष्ट्र	297.93	251.64	0.00	0.00
17.	मणिपुर	8.63	7.96	0.00	0.00
18.	मेघालय	13.04	12.57	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.81	2.25	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	4.79	4.79	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	123.76	104.96	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
22.	पंजाब	0.00	0.00	48.62	36.06
23.	राजस्थान	0.00	0.00	154.04	141.43
24.	सिक्किम	2.31	2.18	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	108.03	78.79	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	13.80	10.05	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	151.10	137.36	294.57	273.35
28.	उत्तरांचल	20.79	12.90	3.86	0.97
29.	पश्चिम बंगाल	292.93	217.75	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमू	1.08	0.91	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.25	0.37
32.	दा. व न. हवेली	0.78	0.38	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.30	0.20	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.18	0.00	0.00
	जोड़	1884.24	1375.64	939.85	744.52

विवरण III

वर्ष 2003-04 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टनों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	178.28	151.76	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.45	1.89	0.00	0.00
3.	असम	97.14	77.42	0.00	0.00
4.	बिहार	86.97	51.67	156.33	118.91
5.	छत्तीसगढ़	56.57	61.80	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	3.74	1.99	17.99	5.26
7.	गोवा	1.25	0.00	0.00	0.50
8.	गुजरात	30.05	20.55	30.05	18.40
9.	हरियाणा	22.94	21.13	22.94	20.65
10.	हिमाचल प्रदेश	18.45	17.84	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	24.66	0.59	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	47.44	20.34	4.36	2.59
13.	कर्नाटक	135.80	82.05	10.26	5.35
14.	केरल	43.33	43.36	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	37.75	33.01	128.06	116.88
16.	महाराष्ट्र	223.60	184.81	0.00	0.00
17.	मणिपुर	8.89	7.83	0.00	0.00
18.	मेघालय	10.28	9.37	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.88	1.87	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	5.21	4.02	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	123.31	113.88	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.39	45.49	23.24
23.	राजस्थान	0.00	0.00	170.08	0.00
24.	सिक्किम	1.54	1.28	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	110.60	79.31	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	9.08	8.90	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	172.64	140.74	318.60	269.03
28.	उत्तरांचल	20.61	18.79	3.11	1.05
29.	पश्चिम बंगाल	289.35	251.54	0.00	0.00
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.70	0.85	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.98	0.20

1	2	3	4	5	6
32.	दा. व न. हवेली	0.68	0.19	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.30	0.27	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.11	0.00	0.00
	जोड़	1771.44	1410.66	908.27	720.00

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का आगमन

884. श्री गुरूदास कामतः क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हाल ही में इजरायली पर्यटकों में कई गुना वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 (सितम्बर तक) के दौरान कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र की यात्रा करने वाले इजरायली पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कश्मीर क्षेत्र	लद्दाख क्षेत्र
2002	57	शुन्य
2003	2288	1097
2004 (सितम्बर तक)	1788	1667

फल और सब्जी उगाने वालों के लिए योजना

885. श्री प्रकाशबापू वी. पाटील: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों में जहां गैर मौसमी फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता हैं, के फलों और सब्जियां उगाने वालों को अभिप्रेरित की कोई योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार कृषि के वृहद प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही हैं जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को फलों एवं सब्जियों की खेती करने के लिए सहायता दी जा रही हैं। इस स्कीम को देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा हैं इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को ग्रीन हाउसिस के निर्माण के लिए भी सहायता दी जा रही हैं जिससे उन्हें गैर-मौसमी फलों एवं सब्जियों की खेती करने की सुविधा प्राप्त होती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत बागवानी विकास संबंधी कार्यक्रमों को चलाने की संभावना और कार्य क्षेत्र का पता लगाने के पश्चात कार्य योजनाएं तैयार करती हैं।

चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

886. श्री जार्ज फर्नान्डीजः क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि लाल चना जो लम्बे समय से पकता हैं का न्यूनतम समर्थन मूल्य काले चने की तुलना में कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बुआई मौसम से काफी पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में देरी से लाभकारी मूल्य पाने के लिए बोने वाली फसल के निर्णय से किसानों का विकल्प सीमित हो जाता हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तुरन्त निर्धारित करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 2004-05 में अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1390 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया हैं जबकि उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अंतर इस दृष्टि से होता हैं कि इनकी खेती/उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न होती हैं जो कि ऐसा महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय ध्यान देता हैं। वर्ष 2004-05 में पूरे भारत में अरहर की औसत उत्पादन लागत उसी अवधि में उड़द की औसत उत्पादन लागत से कम रही हैं। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अरहर मुख्यत: एक खरीफ फसल हैं जबकि उड़द को खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में उगाया जाता हैं।

(ग) और (घ) चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को उनकी पसंद की फसलों की कीमतों के बारे में संकेत देना हैं अत: हर संभव प्रयास किया जाता हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा शीघ्र की जाये।

सरकार विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ साथ उन अन्य कारकों पर भी ध्यान देती हैं जो सरकार की नजर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता हैं:

(1) उत्पादकों को उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के मुताबिक उत्पादन प्रतिमान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत (2) भूमि, जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों के यथोचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता (3) मूल्य नीति का बाकी अर्थव्यवस्था, विशेषकर जीविका निर्वाह पर आने वाले खर्च मजदूरी का स्तर, औद्योगिक लागत संरचना आदि पर संभावित प्रभाव, और (4) कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंध।

[हिन्दी]

रावी, व्यास तथा यमुना नदियों से राजस्थान का हिस्सा

887. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राज्य जल योजनाओं से राजस्थान को जल का हिस्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तथा राज्य में आन्तरिक जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं की अद्यतन प्रगति क्या हैं;

(ख) रावी, व्यास तथा यमुना नदियों से राजस्थान का हिस्सा कितना हैं तथा इस बारे में विगत में लिये गये निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से के अनुरूप आपूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी फीडर व नहर तथा भाखड़ा मुख्य लाइन प्रणाली का उपयोग किया जाता हैं राजस्थान ने यमुना नदी के जल में अपने हिस्से के उपयोग के लिए ''भरतपुर जिले में उपयोग'' और ''झुंझन-चुरू जिले में उपयोग'' नामक दो प्रस्ताव तैयार किए हैं। हरियाणा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की लागत और हरियाणा तथा राजस्थान में एक साथ निर्माण शुरू करने के संबंध में हरियाणा की सहमति की शर्त पर जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने इन स्कीमों को 07.02.2003 को स्वीकृति दे दी हैं। हरियाणा की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 31.12.1981 को हुए एक समझौते के अनुसार रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान का हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट अर्थात 10.61 बिलियन घनमीटर और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के बीच दिनांक 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार यमुना नदी के जल का हिस्सा

1.119 बिलियन घनमीटर हैं। रावी व्यास नदियों के जल के आवधिक आबंटन का निर्णय भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड करता हैं जबकि यमुना नदी के जल की आपूर्ति के विनियमन का कार्य ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को सौंपा गया हैं।

(ग) रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल संबंधी वर्ष 1981 के समझौते में इस बात की व्यवस्था हैं कि जबतक राजस्थान अपने पूरे हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में नहीं होता पंजाब राजस्थान की आवश्यकता से अधिशेष जल का उपयोग करने को स्वतंत्र होगा। चूंकि राजस्थान 8.6 मिलियन एकड़ फीट के अपने पूरे हिस्से की तुलना में 8 मिलियन एकड़ फीट के बराबर आपूर्ति प्राप्त कर रहा हैं अत: यह राज्य पिछले कुछ समय से अपने शेष हिस्से को बहाल करने का अनुरोध कर रहा हैं।

चूंकि यमुना नदी के जल के उपयोग के लिए राजस्थान की दो स्कीमों के लिए हरियाणा की सहमति प्राप्त नहीं हो रही थी अत: राजस्थान ने विचार के लिए इस मामले को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 06.08.2004 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जहां हरियाणा ने ऊपरी आवाह में भंडारणों का निर्माण होने तक अपनी असहमति का उल्लेख किया। तदनन्तर, हरियाणा ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की एक बैठक के लिए अनुरोध किया जिसमें सभी पक्षकार राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हो, जहां इस मामले पर कार्यसूची की एक मद के रूप में विचार-विमर्श किया जा सके।

(घ) 25.07.2002 को आयोजित एक अन्तर्राज्यीय बैठक के दौरान रावी व्यास नदियों के जल के शेष हिस्से की बहाली के इस मामले पर विचार विमर्श किया गया जिसमें पंजाब ने बहाली को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। रावी व्यास नदियों के जल से संबंधित वर्ष 1981 के समझौते तथा अन्य सभी समझौतों को निरस्त करते हुए पंजाब राज्य द्वारा 12.07.2004 को पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 को लागू करने को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को एक राष्ट्रपतीय संदर्भ भेजा गया, जिसके विचार उपलब्ध होने पर इसमें शामिल मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

द्वीपों को विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देना

888. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप तथा अण्डमान में 23 द्वीपों को विदेशी प्रचालकों एवं विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देने की अनुमति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) कुछ द्वीपों का विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देने के क्या कारण हैं;

(घ) इन द्वीपों के विकास के बाद इनका प्रबन्धन देखने वाले निजी प्रचालक पर सरकार किस प्रकार निगरानी रखेगी;

(ङ) क्या गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा समझौता

889. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा इसकी अनुषंगी मदर डेयरी कम्पनी ने विभिन्न सहकारिता डेयरी फेडरेशनों/संघों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) प्रत्येक समझौता ज्ञापनों के उद्देश्य एवं वित्तीय लागत कितनी हैं;

(ग) समझौता ज्ञापन के लागू होने की तिथि क्या हैं तथा समझौता ज्ञापन कार्यान्वित होने की समय-सीमा क्या हैं;

(घ) समझौता ज्ञापन में किस प्रकार की सहायता दी जाएगी;

(ङ) क्या संगठनों को धनराशि जारी नहीं की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा मदर डेयरी कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षों में सहकारी संघों/परिसंघों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन संबंधी विवरण संलग्न हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी दुग्ध संघों/परिसंघों के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल एजेंसियां	समझौता ज्ञापन के प्रारंभ होने की तिथि	उद्देश्य	वित्तीय परिव्यय एवं सहायता की प्रकृति (लाख रु. में)	समय सीमा (वर्ष)	जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
1.	राठी नस्ल के लिए स्वदेशी नस्ल विकास पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना	क. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद ख. राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ, जयपुर ग. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर घ. श्रीगंगानगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. हनुमानगढ़ ङ. उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान तथा विकास ट्रस्ट, बीकानेर	21.5.03	परियोजना क्षेत्र में लक्षित संख्या में राठी गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाना।	100 प्रतिशत अनुदान 126.61	10	34.96
2.	कंकरेज नस्ल के लिए स्वदेशी नस्ल विकास पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना	क. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आणंद ख. बनासकंठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., पालनपुर गुजरात। ग. राधनपुर खोड़ा ढोर पंजरापोल संस्था, जिला पाटन, गुजरात	3.5.04	परियोजना क्षेत्र में लक्षित संख्या में कंकरेज गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाना।	100 प्रतिशत अनुदान 171.47 (बनास संघ के लिए 135.83 तथा राधनपुर पंजरापोल के लिए 35.64)	10	40.5
3.	डेयरी पशुधन सुधार कार्यक्रम पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना	क. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आणंद ख. कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ग. श्रीवरना सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रक्रिया संघ लि., वरना नगर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र घ. राजाराम बापू पाटिल सहकारी दुग्ध संघ लि., इस्लामपुर, जिला सांगली, महाराष्ट्र ङ. शिवामृत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. यशवंतनगर, जिला सोलापुर महाराष्ट्र	 10.10.03 5.2.03 19.2.03 19.2.03	परियोजना क्षेत्र में लक्षित संख्या में भैंसों तथा वर्ण संकर आधारित संतति परीक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	100 प्रतिशत अनुदान प्रत्येक संघ को कारपस संघ को सृजन के लिए 50 लाख रुपए का अंशदान	10	200

मदर डेयरी कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी डेयरी संघों/परिसंघों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा

**2.12.2004 के अनुसार*

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल एजेंसियां	कार्यान्वयन की तारीख	उद्देश्य	जारी धनराशि/ सहायता का स्वरूप (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	मिल्मा फूड्स लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम	मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड केरल सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड	30.8.2002	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का सृजन करना। तद्नुसार दिनांक 26.12.2002 को एक संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था तथा मिल्मा नाम ब्रांड के तहत दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन करने के लिए 17.3.2003 को "मिल्मा फूड्स लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी को निगमित किया गया था।	एम डी एफ एल ने मिल्मा फूड्स लिमिटेड में शेयर पूंजी के रूप में 51 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया।

1	2	3	4	5	6
2.	माथाश्री दुग्ध उत्पाद लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम	मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड माथा दुग्ध विपणन पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी परिसंघ लिमिटेड	23.9.2002	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का सृजन करना। तद्नुसार दिनांक 5.1.2003 को एक संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था तथा शुरू करने के लिए "विशाखा तथा संगम" नामक ब्रांड तथा बाद में संघ द्वारा अपनाए गए ब्रांड के नाम से दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन करने के लिए 17.3.2003 को "माथाश्री दुग्ध उत्पाद लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी को निगमित किया गया था।	एम डी एफ एल माथाश्री दुग्ध उत्पाद लिमिटेड में शेयर पूंजी के रूप में 51 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया।

[हिन्दी]

जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना

890. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लम्बित जल परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावाना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार कृषि से सीधे जुड़े राज्यों के प्रस्ताव को शामिल करते हुए जल निकायों के पुनरूज्जीवन, पुनरूद्वार और नवीकरण संबंधी एक प्रायोगिक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव हैं। राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाने वाली निधि परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन और उनके निष्पादन पर निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दुग्ध उत्पाद कारखाने की स्थापना

891. श्री निखिल कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अथवा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रबंधित होने वाले दुग्ध उत्पाद कारखाने की स्थापना करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने के स्थापना-स्थल, प्रस्तावित परियोजना लागत, वित्त पोषण के स्रोत और प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन उत्पादों का किस ब्रांड-नाम से विपणन किए जाने की संभावना हैं और उक्त कारखाने का प्रबंधन कौन संगठन करेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां

(ख) डेयरी संयंत्र बंगलौर के निकट स्थापित किया जाएगा। संयंत्र की लागत अभी आंकलित नहीं की गई हैं।

(ग) इस संयंत्र का स्वामित्व और प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अथवा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी मदर डेयरी फल एवं सब्जी लिमिटेड के पास होगा।

चीनी के उत्पादन में वृद्धि

892. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण चीनी की उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हो रही हैं जिससे चीनी मिल-मालिकों द्वारा विद्यमान चीनी मूल्य नीति में परिवर्तन करने की मांग की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार चीनी

कारखानों द्वारा उत्पादित 90% चीनी उनके द्वारा खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी के रूप में बेची जाती हैं। इस चीनी के मूल्य आपूर्ति और मांग की आर्थिक ताकतों द्वारा निर्धारित होते हैं। लेवी चीनी के रूप में बेची जाने वाली शेष 10% चीनी के मूल्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए नियत किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चावल का उत्पादन

893. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में चावल उत्पादन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आई सी डी पी-राईस की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में चावल उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख मी. टन में)

राज्य	2001-02		2002-03		2003-04*	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आंध्र प्रदेश	122.00	113.90	122.25	71.95	122.25	90.31
कर्नाटक	37.50	32.34	37.50	22.37	37.50	25.16
केरल	9.00	7.03	10.50	7.00	10.50	6.23
तमिलनाडु	76.50	65.84	77.00	57.09	77.00	41.50

*अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत के चतुर्थ अग्रिम अनुमान

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित आई सी डी पी चावल स्कीम को अक्टूबर, 2000 से कृषि की बृहत प्रबंधन प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आई सी डी पी चावल स्कीम के लिए निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई गई हैं:

(लाख रुपये में)

वर्ष	राशि
2001-02	534.052
2002-03	489.225
2003-04	414.010

तीस्ता सिंचाई परियोजना

894. **श्री हितेन बर्मन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी हैं कि तीस्ता सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तरी बंगाल में लंबे समय से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए बजट में कितना आबंटन किया गया हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन करने में भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी, निधि की कमी, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, लागत वृद्धि आदि के कारण विलंब हो रहा हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष में, पश्चिम बंगाल सरकार को परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कार्यों के अंतर्गत 58 करोड़ रुपये की धनराशि तथा गैर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कार्यों के तहत कुल 4.47 करोड़ रुपये की राशि के बजट का प्रावधान किया गया हैं।

(घ) इस परियोजना को वास्तव में 8वीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम था, परन्तु अब राज्य सरकार के नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना के सभी तीन चरणों को 2015 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना हैं।

खरीद और वितरण का विकेन्द्रीकरण

895. प्रो. एम. रामदासः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के विकेन्द्रीकरण करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को निर्गम मूल्यों और आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा तय करने की अनुमति प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या सरकार वितरण प्रणाली में गैर सरकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में खाद्यान्नों की खुदरा बिक्री में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विकेन्द्रीकृत वसूली योजना 1997 में लागू की गई थी और यह योजना पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात में चलाई जा रही हैं। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और वितरण के प्रचालनों पर राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए सम्पूर्ण खर्च को अनुमोदित लागत के अनुसार पूरा करने के प्रति वचनबद्ध होती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने एफ.डी.आई. की उदार और पारदर्शी नीति लागू कर रखी हैं जिसकी सतत् आधार पर समीक्षा की जाती हैं। वर्तमान नीति में थोक कारोबार में 100% तक एफ.डी.आई. की अनुमति हैं। खुदरा कारोबार में एफ.डी.आई. निषेध हैं।

[अनुवाद]

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

896. श्री रघुनाथ झाः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2004 की अपनी रिपोर्ट संख्या 15 में यह प्रकाशित किया हैं कि कार्यक्रम का वास्तविक कार्यनिष्पादन वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त पोषण के लिए चुनी गयी 172 परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना लक्ष्य के अनुसार पूरी नही की जा सकी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 10,042 हैक्टेयर भूमि की अभिकल्पित सिंचाई क्षमता की तुलना में केवल 2,839.752 हैक्टेयर भूमि हेतु ही सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी; और

(ङ) यदि हां, तो अभिकल्पित सिंचाई क्षमता सृजित न कर पाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट (2004 की सं. 15) में यह उल्लेख किया गया हैं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का वास्तवित निष्पादन वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) से (ङ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्राप्त कर रही 172 सिंचाई परियोजनाओं में से, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मार्च, 2003 तक 25 सिंचाई परियोजनाएं पूरा कर लिए जाने की सूचना हैं। ए आई बी पी के तहत मार्च, 2003 तक परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 2195.986 हजार हेक्टेयर हैं। सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब और परिकल्पित सिंचाई क्षमता के सृजन के मुख्य कारणों में निजी और वन भूमि दोनों के भूमि अधिग्रहण में देरी, ठेके संबंधी समस्याएं, मुकदमेबाजी, जन आन्दोलन के द्वारा कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या तथा परियोजना प्राधिकारियों को राज्य वित्त विभाग से निधियों के हस्तांतरण में विलंब होना हैं।

गोवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का बंद किया जाना

897. श्री अलीमाऊ चर्चीलः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में गोवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनेक दुकानों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवहन लागत जैसी लेबियां और गनी बैग्स इन दुकानों की अर्थक्षमता को प्रभावित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवहन लागत और गनी बैग्स की लागत प्रदान करके इन दुकानों को बंद होने से बचाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनकी अर्थक्षमता को बढ़ाने के लिए मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गोवा सरकार से समय-समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या में मामूली गिरावट हुई हैं। सितम्बर, 2001 में उचित दर दुकानों की संख्या 557 थी जो घटकर 523 रह गई हैं।

(ख) और (ग) उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता ढुलाई लागत से कुछ सीमा तक प्रभावित होती हैं लेकिन गोवा सरकार पहले ही उचित दर दुकान के मालिकों को 1.8.2000 से बढ़ी हुई दरों पर ढुलाई लागत में छूट दे रही हैं। चावल और गेहूं की बोरियों की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा मुफ्त की जाती हैं। उचित दर दुकान के मालिकों से केवल लेवी चीनी की बोरियों की लागत 13.50 रुपये प्रति बोरी की दर से वसूल की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन पहले ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा हैं। राज्य के अंदर मिट्टी के तेल का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती हैं। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया हैं कि वे उचित दर दुकान के मालिकों को इन दुकानों के माध्यम से दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति करने का परामर्श दें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी का वितरण

898. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान देश में चीनी का अतिरेक उत्पादन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वितरित की जाने वाली चीनी की कम उठाई के कारण हुआ था;

(ग) चीनी की बिक्री में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी की बिक्री में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को चीनी का वितरण करने का हैं;

(ङ) क्या देश में चीनी की खपत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 1998-99 से 2002-2003 तक चीनी का लगातार अधिक उत्पादन होने के कारण देश में अधिशेष चीनी हैं।

(ग) वर्ष दर वर्ष चीनी की बिक्री में वृद्धि हो रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जैव संसाधित फसलों को लोकप्रिय बनाना

899. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव संसाधित फसलों को लोकप्रिय बनाने में कोई कानूनी बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) जैव संसाधित फसलों को किसानों में लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैव संसाधित फसलों से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में किसानों और अन्य पणधारियों को जानकारी देने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा समय समय पर जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता हैं। जैव संसाधित (जी एम) फसलों की लोकप्रियता/स्वीकार्यता अंततः उनके निष्पादन पर निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की नीतियों में संशोधन

900. श्री अर्जुन सेठी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम की खरीद और वितरण नीतियों में संशोधन करने पर सक्रियता से विचार कर रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम की उक्त नीतियों के कार्यान्वयन के कारण, केन्द्र सरकार को खरीद, परिवहन और वितरण पर राज सहायता के रूप में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम की विभिन्न खरीद और वितरण नीतियों को संशाधित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार परिवहन की लागत का भार राज्य सरकारों पर डालने पर विचार कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो संशोधित नीतियों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार की मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम हैं जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और चावल की वसूली करता है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य की पेशकश की जा सके और मजबूरन बिक्री को रोका जा सके। मौजूदा नीति में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन वसूली करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना भी की गई हैं। वसूल किए गए खाद्यान्नों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन लक्षित आबादी के बीच वितरण करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य किया जाता हैं। चूंकि लक्षित आबादी को खाद्यान्न जारी करने के लिए निर्धारित निर्गम मूल्य खाद्यान्नों की आर्थिक लागत से कम होते हैं इसलिए इन दोनो के बीच का अंतर खाद्य राजसहायता को दर्शाया हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) विकेन्द्रीकृत वसूली को प्रोत्साहित करने के उपाय पहले ही क्रियान्वित किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे उपायों से अन्य बातों के साथ-साथ ढुलाई लागत में कमी होगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्न की लागत

901. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में वृद्धि के कारण राजसहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल की राज्यवार आर्थिक लागत कितनी रही हैं;

(घ) आर्थिक लागत के अनुमानार्थ जिन खर्च शीर्षों पर विचार किया गया हैं उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन शीर्षों पर कितनी राशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार खाद्यान्नों का आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को राजसहायता के रूप में प्रदान करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में गेहूं और चावल की आर्थिक लागत तथा रिलीज की गई कुल राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) आर्थिक लागत की गणना करने के लिए हिसाब में लिए गए व्यय शीर्ष और इन पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्षों पर खर्च की गई राशि तथा वर्तमान वर्ष में खर्च की जाने वाली संभावित राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

क. पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के विवरण निम्नानुसार हैं

वर्ष	जिन्स	आर्थिक लागत (रुपये/क्विंटल)
1	2	3
2001-02	गेहूं	852.94
	चावल	1097.96
2002-03	गेहूं	884.00
	चावल	1165.03
2003-04 (सं.अं.)	गेहूं	952.51
	चावल	1253.04
2004-05 (ब.अ.)	गेहूं	924.82
	चावल	1262.51

ख. पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई कुल राजसहायता निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राजसहायता (करोड़ रुपये में)
2001-02	17494
2002-03	24176
2003-04	25160
2004-2005 (1.12.2004 की स्थिति के अनुसार)	17662

विवरण II

भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों के संबंध में आर्थिक लागत की गणना हेतु विचारार्थ व्यय शीर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शीर्षों पर खर्च की गई राशि तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि के विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	शीर्ष	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 (ब.अ.)	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खाद्यान्नों की पूलिंग लागत	9641	14373	15379	23766	13678	22423	10986	20560
2.	वसूली खर्चे:								
	क. सांविधिक प्रभार								
	(1) मंडी प्रभार	556	82	874	135	850	170	675	158
	(2) क्रय कर	374	117	616	191	550	175	433	164
	(3) बोरियों की लागत	576	601	913	1003	864	978	687	920
	उप-जोड़	1506	800	2403	1329	2264	1323	1796	1242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ख. श्रम और ढुलाई प्रभार								
	(1) मंडी श्रमिक	124	11	181	23	218	21	174	21
	(2) अग्रेषण प्रभार	15	73	21	68	12	55	9	7
	(3) आंतरिक संचलन	184	67	292	91	246	124	196	121
	उप-जोड़	323	151	494	182	476	200	379	148
	ग. भंडारण और ब्याज प्रभार								
	(1) भंडारण	24	0	39	0	58	0	50	0
	(2) ब्याज	129	0	248	0	225	0	162	0
	(3) बकायें	7	57	-11	-2	61	171	75	157
	उप-जोड़	160	57	276	-2	345	171	287	157
	घ. प्रशासनिक प्रभार	196	45	336	41	341	34	271	34
	ङ. अन्य (गारंटी शुल्क)	10	0	14	0	14	0	10	0
	कुल वसूली खर्चे	2195	1053	3523	1550	3440	1729	2743	1581
3.	अधिग्रहण लागत	11836	15426	18902	25316	17117	24152	13729	22141
4.	वितरण लागत								
	(1) भाड़ा	675	293	1313	1046	1393	1121	535	1131
	(2) हैंडलिंग	354	343	578	568	669	741	550	650
	(3) भंडारण	210	203	425	418	453	599	356	421
	(4) ब्याज	606	790	1113	1488	928	1648	674	1087
	(5) कमियां	18	62	9	163	63	316	35	343
	(6) प्रशासनिक प्रभार	201	195	286	280	332	368	305	361
	कुल वितरण लागत	2064	1886	3724	3963	3838	4793	2455	3993
5.	आर्थिक लागत	13900	17312	22626	29279	20955	28945	16184	26134

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत वसूली प्रचालन करने वाले राज्यों को राज्यों को जारी की जाने वाली राशि तथा वर्तमान वर्ष में जारी की जाने वाली अनुमानित राजसहायता निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजसहायता	770	1503	1286	2466

[अनुवाद]

गन्ना मूल्य प्रणाली में परिवर्तन

902. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग ने गन्ना मूल्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) को कम करके उसे उच्च वसूली नहीं अपितु औसत से संबद्ध करके क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित करने की मांग की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उद्योग द्वारा बताई गई विसंगतियों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्तमान पद्धति के अनुसार सरकार ने चीनी मौसम 2004-05 हेतु सम्पूर्ण देश के लिए गन्ने का एक समान सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल रिकवरी पर 74.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया हैं जिसमें रिकवरी में इस स्तर से अधिक की रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1% प्वाइंट वृद्धि के लिए 0.88 रुपये का प्रीमियम देने की शर्त हैं जबकि चीनी मौसम 2003-04 के लिए 8.5% की मूल रिकवरी पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य 73.00 रुपये प्रति क्विंटल था। चूंकि सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए सम्पूर्ण देश हेतु एक ही समान मूल्य की घोषणा करती हैं इसलिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न सांविधिक न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करने के अनुरोध से सहमत नहीं हुई थी। तथापि सरकार ने निर्णय लिया हैं कि चीनी मौसम 2004-05 से गन्ने के फैक्ट्रीवार सांविधिक न्यूनतम मूल्य को उच्चतम अवधि की रिकवरी दर के बजाय सम्पूर्ण मौसम की रिकवरी दर को हिसाब में लेकर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, रिकवरी दर के अंश को चीनी मौसम 2004-05 से दशमलव के एक स्थान तक सांख्यिकीय पद्धति के अनुसार पूर्णांक बनाया जाएगा।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान बाहरी एजेंसियों से कराना

903. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की पहचान बाहरी निजी एजेंसियों अथवा गैर-सरकारी संगठनों से कराने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को सीमित करने पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र के लिए सहायता

904. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति से उबरने के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो गरीब किसानों की सहायता करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ दल द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इस संबंध में सरकार का किन उपायों को करने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) केरल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। स्थिति का आकलन करने के लिए एक बहु-विषयक केन्द्रीय दल का गठन किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और यह सरकार के विचाराधीन हैं।

पर्यटन उद्योग में सुधार

905. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में ग्यारह सितम्बर की घटना के कारण भारत में पर्यटक आगमन में आयी कमी के बाद पर्यटन और यात्रा उद्योग में सुधार आया हैं; और

(ख) यदि हां, तो विगत में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने किन कदमों पर विचार किया था?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) सितम्बर, 2002 से देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में पुन: प्रवर्तन रूझान पाया गया हैं, जो वर्ष 2003 और 2004 के दौरान जारी रहा। वर्ष 2003-2004 (जनवरी-नवम्बर 2004) में पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि तथा 24.0 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज हुई।

(ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
- नए बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
- विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करना;
- ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन पर विशेष बल देना;
- पर्यटन परिपथों का विकास करना।

इसके अतिरिक्त, सरकार, भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी कार्यान्वित कर रही हैं-

- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
- विश्व स्तर की प्रासंगिकताओं का सृजन करना।
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान।
- विदेशों में टुअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों, टूअर ऑपरेटरों को भारत के सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

[हिन्दी]

भू-अपरदन

906. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किं:

(क) क्या गत वर्ष बिहार सरकार ने गंगा, गंडक, कोशी, बूढ़ी-गंडक, बागमती, खिरोई, कोर और अन्य नदियों द्वारा हो रहे भू-अपरदन की रोकथाम करने और तटबंधों के निर्माण और इन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु 500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यहां बाढ़ से होने वाली तबाही के मद्देनजर राज्य सरकार को उक्त धनराशि उपलब्ध कराने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को यह धनराशि कब तक उपलब्ध कराने की संभावना हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार ने 526.98 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से गंगेश, गंडक, बूढ़ी गंडक, खिरोई, बागमती और कारेह नदियों पर गंभीर कटाव रोधी और तटबंध ऊंचा करने और उन्हें सुदृढ़ करने/निर्माण करने संबंधी स्कीमों की एक सूची वर्ष 2004-07 के दौरान कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटाव रोधी कार्य" में शामिल करने के लिए प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) बिहार सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जिसमें बिहार राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस केन्द्र प्रायोजित परियोजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य सरकार के संबंध में 40 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से सहित 53.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली स्कीमें भी शामिल हैं, को वर्ष 2004-07 के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया था। नवम्बर, 2004 की समाप्ति तक बिहार राज्य सरकार को अब तक 11.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई हैं।

फसल बीमा योजना

907. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री बालेश्वर यादव:
श्री उदय सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तीन फसल बीमा योजनाओं को शुरू करने के लिए हाल ही में अध्ययन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या वर्तमान फसल बीमा योजनाएं किसानों के लिए अप्रभावी सिद्ध हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी हैं/करने का प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क), (ख) और (घ) मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त समूह की स्थापना की गई हैं। इस समूह के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) मौजूदा फसल बीमा स्कीमों, यथा-राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस), फार्म आय बीमा स्कीम संबंधी मार्गदर्शी परियोजना (एफ आई आई एस), वर्षा बीमा योजना तथा निजी साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित अन्य स्कीमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करना।

(2) एन.ए.आई.एस. में अपेक्षित सुधार।

(3) विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों से प्राप्त व्यावसायिक आदानों को ध्यान में रखने के पश्चात एक उचित और किसानों के लिए अनुकूल फसल बीमा स्कीम का अवधारणा प्रपत्र/विस्तृत पैरामीटर तैयार करना।

(4) सरकार द्वारा देय अग्रिम (अपफ्रंट) सब्सिडी, यदि कोई हो, का आकलन करना।

(ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) रबी 1999-2000 से चलाई जा रही हैं। विगत 9 फसल मौसमों के दौरान (रबी 1999-2000 से रबी 2003-04 तक) 40272.81 करोड़ रु. की राशि का बीमा करते हुए 743 लाख हैक्टे. क्षेत्र में 462 लाख किसानों को कवर किया गया हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 1242.65 करोड़ रु. की प्रीमियम की तुलना में 4751.77 करोड़ रु. के कुल दावे देय हो चुके हैं तथा इससे अब तक लगभग 1.58 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

फार्म आय बीमा स्कीम (एफ.आई.आई.एस) रबी 2003-04 और खरीफ 2004 मौसमों के दौरान मार्गदर्शी आधार पर क्रियान्वित की गई हैं। इस स्कीम के भविष्य का निर्धारण करने के लिए इस स्कीम का समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा हैं।

गोदामों के निर्माण में विदेशी भागीदारी

908. **श्री सीताराम सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गोदामों के विनिर्माण हेतु विदेश भागीदारों को आमंत्रित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम इन निविदाओं/बोलियों को आज की तिथि तक अन्तिम रूप नहीं दे पाया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं/करने का प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन

909. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूखा प्रभावित जिलों में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) राजस्थान सहित देश में विशिष्ट रूप से सूखा प्रभावित जिलों के शुष्क अंचलों के लिए कोई भी बागवानी परियोजना मंजूर नहीं की गई हैं। तथापि, सरकार कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण-कृषि में वृहत प्रबंध संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही हैं जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ, बागवानी फसलों की खेती के लिए किसानों को सहायता दी जा रही हैं। इस स्कीम को राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वतंत्रता हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया हैं।

विवरण

कृषि में वृहत· प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कोष की राज्यवार निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)		आवंटन (केन्द्रीय अंश)	
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2250.00	1900.00	3800.00	3600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	219.50	463.20	317.28	500.00
3.	असम	523.50	350.00	350.00	800.00
4.	बिहार	1800.00	1250.00	900.00	1800.00
5.	झारखण्ड	1095.00	600.00	1200.00	1800.00
6.	गोवा	200.00	162.20	131.04	200.00
7.	गुजरात	1900.00	1600.00	1150.00	2300.00
8.	हरियाणा	1620.00	1600.00	1662.00	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1800.00	1600.00	1585.15	1600.00
10.	जम्मू व कश्मीर	900.00	1932.00	1680.00	1600.00
11.	कर्नाटक	5850.00	5338.00	5580.00	1400.00
12.	केरल	2313.64	2762.00	2348.00	5700.00
13.	मध्य प्रदेश	5000.00	4350.00	4400.00	2900.00
14.	छत्तीसगढ़	1339.02	1138.00	1600.00	4500.00
15.	महाराष्ट्र	9000.00	7612.00	8400.00	8200.00

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	345.00	300.00	300.00	700.00
17.	मिजोरम	720.00	810.00	820.00	900.00
18.	मेघालय	202.74	700.66	427.25	700.00
19.	नागालैंड	776.80	660.00	880.00	900.00
20.	उड़ीसा	1485.00	1250.00	1967.31	2300.00
21.	पंजाब	1035.00	850.00	—	1500.00
22.	राजस्थान	5250.00	6700.00	6571.19	6800.00
23.	सिक्किम	422.00	330.00	500.00	600.00
24.	तमिलनाडु	4500.00	3360.00	4275.00	4300.00
25.	त्रिपुरा	630.00	900.00	715.34	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	7500.00	6885.00	7375.00	7000.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1290.00	1600.00	1600.00
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	1427.47	1920.00	2400.00
29.	दिल्ली	—	80.00	50.00	100.00
30.	पांडिचेरी	135.00	100.00	—	100.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90.00	100.00	100.00	100.00
32.	चण्डीगढ़	50.00	—	—	25.00
33.	दादरा व नगर हवेली	135.00	100.00	10.00	50.00
34.	दमन व दीव	45.00	—	—	25.00
35.	लक्षद्वीप	90.00	100.00	50.00	100.00
	योग	63122.10	58600.76	62664.56	69500.00

[हिन्दी]

घटिया स्तर की वस्तुओं का परिचालन

910. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं जबकि वे इसके लिए पूरी लागत का भुगतान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए कोई तंत्र उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जांच की गई उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनियों को अपनी वस्तुओं को बाजार में लाने से पहले अपने उत्पादों के लिए गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं के परिचालन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो मानक चिह्न (आई एस आई चिह्न) का प्रयोग करने के लिए विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह सत्यापित करने के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं कि विनिर्माता के पास अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी जांच के लिए उपकरण और योग्य तकनीकी कर्मचारी हैं और उत्पाद की गुणवत्ता संगत भारतीय मानक के अनुरूप है। इसकी जांच भारतीय मानक ब्यूरो के योग्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक फैक्ट्री मूल्यांकन और भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में नमूनों के परीक्षण द्वारा जाती है। लाइसेंस प्रदान करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन स्कीम के तहत विनिर्मित की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता संगत रूप से परीक्षण और निरीक्षण तथा निगरानी निरीक्षण की स्कीम के जरिए नियमित आधार पर संगत भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में जांच के लिए उठाए गए नमूनों की संख्या नीचे दी गई है:

	बाजार नमूने	फैक्ट्री नमूने
2001-2002	11802	21696
2002-2003	11364	18983
2003-2004	14824	18604

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारियों को अपने उत्पादों का परीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण स्कीम जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्माता को दी जाती है, के अनुसार कराना अपेक्षित होता है और बाजार/परेषितियों को भेजने से पहले यह केवल उन्हीं उत्पादों पर लगाया जा सकता है जो तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुसार अपेक्षित विभिन्न परीक्षणों को पूरा करते हों।

(ङ) घरेलू और सामानार्थी प्रयोजनों आदि के लिए पैकेज में रखे पेय जल, पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल, सीमेंट, खाद्य और खाद्य योजकों, एल पी जी सिलेण्डरों, इलैक्ट्रिकल इमर्सन वाटर हीटरों, इलैक्ट्रिक आयरन, इलैक्ट्रिक स्टोवों, इलैक्ट्रिक रेडिएटरों सहित लगभग 109 उत्पादों जिन्हें जन-स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है; को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करें और ये संगत भारतीय मानकों के अनुरूप हो। ये कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे उत्पादों की जो मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, की आपूर्ति बिना संगत गुणवत्ता जांचों की आपूर्ति न की जाए।

किसानों को राहत

911. श्री अजीत जोगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन किसानों को राहत देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिन्हें खराब मानसून के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) अपर्याप्त वर्षा के कारण हुई फसल की हानि के कारण परेशानी में पड़े किसानों को क्षतिपूर्ति, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। खरीफ, 2004 के लिए दावों के निर्धारण हेतु उत्पाद आंकड़े प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31 जनवरी, 2005 है। सूखा राहत सहायता के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दिए जा सकते हैं:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	मांगी गई राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3
बिहार	2312.48	162.15
तमिलनाडु	1910.58	156.84
उत्तर प्रदेश	7226.10	360.94
आंध्र प्रदेश	1199.68	*

1	2	3
झारखण्ड	928.12	*
मध्य प्रदेश	724.88	*
राजस्थान	2378.64	**
कर्नाटक	1147.71	**
छत्तीसगढ़	604.96	**

*उच्च स्तरीय समिति द्वारा शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

**हाल ही में ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं। केन्द्रीय दल तैनात किया जा रहा हैं।

[अनुवाद]

धान के बीजों की अनुपलब्धता

912. **श्री किरिप चालिहा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि धान के बीजों की अनुपलब्धता से असम राज्य में किसानों की स्थिति बदतर हो गई; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सामान्यत: राज्य में धान के बीज की कोई कमी नहीं हैं। प्राकृतिक आपदाओं, यथा-खरीफ (साली) मौसम की शुरूआत व मध्य में बाढ़ जैसी असामान्य परिस्थितियों के तहत गुणवत्ता वाले साली बीज की कमी महसूस की जाती हैं क्योंकि अन्य स्रोतों और किसानों के पास उपलब्ध बीज ऐसे पौधों को उगाने के लिए पहले ही उपयोग में लाये जा चुके होते हैं जो अंतत: नष्ट हो जाते हैं। सरकार सामान्यत: ऐसी परिस्थितियों में आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) कार्यक्रम के तहत बीज प्रदान करने के उपाए करती हैं।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) के तहत इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित छोटे व सीमान्त किसानों के लिए बीज सहित कृषि आदान सहायता के लिए 19.61 करोड़ रु. की राशि जारी की। भारत सरकार ने आपदा की स्थितियों के लिए अपेक्षित बीज के भण्डारण हेतु बीज भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए असम बीज निगम को 50 लाख रु. की राशि भी प्रदान की हैं। आपदा की स्थितियों में बीज की मांग पूरी करने के लिए बीज बैंक स्कीम के तहत बीज की अधिप्राप्ति के लिये बीज बैंक में रखे जाने के लिए बीज उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये 26.94 लाख रु. के परिभ्रमण-शील कोष का उपयोग किया जाता हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष असम बीज निगम को बीज बैंक के रख-रखाव के लिए 20.41 लाख रु. की राशि भी निर्मुक्त की हैं।

फसलों के बीमे हेतु प्रीमियम पर रियायत को वापस लेना

913. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमांत किसानों को फसलों के बीमें हेतु प्रीमियम पर रियायत मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रियायत को वापस लेने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) के प्रावधान के अनुसार लघु एवं सीमान्त किसान प्रीमियम में 50% तक की सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र थे जिसे पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा हैं। वर्तमान में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रीमियम सब्सिडी प्रीमियम के 10% पर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों के कारण भू-क्षरण

914. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंगा, रूपनारायण और अन्य नदियों के तटबंध के भारी भू-क्षरण की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को भू-क्षरण से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) ने मुख गंगा शाखा के लिए नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं जिनमें भागीरथी, हुगली, रूपनारायण आदि भी शामिल हैं और ये योजनाएं कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

(ग) से (ङ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता हैं। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती हैं।

भारत सरकार ने गंभीर कटावरोधी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित गंगा बेसिन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जनवरी 2001 में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) तैयार की थी। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के उपरान्त दसवीं योजना के दौरान उन्हें निम्नानुसार निधि जारी की गई हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधि
1.	बिहार	26.14
2.	उत्तर प्रदेश	16.69
3.	उत्तरांचल	0.95
4.	पश्चिम बंगाल	10.78

अधिक पैदावार वाले गेहूं का विकास

915. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) नई दिल्ली, के वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार और रोग प्रतिरोधक गेहूं (ट्रिकम एस्टीवुम) की किस्म (एच.डी. 2851) का विकास किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस नई किस्म के बारे में क्या टिप्पणी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) गेहूं की किस्म एच डी-2851 (पूसा विशेष) समय पर बुवाई के लिए दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की सिंचित अवस्थाओं के अन्तर्गत खेती के लिए दिल्ली राज्य किस्म रिलीज समिति द्वारा 2004 में रिलीज की गई। यह किस्म लगभग 137 दिनों की अवधि में पककर तैयार होती हैं तथा इसकी औसत पैदावार संभाव्यता 5 टन प्रति हैक्टेयर से अधिक हैं। यह गेहूं के तीनों रतुआ रोगों अर्थात् पीले, भूरे और काले रतुआ रोग की प्रतिरोधी हैं।

पाम ऑयल का उत्पादन

916. श्री प्रहलाद जोशी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पाम ऑयल की उत्पादन लागत कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पास ऑयल का वर्षवार तथा राज्यवार कितना उत्पादन हुआ हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में पाम ऑयल का आयात किया हैं;

(घ) सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही हैं; और

(ङ) इस दिशा में कृषि वैज्ञानिक क्या योगदान दे रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चूंकि पाम तेल की लागत बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होती हैं, इसलिए यह भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ख) देश में पिछले कुछ वर्षों से पाम तेल का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 50,000 टन हैं। पाम तेल के उत्पादन के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित पाम तेल की मात्रा निम्नानुसार हैं:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	क्रूड पाम तेल	रिफाइंड पाम तेल
2001-2002	1.73	1.01
2002-2003	2.69	3.61
2003-2004	2.85	1.18

(घ) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं-

(1) देश में तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन मौजूद हैं।

(2) वृक्ष मूल के तिलहनों, चावल की भूसी के तेल आदि जैसी गैर परम्परागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाना, ताकि खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि हो।

(3) पाम तेल के विकास के लिए सहायता

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर के उत्पादकों के लिए बेहतर प्रोत्साहन।

(5) वनस्पति के निर्माण में स्वदेशी तेलों का उपयोग 12% तक किया जाना अनिवार्य कर दिया गया हैं।

(ङ) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार तिलहन उत्पादन करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में तिलहन, दाल, पाम तेल और मक्का की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत योजना क्रियान्वित कर रही है इस योजना के अधीन ब्रीडर बीज खरीदने, फाउण्डेशन बीज का उत्पादन करने, प्रमाणित बीज का उत्पादन और वितरण करने, बीज मिनी किट का वितरण करने, पादप संरक्षण रसायनों, पादप संरक्षण उपकरणों, खर-पतवार नाशकों का वितरण करने, राइजोबियम कल्चर/फासपेट को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया की आपूर्ति करने, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट का वितरण करने, स्प्रिंकलर सेट, जल आपूर्ति करने वाले पाइपों का वितरण करने, प्रचार करने आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती हैं। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन की प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए राज्यों के कृषि विभागों के माध्यम से ब्लॉक स्तर के प्रदर्शन और एकीकृत जन्तु-बाधा प्रबन्धन प्रदर्शन किये जाते हैं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से अग्रणी प्रदर्शन किये जाते हैं।

[हिन्दी]

बागवानी और पुष्पकृषि का विकास

917. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर तमिलनाडु में बागवानी और पुष्पकृषि के विकास हेतु उठाए गए कदमों को ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त-प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही हैं जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को पुष्पकृषि सहित बागवानी फसलों की खेती के लिये सहायता दी जा रही हैं। इस स्कीम को तमिलनाडु सहित देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार स्कीम के बजटीय आवंटन के तहत कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान वृहत प्रबंधन के तहत दी गई सहायता और वर्तमान वर्ष के लिये आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि में वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कोष की राज्यवार निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)		आवंटन (केन्द्रीय अंश)	
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2250.00	1900.00	3800.00	3600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	219.50	463.20	317.28	500.00
3.	असम	523.50	350.00	350.00	800.00
4.	बिहार	1800.00	1250.00	900.00	1800.00
5.	झारखण्ड	1095.00	600.00	1200.00	1800.00
6.	गोवा	200.00	162.20	131.04	200.00
7.	गुजरात	1900.00	1600.00	1150.00	2300.00
8.	हरियाणा	1620.00	1600.00	1662.00	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1800.00	1600.00	1585.15	1600.00
10.	जम्मू व कश्मीर	900.00	1932.00	1680.00	1600.00
11.	कर्नाटक	5850.00	5338.00	5580.00	1400.00
12.	केरल	2313.54	2762.00	2348.00	5700.00
13.	मध्य प्रदेश	5000.00	4350.00	4400.00	2900.00
14.	छत्तीसगढ़	1339.02	1138.00	1600.00	4500.00
15.	महाराष्ट्र	9000.00	7612.00	8400.00	8200.00
16.	मणिपुर	345.00	300.00	300.00	700.00
17.	मिजोरम	720.00	810.00	820.00	900.00
18.	मेघालय	202.74	700.66	427.25	700.00
19.	नागालैंड	776.80	660.00	880.00	900.00
20.	उड़ीसा	1485.00	1250.00	1967.31	2300.00

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	1035.00	850.00	—	1500.00
22.	राजस्थान	5250.00	6700.00	6571.19	6800.00
23.	सिक्किम	422.00	330.00	500.00	600.00
24.	तमिलनाडु	4500.00	3360.00	4275.00	4300.00
25.	त्रिपुरा	630.00	900.00	715.34	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	7500.00	6885.00	7375.00	7000.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1290.00	1600.00	1600.00
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	1427.47	1920.00	2400.00
29.	दिल्ली	—	80.00	50.00	100.00
30.	पाण्डिचेरी	135.00	100.00	—	100.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90.00	100.00	100.00	100.00
32.	चण्डीगढ़	50.00	—	—	25.00
33.	दादरा व नगर नगर हवेली	135.00	100.00	10.00	50.00
34.	दमन व दीव	45.00	—	—	25.00
35.	लक्षद्वीप	90.00	100.00	50.00	100.00
	योग	63122.10	58600.76	62664.56	69500.00

वैश्वीकरण से छोटे और मझौले किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को कठिनाइयां

918. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्वीकरण के कतिपय पहलुओं से भारत के छोटे और मझौले किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वैश्वीकरण से बदलती परिस्थितियों में किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट हैं, भारत में कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कृषि आयात की मात्रा बहुत कम बनी हुई हैं। अतएव, भारत में छोटे व सीमांत किसानों तथा फार्म श्रमिकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हों, कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं हो सकता है।

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर कृषि में जी.डी.पी. (रुपये करोड़ में)	कृषि आयात (रुपये करोड़ में)	जी.डी.पी. में आयात का प्रतिशत
1993-94	221834	2327.33	1.04
1994-95	255193	5937.21	2.32
1995-96	277846	5890.10	2.11
1996-97	334030	6612.60	1.97
1997-98	353490	8784.19	2.48
1998-99	406498	14566.48	3.58
1999-00	422392	16066.73	3.80
2000-01	423522	12086.23	2.85
2001-02	473004	16256.61	3.43
2002-03	456044	17608.83	3.86

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली; एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट एग्लांस, 2004

सरकार ने 18 जून, 2004 को एक नई कृषि ऋण नीति घोषित की है ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके तथा किसानों को ऋण राहत प्रदान किया जा सके।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन सर्किट

919. श्री पी. एस. गढ़वी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात में सांस्कृतिक तथा पर्यटन केन्द्रों को जोड़कर और ''कोस्टलाइन पर्यटन'' द्वारा पर्यटन सर्किटों का विकास करने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों/रुचि के स्थानों का विकास एवं संवर्धन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता हैं। तथापि, पर्यटन विभाग भी देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में परियोजनाएं स्वीकृत करता है जिसमें सांस्कृतिक एवं तटवर्ती क्षेत्र पर्यटन सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं को क्षेत्र दौरों तथा संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श के आधार पर स्वीकृत किया जाता हैं।

पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान, गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 1423.13 लाख रुपए की 21 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 916/2004]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:

(क) (एक) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉली एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 917/2004]

(दो) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 918/2004]

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 919/2004]

(चार) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 920/2004]

(पांच) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 921/2004]

(छह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 922/2004]

(सात) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 923/2004]

(आठ) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 924/2004]

(नौ) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 925/2004]

(दस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहटी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 926/2004]

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 927/2004]

(बारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 928/2004]

(तेरह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 929/2004]

(चौदह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 930/2004]

(पंद्रह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, मुम्बई।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 931/2004]

(सोलह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 932/2004]

(सत्रह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, पटना।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 933/2004]

(अठारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 934/2004]

(उन्नीस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 935/2004]

(बीस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 936/2004]

(इक्कीस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी तिरूवनंतपुरम।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 937/2004]

(बाईस) नेशनल काउंसिल आफ होटल मैनेजमेंट, एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 938/2004]

(ख) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 939/2004]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कुमारकुरूप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकुरूप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 940/2004]

(ख) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 941/2004]

(ग) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 942/2004]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 516 (अ) जो 11 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कीटनाशी मूल्य, स्टॉक प्रदर्शन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण आदेश, 1986 का विखंडन किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 943/2004]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पौधा करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 जो 18 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1322 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पौधा करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2004 जो 6 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 167(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पौधा करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) तीसरा संशोधन आदेश, 2004 जो 31 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 644(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 944/2004]

(3) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 945/2004]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष जी, दागी मंत्री... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (क) (एक) कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 946/2004]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, श्री नमोनारायन मीना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा उठाई-धराई) संशोधन नियम, 2004 जो 19 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 826 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 12 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 914(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा उठाई-धराई) दूसरा संशोधन नियम, 2004 जो 6 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 947/2004]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी. 948/2004]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 26 अगस्त, 2004 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की:

(1) श्री सुरेश कलमाड़ी 16.8.2004 से 26.8.2004

(2) श्री अब्दुल मन्नान हुसैन 16.8.2004 से 26.8.2004

(3) डा. चिन्ता मोहन 3.7.2004 से 21.7.2004

(4) कुमारी ममता बनर्जी 16.8.2004 से 26.8.2004

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष घोषणा कर रहे हैं तो आप व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?

क्या सभा समिति द्वारा यथा संस्तुत अवकाश स्वीकृत करेगी?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अवकाश स्वीकृत किया जाता है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 6.12.04 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण* 2004

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 949/2004]

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक*, 2004

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं यहां पर आपत्ति जताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना मेरे पास आने दीजिए फिर मैं निर्णय लूंगा।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 6.12.04 में प्रकाशित।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अब वे इस विधेयक को पुरः स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका मतलब नहीं है कि विधेयक पारित हो गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पुर:स्थापन के समय ही मुझे यह कहने का अधिकार है कि इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए.....

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, शिवराजजी पाटिल यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने यह कहा था कि हर बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक जितने भी आर्डिनेंस आए हैं, उनमें से एक भी बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय: अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद ही तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने का सवाल उठेगा।

[अनुवाद]

पहले विधेयक को पुर:स्थापित तो होने दीजिए।

प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आप कहना चाहते थे कि इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की कन्वेंशन है कि सभी बिलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा था कि कोई भी बिल हो, भले ही एक लाइन का फर्क हो, उसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। यहां सरकार कई आर्डिनेंस ला चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके अनुरोध को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस बिल के बारे में आपने क्या डिसीजन लिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर निर्णय लूंगा। मैं उतना तेजी से काम नहीं कर सकता हूं जितना कि आप कर सकते हैं।

मद सं. 12, श्री पलानीमनिक्कम।

अपराह्न 12.06 बजे

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 5) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. संख्या 950/2004]

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 6.12.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं जानता हूं कि ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो किसी विशेष मुद्दे को उठाना चाहते हैं। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि प्रश्नकाल के बाद मैं इसके लिए अनुमति दूंगा। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सबके एक साथ बोलने पर कुछ कहने की बजाय मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। मैंने श्री मल्होत्रा से भी कहा है कि मैं उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दूंगा। इसलिए, मेरी विनम्र अपील है कि यदि आप इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं तो आप इस तरह से उठाएं कि आप जो कहना चाहते हैं जो वह सभी लोग सुनें और उसका एक प्रभावी रूप से प्रस्तुतीकरण हो। इसलिए कृपया सहयोग करें।

श्री रामजी लाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, पहले जितनी माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे, उतने ही माननीय सदस्यों को इधर से भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं गिनती करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, मैंने आपसे अपील की है कि शांति बनाए रखिए। चूंकि पहले उन्होंने नोटिस दिया है इसलिए उन्हें पहले बोलने का अवसर दिया जा रहा है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आज बाबरी मस्जिद की शहादत का ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इन्हें चुप रहने के लिए कहिए। यदि ये मुझे नहीं बोलने देंगे, तो इनमें से भी कोई नहीं बोल पाएगा। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, ये गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने उल्लेख किया कि आप उनके वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। मल्होत्रा जी, आप कह रहे हैं कि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुमन, कृपया संक्षेप में अपनी बात करें।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आज जहां एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत तकलीफ के साथ इस दिन को याद करते हैं वहीं दूसरी तरफ जो साम्प्रदायिक संगठन हैं, वे आज के दिन को विजय दिवस और शौर्य दिवस वगैरह के रूप में मनाते हैं और कुछ कार्यक्रम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, उसकी शहादत की, उनकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम। ...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द हटा दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे हटा दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप क्यों इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, उनकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें, जो संसदीय नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें क्षमा मांगनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ये 6 दिसम्बर को शौर्य दिवस और विजय दिवस मनाते हैं और ये ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है। पूरा देश यह देख रहा है कि आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। मैं सभा के सभी पक्षों से अपील कर रहा हूं कि सभा को इस तरह से चलाने दें कि आप लोग अपनी बात कह सकें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस शब्द को हटा दिया है। मैंने इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पूरा अवसर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसके बाद, मैं इसकी अनुमति दूंगा। श्री सुमन, कृपया अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कहते हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस तरह यहां नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आज काला दिवस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन, बेहतर है, आप अपनी बात कहें। केवल आपका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा, और किसी का नहीं। अपनी बात संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस शब्द को हटा दिया है, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ये आज के दिन शौर्य दिवस मनाते हैं। ...*(व्यवधान)* 3 जून, 2003 को लिब्राहन कमीशन के सामने, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने कहा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, मैंने आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है, उत्तर प्रदेश में तब कल्याण सिंह जी की सरकार थी। श्री कल्याण सिंह ढांचे की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। ...*(व्यवधान)* श्री कल्याण सिंह ने स्वयं लिब्राहन कमीशन के सामने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी और सुश्री उमा भारती, इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने का मिलकर षड्यंत्र रचा था और वही कल्याण सिंह जी आज कमीशन

के सामने यह कह रहे हैं कि यह तो भगवान की मर्जी थी। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो इस देश की शान्ति को खत्म करना चाहते हैं। मैं इस सरकार से जरूर चाहूंगा कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपत्तिजनक शब्द को हटा दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे। कृपया संक्षेप में और केवल विषय पर ही बोलें।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आज काला दिवस है। 12 वर्षों पहले आज ही के दिन बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह रिकार्ड से हटा दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा जी, मैं इसे तत्काल कार्यवाही वृत्तांत से निकालता हूं।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

मैंने एक्सपंज कर दिया।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: भाजपा के अधिकतर नेता इस मामले में आरोपित थे। यहां तक कि आरोपित मंत्री राजग सरकार में मंत्री बने रहे थे। श्री कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और आज वह इस सभा के सदस्य हैं। उन्होंने लिब्रहान आयोग के समक्ष बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद ढहाने का षडयंत्र श्री लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर रचा गया था। अब श्री कल्याण सिंह ने लिब्रहान आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपना बयान बदल दिया है। मैं मांग करता हूं कि श्री कल्याण सिंह स्पष्ट करें कि एक वर्ष पहले लिब्रहान आयोग के समक्ष दिए गए बयान से उनका क्या अभिप्राय था ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक पहलू की जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: हम मांग करते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो बाबरी मस्जिद ढहाने और हमारे देश के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले लोक सभा चुनावों में जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था। लोगों की मांग है कि शिव सेना, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और अन्यों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सारे नहीं बोलें। यह क्या बात है? आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय 6 दिसम्बर के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका मैटर होगा।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, आपने खुद कहा था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये बार-बार वही शब्द कह रहे हैं।

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, बहुत ही ...*(व्यवधान)* आप हमें बोलने तो देंगे न। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है, उसे उद्धरित नहीं किया जा सकता। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हर किसी को अपना अंतर्मन टटोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप अपने कृत्य को न्यायोचित ठहरा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कृपया मुझे बाध्य न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल जी, मैं आपको एक दिन सदन से निष्कासित करवा दूंगा। मैं जल्दी ही आपको सदन से निष्कासित करवाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए। आप सबसे अधिक अनुशासनहीन सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पता होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी को कैसे संबोधित करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं कि आप बैठिये। अभी आपके तीन सदस्य बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्षजी, आप पूरी तरह से असहाय हो गये हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके चिल्लाने से क्या होगा? आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इन सबकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे जिस रूप में करने का प्रयत्न कर रहा हूं वह सभ्य संगठन के अनुरूप है। यह देश की सर्वोच्च संस्था है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इस मामले को उठाते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, किसी सभ्य देश में, किसी सभ्य पार्टी में, किसी सभ्य लोक सभा में, राज्य सभा में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या बात कह रहे हैं? आप बैठे हैं, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब अनुशासन लागू करने की कोशिश करूंगा। श्री आज़मी आप बैठ जाइए। आपको बैठना होगा। कृपया अपनी इस उम्र में आप इस प्रकार का काम मत कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए कि मुझे कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़े।

जी हां, मल्होत्रा जी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, वह उन शब्दों का प्रयोग न करते तो अच्छा था। मुझे सिर्फ तीन-चार बातें इस बारे में कहनी हैं। एक ही बात को लगातार बार-बार कहकर गोबलस की तरह से गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। सन् 1949 में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सुमित्रा जी को यहां बैठने और नियंत्रण करने के लिए बुला रहा हूं। अध्यक्ष को सलाह देना बहुत आसान है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, कमीशन चल रही है। *...(व्यवधान)* आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, वहां पर 1949 में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनिये।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सन् 1949 में वहां पर मूर्तियां प्रकट हुईं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों कोर्ट्स के आर्डर से मूर्तियां वहां पर विराजमान हैं। *...(व्यवधान)*

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूर्तियां हटाई नहीं जा सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पूजा अर्चना होगी। *...(व्यवधान)* अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ये न मानें तो बहुत गलत बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उन्हें मानने के लिए वे प्रतिबद्ध नहीं हैं, जो वे कह रहे है उसे मानने के लिए आप प्रतिबद्ध नहीं हैं। सभी ने अपने-अपने विचार रखे हैं। इसका निर्णय करना अब लोगों के हाथ में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं बताने लगा हूं। *...(व्यवधान)* सन् 1949 से वहां पूजा हो रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब कुछ डिनाई कर दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, ये लोग जिसको मस्जिद कह रहे हैं, वह एक ढांचा था। उसके 200 मीटर अंदर तक कोई मुसलमान जा नहीं सकता था। *...(व्यवधान)* इसका फैसला किसने किया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया, अब मुझे बोलने दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, पुनः आप मेरी अनुमति के बिना उठ खड़े हुए हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उनके सदस्यों पर नियंत्रण रखने का अनुरोध करूंगा। अन्यथा, वे परेशानी में पड़ जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री खैरे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आप इसी तरह बोलते नहीं रह सकते हैं। मैंने श्री खैरे को बोलने के लिए बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको पूरा टाइम दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अयोध्या प्रभु रामचन्द्र जी की भूमि है। उस जगह भगवान रामचन्द्र जी का जन्म हुआ था लेकिन बाबर ने वहां मस्जिद बनाई थी। उसके बाद वहां कई वारदातें हुई, संघर्ष हुआ। वहां जो भी ढांचा था, उसे बाबर ने बनवाया था। वह राम जन्म भूमि है। वहां भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। अगर वहां भगवान रामचंद्र का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। श्री रामजीलाल सुमन, श्री रघुनाथ और श्री राम कृपाल यादव के नाम में राम है। अगर आप राम के नाम का इतना विरोध करते हैं तो अपने नाम से 'राम' शब्द निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)* स्वयं रामचंद्र परमहंस जी ने कई सालों तक वहां आन्दोलन किया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि राम मंदिर का निर्माण वहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रभु रामचंद्र का मंदिर वहीं होना चाहिए जहां राम जन्म भूमि है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अब आप क्यों बोले जा रहे हैं?

मैं आपके सहयोग के लिए आभारी हूं। अब श्री बेल्लारमिन अपना मामला उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं स्वयं कार्यवाही-वृत्तांत को देखूंगा यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो, उसे हटाने की मेरी जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज भारत के इतिहास का काला दिन है, इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बेल्लारमिन।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): अध्यक्ष महोदय, मैं त्रि-समुद्र संगम भूमि, कन्याकुमारी, जहां तीन बड़े महासागर बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर के संगम का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, के लोगों की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा महान नेता इय्या कामराज के पवित्र अवशेष, जो कन्याकुमारी की भूमि में उनके स्मारकों पर रखे हुए हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं। इय्यन थिरूवल्लुवर, जिन्होंने विश्व को लोकाचार संहिता प्रदान की तथा क्रांतिकारी युवा संत स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्वव्यापी धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया, मेरी बात के साक्षी हैं।

परंतु उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा कन्याकुमारी जिले के 14 लाख लोगों के बेहतर जीवन और कल्याण को सुनिश्चित करने वाली विकास परियोजनाएं चलाने के मामले में इस जिले की निरंतर उपेक्षा के कारण यहां की शान-शौकत और महिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 95 प्रतिशत की साक्षर जनसंख्या वाले इस जिले में रोजगार के अवसरों की कमी है।

इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोलाचेल पत्तन का दर्जा बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय मदर कंटेनर पत्तन और केन्द्रीय ट्रांजिट हार्बर करना दक्षिण भारत के लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोलाचेल को सुपर ट्रांजिट पत्तन और कंटेनर मदर पत्तन के रूप में विकसित करने के संबंध में मलेशिया के पत्तन अधिकारियों और समुद्री विशेषज्ञों द्वारा 2001 में प्रस्तुत एक प्रस्ताव पहले ही तमिलनाडु सरकार के विचाराधीन है।

यह एक प्राकृतिक पत्तन है जहां समुद्र की गहराई 55 फुट से अधिक है। यह पत्तन सामरिक रूप से हमारे देश के दक्षिण किनारे पर स्थित है। पत्तन की ऐसी केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण कोलाचेल को एक कंटेनर मदर पत्तन के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतः, मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस ऐतिहासिक पत्तन के उन्नयन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आगे आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, क्या आरजेडी के सदस्यों को समय नहीं दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय जब तमिलनाडु में विशेषकर तंजावूर जिले में साम्बा फसल की कटाई चल रही है, राज्य सरकार ने किसानों से सीधे धान की खरीद के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। बहुत कम खरीद केन्द्र क्रियाशील हैं। वहां पुनः राज्य सरकार नमी की मौजूदगी के आधार पर किसानों से धान नहीं ले रही है।

केन्द्र सरकार भी वहां भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से धान की खरीद नहीं कर रही है। कावेरी डेल्टा के किसानों पर पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे का अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। छोटे और सीमांत किसान किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गए हैं और ऐसे गरीब किसान अपना धान 4 रुपये प्रति किलोग्राम के अत्यंत सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हैं। चावल उत्पादन की लागत ही 8 रुपये प्रति किलोग्राम है और खुले बाजार में इसकी बिक्री 12 रुपये प्रति किलोग्राम से कम में नहीं की जाती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कावेरी डेल्टा के किसानों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक खरीद केन्द्र खोले।

इसी प्रकार, मूंगफली का मूल्य भी 750 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 400 रुपये प्रति क्विंटल और उससे भी कम रह गया है। चूंकि आदान लागत अधिक है, इसलिए मूंगफली उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए अपनी कमाई से गुजारा कर पाना कठिन है। इसमें विडम्बना यह है कि इसके साथ-साथ ही मूंगफली के तेल के मूल्य में 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक वृद्धि की गई है। अतः मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह अधिक संख्या में खरीद केन्द्र स्थापित करके न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर गरीब किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने क्षेत्रीय भाषा में बोलने की सूचना दी है? कोई भाषांतर नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपनी इजाजत से अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में पिछली दफा से सूखा लगातार चल रहा है। ...*(व्यवधान)* हमारी पिछली फसल मक्के की जो लगनी थी, वह लग नहीं पाई और अगली फसल बर्बाद हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कृपा करके हमारे जिले में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात रखूंगा।

...*(व्यवधान)*

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: जी नहीं, महोदय अभी तो शुरू नहीं किया है, तो फिनिश कहां से होगा। मैं आपकी इजाजत से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सूखा लगातार चल रहा है। मक्के की पिछली फसल नहीं लग सकी। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद शाहिद, कृपया ऐसा न करें। हरेक मामला अपने हाथ में न लें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: हमारे क्षेत्र के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम्हें मंदिर और बाबरी दिखाई दे रही है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां लगातार सूखा पड़ रहा है और लोग दाने-दाने के लिए भूखे मर रहे हैं। मेहरबानी करके आप सरकार को डाइरेक्शन दीजिए कि वहां हमारे क्षेत्र में फूड भेजा जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए, यहां से एक टीम जाए और वह चैक करें। वहां बुरी हालत है। इनको पता नहीं क्या हो रहा है? दोनों को तकलीफ हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं दोनों पक्षों के लिए इस दिन के महत्व को जानता हूं। मैंने सभी माननीय सदस्यों से आरंभ में ही इसका अनुरोध किया था। कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और मैंने उन्हें बताया था कि इस मामले को सभा के शिष्टाचार और मर्यादा के अनुकूल उठाया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य इस मामले को उठाना चाहते थे। मैंने उन्हें इस सभा में उठाने के लिए कहा हैं। मैंने प्रो. मल्होत्रा को भी वचन दिया था—मैं जानता हूं कि वे मुख्य विपक्षी दल के हैं और इस मामले पर उनके पास कहने के लिए कुछ है—कि उन्हें भी बोलने के लिए कहा जाएगा। तीन दलों का यहां प्रतिनिधित्व है और मैंने सबको आमंत्रित किया है। राजद ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। श्री झा आपके दल से एक भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, हमने आपसे निवेदन किया था कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे मेरी बात समाप्त करने दीजिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे नियम तोड़ने के लिए बाध्य न करें। नियम बिलकुल स्पष्ट है। जिन्होंने सूचनाएं दी हैं उन्हें बोलने की अनुमति मिलेगी। इसलिए, कृपया सहयोग करें। मामला उठाया गया है। दोनों पक्षों द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं। निश्चित रूप से यदि कोई अन्य उपयुक्त मौका होगा मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सर, इससे बड़ा और कौन सा औकेजन आएगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: औकेजन तो नोटिस देने के बाद आता है।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: सारे रूल्स तो हम ही लोगों के लिए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या अभिमत है, हम जानते हैं और हम आदर भी करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण प्रदेशों में केन्द्रीय आर्थिक मदद न मिलने के कारण एवं श्रम कानूनों में सरलीकरण न होने के कारण 98 लघु उद्योगों से 27 बंद पड़े हुए हैं। 1754 कामगार बेकार हैं। तालाबंदी का मुख्य कारण है कि वहां कच्चे माल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उत्पादन के दाम नहीं बढ़ हैं। इसके साथ ही बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा भी एक कारण है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आपने और लोगों को भी चांस दिया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं, बिना नोटिस के मैंने किसी को नहीं बोलने दिया है। उनके लीडर ने समय मांगा था। आपके लीडर ने नहीं मांगा। अगर लालू प्रसाद जी समय मांगते तो मैं समय दे देता।

श्री शैलेन्द्र कुमार: पारिवारिक विवाद के कारण है श्रमिकों पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। उसके कारण 27 यूनिट्स बंद हो गईं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब तक किसी ने भी मुझसे बोलने का अवसर नहीं मांगा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बीच में इंटरप्ट न करें।

[अनुवाद]

आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अपट्रान की पांच यूनिटों के 480 श्रमिक बेकार पड़े हुए हैं और भुखमरी की कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल से ही इन इकाइयों के श्रमिक बेकार पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्कशाप के 127, सनविन्ड केमिकल्स के 20, अमौसी टेक्सटाइल्स मिल के 499 और गणेश आयरन स्टील रोलिंग मिल के 36 श्रमिक बेकार हैं। कुल मिलाकर ये 27 मिलें हैं, जिनमें 1754 मजदूर आज बेकार हैं। मैं मंत्री जी को पूरी लिस्ट बाद में दे दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत पड़ने पर श्रमिकों ने मालिकों का हमेशा साथ दिया है। लेकिन आज श्रमिक बेकार पड़े हैं, उनके घरों में भुखमरी है। उनकी महिलाएं इस समय बेकार हैं। काफी श्रमिकों को समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में खपाने का काम किया गया है और उनको रोजगार दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये जो 27 लघु उद्योग बंद पड़े हैं, उनको आर्थिक मदद देकर और श्रम कानून का सरलीकरण करके चालू कराया जाए, तभी इन बेकार मजदूरों की समस्या दूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): अध्यक्ष महोदय, संसद के इसी सत्र में पेटेंट सम्बन्धी कानून में तीसरा संशोधन विधेयक सरकार लाने वाली है। भारतीय दवाओं में नई चीज देखने को मिल रही है। कैंसर, डायबिटीज और हार्ड डिसीज जैसी प्रमुख बीमारियों की दवाओं के दामों में काफी वृद्धि की सम्भावना दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत की जनता के लिए जीवन रक्षक दवाओं की कीमत एफोर्डेबल नहीं है। मैं जिस प्रांत से आता हूं, वहां 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे प्रांत के लोगों के लिए तो मौजूदा कीमत पर भी इन बीमारियों की दवा खरीदना सम्भव नहीं है। सरकार ऐसा संशोधन विधेयक ला रही है और यह जो कीमतों में वृद्धि की सम्भावना दिखाई दे रही है, उसे सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वांटेड ड्रग्स के बारे में जो यह खतरा दिखाई दे रहा है, आने वाले बिल में उसका क्या समाधान हो सकता है, सरकार इसे ध्यान में रखे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पाइंट रेज किया है।

अपराह्न 12.38 बजे

[हिन्दी]

(दो) बांग्लादेश में एक आतंकवादी गुट से भारतीय क्रिकेट टीम को मिली कथित धमकी के बारे में

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा प्रस्तावित था। लेकिन बांग्लादेश के हरकत-उल-जेहाद नाम के एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है। यह दौरा 22 दिनों का है। इस दौरे के दौरान दो टैस्ट मैच और तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाने हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री सैफुर्रहमान ने हरकत-उल-जेहाद के बारे में कहा है कि यह केवज कागजी संस्था है। लेकिन सच्चाई यह है कि ओसामा बिन लादेन के सहयोग से चार वर्ष पूर्व इस संगठन का गठन हुआ था। इसी संगठन ने इस्लामिक हुकूमत लागू करने की घोषणा की थी। बांग्लादेश के एक पत्रकार की भी इसी संगठन ने हत्या की थी और शेख हसीना पर दो बार हमला भी इसी के द्वारा हुआ था। सारा देश इस धमकी से सांसत में है। भारतीय टीम चाहती है कि वह बांग्लादेश जाए और मैच खेले। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सारी स्थिति के बारे में सदन और देश को अवगत कराए कि कौन लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार की धमकी दी है। अगर हमारे एक भी खिलाड़ी को छूने का प्रयास हुआ, तो उसकी भीषण प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी। इसलिए सारे खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी जो एडवांस पार्टी बांग्लादेश गई है, वह सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखे, तभी सरकार हमारी टीम को वहां भेजे। भारत सरकार इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दे।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मुझे भी इस विषय पर कुछ कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने व्यवधान उपस्थित न किया होता तो मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित करता। परंतु क्योंकि आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: आज देश के सारे खेल प्रेमी निगाहें लगाए बैठे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैच कब होंगे। वे मैच सफलतापूर्वक सम्पन्न हों, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को बार-बार बता रहा हूं कि एक दूसरे के लिए व्यवधान उपस्थित करके वे अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। अब, यदि मैं आपको बोलने के लिए नहीं बुलाता हूं तो आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि आप पहले ही व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। श्री रावले केवल आपको ही बोलना होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष जी, बंगला देश का निर्माण पाकिस्तान की वजह से हुआ। कुछ वर्ष पहले बंगला देश के लोगों ने भारतीय जवानों को मार डाला था। आज जैसा माननीय मोदी जी ने कहा कि उत्तर पूर्व में भी बंगलादेश का टैरेरिज्म चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां लोगों को सरकार क्या सुरक्षा दे रही है? हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय गुलाम नबी आजाद जी यहां बैठे हुए हैं, हमारी उनसे मांग है कि जब तक पाकिस्तान में टैरेरिज्म खत्म नहीं हो जाता, बंगला देश में टैरेरिज्म खत्म नहीं हो जाता, हमें अपनी टीम इन देशों में नहीं भेजनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस मुझे अभी मिला है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय आजाद जी, आप बताएं कि यह दौरा होगा या नहीं होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह बात है और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे इसे देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, आज समाचार पत्रों में एक चौंकाने वाली खबर प्रकाशित हुई है कि रूसी परमाणु ऊर्जा के निदेशक ने वक्तव्य दिया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि रशियन फेडरेशन द्वारा आपूर्ति किए गये संवर्धित यूरेनियम पर चल रहा है, उसे वहां से और संवर्धित यूरेनियम नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता तो वह ऊर्जा संयंत्र कार्य नहीं कर पाएगा।

अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच करें और सभा में वक्तव्य दें ताकि सभा के माननीय सदस्य आज की विद्यमान स्थिति से अवगत हो सकें।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने विषय पर आइए—उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा नदी द्वारा हुए कटाव की समस्या।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपने विषय पर बोलिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप अपने विषय पर बोल नहीं रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: मेरा कहना यह है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने में वन-सम्पदा है और वन-सम्पदा की

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखरेख के लिए और सूखे से संबंधित जो बात है ...*(व्यवधान)* आप मुझे तो बराबर रोक रहे हैं लेकिन जो सदस्य महोदय झगड़ा करते हैं, उन्हें नहीं रोकते हैं। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह जो आप कर रहे हैं वह अनुशासन नहीं है। मैं इन बातों की अनुमति नहीं दूंगा। उस विषय के अलावा जिस पर इन्होंने सूचना दी है कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अधिक बुद्धिमान बनने का प्रयत्न मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: अध्यक्ष जी, मेरे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से गंगा नदी बहती है। उसके बहाव से मिर्जापुर शहर के कई मंदिर, विद्यालय बिल्कुल गिरने के कगार पर हैं, वे अंदर से बिल्कुल खोखले हो गये हैं। इसके लिए हमारी तरफ से कई बार लिखापढ़ी की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए बराबर पैसा देने की बात कहती रही है।

लेकिन वहां की सरकारी मशीनरी, वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसकी अनदेखी करके नकार रहा है। जिस स्थिति से मिर्जापुर शहर जूझ रहा है, वह कब दिन-रात में गिर जाएगा, कब ढह जाएगा, कब बह जाएगा, मालूम नहीं? इससे हजारों लोग प्रभावित होंगे। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, मैं यह सब काम नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अहम मुद्दा है। आप उसके बारे में बोलिए।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि मेरे मिर्जापुर मंडल में गंगा के बहाव की वजह से, शहर के किनारे जो नदी बह रही है, उसमें काफी कटाव आ गया है। उसे तत्काल बनाने की एक योजना बना कर एक पैकेज दिया जाए जिससे मेरे जनपद को सुरक्षा प्रदान हो सके। सूखा राहत का काम भी उसी में है। उनमें बहुत सारी बातें हैं। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आक्षेप लगाना बहुत आसान है। आप कहते हैं कि आप एक युवा सदस्य हैं और आप अध्यक्ष पर आरोप लगाना सीख गये हैं। आप यह पहले ही सीख चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: आप उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहें कि वह गंगा नदी के बहाव और किनारे के कटाव को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी वह बात रिकार्ड में नहीं गई। यदि आपने ऐसी कोई बात बोली होगी तो वह रिकार्ड में नहीं जाएगी।

[अनुवाद]

अनुशासनहीनता से कुछ प्राप्त नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. महादेवराज शिवनकर—उपस्थित नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, आज के समाचार-पत्रों विशेषकर 'द हिन्दू' में यह खबर छपी है कि माननीय वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि सरकार राजग सरकार के निजी बैंकों में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश के निर्णय को कार्यान्वित करेगी।

महोदय, यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आम आदमी से संबंधित अनेक मदें हैं जिन्हें अवश्य ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को कार्यान्वित किए बिना, सरकार क्यों इस वर्ष मार्च में राजग द्वारा घोषित इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आतुर है? यह उनके लिए अनुचित है और यह भी पता चला है कि बजाय उनके आमतौर पर पहने जाने वाले पहनावे अर्थात् वेष्टी और कमीज के वह सूट पहने हुए थे। उस बैठक में, वे सूट और टाई पहने हुए थे और टाटा और अन्य उद्योगपतियों के समक्ष भाषण दिया। यह एक वित्त मंत्री के लिए अनुचित है जो सं.प्र.ग. की अगुआई कर रहे हैं।

अतः, मैं सरकार से इस विशेष मद को जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्य मद हैं कार्यान्वित करने के संबंध में एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजीव रंजन सिंह कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक क्रम से नाम आएंगे, आप अधिक अधीर न हों। मैंने एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए

आमंत्रित किया है। मैंने सभा के बाहर से किसी को नहीं बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु के आरम्भ में पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में था और वर्षा ऋतु के बाद पूरा दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में है। आज वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी डैम में पानी का जो स्टाक होना चाहिए, वर्षा न होने के कारण वह नहीं है। 99 परसैंट स्टेट के ट्यूबवैल्स बंद हैं। निजी नलकूप बिजली के अभाव में चल नहीं रहे हैं। पूरा राज्य जो देश को दलहन देता था, उसकी कहीं पैदावार लगायी नहीं जा सकी। आज भी प्रश्न संख्या-64 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि बिहार को सूखे से निपटने के लिए एक नया पैसा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर सूखे से निपटने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, उसे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सूखे से संबंधित मामलों को छोड़कर कोई भी राज्य से संबंधित मामला मत उठाइए।

[हिन्दी]

श्री राजीव सिंह 'ललन': मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वह यहां से एक केन्द्रीय टीम भेजे जो सूखे की स्थिति का आकलन करे और बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। यह अच्छी बात है।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन क्षेत्रों और अभयारण्यों से होकर गुजरने वाली रेल लाइनें वन्य जीवों के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं।

पिछले वर्ष असम के ऊपरी भाग में एक सवारी गाड़ी के इंजन के पटरी से उतरने से पहले इसके कटकर सात हाथी मारे गए थे। लेडो से डिब्रूगढ़ जाने वाली एक इंटर सिटी सवारी गाड़ी ने हाथियों के एक छोटे झुंड को टक्कर मारी थी जिसमें दो वयस्क हाथी और चार हाथी के बच्चों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में महानदी वन्य जीव अभयारण्य में हुई एक ट्रेन दुर्घटना में एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। महानदी वन्य जीव अभयारण्य के वन और गरुमारा वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाईगर रिजर्व, चपरामारी, जोलदापारे वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरने वाली 170 कि.मी. लम्बी मीटर गेज रेल लाइन में ट्रेनों के साथ टकराने के कारण अनेक हाथियों की मौत हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे वनों और अभयारण्यों से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों की गति को नियंत्रित करने के लिए उचित कार्रवाई करें ताकि वन्य जीवों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। हमारे पास अधिक समय नहीं है।

श्री पी. करूणाकरन: (कासरगौड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

केरल में बीड़ी कामगारों की दयनीय स्थिति के बारे में सभी जानते हैं। इस व्यवसाय से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और इस पर आश्रित हैं। इन कामगारों में निन्यानवे प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। पिछले संसद द्वारा पारित किए गए संशोधन और न्यायालय के आदेश के कारण इन बीड़ी कामगारों के रोजगार अवसर में बहुत ही कमी आई है। बीड़ी कामगारों की सहायता करने के उद्देश्य से बीड़ी और सिगरेट कामगारों के कृत्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए।

इन कामगारों के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। किन्तु, जहां तक केरल राज्य का संबंध है, उसकी विशेष परिस्थिति पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जहां तक ई.एस.आई. अस्पतालों का संबंध है, वहां कोई डाक्टर नहीं है। हालांकि वहां अस्पताल तो हैं, लेकिन लोगों का इलाज करने के लिए कोई डाक्टर ही नहीं है। आवास निर्माण के संबंध में प्राधिकारियों का कहना है कि इनके लिए ग्रुप हाउसिंग होनी चाहिए, जो केरल में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बीड़ी कामगार अपने गांवों से फैक्टरियों में काम करने जाते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं। भूमि खरीदने के लिए उन्हें अधिक कीमत देनी पड़ती है। अत:, एक लाख रु. की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि बीड़ी कामगारों को एक लाख रुपये के अंदर ही मकान

का निर्माण करना है। बीड़ी कामगार कोई बहुत बड़ा मकान नहीं बना सकते। अतः, यह सहायता सभी को दी जा सकती है। तीसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह उत्पाद शुल्क के बारे में है।

अध्यक्ष महोदयः केवल मुद्दे का ही उल्लेख करें।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): जहां तक बीड़ी उद्योग का संबंध है, उसका उत्पाद शुल्क अन्य उद्योगों से भिन्न है। प्रत्येक एक हजार बीड़ी का उत्पादन करने पर उन्हें 9 रु. देने होते हैं। बचत निधि (थ्रिफ्ट फंड), कल्याण निधि और गुजरात आपदा निधि में भी योगदान देना होता है।

अध्यक्ष महोदयः केवल मुद्दे का ही उल्लेख करें।

श्री पी. करूणाकरनः कम से कम एक रुपये को तो छोड़ा ही जा सकता है।

बीड़ी के कुल उत्पादन के संबंध में सीमा 20 लाख तक की है। यदि इस सीमा को कम कर दिया जाए, तो इससे सहकारी समितियों को लाभ होगा। निजी मालिक वास्तव में सरकार को कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। वे सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सहकारी समितियां अपना हिसाब नियमित रूप से देती हैं। उन्हें अत्यधिक कर देना पड़ता है। साथ ही उन्हें उनके साथ स्पर्धा भी करनी होती है। अतः, सरकार को बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए इन उपायों को शुरू करना चाहिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदयः इसका सदुपयोग कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंहः महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में पर्याप्त दूरसंचार सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण लोगों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिसमें झालावाड़, बाला, खानपुर, पिरावा, सुनेल, मानौर, थाना, डाग, चौमेला, रायपुर, बकानी, छाबरा, अटरा, किशनगंज, शाहबाद शामिल है, में लैंड-लाइन सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। लोगों को तीन राष्ट्रीय राजमार्गों-राष्ट्रीय राजमार्ग 90, राष्ट्रीय 76 और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से होकर जाना पड़ता है।

उस क्षेत्र में पर्याप्त सेल्युलर फोन सुविधाएं भी नहीं हैं। लोगों ने फोन लाइनों के लिए आवेदन भी किया है किन्तु, उन्हें अभी तक फोन कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत की है किन्तु, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री को भी लिखा है उन्होंने कहा कि: "मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं।" मैं झालावाड़ और अन्य जिलों के लोगों, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, की समस्याओं की तात्कालिकता पर गौर किए जाने के लिए माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* सम्भवतः अन्य जिलों के लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर उचित रूप से ध्यान दें और सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदयः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी पिछली एन.डी.ए. सरकार ने *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हमें एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः कल आपको मौका देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंहः स्पीकर साहब, कल हमारा पहला नम्बर रख लीजिए, हम सुबह नोटिस भेज देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हम लिस्ट नहीं बनाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक माननीय सांसद बोलना चाहते हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः हमारी पिछली एन.डी.ए. सरकार ने देश में छः एम्स खोलने का निर्णय किया था, जिसमें एक जोधपुर में था। जोधपुर के एम्स का शिलान्यास पूर्व सरकार के मंत्रियों द्वारा किया जा चुका है। लेकिन अभी तक उस एम्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जिसके कारण वहां की जनता में नाराजगी है और उसके विरोध में शिवसेना तथा कई संगठनों ने काफी दिनों से वही धरना दे रखा है। एम्स केवल जोधपुर के लिए नहीं था, वह पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा आदि सबके लिए था। यह मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एम्स जैसा अस्पताल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। अगर एम्स खुलता है तो उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप कल नोटिस दीजिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: मैं आपके माध्यम से खास तौर से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एम्स जोधपुर में खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, यह मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसका निर्माण कार्य जनहित में जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे अपने ही एक सहयोगी, जो कि एक नये माननीय सदस्य हैं, से एक नोट प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है:

> ''हम संसद के युवा सदस्य सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के किसी भी विवादास्पद मामले पर दोनों ही पक्षों के तर्कों को शांतिपूर्वक सुनना चाहेंगे। संसद में वाद-विवाद के दौरान अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ करने के बजाय हम अपने विद्वान सांसदों से कुछ सीखना चाहेंगे। महोदय, कृपया उन्हें हमारी भावनाओं से अवगत कराएं।''

यह किसी नए माननीय सदस्य की राय है। नए माननीय सदस्यों के साथ सहयोग करना हमारा कर्तव्य भी है। मेरा विचार है कि सभी को उनकी इस भावना का उचित सम्मान करना चाहिए। मेरा प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध है कि हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी आलोचना हो। ऐसा करने से नए माननीय सदस्य हतोत्साहित होंगे। अतः, हमें सभी को अवसर देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप जानते हैं और मैंने आपको बोला है कि आप कल नोटिस दीजिए, हम कल आपको मौका देंगे। आप बीच में क्यों टोकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय: सब मामले महत्वपूर्ण हैं, मैम्बर्स यूजलैस प्रश्न नहीं उठाते, यहां किसी की मोनोपोली नहीं है। श्री रघुनाथ झा, आप बोलिये।

[अनुवाद]

कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज के दिन बोलने का मौका दिया। आज का दिन राष्ट्र के इतिहास में काला दिवस के रूप में माना जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई विवादास्पद मामला नहीं उठाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: इसी दिन देश की साम्प्रदायिक शक्तियों ने साजिश करके बाबरी मस्जिद की शहादत करने का काम किया था। उस समय श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में कल्याण सिंह जी ने पहले जो अपना स्टेटमैन्ट दिया था, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री अजय माकन** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी। श्री एस.के. खारवेनथन।

(एक) तमिलनाडु के त्यागी धीरण चिन्नामलाई जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय, त्यागी धीरण चिन्नामलाई का जन्म सन् 1756 में मेलाप्पालायम, कंगायम

तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु में हुआ था जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वह अपने शूरवीरता और प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कोंगू क्षेत्र में तत्कालीन शासक, हैदर अली द्वारा करों के संग्रहण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसे बाद में मैसूर के शासक के अधीन लाया गया था। इस घटना के पश्चात् उन्हें 'धीरण चिन्नामलाई' कहा जाने लगा क्योंकि वे चेन्नीमलाई और शिवनमलाई के बीच से किसी स्थान के निवासी थे और इन दोनों स्थानों में भगवान कार्तिकेय का निवास है। धीरण चिन्नामलाई ने कंगायम और उसके आस-पास कोंगू युवाओं की एक ताकतवर सेना तैयार की और उन्हें ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए कठिन प्रशिक्षण दिया। उन्हें ब्रिटिश सेना ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पलानी क्षेत्र में कारुमलाई की पहाड़ियों में धोखे से बंदी बना लिया और 1806 में संकागिरी में फांसी दे दी।

तमिलनाडु सरकार ने उनके नाम पर एक परिवहन निगम जिसका मुख्यालय त्रिची में है, की स्थापना कर उन्हें सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, इरोड स्थित कलक्टर के कार्यालय के भवन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में 17 अप्रैल को स्मृति-दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 2005 में उनकी 200वीं पुण्य तिथि है और अप्रैल 2006 में 250वीं वर्षगांठ है।

यदि त्यागी धीरण चिन्नामलाई के सम्मान में स्मृति डाक-टिकट जारी की जाती है तो यह एक ऐसे पहले महान नेता के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया था और जिसे अपनी शूरवीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(दो) कतिपय जातियों को आनुपातिक आरक्षण देने के लिए उनकी जनसंख्या के बारे में सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): सभापति महोदय, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सही संख्या की गणना प्रथम बार आम जनसंख्या की गणना के समय की गई। उसके बाद जनसंख्या की गणना के फार्म से जाति का कालम हटा दिया गया। इससे देश में उन जातियों की वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं मिल पाती है और उनके आरक्षण का प्रावधान केवल अनुमान के आधार पर किया जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने उस समय इन जातियों की संख्या के अनुसार क्रमशः 22.5, 7.5 एवं 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया और भविष्य में इस हेतु उनकी वास्तविक जनसंख्या का आधार तय किया, लेकिन सरकार ने अभी तक इन जातियों की सही संख्या जानने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

मेरा निवेदन है कि सरकार इनकी सही संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण कराए, जिसके आधार पर जातियों का चयन किया जा सके और उन्हें सूची से निकालने तथा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया ठीक हो सके।

(तीन) मध्य प्रदेश के मंदसौर संदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों के कई स्थानों पर दूरसंचार के नये भवन बन कर तैयार हैं, लेकिन कुछ सामान्य से उपकरणों के अभाव में उन नये भवनों में एक्सचेंज प्रारंभ नहीं किए जा रहे हैं। जब कि इन नये भवनों के एक्सचेंजों के दायरे में आने वाले आस-पास के ग्रामवासियों द्वारा दो-दो, तीन-तीन वर्ष पूर्व ही टेलीफोन कनैक्शन हेतु नियमानुसार आवश्यक धनराशि जमा करवा रखी है, किन्तु उनको अभी तक भी टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से सामान्य उपकरणों के अभाव में जावरा, भानपुरा, जावद तथा रामपुरा आदि नगरों में मोबाइल सेवा प्रारंभ नहीं की जा सकी है, जबकि इन सेवाओं के बारे में औपचारिक रूप से कई बार घोषणा की जा चुकी है। दूरसंचार की सेवाओं को इस प्रकार से निलंबित किए जाने और पैसा जमा कराए जाने के बावजूद कनैक्शन प्राप्त नहीं होने के कारण जनसाधारण को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे भी हैं, जो अपराध प्रवृत्ति के कुछ व्यक्तियों से प्रभावित हैं। इस बारे में अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया, किन्तु कार्य में लापरवाही करते हुए विलंब किया जा रहा है।

अत: मेरा संचार मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नये भवनों में एक्सचेंज तुरंत चालू किए जाएं, उनमें जो भी उपकरणों का अभाव है, उनकी पूर्ति की जाए।

[अनुवाद]

(चार) केरल में खादी और ग्रामीण उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, हाल ही में केरल में खादी और ग्रामोद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा

[श्री पी. करूणाकरन]

है। अधिकतर कामगार महिलाएं हैं और उन्हें बहुत कम मजदूरी मिल रही है। उद्योग की प्रमुख समस्या विपणन है। पहले केन्द्र सरकार ने छूट दी थी लेकिन अब यह एमडीए में परिवर्तित हो गई है। सरकार को पहले से ही संचित स्टाक के वितरण के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू करनी चाहिए। सरकार अस्पतालों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अतिथि-गृहों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन संस्थापनाओं को खादी की वस्तुएं खरीदने के लिए भी निदेश दे सकती है। कई समितियां सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और कामगारों का अंशदान देने में भी असमर्थ होती हैं। न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार इस उद्योग पर पर्याप्त ध्यान देती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार और समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(पांच) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी कामगारों की कार्यदशा में सुधार लाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, सम्पूर्ण देश में 27 लाख बीड़ी मजदूर हैं। सात लाख केवल उत्तर प्रदेश में हैं। लगभग 50,000 बीड़ी कामगार मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। कामगारों को मानदेय बहुत कम है। 40 रुपए प्रति हजार बीड़ी मजदूरी है, जिसे 65 रुपए कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में तेंदू के पत्ते पर टैक्स माफ हैं। उत्तर प्रदेश में चार प्रतिशत टैक्स तेंदू के पत्ते पर है। उत्तर प्रदेश में बड़ी मजदूरों की समस्या को देखते हुए दस प्रतिशत टैक्स लगे। 20 हजार रुपए आवास सुविधा को 40 हजार रुपए कर दिया जाए। बीमा राशि दस हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दी जाए। टी.बी. के मरीज बीड़ी कामगार ज्यादा हैं, उनके लिए मुफ्त दवा की सुविधा तथा नाक में नोज मास्क की व्यवस्था हो।

(छह) शेगांव-खामगांव-जालना रूट पर रेल लाइन बिछाने के लिए पुनः सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान सेगांव-खामगांव और जालना के बीच सीधी रेल संपर्क प्रदान करने के लिए विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों की लम्बे समय से लम्बित मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, सेगांव-खामगांव और जालना के बीच ऐसी सीधी रेल संपर्क न होने के कारण विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के क्रमशः 10 और 9 जिलों के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में, विशेषकर बुलढाना संसदीय क्षेत्रों में, लोगों को सेगांव या जालना तक की यात्रा करने के लिए पूर्णा-अकोला या मनमाड-जामनेर मार्ग का प्रयोग करना होता है जो काफी खर्चीला है और इसमें समय की बर्बादी होती है।

विदर्भ एक पिछड़ा और जनजातीय बहुल क्षेत्र है और विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्रों में सस्ते आवागमन की सुविधा न होने से सभा वहां के सबसे छोटे मार्ग अर्थात् सेगांव-जालना मार्ग पर कन्टेनर सेवा के न होने के कारण वहां के उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ब्रिटिश शासन के दौरान खामगांव को सीधे जालना से जोड़ने के लिए वर्ष 1926 में एक सर्वेक्षण कराया गया था। फिर आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा एक दूसरा सर्वेक्षण कराया गया था। किन्तु, जनप्रतिनिधियों तथा महाराष्ट्र सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद सेगांव-खामगांव और जालना के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उक्त अनुरोध पर समुचित रूप से विचार करें और सेगांव-खामगांव-जालना मार्ग पर रेल लाइन बिछाने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण कराए जाने हेतु संबद्ध प्राधिकारियों को निर्देश दें।

सभापति महोदय: श्री बी. विनोद कुमार—उपस्थित नहीं हैं। डा. एम. जगन्नाथ।

(सात) देश में एड्स को फैलने से रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल): देश में लगभग 5.1 मिलियन लोग एड्स से पीड़ित हैं। इनमें से अधिकांश 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग हैं। विडम्बना यह है कि इससे कम उम्र की महिलाएं भी प्रभावित हैं। भारत में एड्स के फैलाव का कारण यहां के युवा वर्ग में जागरूकता का अभाव है। दूसरा कारण निजी तथा सरकारी चैनलों द्वारा टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता से विकसित हो रही मानसिक विकृति है। इससे युवाओं के मन में यौनाकर्षण बढ़ता है। हाल के सर्वेक्षण में बताया गया है कि एचआईवी के अधिकांश मामले शादी से पूर्व सेक्स का मजा लेने वाले किशोरों में पाए गए हैं। यहां तक कि आर्थिक रूप से पुरुषों

पर निर्भर रहने वाली महिलाओं में भी सेक्स का विरोध करने या जीवन साथी को निरोध का प्रयोग करने के लिए कहने की क्षमता नहीं होती है।

भारत में एड्स के मामले को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए:

(1) टी.वी. चैनलों का विनियमन ताकि यह सुनिश्चित हो के कि युवा मन को भड़काने वाली अश्लीलता के प्रसारण की अनुमति न दी जाए।

(2) जानलेवा रोग एड्स से युवाओं को परिचित कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, अर्द्धशहरी क्षेत्रों और स्कूल कालेजों में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए।

(3) विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर निरोध की नि:शुल्क आपूर्ति।

(4) केवल इन्हीं उपायों से इस रोग के फैलाव पर रोक लगेगा।

मैं केन्द्र सरकार से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

(आठ) पोतीगई एक्सप्रेस को तिरूथंगल पर ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): तिरुथंगल रेलवे स्टेशन मेरे शिवकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजमार्ग के साथ लगे नगर बस अड्डे के निकट स्थित है। यह इस मार्ग पर स्थित सिभी स्टेशनों से अधिक राजस्व अर्जित करने वाला स्टेशन है। परंतु इस महत्वपूर्ण स्टेशन की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां उन्नत प्लेटफार्म, साफ सुथरे शौचालयों और दूरसंचार सुविधाओं की आवश्यकता है। हाल ही में चेन्नई-चेनकाशी के बीच शुरू की गई पोथीगई एक्सप्रैस को तिरुथंगल पर ठहराव दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री सूरज सिंह—अनुपस्थित

मैं उन सदस्यों के नाम दोहरा रहा हूं जो अनुपस्थित हैं। यदि वे अब यहां हैं तो वे अपने मामले उठा सकते हैं।

श्री डी. नरबुला—अनुपस्थित

श्री मदन लाल शर्मा—अनुपस्थित

श्री काशीराम राणा—अनुपस्थित

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर—अनुपस्थित

श्री राजेन गोहेन

(नौ) असम के नौगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नौगांव असम राज्य का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और यहां औद्योगिक विकास शून्य है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए कृषि से होने वाली आय ही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि असम मुख्यत: बाढ़ प्रवण राज्य है जहां इससे प्रति वर्ष फसलों, पशुओं, जनजीवन और करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति की भारी क्षति होती है। बरसाती मौसम के दौरान भारी वर्षा जल जीवन को तब और भी नारकीय बना देती है जब एनईईपीसीओ और एएसईबी के जलविद्युत परियोजा बांधों से भारी जल राशि जिला प्रशासन और क्षेत्र की जनता को चेतावनी दिए बिना छोड़ी जाती है। इन बांधों से अचानक छोड़े गए पानी से जान और माल की भारी क्षति होती है। हजारों हैक्टेयर फसल पूरी तरह से बह जाती है। भूटान सीमा पर स्थित बांध असम के निचले भाग पर भारी विनाश करता है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र का पानी असम के उत्तरी भाग को प्रभावित करता है। इसी प्रकार, करबियांगलोंग में एनईईपीसीओ का जल विद्युत परियोजना बांध मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नौगांव के लिए विनाशक सिद्ध होता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रति वर्ष होने वाले इस विनाश से बचने के लिए एक विनियामक प्रणाली तैयारी की जाए। दुखद स्थिति से बचने के लिए इस प्रकार के बांधों की भण्डारण क्षमता भी बढ़ाई जाए। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि बड़ी संख्या में ऊंचे प्लेटफार्म बनाए जाएं और बाढ़ के दौरान पीड़ितों को आश्रय उपलब्ध कराए जाएं।

सभापति महोदय: श्री विनोद कुमार—अनुपस्थित।

श्री सूरज सिंह—अनुपस्थित

श्री डी. नरबुला

(दस) दार्जिलिंग के लिए एक अलग डाक मंडल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): महोदय, मैं सरकार का ध्यान दार्जिलिंग के लिए पृथक डाक मण्डल के सृजन के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, दार्जिलिंग मण्डल के संबंध में काफी समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संघ इसके

[श्री डी. नरबुला]

लिए विगत पन्द्रह वर्षों से लगातार दबाव डाल रहा है परंतु सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दार्जिलिंग एक पर्वतीय क्षेत्र है और पृथक डाक मण्डल के सृजन से न केवल पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलेगा अपितु डाक विभाग की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। अतएव मैं डाक विभाग से काफी समय से लंबित इस मांग पर तुरंत ध्यान देने और बिना और देरी किए दार्जिलिंग के लिए एक पृथक डाकमण्डल का सृजन करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.17 बजे

आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

आतंकवाद निवारण और (निरसन) विधेयक, 2004

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 15 से 18 पर एक साथ विचार करेगी। श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सभापति महोदय, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां मैंने पिछली बार छोड़ा था।

मैं अपने उन साथियों को याद दिलाना चाहूंगा जो विपक्ष में बैठे हैं और पोटा के निरसन का जोर-शोर से विरोध कर रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे उनकी सरकार में विधि मंत्रियों में से एक, श्री राम जेठमलानी ने 14 मार्च, 2004 को सार्वजनिक रूप से खेद जताया था। मैं उद्धरण देता हूं—आज मुझे खेद है कि मैंने पोटा का समर्थन किया और उन राजनीतिज्ञों की सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया जिन्होंने बताया कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसका दुरुपयोग हुआ है और मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मेरे अन्य दोस्तों ने कहा है, मुझे कोई संदेह नहीं कि इसे संपूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए।"

यह सब इनके मंत्री ने मार्च 2004 में जनता के अधिकरण के समक्ष कहा था।

महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। देश में कुल 573 पोटा कैदियों में से गुजरात में सबसे अधिक 172 कैदी हैं जबकि वहां पर शायद ही कोई आतंकवादी गतिविधि हुई है। और गुजरात में पोटा के दोषियों में से 99.9 प्रतिशत मुस्लिम और एक विशेष समुदाय से हैं। न्यायालय में कोई उनका बचाव नहीं करना चाहता। यही नहीं, हाल ही में सरकार ने दो वकीलों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक हिन्दू है और यह वकीलों को डराने के लिए किया गया है कि पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों को न बचाएं। गिरफ्तारी अंधाधुंध की गई है। पोटा के अंतर्गत अंधे लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग 67 वर्ष के थे, कुछ 60 वर्ष के थे, कुछ 58 वर्ष के थे और कुछ 56 वर्ष के थे और कुछ 16 और 17 वर्ष के नौजवान थे। इन सभी को पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था।

इन सभी के लिए मामले बनाए गए। इनमें से एक समान बात यह है कि ये लोग 'क' मंत्री, 'ख' मंत्री और 'ग' मंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वे इन मंत्रियों को मारना चाहते थे। इस आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुजरात में पांच अधिकारी ऐसे हैं जो लगता है पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों से अपराध कबूल कराने में विशेषज्ञ हैं। यह सब इस क्रम से होता है। वे पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस व्यक्ति को तब तक थर्ड डिग्री की यंत्रणा दी जाती है जब तक कि वह किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताता। उसके बाद वे दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उसे थर्ड डिग्री की यंत्रणा देते हैं और उससे तीसरे व्यक्ति का नाम उगलवाते हैं। फिर वे तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। इस प्रकार से पोटा का प्रयोग एक के बाद एक के विरुद्ध किया जा रहा है और इससे एक समुदाय विशेषकर वहां, जहां से श्री आडवाणी का संबंध है में निश्चित रुप से आतंक फैल रहा है। मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र से हूं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में रहता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे लोगों को आतंकित किया जा रहा है।

यदि आधी रात को लोगों को उठाया जाता रहा तो कोई भी अपना नाम देने आगे नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि उनके बेटों अथवा संबंधियों को केवल इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि किसी ने उनका नाम बताया है। यदि और ऊंचे स्तर पर पुलिस अधिकारी अथवा आयुक्त से बात करता है तो उस व्यक्ति को और अधिक सजा दी जाएगी। यही कारण है कि लोग आगे नहीं आते।

लोगों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। एक या दो मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उन्हें पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

महोदय, आतंकवादी गुजरात में तैयार किए जाते हैं। वहां कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं चलाई जाती। वर्ष 2003 के बाद पिछले ही वर्ष एक के बाद एक कई व्यक्तियों को गुजरात में गिरफ्तार किया जा रहा है। जानबूझकर किन को छोड़ दिया जा रहा है। मैंने यह देखा है अर्थात् हाल ही में विशेषकर नानावटी आयोग के सामने यह तथ्य प्रकाश में आया और मैंने पुलिस अधिकारी को बधाई दी है। उन्होंने गोधरा कांड के तीन दिन पहले 25 फरवरी से 4 तारीख तक अहमदाबाद में किये गए सभी फोन कालों की कम्पैक्ट डिस्क एकत्रित की है। वस्तु तो इसमें नहीं है परंतु किसने किससे बात की और अवस्थिति की सूचना उसमें उपलब्ध है। डिस्क में पांच लाख प्रविष्टियां हैं। डिस्क का विश्लेषण किया गया और तथ्य एक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुए। इसे नानावटी आयोग और बैनर्जी आयोग के समक्ष रखा गया। मैंने गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि यह कम्पैक्ट डिस्क बैनर्जी आयोग से वापस ले ली जाए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इसमें सरकार और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए। यह केवल समाचारपत्रों ने कम्पैक्ट डिस्क के संबंध में अपने विश्लेषण के माध्यम से कहा है कि क्या नरोदा पाटिया मामले में शामिल अभियुक्त ने मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस के उच्च अफसरों और क्षेत्र के प्रभारी पुलिस उपायुक्त से बात की थी। उनके बीच लगातार बातचीत होती रही हालांकि कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस बात से ईंकार किया कि जब घटना घटी वे वहीं पर थे। उनके अनुसार उन्हें पहली बार सूचना उसी दिन करीबन सायं 9 बजे मिली थी जबकि उन्हीं के फोन कहते हैं कि वे वहीं थे और अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हो रहा था।

ऐसा ही तब हुआ था जब भूतपूर्व संसद सदस्य श्री एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने कहा कि उसे कोई सूचना नहीं थी और उन्हें बाद में जानकारी मिली। सेल्युलर फोन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पुलिस उपायुक्त को जानकारी थी, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को यह जानकारी थी। दोनों अभियुक्त पुलिस से बात कर रहे थे। वे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में थे। वे उस क्षेत्र के विधायक से बात कर रहे थे। एक अभियुक्त नरोदा पटिया का विधायक है जिसने नानावटी आयोग के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि वह वहां नहीं थी सेल्युलर फोन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वह घटनास्थल पर ही थी। उसमें सारा ब्यौरा है। मैं यह मांग और अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्रालय से कम्पैक्ट डिस्क मंगायी जाए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अहमदाबाद पुलिस, मुख्यमंत्री कार्यालय और उन दो या तीन मंत्रियों की भूमिका की जांच कराई जाए जिनके नाम बारबार सामने आ रहे हैं। जब कोई विभिन्न स्थानों पर नरसंहार किया जा रहा था पुलिस उपायुक्त जानबूझ कर वहां से अनुपस्थित रहे। उन्होंने जाकर यह नहीं देखा कि क्या हो रहा था।

मैं चाहता हूं कि पोटा हटाया जाए। मैं बहुत खुश हूं कि अंततः यह विधेयक लाया गया है। आज सुबह संसद के बाहर और अहमदाबाद में प्रदर्शन हुआ। वहां मानवाधिकार समूहों की बैठक हुई और सम्पूर्ण गुजरात के लोग इस बात की बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि क्या जिस दिन से यह बना है उसी दिन से इसे निरस्त करने पर सहमत होती है। गुजरात के लोगों में यह भावना बहुत अधिक विद्यमान है और वे सभी नागरिक स्वतंत्रता समूह और मानवाधिकार समूह यह महसूस कर रहे हैं कि इस देश में मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। वे चाहते हैं कि आतंकवाद (निरसन) विरोधी विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस दिन से यह बना है उसी दिन से पोटा को हटाया जा सके *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): मैं आशा करता हूं कि अक्षरधाम जैसी घटनाएं अब के बाद नहीं हों *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं इस बारे में जानता हूं। सूचना छिपाई क्यों जा रही थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस संबंध में बात करने की कोशिश की और घोषणा की कि एक संगठन विशेष द्वारा ऐसा किया गया है। वह अगले क्षण का पता कैसे लगा सकते है? गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार में यह प्रवृत्ति बहुत तीव्र है कि गुजरात में जो कुछ भी घटता है उसे पाकिस्तान और आई एस आई की गतिविधि बताया जाता है *...(व्यवधान)*

मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जब आपकी बारी आए आप भी कह सकते हैं।

मैं, सभा का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं गुजरात सरकार ने प्रत्येक मामले में कैसा बर्ताव किया है। यदि यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वे उसे पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेंगे और उस पर आई.एस.आई. एजेंट अथवा पाकिस्तान के एजेंट का ठप्पा लगा देंगे। गुजरात में सरकार और इसके अंतर्गत कार्यरत पुलिस बल की मनोवृत्ति ऐसी है।

मैं, इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में 'पोटा' का व्यापक दुरुपयोग हुआ है। इसलिए हमारी यह प्रबल मांग है कि इसका निरसन किया जाए। ये लोग केवल 'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। 'पोटा' का निरसन होने के बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कई अन्य उपबंध हैं जिनके अंतर्गत इन मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता है*...(व्यवधान)* मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: मुझे अपना काम करने दीजिए। आप कृपया केवल अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उनके लिए यह स्वीकार करना काफी मुश्किल है क्योंकि ये तथ्य ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान केवल गुजरात में ही रहते हैं और अन्यथा कहीं नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया मुझे कार्यवाही चलाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: ये तथ्य हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इसके तथ्य इस प्रकार हैं। मैं यह जानता हूं कि यह स्वीकार करना उनके लिए काफी मुश्किल है। इन तथ्यों को सुनना भी उनके लिए काफी मुश्किल है ...*(व्यवधान)*

यह मुश्किल है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं उनको नहीं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मेरे अन्य सहयोगी अपने-अपने राज्यों में होने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे। चूंकि, मेरे पास केवल गुजरात के बारे में जानकारी है। अतः, मैं इसके बारे में ही बोल रहा हूं। यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो मैं वह भी आपको दे सकता हूं, परन्तु, मेरे अन्य सहयोगी अन्य बातों के बारे में बताएंगे। इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। उससे उनके चेहरे उजागर होते हैं। वे मानवाधिकारों के बारे में क्या बोल सकते हैं?

एक अन्य बात प्रचारित की गई है कि आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब राज्य में कोई अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा। उनकी पार्टी 'पोटा' का इस्तेमाल करके पूरे राज्य में ऐसा माहौल पैदा कर रही है और वह प्रेस के कुछ वर्गों को समग्र जानकारी देती है जिसे प्रेस बड़े-बड़े शीर्षकों में छापकर राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह की भावना जागृत कर रहा है। वह आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 12 सीटें पहले से ही हैं। हमारे पास सीटों की थोड़ी कमी है। अतः, उन्हें धैर्य रखना होगा। आगे नए चुनाव होने दीजिए, तब गुजरात में हम सत्ता में आएंगे। यदि यह संभव नहीं है, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं यह भूल नहीं पाऊंगा।

यदि आप पृष्ठ 2 धारा 2(घ) में देखें तो उसमें यह उल्लिखित है और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> "यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, प्रभाव नहीं पड़ेगा और, ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो मूल अधिनियम निरसित किया गया हो।"

मेरा तो केवल यह अनुरोध है कि 'बचाएं' जोड़ा जाए और धारा 4, 5, 21, 23 से 35, 49 और 53 के इन उपबंधों का निरसन किया जाए और यह वर्तमान मामलों में इन्हें लागू नहीं किया जाए।

मुझे पूरा विश्वास है कि इससे गुजरात की जेलों में कई महीनों और सालों से बंद पड़े निर्दोष लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी।

अन्त में, मैं यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि यद्यपि समीक्षा समिति के गठन के लिए प्रावधान किये गये हैं और उम्मीद है कि आगे और अधिक समीक्षा समितियों का गठन किया जाएगा, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे अनेक राज्य हैं जो जानबूझकर समीक्षा समितियों को सूचना उपलब्ध नहीं कराते। वे उसमें अत्यधिक समय लेते हैं। देश में अनेक राज्यों विशेषकर जहां विरोधी दलों की सरकार होती है वहां ऐसे मामले हैं जहां वे जानबूझकर समीक्षा समिति को सूचना उपलब्ध नहीं कराते। परिणामस्वरूप, जेल में बंद इन सभी निर्दोष लोगों को बहुत लम्बे समय तक जेल में ही रहना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है। लेकिन यदि समीक्षा समितियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तो मुझे इनकी प्रभावकारिता पर ही संदेह है। यदि वे राज्य सरकार से किसी विषय से संबंधित सूचना मांगते हैं, और वह सूचना निश्चित समय में उपलब्ध नहीं कराई जाती—निश्चित समय का मतलब है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निश्चित समय और दो या तीन महीनों बाद नहीं—यदि राज्य सरकार यह सूचना समीक्षा समिति को उपलब्ध नहीं कराती तो यह मान लिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के पास उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं है और उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। मुझे इस मामले में इतना ही कहना है।

मैं यह विधेयक लाने के लिए सरकार को एक बार फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे देश के नागरिकों को वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी जिसका भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 2.38 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, आज ऐसे कोईसीडेंस है कि जिस रोज, यानी छः दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, आज उसी दिन इस बिल पर चर्चा हो रही हैं। डिमोलिशन पर चर्चा करने से ही बात नहीं बनती, आज उस डेबरिस के ऊपर एक चिराग जलाया जा रहा है, पोटा रिपील के जरिए। मैं पूरी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दो मामलों को एक साथ जोड़ा गया है। एक पोटा के रिपील के बारे में आर्डिनेंस हैं और एक प्रीवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टीविटीज एक्ट में संशोधन के बारे में भी बिल लाया गया हैं। इससे दुविधा बढ़ गयी है। जब यूपीए की सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया कि-

[अनुवाद]

''आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से कोई समझौता नहीं किया जाएगा; लेकिन पोटा के दुरूपयोग को देखते हुए 'संप्रग' सरकार इसे रद्द कर देगी जबकि विद्यमान कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।''

[हिन्दी]

सर, आज जिस अनुपात में टैररिज्म है चाहे वह भारत में हो या अमरीका में हो या कहीं और हो, यह खतरा सिविल सोसाइटी के लिए बना हुआ है। कुछ लोग चाहे वे दिल्ली में हों, इस्लामाबाद में हों या वाशिंगटन में हों, ये समझते हैं कि टैररिज्म से लड़ना उनका हीरोइक डीड है, लेकिन यह गलत है। पोटा उस समय केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बना बल्कि ऐसा ही कानून पाकिस्तान में भी बनाया गया क्योंकि ग्लोबल वार अगेंस्ट टैररिज्म उस समय चल रहा था। हैडक्वार्टर से निर्देश हुआ है, यह कोई स्वदेशी मामला नहीं है। कोई यह समझे कि स्वदेशी चेतना के लिए हमने यह बनाया है तो गलत सोचते हैं।

आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि उस समय 2002 में ऐसे कानून बनाये गये। सितम्बर 11 का जो ट्विन टावर पर अटैक हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं था। लेकिन हम तो उससे पहले से ही मिलिटेंसी के शिकार रहे हैं। सितम्बर 11 को जो घटनाएं हुई, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं हुई और 12 सितम्बर को यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास किया तथा कहा कि इस पर मजबूती से कानून बनाना पड़ेगा। इसके बाद मामला सिलसिलेवार चलता गया।

मैं बार-बार यह कह रहा हूं और हमारी पार्टी की भी यह समझ है और पूरी दुनिया में जितने भी लोग शांति को पसंद करते हैं वे यह बात कहेंगे कि टैररिज्म एक्ट का कोई जस्टीफिकेशन नहीं हो सकता है और यह बात मान लेनी चाहिएं। हम भी मानते हैं कि इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि टैररिज्म से लड़ने का तरीका क्या हैं? अगर कानून बानकर टैररिज्म रुक जाता तो हमारे से अच्छे-अच्छे विद्वान लोग दुनियाभर में बैठे हैं, कानून बनाकर टैररिज्म को खत्म कर दिया जाता। लेकिन यह अपने आपको आंख रहते हुए भी हकीकत का सामना न करने की आत्म-प्रवंचना है। यह इसलिए कि टैररिज्म या मिलिटेंट के कैनवेस को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं। हमारी आजादी की लड़ाई में भी वायलेंस और नॉन-वायलेंस का सवाल उठा। हमारे लोग चाहे हिंसा की राजनीति में गये या अहिंसा की राजनीति में गये, लेकिन उन्होंने भी इस दर्शन को लेकर चर्चा की थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): फिर तो संविधान की जरूरत ही नहीं है।

मोहम्मद सलीम: प्रभुनाथ जी, आपकी समझ से ऊपर की बात है यह, मैं आपसे माफी चाहता हूं।

भगत सिंह जी ने इस सदन में बम फेंका और यहां पड़ा ... *(व्यवधान)* वे चाहते तो किसी की हत्या भी करते लेकिन वे हत्यारे नहीं थे और उन्होंने भी फिलॉसफी ऑफ बम के बारे में बात की है। आज जिनको हम टैररिस्ट कहते हैं ये तो माइंडलैस हत्यारे हैं, सॉफ्ट टॉर्गेट चुनकर हत्याएं करते हैं। लेकिन उस समय हमारी आजादी के जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने उन्हें मिलिटेंट कहा, क्योंकि यह टर्मिनोलॉजी राजनीतिक उद्देश्य से, अपने-अपने तरीके से व्यवहार में लाई जाती हैं।

इसे हमें अपने पर्सपैक्टिव में समझना पड़ेगा, दूसरे के पर्सपैक्टिव में नहीं। पोटा नया कानून नहीं है। पाटील जी, मैं आपसे यह बात

[मोहम्मद सलीम]

कह रहा हूं। इससे पहले टाडा था, नासा था, मीसा था, डीआईआर था, पीडीएक्ट था। हमेशा सत्ता पक्ष या सरकार या एग्जिक्यूटिव या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां यह चाहेंगी कि उनके पास ऐसे कानून हों जिसमें जवाबदेही ज्यादा न हो। इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अपने स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स दिए है। जब पुराने होम मिनिस्टर थे, उस समय भी इसका वैसा ही उद्देश्य देखा गया था। तलवार चाहे विधान की हो या संविधान की, उसे हमेशा नेक नीयत लोग बनाते है, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी न किसी बहाने वह बदनीयत लोगों के हाथ चली जाती है और उसका व्यवहार गलत गलत तरीके से होता है। एब्यूज होता है, मिसयूज होता है और वही ज्यादा होता है।

अभी मिस्त्री जी गुजरात के बारे में बोल रहे थे। आज वहां नरेन्द्र मोदी एण्ड कम्पनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। टाडा के समय कांग्रेस की हुकूमत थी। उस समय इसका मिसयूज गुजरात में हुआ। यह एक ट्रैडिशन है। यदि हकीकत का सामना करें तो पता लगेगा कि सबसे ज्यादा टाडा का मिसयूज गुजरात में हुआ और पोटा का भी सबसे ज्यादा मिसयूज जहां गुजरात में हुआ वहां उसके भाई झारखंड में हुआ। जहां गुजरात में माइनॉरिटीज के खिलाफ इसे लगाया गया वहीं झारखंड में पोटा को ट्राइबल्स, दलितों, गरीबों, महिलाओं, ट्रेड यूनियनों और बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसका कोई आंकड़ा नहीं है। मैं गृह मंत्री से यह अपेक्षा करता था कि वह पोटा की एप्लीकेशन के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फीगर्स हमारे सामने लेकर आते और बताते कि कहां-कहां कितना लगाया गया, कितनों का कनविक्शन हुआ, कितने लोग अरैस्ट हुए, कितने डिटेन्ड हुए और इसका किस तरह का मिसयूज हुआ? इसके पीछे एक राजनीतिक दर्शन काम कर रहा है। यदि आप इसकी हकीकत क्लीयर नहीं करते है तो ऐसे लोग है जो गलत बयानी करके इसके गलत मायने निकालेंगे और निकाल रहे है। आपको समय मिला था और डिसिजन लेना था क्योंकि कॉमन मीनिमम प्रोग्राम का सवाल था लेकिन पोटा किस लिए बनाया गया था?

आज मिलिटैंसी और टैररिज्म का शिकार जम्मू-कश्मीर है लेकिन इसका सबसे ज्यादा झारखंड में प्रयोग हो रहा है। वह जम्मू-कश्मीर से आगे निकल गया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं जम्मू-कश्मीर में इसके प्रयोग करने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बंगाल से आता हूं। हमने फैसला किया था, पोटा कानून के विरोध में कि वह बंगाल में लगेगा या नहीं, वहां इसे न लगा कर राज्य का शासन चल रहा है। हमें पहली बात यह समझनी पड़ेगी कि टैररिस्ट्स और मिलिटैंट्स कानून को अस्वीकार करने के लिए और करके ही टैरारिस्ट और मिलिटैंट होते है। सिविल सोसायटी में लॉ अबाइडिंग सिटिजन्स के लिए कानून बनाए जाते है। कानून का खौफ जो पोटेशियम सायनाइड लेकर घूम रहा है, जो पकड़े जाने से पहले अपनी जाने देने के लिए तैयार है, उसे कहेंगे कि यदि पकड़े जाओगे कि 10 साल के लिए जेल हो जाएगी या फांसी पर चढ़ जाओगे। स्यूसाइड बम के दौर में टैररिज्म और मिलिटैंसी पहुंच गई है। उन्हें मौत की सजा दिखा कर कहेंगे कि हम उसे रोक रहे है। आप आम आदमी के लिए कानून बना रहे है लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जो कानून बनाए जाते है, इनका जो उद्देश्य होता है, तो प्रयोग होता है, जो कॉमन सीटिजन्स है, जो पॉलिटिकल अपोनैंट्स है, जो क्रीटिक्स है, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। यदि इस बात को अब भी कोई नहीं मानता तो हमें वाइको जी के भाषण और हालत से सबक लेना चाहिए। उनकी पोटा के बारे में क्या स्थिति हुई थी? कनप्पन जी जो एनडीए सरकार में तमिलनाडु से मिनिस्टर थे, उन्हें भी पोटा में अरैस्ट करने का ऑर्डर हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री सलीम, कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि आपकी पार्टी से तीन और सदस्यों को बोलना है।

मोहम्मद सलीमः महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। वे हजारों को फांसी पर चढ़ा रहे है और सैकड़ों को जेल भेज देंगे। संसद एक ऐसी जगह है जहां हम चर्चा कर सकते है। यदि मैं गलत हूं तो आप इस ओर ध्यान दिला सकते है।

आपको दूसरों की आलोचना करने का अधिकार है... (व्यवधान) कृपया दूसरों को भी मौका दें।

[हिन्दी]

इसीलिये हम संसद में आये है। हजारों-लाखों लोग चाह रहे है। यह अच्छा होता यदि इसे आर्डिनेंस का रूप न लेना पड़ता। टाडा हमेशा आर्डिनेंस के जरिये बढ़ाया गया। मैं ऐसे कानून के पक्ष में नहीं हूं जो आर्डिनेंस के रूप से आये, चाहे व बिल हो या उसे रिपील करना हो। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां बहस हो सकती है। लोगों का हकीकत मालूम होना चाहिये कि क्या सच्चाई है, क्या बुराई है और क्या अच्छाई है? लोगों को मालूम है कि संसद बैठती नहीं है, इसका काम पिछले दिनों नहीं चला। इसलिये सरकार की बाध्यता हो गई कि इसे रिपील करना चाहिये। यही वजह है कि इसे आर्डिनेंस के रूप में लाना पड़ा जहां तक दूसरे पार्ट की बात है, जो अनलाफुल एक्टिविटीज में अमेंडमेंट लाना है, उसे आर्डिनेंस के रूप में नहीं लाना चाहिये था। जो-जो मिसयूज या एब्यूज्ड हो सकता है या पोटा में जो जो मामले थे, अगर आप इस कानून में शामिल कर रहें है तो आप केवल एक लेबल लगा रहे है कि हमने पोटा हटा दिया है। अगर आप उन तमाम

बदठनवानियों को, गलत चीजों को इस कानून में शामिल कर रहे हैं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिये। वह सिर्फ कौस्मैटिक चेंज हो जायेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब पोटा लाया गया था तो कहा गया कि टाडा एब्यूज किया गया था, इस कारण इसका फेस चेंज कर दिया गया है। उस सयम के गृह मंत्री आडवाणी जी ने कहा था कि इसे देख लीजिये, लेकिन क्या हुआ? मैं उस उद्देश्य को स्पैसिफाई नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि समय कम है लेकिन... *(व्यवधान)* आप दुकान खोलकर बैठते रहें, कोई खरीदार मिलने वाला नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सलीम, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): इसमें कितना अंश है, वह पढ़ लीजिये। आप सब खुशी मना रहे हैं कि रिपील हो जायेगा। इसमें जो पहले था, वही है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान पैदा न करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें इतना अभिमानी नहीं होना चाहिये कि केवल वही पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूं कि मैं रिपील बिल करने का समर्थक हूं लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह चाहें तो सैक्शनवाइज इस पर बहस हो सकती है लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं होना चाहिये था कि कि इसका मिसयूज हो। आज भी इस बात की संभावना है। अभी भी बहुत से लोग कानून को जानने वाले हैं, माननीय मंत्री जी उनसे मशविरा ले सकते हैं या इस बिल को होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में भेज सकते हैं। उस कमेटी में इस पर चर्चा होनी चाहिये लेकिन मैं चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम टैररिज्म रोकने के नाम पर कॉमन सिटीजन को टैरराइज करें। हम आम लोगों को टैरराइज करें। आज दुनिया में क्या हो रहा है? हम ग्लोबल वॉर अगेन्स्ट टैररिज्म की बात करते हैं। वे लोग भी टैररिज्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं पर लड़ नही रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को अफगानिस्तान में अब नहीं ढूंढ रहे हैं। आप उस दुनिया की बात करते हैं, कभी अपनी दुनिया के बारे में भी सोचिये। ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टैररिज्म की बात कहकर वे अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश को ध्यान रखना चाहिये।

इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से पोटा को खत्म करने का जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी ने रखा हैं, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब यह कानून लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में संसद में पास किया जा रहा था, उस समय हमारी पार्टी ने शुरू से अंत तक इस विधयेक का विरोध किया था। इस विरोध के तीन मुख्य आधार थे। पहला कारण यह था कि इस देश की परम्परा, इस देश का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष करने वाले नेताओं की जो भाषा थी, उसके आधार पर हमने इसका विरोध किया था।

हमारी यह मान्यता है कि जब इस तरह के कानून बनते हैं तो उनका दुरूपयोग अफसरशाही का सीधा अधिकार बन जाता है और इतिहार इस बात का साक्षी है। भारत का संविधान कहता है कि संसद और सरकार का कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य हैं उनकी हिफाजत करे और उनको आगे बढ़ाएं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य बिम्ब, उस दौर में भी व्यक्तिगत आजादी एक प्रमुख मुद्दा था और इसीलिए जब रौलट का कानून इस देश में पास होने लगा, उस समय महात्मा गांधी जी का इस देश की राजनीति में नया-नया पदार्पण हुआ था, श्री मदन मोहन मालवीय, श्री मोहम्मद अली जिन्ना और श्री मोती लाल नेहरू इन तीनों से उनके वैचारिक मतभेद थे, बावजूद उसके महात्मा गांधी जी ने टेलिग्राम करके इन तीनों को सैन्ट्रल असैम्बली में रौलट के कानून का विरोध करने का आग्रह किया और इन तीनों नेताओं ने रौलट के कानून का विरोध किया।

जब 1939 में दुनिया की दूसरी लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेजों ने इस देश में डिफैंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। उस समय भी गांधी जी ने और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने उसका विरोध किया। क्योंकि वे कहते थे कि भारत की रक्षा के लिए यह कानून तो बन रहा है, लेकिन इसका उपयोग इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में होगा। उस बात की सच्चाई 1942 में सामन आई, जब 'करो या मरो' के दौर में इस देश के राष्ट्रीय नेता उसी डिफैंस ऑफ इंडिया एक्ट में मुजरिम बन गये और इस देश की जेलों में कैद कर दिये गये। इसलिए हम लोगों ने इसका सैद्धांतिक विरोध किया था कि इस देश में इमरजेन्सी के दौर में बने तीनों कानून बहुत अच्छे थे। 1971-1972 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बंगलादेश आजाद हुआ। डिफैंस ऑफ इंडिया

[श्री मोहन सिंह]

एक्ट उस जमाने में यह सोचकर पारित हुआ कि जो पाकिस्तान के समर्थक तत्व है, उनका मुकाबला भारत सरकार कर सके। लेकिन उसका इस्तेमाल इमरजेन्सी के दौर में जो लोग लोकतंत्र और लोकशाही के प्रवर्तक थे, उनके खिलाफ हुआ। मेन्टेनेन्स ऑफ इंडिया एक्ट—मीसा के नाम से एक कानून पारित किया किया और हजारों-हजार लोग 19-20 महीने तक बंद रहे। मेरे जैसे लोग तब कचहरी जाते थे—किसी ने एक नारा लगा दिया तो डी.आई.आर. का वारंट पहले ही रहता था, केवल कचहरी जाते समय एक नारा लगाते ही दूसरा वारंट आ जाता था। 332 मुकदमे बीस महीनों के अंदर हम लोगों के खिलाफ कायम किये गये। मीसा के अंतर्गत जब मुकदमे चले तो हमारे सारे अधिकार वापस ले लिये गये। हमने बीस महीने इमरजेन्सी के दौर में जेल काटी। इसलिए निजी अनुभव था कि इस तरह के जो कानून आपातकालीन दौर में बनाये जाते है, उनका दुरूपयोग उसका एक लाजिमी नतीजा है और पोटा कानून का भी इसी तरह से दुरूपयोग किया गया। इसलिए हमारी मान्यता है और आशंका इस मामले में सही सिद्ध हुई। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया था।

दूसरा कारण यह था, जैसे हमारे बगल के मित्र लोग परसों-नरसों इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान के लागों ने आपसे आग्रह किया था कि इस कानून को आप खत्म करिये। हमारा इल्जाम है कि उस दौर में ग्लोबल टैररिज्म के खिलाफ लड़ने का एक नारा चला था और उस नारे के दौर में पूरी दुनिया के जो प्रभु बनते थे, उन्होंने अपने यहा एक कानून बनाया और उसी कानून का मसविदा पूरी दुनिया में उन्होंने प्रसारित कर दिया। उसकी नकल करके दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जिन्होंने उन्हें वायदा किया था कि आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संग्राम में हम आपके साझीदार है, उन सारे देशों ने अपने-अपने देश के अंदर कानून बनाने का इंतजाम किया। हम अपने मित्रो से कहना चाहते हैं कि जो कानून किसी देश के आदेश पर इसी संसद में बना था, उसी कानून को हमारे जो भाई है, उनकी सलाह पर यदि आप समाप्त करते हो तो यह कोई बुरी बात नहीं है। अपने भाई की सलाह को मानना कभी भी दुनिया में बुरा नहीं माना जाता। इसलिए हम कहना चाहते है कि इस आदेश को, जो हमारे प्रभु का आदेश था, उस प्रभु के आदेश से मुक्त होने का एक नया इंतजाम आज गृह मंत्री जी ने किया है, इसलिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, उसी के साथ-साथ जो कानून आया है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारी संसद में कमेटी सिस्टम की प्रथा चलाई गई, स्टेंडिंग कमेटीज बनाई गई। जिस दौर में वर्तमान गृह मंत्री जी स्पीकर हुआ करते थे, उसी दौर में ये कमेटियां बनाई गई और कहा गया कि जो कोई भी कानून बनाने के लिए इस सदन के सामने लाएं उसे पार्लियामेंटरी स्टेंडिंग कमेटी के थ्रू रूट किया जाना चाहिए।

महोदय, यह बात सही है कि हम पोटा के दुरूपयोग के विरोधी है। यह बात भी सही है कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल के भीतर बन्द रखना, हमारे देश में निजी आजादी का जो मान्य सिद्धान्त है, उसके प्रतिकूल है। हम इस बात को मानते है कि इसके साथ ही दूसरी तरफ जो देश की एकता को चुनौती दे, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे, उसे अपनी निजी आजादी के अधिकार को क्लेम करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्टेट की हिफाजत भी किसी देश की सरकार का नैतिक और बुनियादी कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए जब भारत का संविधान बनाया गया, उस समय निजी आजादी के सिद्धान्त को हमारे संविधान के अन्तर्गत सबसे प्रमुखता के साथ स्थापित किया गया, लेकिन जब तेलंगाना का आन्दोलन शुरू हो गया, तो आन्दोलनों से निपटने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भारत के संविधान में 1950 में अंतरिम संशोधन भी उसी निजी आजादी के सिद्धान्त के अध्याय में ही किया गया और निवारक नजरबन्दी का कानून इस देश में 1950 में ही हमें लागू करना पड़ा। इसलिए हम इस बात के समर्थक हैं और कहना चाहते है कि आज की तारीख में इस देश में चारों तरफ से जो हमले हो रहे है, उन हालात में ऐसा कानून लाना अनिवार्य है।

महोदय, मैंने वह जमाना देखा है जब भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू खुली गाड़ी में जाते थे। एक बार हमारे छात्रावास से पं. जवाहर लाल नेहरू खुली गाड़ी में जा रहे थे, उनका काफिला वहां से निकल रहा था और किसी सवाल को लेकर हमने प्रदर्शन किया। हम लोगों को, प्रदर्शनकारियों को जब वहां पुलिस धकेलने आई, तो प्रधानमंत्री ने खुली गाड़ी में हम लोगों का मुर्दाबाद के नारे का अभिवादन स्वीकार किया। हमने वह जमाना देखा है जब श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री की हैसियत से इलाहाबाद आई और जब वे खुली गाड़ी में थीं, तब हमने काले झंडे दिखाए, तो उन्होंने खुली गाड़ी से ही हमारे काले झंडों का अभिवादन स्वीकार किया। हमने वह जमाना अपनी आंख से देखा है, जब प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन हेतु संसद के दरवाजे तक आते थे। 1966 में विद्यार्थी की हैसियत से हम लोगों का प्रदर्शन था। उस समय गो-हत्या विरोधी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक आए और उसी के बाद धारा 144 लागू हो गई। उस दौर में हम लोगों का प्रदर्शन प्रतिबन्धित कर दिया गया।

महोदय, हम यह दावा जरूर करते है कि हम हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के उदीयमान रास्ते पर है, लेकिन क्या आज की स्थिति में हम अपने देश के प्रधानमंत्री को खुली गाड़ी में घुमा सकते है? क्या आज की परिस्थिति में यह आजादी दी जा सकती है कि कोई

भी प्रदर्शनकारी हमारी संसद के दरवाजे तक आ जाए? प्रदर्शनकारी तो नहीं आ पाएगा, आतंकवादी जरूर भारत की संसद में घुस जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें एक कानून की आवश्यकता है, लेकिन वह कानून पोटा का ही दूसरा रूप न हो, इसके लिए हमें सावधान रहना जरूरी है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो अनलाफुल एक्टीविटीज को प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाना चाहते है, उस कानून को इस संसद के सामने स्टैंडिंग कमेटी के जरिए रूट किया जाना चाहिए और सभी दलों की राय लेकर जो दुरूपयोग के अधिकार पोटा में मिले थे, जो दुरूपयोग के अधिकार टाडा में मिले थे, उस तरह के दुरूपयोग के दरवाजे इस कानून के जरिए खुले नहीं रहें, यह अपेक्षा हम आपसे करते है। इसलिए हम गृह मंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि इस कानून को स्टैंडिंग कमेटी के जरिए लाना चाहिए जिससे इसे पास और पारित कराने से पहले सभी दलों की राय हमारे सामने आ सके।

सभापति महोदय, पोटा के निरसन के विधेयक का समर्थन करते हुए और उसी के साथ अनलाफुल एक्टलीविटीज का जो कानून आ रहा है उसे स्टेंडिंग कमेटी के जरिए लागू करने का आग्रह करते हुए, आपने दो बात कहने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति जी, मैं पोटा को समाप्त करने के कानून का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब हमारे साथी श्री मधुसूदन मिस्त्री बोल रहे थे, जो भाजपा के लोग उनका विरोध कर रहे थे।

अपराहन 3.00 बजे

हालांकि, गैर-इंसानी शैतानी कानून बनाने में भाजपा और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने पोटा बनाया और उसका दुरूपयोग हुआ। फारसी में एक कहावत है- ''नजला बरअजये जाईफ।'' नजला हमेश कमजोर भाग पर गिरता है। जिस तरह पोटा का नजला कमजोर और माइनोरिटी पर गिरा, उससे कहीं ज्यादा टाडा का नजला उसी वर्ग एवं तबके पर, अकलियत सिक्ख, मुसलमानों एवं दूसरों पर गिरा चुके है। मुझे ताज्जुब होता है कि समाज में एक बहुत छोटा सा वर्ग दो-तीन प्रतिशत है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। उनके दिमागों को संतुष्ट करने की चिन्ता हर वक्त इन्हें और इन्हें भी रहती है। उनके दिमागों का संतुष्ट करना बिना शैतानी कानून के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हजारों-हजार साल तक मुल्क में इंसानों को जानवर बना कर रख चुके है। उनके जहन की तसकीन नहीं हो सकती, जब तक वे इंसानों के किसी एक तबके को जानवर बना कर रखते हुए न देख सकें, उस दो-तीन प्रतिशत तबके की जहन की तसकीन इनका और उनका भी मकसद है। पोटा ने जितना इंसानियत के खिलाफ जुल्म ढाया है, उससे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ जुल्म टाडा ढाह चुका है। जब टाडा कानून आया था तब मैं लोकसभा में नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा था कि बार-बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यकीन दिलाया था कि इसका दुरूपयोग न होने पाएगा। उसी तरह माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने ज्वाइंट सैशन में और अलग-अलग भी यकीन दिलाया था कि इसका दुरूपयोग नहीं होने पाएगा। मैं कहता हूं कि यकीन वह दिलाए, जिसके हाथ न हों। जब केन्द्रीय कानून पर अमल राज्य सरकारों के हाथ में है तो इनके यकीनदहानी का मकसद एवं मतलब क्या है। जिसने पोटा बनाने में श्री वाइको ने बुनियादी रोल अदा किया हो, जंद दिन के बाद सबसे पहला शिकार वही बने। इसलिए कि राज्य सरकार इनके हाथ में नहीं थी। इसलिए ऐसी कोई यकनदहानी, चाहे टाडा या पोटा में रही हो और चाहे अब इनके नये अध्यादेश में आए, ऐसे यकीनदहानी, चाहे टाडा या पोटा में रही हो और चाहे अब इनके नये अध्यादेश में आए, ऐसे यकीनदहानी के कोई जुर्म मायने नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी जुल्म ऐसा नहीं है, जिसकी सजा ताजेरात हिन्द में मौजूद न हो। ताजेरात हिन्द के जरिए, जिसमें किसी भी मुजरिम को सजा न दी जा सके, ऐसा कोई जुर्म नहीं है। सवाल यह है कि अंग्रेजों ने इस तरह के शैतानी कानून कभी नहीं बनाए, जिसे हमें गुलाम बना कर रखना था। सिर्फ जंग के जमाने में डीआईआर बनाया था, जो गलत था, लेकिन जंग के बाद उसका कितना इस्तेमाल हुआ, उसके शिकार श्री मोहन सिंह जी, मैं स्वयं और अन्य लोग भी हो चुके है। जंग के जमाने में जो डीआईआर था, उसका इस्तेमाल अमन के जमाने में इसी मुल्क में होता रहा है। जब किसी कानून के जरिए टेरेरिज्म रोकने के लिए टाडा बना था तो इसने हजारों टेरेरिस्ट पैदा किए। जब बेगुनाहों के साथ टाडा के जरिए जुल्म किया गया तो उसमें 15, 16 एवं 18 साल के लड़के थे, उन्होंने इस कानून और सोसायटी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया और टेरेरिस्ट बन गए। पोटा ने कितने टेरेरिस्ट बनाए, अभी मैंने खुद उसकी समीक्षा नहीं की, लेकिन यह कानून टेरेरिज्म रोकने के लिए नहीं बनता, ये नये टेरेरिस्ट बनाने के लिए बनाया जाता है।

सबसे पहले हमें ईमानदारी के साथ इस सवाल पर गौर करना चाहिए। जब एक आदमी अपने जिस्म पर बम बांध कर अपने आपको उड़ा लेता है और 10-20 लोगों को और उड़ा देता है, क्या उन्हें आईएसआई ने बहका दिया है या पाकिस्तान उन्हें पांच लाख रुपए दिए? मेरे से यह सवाल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक बड़े अधिकारी ने किया तो मैंने कहा कि दस लाख रुपए में आप अपने बेटे को दे देंगे और वह बम बांध कर चाहे जहां विस्फोट कर दे। अगर आपके खून में कोई इंफेक्शन हो गया है

[श्री इलियास आजमी]

तो फुंसी निकलेगी। उसका इलाज करने से दर्द में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन अगर एक फुंसी ठीक हो गई तो दूसरी निकलेगी, उसका परमानेंट इलाज तब होगा जब आप खून के इंफेक्शन का इलाज करेंगे।

टैररिज्म, चाहे वह जम्मू-कश्मीर का हो, चाहे पहले पंजाब का रहा हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश का हो, झारखण्ड का हो, बिहार का हो और अब उत्तर प्रदेश को भी मान लीजिए, उसमें टैररिज्म की नक्सली किस्म है या असम का टैररिज्म, जहां खुद रूलिंग क्लास ही बगावत पर उतर आई है, यानी अपर कास्ट, हिन्दु भाई ही उल्फा चला रहे है। इस सब के पीछे कुछ वजूहात है। समाजी, सियासी और आर्थिक मजलूमियत के खिलाफ कहीं न कहीं टेररिज्म एक तरह की बगावत है। जब इन्साफ पर से कुछ नौजवानों का विश्वास उठ जाता है कि हमें मौजूदा हालात में इन्साफ नहीं मिल सकता तो वे मरने पर आमादा हो जाते है, अपनी जान देने और जान लेने पर आमादा हो जाते है। मैं कहता हूं कि सोसायटी से नाइंसाफी खत्म कर दीजिए। टैररिज्म खत्म हो जायेगा। हजारों साल से दलितों पर, अछूत कहे जाने वाले लोगों पर जो समाजी जुल्म होते रहे, उनको आप समाप्त कर दीजिए, नक्सली समस्या खुद-ब-खुद खत्म हो जायेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम बन्दूक से गोली मारकर या फांसी पर लटकाकर नक्सलाइट टैररिज्म को खत्म कर देंगे तो हमारा आगरा और बरेली के अलावा कहीं इलात नहीं हो सकता। आप लाख कानून बनाइये, आप उस समाजी नाइंसाफी को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते, जो हजारों सालों से असंख्या इन्सानों को यहां जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर कर रही है। सिर्फ मुट्ठी भर 2-3 परसेंट लोगों की जेहन तस्कीन के लिए, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग है, उन्हीं के बारे में सोचते है, जो 2-3 परसेंट लोग हजारों साल से इस सोसाइटी के अगुवा बने रहे। आम इन्सानों के बारे में सोचने का रुझान को खुदा के लिए पैदा कीजिए।

अब सोनिया जी का ताल्लुक है कि इनका समाजी सरोकार से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि सेनिया जी के नेतृत्व में कम से कम कांग्रेस की समाजी सोच बदलेगी और टाडा को नये रूप में लाने की कोशिश कांग्रेस अब नहीं करेगी। इसलिए कि सोनिया जी को यहां का जो समाजी सरोकार है, जो हजारों सालों से रहा है, वह उनके खून में शामिल नहीं है, इसलिए मुझे उम्मदी है कि शायद सोनिया जी के नेतृत्व में वह सोच, जिसने यहां टाडा बनाया था, वह सोच, जिसने यहां इमरजेंसी लगाई थी, वह सोच, जिसने समाजी जुल्म के विरुद्ध बगावत को गलत तरीके से मिटाने की कोशिश की, कांग्रेस की वह सोच अब बदलेगी और मैं उसका स्वागत करूंगा।

मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि टाडा के शैतान को मरे हुए 8 साल हो गये, लेकिन उस शैतान के शिकार आज भी सैंकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे है। ऐसा न हो कि कल पोटा समाप्त हो और पोटा के शिकार लोग जेलों में सड़ते रह जायें। इस कानून में ऐसी गुंजाइश रखिये कि जल दिन पोटा समाप्त हो इस कानून के जरिये, मान लीजिए आध्यादेश तो खत्म हो चुका, उस दिन जिन लोगों पर पोटा लगा था, उन सब लोगों से पोटा समाप्त हो जाये। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो ताजीराते हिन्द के तहत अगर उन्होंने कत्ल किया था तो दफा 302 में मुकदमा चलाइये या डकैती डाली थी तो दफा 395 में मुकदमा चलाइये। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों पर पोटा लगा। नई राज्य सरकार आई, उसने तीन लोगों पर पोटा समाप्त कर दिया। ...*(व्यवधान)* मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। तीन लोगों पर से पोटा फौरन समाप्त कर दिया। क्या ये तीन लोग आसमान से उतरे हुए थे? मैं नहीं कहता कि उन पर पोटा सही लगा था या गलत, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वे सोसायटी के शरीफ लोग नहीं थे, वे तीनों सोसायटी के बदनाम लोग थे।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव (झांसी): आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री इलियास आजमी: सर्टिफिकेट की जरूरत है। उनका पूरा इतिहास है, ये 3-3 नौजवान लड़कियों को गंगा में डुबाकर मारने वाले लोग थे, गांव के गांव जलाने वाले लोग थे।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं। मैं पोटा का भी विरोधी हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उस समय ये हमारी पार्टी में आन्दोलन कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: मैं पोटा का और टाडा का हमेशा विरोधी रहा हूं और रहूंगा और जिंदगी भर इस टाइप के कानून का विरोध करूंगा।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव: उत्तर प्रदेश में पोटा का दुरूपयोग किसने किया?

सभापति महोदय: आजमी साहब, मेहरबानी करिये और दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री इलियास आजमी: मैं खत्म कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं हर हालत में विरोधी हूं, चाहे मेरी पार्टी कोई भी हो। जिस तरह पोटा और टाडा का इस्तेमाल हुआ, मैं जानता हूं कि वह गलत है। मैं उसका विरोधी हूं लेकिन क्या यह बात शर्मनाक नहीं है कि यू.पी. के तीन लोग,

जो अपने मामले में मशहूर थे, उन पर से पोटा खत्म कर दिया गया और जो मुस्लिम, दलित और दूसरे लोग पोटा कानून के तहत जेल में बंद थे, वे आज भी जेलों में सड़ रहे है। क्या आपका यही इंसाफ है, जिसकी वजह से आप मेरी बात काट रहे है। *...(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में अमन-आमान हो, उसके लिए सामाजिक इंसाफ कायम कीजिए। सामाजिक नाइंसाफियां जो हजारों साल से थीं या पिछले 50 साल से अकलियतों के खिलाफ जो सामाजिक नाइंसाफियां होती रही है, उनको आप खत्म कीजिए। मैं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज कश्मीर की नब्ज सही पकड़ी है। मैं पेशनगोई करना चाहता हूं कि जो लाइन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी ने ली, उससे हो सकता है कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो सके।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमीः आज यह जरूरी है कि जितने भी बेगुनाह पकड़ गये है, उन सबको रिलीज किया जाये और जो गुनाहगार है, उनके खिलाफ ताजीराते हिन्द के तहत मुकदमा चलाइये और पोटा को समाप्त करिये।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): सभापति महोदय, पोटा के निरसन के बिल का विरोध करने के लिए मैं यहा खड़ा हुआ हूं। हमारे वामपंथी मित्र बड़े प्रसन्न है, कांग्रेस के लोग बड़े खुश है कि पोटा को रिपील किया जा रहा है। लेकिन एक जगह और खुशियां मनाई जा रही है जो इस देश का मुल्क है और उसका नाम पाकिस्तान है। वहां के लोग भी बहुत खुश है कि भारत के अंदर पोटा को रिपील करने का कानून पारित किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बासु जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदीः सभापति महोदय, अक्टूबर महीने में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के पूर्व अध्यक्ष गौहर अयूब खां के नेतृत्व में 18 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। उस प्रतिनिधि मंडल ने भारत के गृह मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने इस बात का उल्लेख और आग्रह किया कि हिन्दुस्तान से पोटा को समाप्त किया जाये। बार-बार जो भाषण चल रहे है उसमें पोटा के दुरूपयोग की चर्चा हो रही है। यहां हमारे पूर्व के मित्रों ने कहा कि गुजरात के अंदर टाडा का कांग्रेस के जमाने में दुरूपयोग हुआ और भाजपा के जमाने में पोटा का दुरूपयोग गुजरात में हुआ। मैं अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि आखिर गुजरात में ही दुरूपयोग का आरोप क्यों लगता है? एक आरोप यह भी लगता है कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मोदी के अलावा किसी और का वक्तव्य नोट नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदीः एक आरोप और लगता है कि पोटा के दुरूपयोग के मामले में एक ही समुदाय के लोगों को पोटा के अन्तर्गत क्यों गिरफ्तार किया जाता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार इसमें भी आरक्षण कर दे कि हरेक जाति, धर्म के लोगों को उस अनुपात में गिरफ्तार किया जायेगा। जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, वे ही गिरफ्तार किये जायेंगे। मैं श्री कौलिन पॉवल की एक पंक्ति को उद्धृत करूंगा। श्री कौलिन पॉवल ने कहा कि

[अनुवाद]

सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन यह सच्चाई है कि अधिकांश आतंकवादी एक खास समुदाय से जुड़े हुए है।*...(व्यवधान)* अगर गुजरात में गोधरा कांड हुआ*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री सुशील कुमार मोदी जो कह रहे है, उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और किसी बात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कृपया उन्हें परेशान न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप बैठिए। आप जो भी बोल रहे है, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुशील कुमार मोदी: अगर गुजरात में अक्षरधाम की घटना घटी तो वहां कोई भी सरकार होती, उसे इस कानून का पालन करना पड़ता।...*(व्यवधान)* वर्तमान सरकार आतंकवादियों के प्रति नर्म है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्लीज, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं कहना चाहता हूं कि खास समुदाय के लोग ही आतंकवादी गतिविधियों में क्यों लिप्त है, इसका जवाब समाज को, पूरी दुनिया को खोजना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री आजमी, आप बैठिए। श्री बसु, आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कृपलानी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: वर्तमान सरकार आतंकवादियों के प्रति नर्म है और राष्ट्रवादियों के प्रति कठोर है।...*(व्यवधान)* इस कानून को रिपील कर यह संदेश दे रही हैं कि

[अनुवाद]

''हैलो, आंतकवादी, कृपया आइए।'' ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आतंकवादियों, आपको नमस्कार। आइए, आपका इस देश के अंदर स्वागत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उन्हें परेशान न करें आप उन्हें उकसा रहे है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: आप इसे रिपील करके यही कहना चाह रहे है। अगर सिर में दर्द है तो सिर को काटना उसका उपाय नहीं है। सिर में दर्द है तो उसे काटकर उन लोगों को सौंप दिया जाए जो सिर को लेने और उसका प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, यह उसका उपाय नहीं है। मैं जानता हूं कि तमिलनाडु में पोटा के कानून का दुरूपयोग हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि श्री वाइको के मामले में वहां जो रिव्यू कमेटी बनी थी, उस रिव्यू कमेटी के सामने देरी हुई। परन्तु अपनी जमानत के लिए उनको समीक्षा समिति के सामने जाना था। वे डेढ़ साल के बाद बेल के लिए गए। उनको रिव्यू कमेटी में जाने से किसने रोका? हमारी सरकार ने पोटा के अंदर एक सेफगार्ड का प्रोवीजन किया था ताकि उसका दुरूपयोग न हो सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार मोदी: मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मोदी जो कह रहे हैं, उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, 23 अक्टूबर को यह कानून स्वयं समाप्त हो जाने वाला था,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मोदी जी कह रहे है उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: मैंने इसी का केवल मेंशन किया। यह कानून 23 अक्टूबर को ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

वाइको के मामले में, मैंने स्वीकार किया कि पोटा के उपबंधों का दुरूपयोग किया गया था। ...*(व्यवधान)* मैंने केवल यही कहा कि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन करने से इंकार किया था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह कानून 23 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। क्या आवश्यकता थी कि जो कानून स्वयं 23 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, उसके एक महीने पूर्व इस कानून के लिए अध्यादेश लाया गया। क्या यह वोट-बैंक की राजनीति नहीं है? देश हित से ज्यादा इनके लिए वोट-बैंक महत्वपूर्ण है। सिंकदर से लेकर इस देश पर 500 साल तक आक्रमण होता रहा। ये वे लोग है जो ये समझते है कि अगर आतंकवादी यहां आएं तो उनके मार्ग में कोई बाधा न हो, कोई रुकावट न हो।...*(व्यवधान)* आतंकवाद के परिणामस्वरूप हमने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों, आर्मी के फॉर्मर चीफ और हमारी सेना के 60,000 लोग शहीद हो गये। लेकिन इनको इनकी चिंता नहीं है। लेकिन इनको आतंकवादियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की चिंता है जो आज ह्यूमन राइट्स की बात करते है। इन लोगों को आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की चिंता है परंतु इस देश के 60,000 लोग जो आतंकवादी हिंसा में मारे गये है, उनके ह्यूमन राइट्स की इनको कोई चिंता नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से तथा वामपंथी लोगों से कहना चाहूंगा, आपका नारा यह होना चाहिए, "बिन लादेन शरणम् गच्छामि, मसूर अजहर शरणम् गच्छामि, सलाउद्दीन शरणम् गच्छामि।" आप इस बिल को रिपील करके,...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: स्पेशल प्लेन में ले जाकर ये अजहर मसूद को छोड़कर आए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, ये ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया बाधा न पहुचाएं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मैं कोट करना चाहूंगा-

[अनुवाद]

> "आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परंतु पोटा का जो दुरूपयोग हुआ है, उसे देखते हुए सं.प्र.ग. सरकार इसे निरस्त करेगी जबकि विद्यमान कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

आपने कहा कि पोटा को रिपील किया जाएगा और वर्तमान कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान कानून को स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स करना था तो फिर पोटा कानून में कुल मिलाकर 64 प्रावधान थे और 64 सैक्शंस में से 43 क्लॉजेज को ज्यों का त्यों शब्दश पोटा के अंदर आपने स्वीकार कर लिया। ...*(व्यवधान)* दो तिहाई पोटा कानून के अंदर जो प्रावधान थे, उनको नये कानून के साथ हो साथ 37 साल पुराने कानून को ज्यों का त्यों शब्दशः उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान कानून था तो फिर आपको अनलॉफुल प्रीवेंशन एक्टीविटीज, एक्ट के अंदर संशोधन करके इसको शामिल करने की क्या आवश्यकता थी?

सभापति महोदय, सरकार ने पोटा का दो-तीन आधार पर विरोध किया है। एक तो इन्होंने इसके अंदर जो बेल के बारे में जो प्रावधान है, उसका विरोध किया है कि उसके नियम बहुत कड़ा है और यह सरकार उनको शिथिल करना चाहती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई कनफैशन करता है, इस बारे में जो प्रावधान है इसका विरोध किया है। तीसरा, आपने कहा है कोई अभियुक्त है, पोटा में प्रावधान था कि पुलिस को सिद्ध नहीं करना है,

[अनुवाद]

परंतु अभियुक्त को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना होगा।

[हिन्दी]

लेकिन ओनस उसके ऊपर है, जिसको इनोसेंस सिद्ध करनी है। इन तीन बातों का आपने विरोध किया है। आपने अपने नए कानून में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बेल का प्रावधान किया है। मैं इस बारे में गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुनिया के देशों से जो आतंकवादी हमारे यहां आतंक फैलाने आते है, जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, अगर उनके लिए बेल का प्रावधान कमजोर कर दिया जाएगा तो वे जेल से निकलकर बाहर चले जाएंगे।

मोहम्मद सलीम: वे हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए आपने ऐसा कदम उठाया था।

सभापति महोदय: आप क्यों बोल रहे है, गृह मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, अगर बेल के प्रावधान को कमजोर कर दिया गया, अगर कनफैशन पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, तब टाडा में आतंकवाद परिभाषित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई, वह आतंकवादी हत्या नहीं थी। इसलिए पोटा जैसा कानून लाना पड़ा। हमारे देश में सामान्य लोगों का मुकाबला करने के लिए कानून है, परंतु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई कानून नहीं था। एनडीए ने इस तरह का कानून बनाने की पहल की थी। अमेरिका में जो घटना घटी, उसके बाद सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन तब हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। इसलिए हमारी सरकार को पोटा जैसा कड़ा कानून बनाना पड़ा। अगर टाडा जैसा कानून नहीं होता, पोटा नहीं होता तो संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके आरोपियों को जो एक साल में सजा मिल गई, वह नहीं मिल पाती। यह सब पोटा के कारण ही सम्भव हुआ था। अगर यह कानून नहीं होता, तो वे लोग कब के छूट जाते। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद अगर टाडा के प्रावधान नहीं होते तो उनके हत्यारों को फांसी नहीं हो पाती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री स्वाई, मैंने पहले ही कह दिया है कि श्री मोदी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: इनको क्या तकलीफ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह नहीं है कि हमारे यहां ही कड़ा कानून है अमेरिका में ऐसा कानून है कि वहां का सेक्रेट्री आफ स्टेट अगर किसी व्यक्ति को नान-सिटीजन घोषित कर दे, तो उसको लम्बे समय तक जेल में बंद रखा जा सकता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यू.के. में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में भी ऐसे कानून है, लेकिन उनकी तुलना में हमारा कानून कुछ भी नहीं है। एनडीए की सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाया। हमें दुख है कि वर्तमान सरकार इसको खत्म करना चाहती है और इसकी जगह अनलॉफुल एक्टीविटीज एक्ट ला रही है।

मैं मोहन सिंह जी की बात से सहमत हूं कि इस विधयेक को संसद की स्टेंडिंग कमेटी में या प्रवर समिति में भेज दिया जाए। नहीं तो जो आरोप पोटा पर लगे है, उसके दुरूपयोग को लेकर, वही इस पर भी लग सकते है। वैसे भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसका दुरूपयोग न होता हो। सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. की तमाम धाराओं का देश के सभी राज्यों में दुरूपयोग किया जाता है। इस सदन में एक बार मांग उठी थी कि सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. को खत्म कर दिया जाए। केवल किसी कानून को दुरूपयोग के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर इस देश के सभी कानूनों को हिंद महासागर में फेंक देना पड़ेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, जो आतंकवादी ताकतें है, उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए अगर आप कोई कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तो जो पिछले एक महीने से कश्मीर में हो रहा है, लोग मारे जा रहे है, मिलिट्री पर्सोनल मारे जा रहे है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मणिपुर में भी मांग हो रही है कि मणिपुर आर्म्स एक्ट का दुरूपयोग हो रहा है इसलिए उसको भी खत्म कर दिया जाए। बी.जे.पी. समझती है कि मणिपुर का जो आर्म्स एक्ट है, उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जहां इसका दुरूपयोग होता है, उस दुरूपयोग को रोके जाने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि वे राष्ट्रहित के बारे में भी जरा सोचें और वोट बैंक की राजनीति न करें। किसी वर्ग-विशेष को खुश करने की राजनीति करने से आतंकवाद का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह सदन इस बिल को सिलैक्ट-कमेटी को सुपुर्द कर दे और सभी दलों के लोग इस पर विचार करें और उसके बाद इस कानून को निरस्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं डी.एम.के. पार्टी की ओर से इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने पोटा को निरस्त किया और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आतंकवादी क्रियाकलापों को रोकने के लिए एन.डी.ए. सरकार द्वारा पोटा पारित किया गया था। उस समय अनेक विपक्षी दलों ने उस विधेयक को लाए जाने का विरोध किया था क्योंकि उन्हें उस अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने की आशंका थी। हमारी डी.एम.के. पार्टी ने भी जोरदार ढंग से यह विचार व्यक्त किया था कि पोटा का दुरुपयोग किया जाएगा। तत्कालीन गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह वचन दिया था कि पोटा का किसी व्यक्ति, विशेषकर किसी राजनीतिक पार्टी और राजनेता के विरुद्ध देश में कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। परंतु, दुर्भाग्यवश, जयललिता सरकार द्वारा पोटा का दुरुपयोग किया गया और उसने हमारे तत्कालीन संसद सदस्य और एम.डी.एम.के. महासचिव श्री वाइको को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आठ अन्य लोगों के साथ 575 दिनों से भी अधिक समय तक जेल में रखा गया।

श्री वाइको को ही गिरफ्तार नहीं किया गया। श्री नकीरन गोपाल नामक एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, एक अत्यंत वरिष्ठ नेता और पूर्व-विधायक पाझा नेदुमारन को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 19 महीने से भी अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। सत्ताधारी जयललिता सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध पोटा मामले लगा दिए। डी.एम.के. पार्टी द्वारा पोटा का विरोध किए जाने का प्रमुख कारण राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार द्वारा राजनेताओं के विरुद्ध इसका घोर दुरुपयोग किए जाने संबंधी आशंका थी। पोटा का दुरूपयोग न केवल तमिलनाडु बल्कि गुजरात में भी किया गया। अधिकतर मुसलमान लोग, जो अल्पसंख्यक हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। वयोवृद्ध राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

हमें इस बात की अच्छी जानकारी है कि राज्य सरकारें अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर रही हैं। सरकारी सचिव, उच्च पुलिस अधिकारी, मुख्यमंत्रियों के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। इस स्थिति के फलस्वरूप राज्यों में पुलिस राज स्थापित हो गया है। तमिलनाडु में, कुमारी जयललिता ने मई, 2001 में सत्ता संभालने के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ दुर्व्यवहार करना और उन्हें सजा देना शुरू किया। उदाहरण के लिए, हमारे नेता डा. कलाईगंर करुणानिधि जिन्होंने इस राज्य पर चार बार शासन किया और राजनीति, राजनीतिक कार्यकलापों और लोकतंत्र में जिनकी लम्बी पृष्ठभूमि है, को मध्यरात्रि में गिरफ्तार किया गया।

उन्हें घसीटा गया और जीप के अन्दर फेंका दिया गया। उनके साथ भिखारी की तरह बर्ताव किया गया था। इस प्रकार एक वरिष्ठतम नेता के साथ व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्हें दंडित किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं सुश्री जयललिता के दत्तकपुत्र श्री सुधाकरण को मादक पदार्थ के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। सुश्री सरिना को गांजा मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे सब लोग जो मुख्यमंत्री जयललिता के दुश्मन बन गये थे, को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोगपत्र दाखिल नहीं किया गया है। यह सभी कुछ व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण किया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, पुलिस भी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के इशारों पर नाचती है। वहां कोई कानून नहीं है। पुलिस प्रशासन भी पूर्णत: अत्याचारियों के हाथों में है। पोटा के निरसन द्वारा संप्रग सरकार ने तमिलनाडु के लोगों को बचा लिया। पुन: मैं संप्रग सरकार को 'पोटा' के निरसन के लिए धन्यवाद देता हूं।

राज्य सरकारों से विशेषकर जयललिता सरकार से सबक सीखने के पश्चात्, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसे कानूनों को अधिनियमित न किया जाए जिससे पुलिस को अत्याधिक शक्तियां प्राप्त हो और जिससे वह इस कानून का दुरूपयोग करने लगे। इलाज से बचाव बेहतर है। यदि एक निर्दोष व्यक्ति ऐसे किसी आतंकवादी गतिविधि अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में रखा जाता है और उसे लंबे समय तक कैद में रखा जाता है, जांच के बाद और न्यायालय द्वारा उसे छोड़ दिए जाने के बाद भी उसका मान-सम्मान नष्ट हो जाता है। वह अपनी प्रतिष्ठा और छवि को पुन: प्राप्त नहीं कर पाता है। अत: इलाज से बचाव बेहतर है। उदाहरण के लिए हम श्री वैको का मामला ले सकते हैं। समीक्षा समिति द्वारा उन्हें निर्मुक्त कर दिया गया था। समीक्षा समिति ने स्पष्ट कहा था कि श्री वैको के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है इसके बावजूद न्यायालय ने उस मामले को स्वीकार नहीं किया है और मामला अभी तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता है। विधेयक अब पोटा को निरस्त करने के साथ एक नये स्वरूप में आ गया है। इसे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। हम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का जिसमें अपराध दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार जमानत जैसे प्रावधान शामिल हैं, का स्वागत करते हैं। कटु अनुभव मिलने के बाद राज्य सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। केन्द्र सरकार की भूमिका केवल मंजूरी प्राधिकारी की होनी चाहिए।

मैं समीक्षा समितियों के संबंध में भी कुछ सुझाव देता हूं। समीक्षा समिति को प्रथमदृष्टया मामला और साथ ही मामले को वापस लेने के संबंध में हस्तक्षेप और पूछ-ताछ करने के लिए

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

सशक्त किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री से यह मेरा नम्र निवेदन है। इस विधेयक में उस किसी भी अधिकारी के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए जो आतंकवाद की आड़ में किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदय, मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। *...(व्यवधान)* यहां पोटा हटाने की बात है। आज सारे देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। देश से सारा आतंकवाद खत्म हो चुका है। सारे देश में खुशहाली है। जम्मू-कश्मीर की जनता चैन और अमन का जीवन जी रही है। सारे देश में सुख-शांति और अमन-चैन का वातावरण पैदा हो गया है। यदि यही स्थिति है तो पोटा की क्या आवश्यकता है? क्या इसलिए पोटा को निरस्त करने का विधेयक सरकार की ओर से सदन के सामने रखा गया है?

सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य भारत माता का है, हम इस भूमि को माता कहते हैं, मां समझते हैं, वह अपनी माता है। हमारे देश में कई हमले हुए। इन सभी हमलों का मुकाबला हमारे जवानों ने सीमा पर किया। देश की किसी सीमा से चाहे हमला हुआ हो, उसका जवाब देने के लिए, उससे लड़ने और मुकाबला के लिए हमारे जवान सीमा पर मौजूद हैं। उन्होंने बड़े धैर्य से हर हमले का मुकाबला भी किया।

सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कि जिन की नीयत में खोट है, जो नहीं चाहते कि देश में शांति और अमन रहे, जो नहीं चाहते कि देश में खुशहाली हो, कानून और व्यवस्था देश में अच्छी रहे, उन्होंने अब पूरी तरह इस बात को महसूस किया है कि अब हम युद्ध के माध्यम से इस देश पर काबू नहीं पा सकते हैं। उन्होंने इस देश में एक प्रौक्सी वार शुरू किया हुआ है। मुझे उस समय बहुत ही आश्चर्य होता है जब यहां से आतंकवाद के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो वे लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में किसी का आतंकवादी से कोई रिश्ता होगा और हो भी नहीं सकता।

सभापति जी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पोटा कानून पारित किया गया था। पोटा पारित कराये जाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसका कारण यह रहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमला किया, दिल्ली के लाल किले पर हमला किया गया और हमारी संसद पर हमला किया गया। *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैंने इन लोगों को अपने भाषण के दौरान कभी नहीं टोका और न मैं इन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं। उन हमलों के दौरान जब सरकार का बयान आया, उस समय चाहे श्री देवेगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार रही हो या श्री वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे श्री इन्द्रजीत गुप्ता गृह मंत्री रहे हों या श्री आडवाणी जी गृह मंत्री रहे हों, सरकार का बयान आया कि हर हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हर बार यही जवाब दिया गया कि इन हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है या सीमापार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया है। *...(व्यवधान)* आप इनकार करिये *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: पाकिस्तान की कौन मदद कर रहा है?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, जो पांच आतंकवादी संसद तक आ पहुंचे, वे पाकिस्तानी थे, वे संसद तक कैसे आये, आसमान से नहीं टपक पड़े, किन लोगों ने उन्हें सहारा दिया, किसने उन्हें पनाह दी, किसके सम्पर्क में रहकर यहां आये? आखिर किसी ने तो उन्हें सहारा दिया जो वे संसद तक आ पहुंचे। इनको सहारा दिया गया तभी वे दिल्ली तक आये और संसद में आये। *...(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): उस समय सरकार किसकी थी?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, सवाल सरकार का नहीं, मैं सरकार की जवाबदेही से नहीं हट रहा हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, यह देश का दुर्भाग्य था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): माननीय सभापति, महोदय, कांग्रेस शासन के दौरान भारत पूर्णतः सुरक्षित था। इंदिराजी ने पूरी शक्ति से खालिस्तान आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष किया था *...(व्यवधान)* राजीवजी ने 'लिट्टे' के विरुद्ध संघर्ष किया था। परंतु हमारे संसद पर हमला राजग शासन के दौरान ही हुआ था। उसे कोई भी नहीं भूल सकता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया उनके भाषण के दौरान व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): मेरे विचार से माननीय महिला सदस्या यह भूल गई हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान कश्मीर में कितने हिन्दु मारे गये *...(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: कश्मीर हिन्दु, मुस्लिम और इस देश के प्रत्येक नागरिक का है *...(व्यवधान)* मुझे हिन्दु होने पर गर्व है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गीते के भाषण के अलावा कार्याही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मुझे सरकार की ओर से याद दिलाया जा रहा है कि उस समय हमारी सरकार थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देश में पिछले बीस सालों से आतंकवाद चल रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, यह वास्तविकता है कि सारी सरकारें आतंकवाद के विरुद्ध सफलता पाने में, लड़ने में तथा उस पर काबू पाने में असफल रही हैं। यह वास्तविकता है, मैं क्या गलत कह रहा हूं। लेकिन इस वास्तविकता का क्या कारण है। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: जिस सरकार को आप तब सहयोग कर रहे थे, उस सरकार के मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने के लिए गये थे *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मंत्री जी, यह गलत है, आप खड़े होकर बोलिये। *...(व्यवधान)* क्या उस समय इतने लोगों को जान से मर जाने देते *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम असफल रहे हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में भी आतंकवादियों को सहारा मिल रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है। *...(व्यवधान)* यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को हमारे देश में सहारा मिल रहा है। जब वह समय आया, लगता था कि हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गीते के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री परांजपे, अब आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री परांजपे, आप क्यों बोल रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आपका कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री परांजपे, आप जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: इस देश का दुर्भाग्य है कि आज देश में आतंकवाद को पनाह मिल रही है, आतंकवाद को सहारा मिल रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जब हमने पोटा पारित किया *...(व्यवधान)*

मोहम्मद शाहिद (मेरठ): आप खुलासा कीजिए कौन लोग ऐसा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। *...(व्यवधान)* वह बात पुरानी हो गई *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद शाहिद: सभापति जी, जब श्री जसवन्त सिंह जी आतंकवादियों को ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मोहम्मद शाहिद जी, आप बैठिए। आपका रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, यदि जसवन्त सिंह जी की घटना का ये उल्लेख कर रहे हैं, तो हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि अपनी पुत्री को छुड़ाने के लिए क्या तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं किया था? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए। अब आपका कोई भी भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा। श्री गीते जी, आप कृपया चेयर को एड्रैस करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं क्या करूं। मुझे बार-बार टोका जा रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बीच-बीच में टोका जा रहा है।

सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूं। जब पोटा पारित हुआ, तब पोटा के पारित होने का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, वह उनका स्टैंड था। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर पोटा लागू नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया गीते जी, आप चेयर को एड्रैस करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, कांग्रेस शासित राज्यों को आदेश दिए गए थे कि पोटा का इस्तेमाल उन राज्यों में नहीं किया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र और कर्नाटक में थीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने घोषित भी किया कि हम पोटा को लागू नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुम्बई में घाटकोपर में बस में बम विस्फोट हुआ। ...*(व्यवधान)* उसके बाद महालक्ष्मी में बम विस्फोट हुआ, उसके बाद मुम्बा देवी जी क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद गेटवे आफ इंडिया पर बम विस्फोट हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: परांजपे जी, आप बैठिए। गीते जी खुद सक्षम हैं। वे जवाब दे देंगे। उन्हें बोलने दीजिए। कृपया आप बैठिए। आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम: उस समय केवल 10 राज्यों में पोटा लगाया गया था। क्या शेष राज्य भारत के हिस्से नहीं हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, घाटकोपर में, महालक्ष्मी में, मुम्बा देवी में और गेटवे आफ इंडिया में जो बम विस्फोट हुए, वहां कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे। उस समय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने उन सबके विरुद्ध पोटा लगाया, आपने पोटा लगाया। महाराष्ट्र की सरकार को पोटा लगाना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार को यह महसूस हुआ कि यदि हम पोटा नहीं लगाएंगे, तो जो आतंकवाद आज मुम्बई में आया है, यदि इसे हम रोकेंगे नहीं, तो यह रुक नहीं पाएगा और पूरा देश इसकी चपेट में आ जाएगा।

महोदय, इन्होंने पोटा लगाने से इंकार किया था, लेकिन ये जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुम्बई में हैं। इसलिए कार्रवाई की गई। यही स्थिति और यही हालत आज सारे देश की है। पिछले तीन-चार के आंकड़े आप देखिए-फ्राईडे, सैटरडे और संडे, लगातार तीनों दिन जम्मू-कश्मीर में जवान मारे गए। रोज मारे जा रहे हैं। किसी दिन 10, किसी दिन 12 और किसी दिन 18 जवान मारे गये हैं, यह हालत है। इससे यह मैसेज जा रहा है कि गेट खुल रहा है, आइए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गीते जी, अब आप समाप्त करिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिये। आपके पास समय बहुत सीमित है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मेरा ज्यादा समय टोकने में गया है, मुझे बोलने नहीं दिया गया है। इस देश की जो वास्तविकता है, आज सारा देश आतंकवाद की चपेट में है, सारे देश के अंदर आतंकवाद फैल गया है। आज किसी की जान-माल की गारंटी नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में जो दर्द एवं भय पोटा के नाम से आतंकवादियों को था, दुर्भाग्य है कि राजनीति के लिए देश की सीमा की सुरक्षा की बजाए चुनावी राजनीति का ज्यादा महत्व कांग्रेस मित्रों को महसूस हो रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इनका जो नारा एवं मांग थी, जो घोषणा की थी, अब उसके मुताबिक ये सरकार में आ गए हैं। अब राष्ट्र का कुछ भी हो, भारतमाता पर कोई भी हमला करे, इनका उल्लू सीधा हो गया है। इसलिए जो घोषणाएं की गई थीं, हमें मालूम नहीं कि इन्होंने किसे वचन दिया था, लेकिन वचन पूरा करने के लिए ये सदन में आए हैं। भारत की जनता नहीं चाहती है, वह आतंकवाद के खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आज सीमा पार से आतंकवाद चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमण और दीव): आज ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको उत्तर नहीं देना है। वे सभापति को सम्बोधित कर रहे हैं। वे आपको सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं 1996 से इस सदन का सदस्य हूं, आज यह पहला 6 दिसम्बर का दिन है, जब सदन चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अनंत गीते, आप उनको उत्तर न दें। कृपया सभापति महोदय को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.58 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अब बाबरी मस्जिद या समाज का कुछ भी हो, आपको उससे क्या है। आप सरकार में आ गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 6 दिसम्बर का यह काला अध्याय भारत के इतिहास में लिखा जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के इतिहास का यह काला अध्याय होगा और इसके पहले पन्ने पर गृह मंत्री जी का नाम होगा। इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, आप इसे न्यौता दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की करोड़ों जनता की यह मांग है और जनता चाहती है कि पोटा रहे। मैं आपसे देश की करोड़ों जनता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हित में प्रार्थना करूंगा कि आप जो बिल लाए हैं, उसे विदड्रा करें।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो इन्होंने चुनाव घोषणा-पत्र में जिक्र किया था कि हम सत्ता में आने के बाद पोटा को समाप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उस कानून को आपने लाने का काम किया। इस सदन में जब पोटा का बिल पूर्ववर्ती सरकार ने लाने का काम किया था, उसमें एक अभागा व्यक्ति मैं भी था, जिसने बिल का समर्थन किया था और वह समर्थन करने के लिए मुझे काफी अफसोस है, दुख है। इस सदन में जो बहस चल रही है, उसकी दिशा बदल दी गई है। ...*(व्यवधान)* सवाल यह नहीं है कि पोटा में उस समय भी आशंका व्यक्त की गई थी कि इसका दुरुपयोग होगा और इसी तरीके की बातें लोगों ने कही थीं और इसी के लिए लोगों ने जोर-शोर से विरोध किया था और जब दोनों सदनों में विधेयक पास नहीं हुआ तो संसद के संयुक्त सदन में इसको पास कराने का काम किया गया। अब प्रश्न यह है कि जिस समय इस पर बहस हो रही थी तो हम लोगों के पूर्व नेता वाइको साहब ने इस बिल को इतनी स्ट्रांगली समर्थन दिया था, सबसे अधिक प्रभावशाली भाषण दिया था। डेढ़ घंटे तक बोलने के बाद जब यह बात आई और किस तरह से इनके सहयोगी दल की सरकार जो तमिलनाडु की थी, ने व्यवहार किया। सुश्री जयललिता जी की सरकार ने जिस तरह से वाइको जी के साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें वर्षों तक जेल में बन्द करके रखा और कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। केवल उसी तरह की बात नहीं है।

गीते जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पुराने सदस्य हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, हम लोगों से पूछ रहे थे कि हमारा रिश्ता क्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुजरात में 240 लोगों को पोटा के अन्दर गिरफ्तार किया गया, उनमें से 239 मुसलमान और एक सिख है। ...*(व्यवधान)* आप सुनिये।

.....भारतीय जनता पार्टी को 16 मई को ...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): वह कोई आतंकवादी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि वह सहमत हैं, तो आप कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय: उनके भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यदि इसमें कोई बात आपत्तिजनक होगी, तो उसको निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: इनको देखने के लिए मैं काफी हूं, आप लोग चुप रहिये। इन लोगों के लिए अकेले हम काफी हैं। इनकी सरकार झारखण्ड में है और हमारे प्रदेश में झारखण्ड का आदिवासी इलाका सबसे पीसफुल इलाका है। कश्मीर में हम बात समझ सकते हैं कि वहां टैररिस्ट एक्टिविटीज हैं, लेकिन वहां इन लोगों ने झारखण्ड में लगभग 702 लोगों पर पोटा लगाया, जिनमें बच्चे और 80 वर्ष की उम्र के बूढ़े शामिल हैं। ये कौन लोग हैं, शिबू सोरेन की पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, आर.जे.डी. और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बन्द करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि इनका चुनाव जीतने का मन था। उन्होंने *............* अपने स्वार्थ के लिए हमारे बिहार का भूगोल बिगाड़ दिया और सोचा था कि हमारा राज रहेगा, लेकिन मालूम है कि कितनी सीटें मिली, केवल एक। आपको हम कह देते हैं कि विधान सभा में गठरी बांधिये और जाने का काम कीजिए, क्योंकि आप सरकार में नहीं आ रहे हैं।

इस बिल को इसलिए लाना पड़ा कि जो मिसयूज हो रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ करे, चाहे गुजरात की सरकार करे, चाहे झारखण्ड की सरकार करे, उनको रोकना था। सभी कानून अच्छे बनते हैं, लेकिन लोग इनका मिसयूज करते हैं। उस मिसयूज को रोकने के लिए इस सरकार ने इस कानून को लाने का काम किया है। आप टैररिस्ट लोगों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं। कोई भी आदमी इस पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि टैरोरिज्म बढ़े, लेकिन टैरोरिज्म कैसे बढ़ता है, उसके रूटकाज में जाने की आवश्यकता है। टैरोरिज्म दबाने से दबता है। आप गुजरात में किसी को टैरोरिस्ट कहिये, मदरसों में असीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर आप यह कहेंगे कि वहां तो आईएसआई की ट्रेनिंग होती है तो आप उन सब लोगों को टैरोरिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। कौन माई का लाल है जो 14 करोड़ लोगों को समुद्र में धकेल देगा? कौन लोग इस देश या दुनिया में है जो उन लोगों को हटा देगा? इसके बावजूद आज दिन-रात एक समुदाय के लोगों के खिलाफ आप एक अभियान चलाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। इसका परिणाम आपको मिला है लेकिन उसके बावजूद भी आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। श्री मोदी जी बिहार असेम्बली से चले गये हैं। अगर लालू जी पोटा कानून को बिहार में लागू कर देते तो इन लोगों का क्या हाल होता? ये लोग कहां रहते? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब आप जो कानून बनायेंगे, उसका किसी भी कीमत पर मिसयूज न हो। आप यह बंदिश रखिये कि उस कानून का मिसयूज न हो। टाडा कानून का पहले मिसयूज कांग्रेस के समय हुआ था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। मेरा कहना है कि उस कानून का मिसयूज न हो और आतंकवादियों के खिलाफ जितने भी कठोर से कठोर कदम उठाने हों, उसे आप उठाइये। सारा राष्ट्र आपके साथ है। आइये, आप सब इसमें हाथ मिलाइये और कदम से कदम बढ़ाकर चलिये तभी कुछ कल्याण होने वाला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जी हां, श्री पी.के. वासुदेवन नायर।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। श्री पी.के. वासुदेवन नायर के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): मुझे खुशी है कि सं.प्र.ग. सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। लेकिन मुझे दुख है कि वे इसको केवल आंशिक रूप से लागू कर रहे हैं। पोटा को रद्द करना एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि यह देश और लोगों की भावनाएं हैं। इस मुद्दे पर उस ओर के अपने माननीय मित्रों से मतभेद होने के बावजूद मुझे विश्वास है कि वे इससे उचित सबक लेंगे और यदि आज नहीं तो कम से कम देर सवेर अवश्य लेंगे। मैंने केवल आंशिक रूप में कहा है क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सरकार पोटा को रद्द कर देगी और वे वर्तमान कानूनों का और अधिक कड़ाई से कार्यान्वयन करेंगे। वर्तमान कानूनों का और अधिक कड़ाई से कार्यान्वयन करने के परिणामस्वरूप हमें आतंकवाद के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह भी एक असाधारण दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि पोटा अथवा टाडा अथवा ऐसा कोई अन्य कानून हमेशा रहे।

हम चाहते हैं कि सामान्य कानून, मानव कानून, लोगों के लिए कानून और सामान्य लोगों के लिए कानून हो। दुर्भाग्यवश न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में यह एक असाधारण दौर है जब हिंसा अपने चरम पर है और आतंकवाद भी है।

यहां भी जब हम आतंकवाद की बात करते हैं हमारे कुछ माननीय मित्र 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद' की बात करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लेख करते हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका और भारत अथवा किसी अन्य देश में आतंकवाद एक जैसा नहीं है। हमारी अपनी समस्याएं हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें समस्या के मूल को जानने का प्रयास करना चाहिए जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि कश्मीर और पूर्वोत्तर में अनेक लोग विभिन्न कारणों से कुंठित हैं। हो सकता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार न हों। लेकिन फिर भी उनकी अपनी शिकायतें और भावनाएं हैं। यह अच्छी बात है कि सं.प्र.ग. सरकार इस बारे में कुछ कदम उठा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर का भी दौरा किया है। इस संबंध में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम सही दिशा में होने चाहिए। सही दिशा यह होनी चाहिए कि हमें लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए और इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से करना चाहिए। कभी-कभी कुछ असाधारण कानून अपरिहार्य हो सकते हैं परन्तु यहां मैं सरकार की यह आलोचना करता हूं कि वह इस अध्यादेश को निरस्त विधेयक के साथ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे फिर से आगे बढ़कर इस पर कार्य करें। तब, वे पाएंगे कि इस विधेयक में पुराने कानून के अनेक आपत्तिजनक और कठोर प्रावधान भी डाल दिए गए हैं। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार द्वारा इस प्रकार का रवैया अपनाया गया है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आप बताएंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन विधेयक में कौन से प्रावधान आपत्तिजनक हैं?

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: उसमें आतंकवाद की परिभाषा और कई अन्य धाराएं हैं। सीमित समय में उन्हें बता पाना बहुत मुश्किल है।

आप किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते है या उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। बेशक उनको जमानत मिल सकती है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है परंतु पोटा में ऐसे प्रावधान है जो वहां से उठाकर यहां रख दिए गए हैं। उनकी पुनः जांच होनी चाहिए।

मैं अब उन परिवर्तनों के बारे में बता रहा हूं जिस पर मैं सरकार को विचार करने के लिए कहना चाहता हूं। इसकी एक समीक्षा सीमित है। यह इन सभी मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण समिति है। अतएव मैं सुझाव देना चाहता हूं कि समीक्षा समिति के लिए नाम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित किए जाने चाहिए। सरकार यह दायित्व अपने ऊपर न ले। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह प्रस्ताव करता है तो यह सम्पूर्ण देश के लिए अधिक स्वीकार्य होगा। जहां तक समिति की सदस्यता का प्रश्न है तो आपने कहा है कि वह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। मुझे इस पर आपत्ति है। यह एक सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए।

एक और प्रस्ताव है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करें।

जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है तो उसमें ऐसा प्रावधान है परंतु वे पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि यदि इस प्रकार की शिकायतें और अतिक्रमण हैं और समीक्षा समिति इस बात से सहमत है कि अतिक्रमण किए गए हैं तो जो इससे प्रभावित है उन्हें न्यायिक निकाय अर्थात् राज्य के उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि वे उचित न्याय पा सकें। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

[श्री पी.के. वासुदेवन नायर]

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अधिकारी तंत्र को बहुत अधिक अधिकार दे रहे है। बेशक आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने तंत्र के माध्यम से ही चलना होगा। परंतु यहां एक मौलिक प्रश्न उठता है कि जब आप उन्हें और अधिक शक्तियां देंगे तो इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती है कि वे इसका दुरुपयोग करेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नौकरशाही में भ्रष्टाचार का एक कारण यह है कि उनको बहुत अधिक अधिकार प्रदान किए गए है। बेशक आपको उनमें से कुछ को शक्तियां देनी होगी परंतु ऐसे लोगों का चयन करते समय यथासंभव साफ सुथरे और भ्रष्टाचार रहित लोगों को शक्तियां देने का प्रयास किया जाना चाहिए। कृपया यथासंभव साफ और भ्रष्टाचार रहित लोगों को ही शक्तियां देने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा सब कुछ बिगड़ जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तथा उनका दुरूपयोग भी बढ़ेगा।

अब हम कहते है कि पोटा का दुरूपयोग हुआ। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि इस विधेयक के उपबंधों में भी दुरूपयोग होने की पूरी गुंजाइश है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। किसी भी कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसे लोग ही चलाते है। इसलिए समग्र रुप से सरकार की ओर से और विशेषकर मंत्री द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इस कानून को क्रियान्वियत किया जा सके। मैं नहीं कहता कि बिना किसी दुरुपयोग के; मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा-यथासंभव कम दुरुपयोग *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.के. वासुदेवन नायरः मुझे बहुत सीमित समय दिया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन मुद्दों पर ध्यान दें। कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि विधि विरुद्ध क्रियाकलापों (संशोधन) विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न खण्ड संसद सदस्यों की स्थायी समिति अथवा किसी अन्य समिति को सौंपा जाए। यदि संभव हो तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। मेरे मित्र जो कि शिव सेना के नेता है-मैं नहीं जानता वे कौन से संसार में रहते है-कहते हैं कि पोटा बहुत उपयोगी है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें। आप पहले ही 10 मिनट बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.के. वासुदेवन नायरः महोदय, मैं दस मिनट नहीं लेना चाहता था परंतु मैं स्वयं को रोक नहीं सका। अतएव मैंने दस मिनट ले लिए *...(व्यवधान)* उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनकी हार के कारणों में पोटा का दुरुपयोग भी एक कारण है। यही वास्तविक विश्लेषण है। अतएव अगर फिर से हम इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो वही परिणाम दोबारा आएगा। मैं उनकी पुनरावृति नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वे उस स्थान पर स्थानांतरित किए जाए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं यहां पर पोटा विधेयक, 2004 के निरसन और यूएपीए विधेयक 2004 जो कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक का संक्षिप्त रूप है, पर चर्चा कर रहा हूं।

सभापति महोदयः श्री महताब आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, मुझे कुछ और समय चाहिए क्योंकि हम दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पोटा का निरसन करने के लिए वचनबद्ध है और इसने इसे अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अधिनियम आतंकवाद से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए प्रयोग किया है। विडंबना यह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अधिनियम के रूप में पोटा के दुरुपयोग को रोक नहीं पाई। यद्यपि इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ समय पश्चात् एक केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति गठित की गई। अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना ही इसकी मुख्य कमजोरी है।

तेरहवीं लोक सभा में चर्चा के दौरान इसी सभा में मैंने तत्कालीन माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और उन्होंने यहां तक आश्वासन दिया था कि अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। आज सबसे प्रमुख आवश्यकता कानून के दुरुपयोग को रोकने की है। अतः, जब हम सख्त कानून लागू करते वक्त हमें उचित सुरक्षात्मक उपाय भी करने चाहिए।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में बताया गया है कि यहां पर तीन मानदण्ड दिए गए हैं और पोटा के निरसन के बारे में कहा गया है कि अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है। अक्सर यही कहा जाता है, जैसा कि मेरे साथी श्री मोदी द्वारा कहा गया है कि 'यदि आपके सिर में दर्द है तो अपना सिर मत काटो।' लगता है गठबंधन सरकार यह साधारण सा राजनीतिक पाठ भूल गया है।

पोटा का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व अटार्नी जनरल श्री सोली सोराबजी ने ठीक ही कहा है कि जहां तक इसमें परिवर्तन करने की बात है तो हमें आतंकवादी दलों के पक्ष में बोलने और उनकी सहायता करने के मध्य के अंतर को भी स्पष्ट करना होगा। पहला मामला "वाक् स्वतंत्रता का अधिकार" के अंतर्गत आता है; यदि यहां आतंकवादी संबंधी कानून नहीं होता तो श्री वाइको कभी भी गिरफ्तार नहीं किए जाते। पोटा पहला ऐसा कानून नहीं है जिस पर उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसका उचित तरीका यही है कि इसके दोषों को दूर किया जाए न कि इससे राजनैतिक लाभ उठाया जाए।

आज, आतंकवाद एक बड़ी समस्या बना हुआ है और हमें ऐसे अधिनियम की आवश्यकता है जिससे शीघ्र दोषसिद्धि में सहायता मिल सके। सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त अपराधियों को भी इसमें शामिल करने के लिए पोटा का विस्तार किया जा सकता है। गुजरात की घटनाओं का यहां पर बार-बार उल्लेख किया गया है। पोटा को उनके विरुद्ध लागू किया गया था जिन्होंने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाई थी न कि उनके विरुद्ध जिन्होंने गुजरात में दंगे फैलाए थे। यह एक ऐसी कमी है जिसे संशोधित कानून में समुचित रूप से दूर किया जा सकता है।

जब टाडा का निरसन किया गया था, तब नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इसके स्थान पर दांडिक कानून संशोधन विधेयक, 1995 तैयार किया गया और सांप्रदायिक हिंसा को इसमें शामिल करने के लिए आतंकवाद कानून का विस्तार किया गया। राव सरकार के कार्यकाल के दौरान विधेयक पारित नहीं किया जा सका। कांग्रेस इसे पुनः ला सकती थी।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प सं. 1373 में की गई अपनी वचनबद्धता को भी पूरा करना है। इसमें एक व्यापक और सख्त आतंकवाद विरोधी कानून की बात की गयी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प में कहा गया है कि सदस्य देश यह सुनिश्चित करें कि "यदि कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में संलिप्त है, अथवा उनकी योजना बनाने अथवा इन गतिविधियों में संलिप्त है या उनमें सहयोगी है तो उस पर न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को देश के कानून के अधीन गंभीर दाण्डिक अपराध माना जाना चाहिए।"

पोटा के प्रावधानों से भारत को इन कर्त्तव्यों को पूरा करने में सहायता मिली है। आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण पर रोक के अतिरिक्त पोटा के प्रावधानों ने सरकार को आतंकवादियों की सम्पत्ति जिसमें भवन, अन्य संपत्ति इत्यादि शामिल है को जब्त करने और बैंक खातों को अवरुद्ध करने का भी अधिकार दिया है। हमें यह मान लेना चाहिए कि इन प्रावधानों से विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र को आतंकवादी संगठनों की काफी अधिक संपत्ति को जब्त करने और बड़े-बड़े बैंक खातों को अवरुद्ध करने में सहायता मिली है। सुरक्षा एजेन्सियां उन वित्तपोषकों के गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई हैं जो जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजा करते थे। पोटा के कारण कम से कम 32 आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वायदे को निभाना, विशेषकर चुनावी वादों को निभाना एक अच्छी बात है परन्तु, प्रश्न यह है कि यह किस कीमत पर किया जा रहा है?

हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद विरोधी कानून अपनी विशेषता उसी समाज द्वारा उपयोग के तरीके से प्राप्त करता है जिसमें यह पनपता है। 'पोटा' के विरोध के लम्बे इतिहास में उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिर्णय में बार-बार इस बात की ओर इशारा किया है कि केन्द्र के लिए ऐसे कानून के अस्तित्व को सुनिश्चित करना वस्तुतः असंवैधानिक नहीं है। प्रत्येक राज्य को अपने रवैये को और इस कानून के अनुपालन को चुनना होगा और इसे सुरक्षा, न्याय और सत्ता के मध्य संबंधों को समझते हुए करना होगा। इसलिए आतंक और आतंकवाद की स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता है। हाल ही में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि 'यू ए पी ए' 'पोटा' की तुलना में कम कठोर है और दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपियों से हटकर अभियोजन पक्ष पर आ जाएगी जिससे पोटा के उस प्रावधान को उलट दिया गया है जिसमें दोषी को ही स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना होता था।

महोदय, मैं यहां मुख्य मुद्दे पर आता हूं। 'पोटा' के निरसन के पीछे मूल उद्देश्य इसके दुरुपयोग को रोकना था। वे उसमें संशोधन कर सकते थे। 'पोटा' एक अस्थायी अधिनियम था। इसका 24 अक्टूबर से निष्प्रभावी होना नियत था, परन्तु इसका निरसन कर दिया गया है और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम में 'पोटा' के आतंकवाद संबंधी पहलू को जोड़ दिया गया है। परन्तु यहां 'पोटा' को इसलिए निरसित नहीं किया गया क्योंकि इस तरह की घटनाओं में कोई कमी आई है परंतु इसको निरसन का उद्देश्य कुछ लोगों की मांग के लिए संकेतिक प्रतिक्रिया के रुप में था। अध्यादेश संख्या 2 को उसी दिन अर्थात् 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित करके एक प्रकार से 'पोटा' के आतंकवादी संगठनों और क्रियाकलापों से संबंधित सभी दांडिक प्रावधानों को पहले से ही विद्यमान आसान लगने वाले विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1967 में हस्तांतरित किया गया है। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में हिंसा और जबरन

[श्री भर्तृहरि महताब]

वसूली और नक्सलवादी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली नीति के कारण इससे ऐसे संकेत मिले है कि इसका एक माह पूर्ण निरसन और कुछ नहीं बल्कि एक व्यर्थ कार्य है।

अब मैं दूसरे विधेयक, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम पर आता हूं। इसका प्रारुपण कैसे किया गया था? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह याद दिलाना चाहता हूं कि इसका प्रारुपण 1967 के पूर्वार्द्ध में देश की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों और संगठनों से निपटने के लिए किया था। जब कोई 1967 के उन वाद-विवाद को पढ़ता है तो इस विधेयक को सभा में पारित करने से पहले, जब इस विधेयक पर संसद में चर्चा हुई थी-हम पाते है कि नेताओं ने दलगत राजनीति और दल की सम्बद्धता से उपर उठकर इस बात पर जोर दिया था कि इसका अधिकार क्षेत्र सीमित होना चाहिए और संघ बनाने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दलों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप का सामना न करना पड़े। इस अधिनियम का अधिकार क्षेत्र पूर्णत: भारत भूमि के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने तक सीमित था, परंतु अधिनियम में अधिकरण द्वारा पृथकतावादी संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने, न्यायनिर्णयन, गैरकानूनी संगठनों के कार्यस्थलों और निधियों पर नियंत्रण, उनके सदस्यों पर जुर्माना इत्यादि हेतु प्रावधानों की संहिता स्वत: अंतर्विष्ट थी।

अधिनियम ने पूर्णत: संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र सूची की परिधि में ही कार्य किया है।

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री पवन कुमार बंसल हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, जिस पर आज चर्चा हो रही है की सहायता से, आतंकवाद पर नियंत्रण के दंड संबंधी प्रावधान विषय जो समवर्ती सूची में है-हस्तांतरित किए गये है। अब ये एक प्रकार का सम्मिश्रण है और इसके कार्यान्वयन में उलझाव ही पैदा होगा विशेषकर उस समय जब राज्य-विशेष प्रावधानों को संबंधित विधानमंडलों द्वारा जोड़ना चाहेंगे। हम इस मामले के बारे में जानना चाहेंगे। इस संशय को दूर करने के संबंध में सरकार का विचार क्या है?

'यूएपीए' विधेयक की सहायता से, 'विधिविरुद्ध संगठन' को किसी संगठन को भी शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है, 'जिसका उद्देश्य ऐसी कोई गतिविधि करना, जो कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 153(क) के अंतर्गत दंडनीय है, अथवा जो ऐसी गतिविधियों को करने के लिए व्यक्तियों को बढ़ावा देता है अथवा धनराशि से सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसी कोई गतिविधि करते हैं।'' धारा 153(क) धर्म, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य को बढ़ावा देने के बारे में है। मेरा सवाल है तमिलनाडु के मेरे मित्र विधेयक के इस पहलू के बारे में सुन रहे हैं। यूएपीए विधेयक का उद्देश्य उस सामंजस्य का घोर उल्लंघन करना है, और हमारी पार्टी व्यवस्था को गलत काम करने के लिए उकसाना है। इसकी शुरुआत अपने राजनैतिक फायदे के लिए राष्ट्रवादी संगठनों पर हमला करने के लिए हो गई है।

सभापति महोदय: श्री महताब, आप जो कहना चाहते हैं, उसे अपने लिखित भाषण में जोड़ सकते हैं और इसे सभा पटल पर रख दें। इससे अन्य माननीय सदस्यों को भी इस मुद्दे पर सभा में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। अत: कृपया समाप्त करें। यदि आपका भाषण लिखित में है, तो आप इसे पटल पर रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: दोनों तरफ के क्षेत्रीय दलों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि किसी समय केंद्र इसे राजनीतिक रुप से आवश्यक समझें तब वे भी इससे बच नहीं सकते। केंद्र हम में से किसी के भी विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की व्यापक परिभाषा को लागू कर सकता है। हमारी शासन व्यवस्था के अनुकूल सुचारू कार्यकरण के हितार्थ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिभाषा में किए विस्तार को वापस लिया जाए।

सभापति महोदय: अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे। श्री महताब, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकवाद का सामना करने के लिए विशेष कानून, होने चाहिए। पोटा को लागू करने का उद्देश्य क्या था? मूलरूप से इस विश्व में दो प्रकार की न्यायप्रणालियां प्रचलित हैं। एक ब्रिटिश न्यायप्रणाली और दूसरी फ्रेंच प्रणाली और यहां भारत में अनेक कानून विद्यमान हैं जो फ्रेंच न्याय प्रणाली के समान हैं जहां दोषी व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वह दोषी नहीं है। यूएपीए विधेयक में आप ब्रिटिश न्याय प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं जहां अभियोजक को यह साबित करना होता है कि दोषी व्यक्ति ही अपराधी है। आईपीसी, सीआरपीसी आदि में भी यही प्रक्रिया लागू है, तो फिर उसका दोहराव क्यों?

सभापति महोदय: श्री महताब, बीएसी ने इस विधेयक के लिए केवल चार घंटे ही दिए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, इस चर्चा में भाग लेने वाला अपनी पार्टी का मैं एकमात्र सदस्य हूं।

सभापति महोदय: श्री महताब, इस विधेयक के लिए केवल चार घंटे का ही समय दिया गया है और आपने पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिए हैं जबकि आपको केवल पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय आप इस समय पीठासीन हैं। मुझे पांच मिनट का समय और चाहिए।

यहां पोटा था और उससे पहले टाडा भी था जिसमें न केवल विशेष दंड संबंधी उपबंध थे बल्कि उसके लागू करने के लिए भी विशेष उपबंध थे।

यूएपीए में विशेष दंड संबंधी उपबंधों को अंतरित कर दिया गया है जबकि इसको लागू करने के लिए विशेष उपबंधों को हटा दिया गया है जिससे आतंकवाद का सामना करने के लिए राज्य के साधन कमजोर हो गए हैं। विशेष उपबंध जो हटा लिए गए हैं उनमें जमानत पर रिहाई पर प्रतिबंध लगाया है जिससे पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। मैं बार-बार यह बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्रेंच न्याय प्रणाली......

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए अन्यथा इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका कहीं अंत नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विशेष न्यायालय के कारण संसद पर हमले के मामले का निर्णय एक ही साल में हो सकता था।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: सरकार को यह समझना चाहिए कि समस्या का मूल प्रश्न......

सभापति महोदय: आप अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: यदि आप कोई आतंकवाद विरोधी कानून लाते हैं, तो मूल समस्या उसके कार्यान्वयन की है। जब हम 'अब्यूज' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह जानबूझ कर किया जाता है; जब हम 'मिसयूज' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह अनजाने में होता है। शुरू में मैंने कहा था कि पोटा कानून 'अब्यूस्ड' था। उस संदर्भ में मैं यह कहता हूं कि यह संसद है जो कानून बनाती है किन्तु इसको लागू राज्य करता है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैंने यही प्रश्न वर्ष 2002 में तत्कालीन गृह मंत्री से पूछा था और आज फिर मेरा प्रश्न है कि- ''सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।''

सभापति महोदय: इसके आगे कोई भाषण नहीं होगा। अब मैं श्री पवन कुमार बंसल को बोलने का मौका देता हूं। हर बात की कोई सीमा होती है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा दल और मैं पोटा के निरसन और विधेयक के कार्यान्वयन का विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, हमने पोटा का विरोध कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया था। हमने महसूस किया कि अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत कठोर हैं। हमारा विश्वास था कि पोटा के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्होंने आपराधिक न्यायप्रक्रिया के चिर-परिचित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी थीं। इस संदर्भ में पहले भी यह बताया गया है कि हमने एक भिन्न नाम के अंतर्गत एक पूरी तरह से भिन्न वस्तु तैयार की है। स्थिति वैसी नहीं है।

जिन प्रावधानों का विरोध किया गया था, उनका हम अभी भी विरोध करते हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल में बनाए गए किसी भी कानून में उन प्रावधानों का उल्लेख न हो। वे प्रावधान क्या हैं? तब हमने महसूस किया कि पहली बार पोटा की धारा 32 के अंतर्गत यह प्रावधान किया जा रहा था अथवा किया गया था कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किए गए अपराध को जांच (ट्रायल) के दौरान भी प्रयोग किया जा सकता है। यह बहुत ही हानिकारक प्रावधान था।

दूसरा, हमने महसूस किया कि उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 के अधीन कुछ अपराधों में न्यायालय निर्णय ले सकता है। मैं उद्धृत करता हूं कि कुछ परिस्थितियों में ''न्यायालय दोषी के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय ले सकता है।'' अधिनियम में यह प्रावधान था हमने तब उसका विरोध किया था।

यही नहीं, अगले प्रावधान अर्थात धारा 29 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि ''विशेष अदालत (जिसको उनके द्वारा

[श्री पवन कुमार बंसल]

गठित किया गया है) उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराधी के परीक्षण के प्रति वचनबद्ध न होने पर भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है।'' इसमें आपराधिक न्याय प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त जमानत के मामले में, जहां तक जमानत दिए जाने के सिद्धांतों का संबंध है, हम जानते हैं कि न्यायालय द्वारा क्या प्रावधान किये गये हैं? उस अधिनियम में क्या प्रावधान है? बहुत संक्षेप में, मैं कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। धारा 49 (3) में बताया गया है:

> ''न्यायालय को तब तक जमानत नहीं देनी चाहिए जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो कि इस बात पर विश्वास करने के आधार हैं कि इसके समक्ष लाया गया व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोषी नहीं है।''

ऐसा कभी नहीं सुना कि कानून में निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय को तब तक जमानत नहीं देनी चाहिए जब तक कि न्यायालय को यह विश्वास न हो जाए कि व्यक्ति निर्दोष है। यदि न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है तो फिर जमानत का प्रश्न ही कहां उठता है? उस व्यक्ति को सीधे-सीधे छोड़ देना चाहिए। जनमत केवल तभी दी जाती है जब आपको पता चले कि ऐसा करने के लिए प्रथम दृष्ट्या कारण हैं कि व्यक्ति कहीं भागेगा नहीं और देश छोड़कर नहीं जाएगा और गवाह व्यक्ति के दबाव में नहीं आ सकता। पहली बार, पोटा में ऐसा विधान किया गया है कि ऐसे छोटे-मोटे आधारों पर भी जमानत नहीं दी जाती है। ऐसे प्रावधानों के कारण ही हमने कहा था कि हम पोटा का विरोध करते हैं।

जैसे ही हमें अवसर मिला हमने अपना वचन निभाया। सरकार कानून के निरसन के लिए अध्यादेश लाई है। सुबह के समय और अभी भी अध्यादेश के माध्यम को चुनने पर मैंने आपत्तियां सुनी है। वास्तव में आपत्तिजनक तो यह है कि पोटा जैसा कानून, जो कि सुस्थापित आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धांतों से परे था, को भी अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था। हम उस कानून का निरसन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की हमारी वचनबद्धता पहले जितनी ही सुदृढ़ है, इसलिए हमने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में कतिपय प्रावधान और कतिपय संशोधन किए हैं। यदि आज विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम पर बात किये बगैर हमें पोटा के निरसन की अनुमति मिल जाती हैतो तब क्या स्थिति होगी। तब लोग यह कहकर हमें दोषी ठहरायेंगे कि हमें नहीं पता कि कानून कैसा होना चाहिए।

महोदय, यह कांग्रेस सरकार है, यह शिवराज पाटिल हैं जिन्होंने इस विधेयक को रखा है। जब वह अध्यक्ष थे, उन्होंने विभागीय संबद्ध समितियों का गठन करने की पहल की थी। हम जानते हैं कि हमने पहले भी सभा में जोर देकर कहा है कि विधेयक समितियों के पास जाने चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने क्या देखा? यही नहीं, उन्हें जो भी मिला, उससे निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल था और इसके लिए अध्यादेश का माध्यम चुना गया क्योंकि सामान्यतया अध्यादेश के मामले में हम सहयोग कर देते हैं। लेकिन, यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। कुछ ठोस, वैध कारणों से यह संशोधन लाया गया है।

दूसरी ओर से बार बार यह बात कही गई है यहां तक कि व्यंग्योक्ति भी की गई है कि आतंकवाद पर कांग्रेस का रवैया नरम है भाजपा ने ही आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की। जो पहले कहा गया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता परंतु चूंकि हमारी याददाश्त सीमित है अतएव मुझे यह फिर से कहना पड़ेगा। सरकार की ओर से कौन आतंकवादियों को कंधार ले गया था? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): मैं आपसे यह पूछ लूं कि अगर हमारे शिवराज जी या मैं कहूं कि सोनिया जी का अपहरण करके वे ले जाएं तो उन्हें बचाने के लिए आप जायेंगे या नहीं। आप उनके लिए रैन्सम देंगे या नहीं। मैं भी तैयार हूं *...(व्यवधान)* अगर आतंकवादी सोनिया जी का अपहरण कर लें तो फिर क्या होगा, हम बचाने के लिए जायेंगे। यदि रैन्सम देना पड़े तो भी हम जायेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यह बताना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल माननीय सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी जाए। आप प्रश्न नहीं कर सकते। केवल वही सक्षम व्यक्ति है तथा इन्हीं को बोलने की अनुमति है कोई और नहीं बोल सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, मैं उनसे सहमत हूं। कृपया मुझे उत्तर देने दें।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आप टी.वी. पर जाकर यह कह सकते हैं कि उन लोगों को बचाना गलत था? क्या तुम जाकर अभी यह कह सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से ...*(व्यवधान)* आपने कह दिया, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): आप पूछने वाले कौन हैं, बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंहः सीधा जवाब दें। इसे उलझाओ मत।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी टैरेरिज्म का शिकार हुईं, श्री राजीव गांधी उसका शिकार हुए, लेकिन फिर भी हम उन सिद्धांतों पर अडिग रहे। उसके बाद भी हमने यह कहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय आतंकवादियों द्वारा चलाई गई हर गोली हमारे दृढ़ विश्वास को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंहः सीधा उत्तर ही दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री बंसल, कृपया अपनी बात समाप्त करें आपका समय समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः क्या इस तरह की स्थिति बन गई थी ...*(व्यवधान)* अगर ऐसे ही करते रहना है तो ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंहः मैं सीधा जवाब चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः मैं आपसे भी ज्यादा चिल्ला सकता हूं परन्तु मैं तुम्हें बोलने दे रहा था। अब, कृपया मुझे बोलने दें ...*(व्यवधान)*

मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होती जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब हम उस हवाई जहाज को अमृतसर से कांधार जाने ही नहीं देते। जिस प्रकार से उन लोगों का अपहरण किया गया था हम नहीं होने देते। कांग्रेस ने ही अपने व्यक्ति खोए हैं। कांग्रेस ने इन्दिरा गांधी को खोया; कांग्रेस ने राजीव गांधी खोया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उन्हें बोलने दे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अपराह्न 4.50 बजे का समय हो चुका है। हमें विधेयक आज ही पारित करना है। उसमें खण्डवार विचार भी किया जाना है जिसमें काफी समय लगेगा। अभी लगभग 12 या 15 वक्ता भी शेष हैं। क्या करना चाहिए?

श्री बंसल, आपका समय समाप्त हो चुका है परंतु आप जारी रहना चाहते है। मैं क्या करूं? हमें सायं 5.30 बजे से पहले विधेयक भी पारित करना होगा। कम से कम अपराह्न 5.30 बजे तक का समय उत्तर के लिए माननीय गृह मंत्री को दिया जाना है। खण्डवार विचार करना भी अभी शेष है उसमें भी काफी समय लगेगा। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि इन सदस्यों को भी बोलने का समय देना चाहिए। यह सदन को निर्धारित करना है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः सर, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, ...*(व्यवधान)* मैं इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मुझे यह कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि एक समय था जब मेरे अपने भाई का टैरेरिस्ट्स ने किडनैप किया। वे 58 दिन उनके पास रहे।

[अनुवाद]

पिछले 58 दिनों से मैंने एक भी बार सरकार से उन लोगों का छोड़ने और मेरे भाई को वापिस लाने की निश्चित तिथि के बारे में नहीं पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि राजग ने यह बेतुकी

[श्री पवन कुमार बंसल]

बात की ओर संदिग्ध राग अलापा। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा यह विश्वास किया कि आतंकवादियों द्वारा चलाई गई हर गोली प्रजातंत्र सिद्धांतों पर हमारे दृढ़ विश्वास को और अधिक मजबूती प्रदान करती है ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: हम आपके गुणों को जानते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: क्या हुआ महोदय, इस कानून के अन्तर्गत ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बंसल, आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैं मजबूर हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: कृपया कांग्रेस पार्टी को दिया गया समय देखें। कांग्रेस पार्टी को 55 मिनट दिए गए थे। मेरे सहयोगी मधुसूदन मिस्त्री ने केवल 23 मिनट ही लिए हैं।

सभापति महोदय: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप देर तक बैठक जारी रखने के लिए सहमत हों तो हम चर्चा करेंगे। परंतु हमें सायं 6.00 के बाद भी बैठना होगा। यदि आप सहमत है तो आप जारी रह सकते है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय मैं बोलूं या नहीं?

सभापति महोदय: आपको दिया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: कांग्रेस पार्टी को 55 मिनट का समय दिया गया...*(व्यवधान)* मेरे सहयोगी श्री मिस्त्री ने केवल 23 मिनट ही लिए है।

सभापति महोदय: माननीय गृहमंत्री को कहने दें। यदि वे सहमत हैं तो हम अपराह्न 6 बजे के बाद चर्चा करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, आप जैसा ठीक समझें। यदि आप मुझे रोकना चाहते हैं तो मैं रूक जाऊंगा।

[हिन्दी]

सर, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि हमेशा कांग्रेस ने आतंकवाद का मुकाबला किया और आज भी हम आतंकवाद का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्पित हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिससे यह महसूस हो पाए कि कांग्रेस ने आतंकवाद के साथ समझौता किया हैं।

सरदार बेयंत सिंह जी ने पंजाब में अपनी जान गवाई। यहां कहा गया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में असफल रहे हैं। क्या उस वक्त कोई सोच सकता था कि पंजाब में जो हालत हुई थी, उसके बाद आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। यह किसने किया? हमने उस बात का कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। हमने ऐसा नहीं कहा कि आज हमने कर लिया और उसके बाद वह कर देंगे।

महोदय, मैं यह बात मानता हूं और आदर के साथ कहता हूं कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टैररिज्म एक्ट नहीं था, प्रोजेक्शन ऑफ टैररिज्म है। कानून किस बात के लिए बनाया जाता है? यहां बार-बार गुजरात का उदाहरण दिया गया और वह वाजिब है। इतने वर्षों में गुजरात में महात्मा गांधी की शांति की उस धरती पर क्या आंतकवाद था? इलैक्शन सामने नजर आ रहे थे, अपनी हालत बिगड़ती नजर आ रही थी, पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही थी। सोचा कि पोटा की पैदाइश कर दो, आतंकवाद पैदा कर दो, वहां लड़ाई कर दो, कत्लेआम हो जाए, देश में आग लग जाए, उसके बाद पोटा लगा दीजिए। यह किस बात के लिए किया गया? कहा जाता है कि यह बात खत्म हो गई होती, अगर आप आर्डिनेंस को लेप्स होने देते। उस वक्त लोगों ने यह जानते हुए, कि आपने यह आर्डिनेंस पास किया हुआ हैं, उसके बाद कानून बनाया और बहस की। सेंट्रल हाल में अपनी मेजोरिटी इस्तेमाल की। संवैधानिक सिद्धांत दिखा कर एक हाउस रिजेक्ट करता हैं तो आप यह करिए। यहां कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हिन्दुस्तान में चाहते हैं, करोड़ों लोगों ने अभी आपको सबक सिखाया हैं और उसके बाद महाराष्ट्र आया और अभी भी आप उन करोड़ों की बात करते हैं। भ्रम में हैं।

आज भी आपको उसी चीज का भूत सवार है, आपको जो सिखाया हैं, उसे आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज भी आप इस बात का विरोध कर रहे हैं, आप यह कहिए कि इसे क्यों हटा रहे हैं। अगर सरकार कोई कानून मजबूती के साथ लाना चाहती हैं, अगर किसी हालात के साथ निबटना चाहती हैं तो हम आपके साथ हैं, आप यह कहिए। आपको इस बात में विरोध इसलिए हैं, क्योंकि आप इसे लेकर आए थे और लोगों ने आपको सबक सिखाया कि आप इसे गलत लेकर आए हैं। लोगों को कांग्रेस का, श्रीमती सोनिया गांधी का वायदा था और हमने अपना वायदा निभाया है। यह सैद्धांतिक हैं, लोगों को यह बात बतानी चाहिए कि जिस सभ्य समाज का जिक्र हो रहा था, हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य सरकार हैं, पार्टी हैं, इसलिए हम समझते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी थी कि ऐसा कानून, ऐसा काला कानून नहीं रहना चाहिए।

[अनुवाद]

यहां कहा गया कि आज का दिन काला दिवस है। आज काला दिवस है। परन्तु काला दिवस 2001 में उस दिन था जब 'पोटो' के रूप में यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

[हिन्दी]

देश भर में लोगों ने क्या कहा था, उसका आप पर कोई असर नहीं हुआ। आप अपनी धुन में ही लगे हुए थे, क्योंकि आपके मन में गुजरात था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। ...*(व्यवधान)* आज तीन साल के बाद अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस में एक के बाद एक दिया हुआ है।...*(व्यवधान)* उस समय आपकी सरकार थी, जो मन में आया कर दिया, यहां किसी ने कुछ बोला तो उसे बोलने नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अब तीन वर्षों के बाद वे सेल फोन बज रहे हैं।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, वे यहां उत्तर दे रहे हैं। आप उत्तर क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः क्योंकि उस कानून का हमने विरोध किया था, मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया, कुछ मुद्दों और प्रावधानों का किया था। जब किसी को हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के बीच में मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होता है। उसकी भी धज्जियां उड़ा दीं, यह कहा गया कि नहीं, उसे हिरासत में ले लीजिए।...*(व्यवधान)* आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करते हैं। उसे अपनी ओर से वकील रखने का अधिकार है। परन्तु वकील को हमेशा उसके सामने उपस्थित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह तो कानून का मजाक बन गया है।

हम उसका क्या कर रहे थे, क्योंकि यह कानून बनाया हुआ था और आज जिन प्रावधानों की जरूरत है, आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, लेकिन देश का जो सामान्य कानून है, उसके तहत होगा। सब चीजों पर नहीं। वहां यह प्रावधान हो गया था कि समरी ट्रायल हो सकती है, उसे मौका नहीं दिया जाएगा ताकि वह अपना पूरा डिफेंस वहां दे। वैसी चीजें इसमें नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसमें प्रावधान हैं और हम चाहते हैं कि वह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं आतंकवाद के खिलाफ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी बात को मानते हुए, आपका आदेश है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी किसी तरह की कोई ढील कांग्रेस की तरफ से नहीं आयेगी और अगर इसका मुकाबला करना है। इनकी समझ है कि यह समूचा देश इसके खिलाफ है, लेकिन हमने इसका मुकाबला किया है, यह नहीं कि कहीं आपको किसी प्रान्त में क्या बात कैसी लगती है, उसके मुताबिक काम कीजिए। कांग्रेस अपनी बातों पर, अपनी विरासत पर, अपनी आइडियोलोजी पर, अपनी फिलोसोफी पर अटल रहेगी और हर वक्त आतंकवाद का मुकाबला करती रहेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, अभी जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण कानून (1967 में संशोधन हेतु अध्यादेश) आया है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं इसके खिलाफ बोलूं कि पक्ष में बोलूं। एक तो जब सदन में किसी संवेदनशील मामले पर चर्चा होती है। तो सदन अपने आप बंट जाता है। अभी भी दिखाई दे रहा है कि हमारे दाहिनी तरफ बैठने वाले लोग हिन्दुओं के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं और बाईं तरफ बैठने वाले लोग इस देश में मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। इस ठेकेदारी प्रथा में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः सभापति जी, मैं आपकी तरफ देखकर बोल रहा हूं। सोनिया जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरा हमारी बात लोग सुने, सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम यह कह रह थे कि इस विषय को ठेकेदारी प्रथा में बांटकर और संवेदनशील मामलों पर चर्चा करना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा।

वैसे जो गृह मंत्री के रूप में श्री शिवराज पाटिल जी मौजूद हैं, इनके प्रति मेरे मन में काफी सम्मान है, आदर है। हम यह समझते हैं कि सदन का एक-एक व्यक्ति इनके प्रति सम्मान के भाव से देखता है। जिस समय ये लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में यहां विराजमान थे, मैं उन दिनों सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन जब पुराने सदस्य सैण्ट्रल हॉल में बैठते हैं तो इनकी चर्चा करते हैं, प्रशंसा के पुल बांधते हैं। हम नहीं समझते कि शिवराज पाटिल जी, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति, जो पहले स्पीकर के रूप में एक बहुत ऊंचा ग्राफ बनाये हुए हैं, इतने संवेदनशील

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

मामले में आप किस परिस्थिति में इस तरह का गलत तरीके का काम कर रहे हैं, कहीं किसी दबाव में कर रहे हैं क्या? आखिर दबाव किसका हैं, यह दबाव सचमुच पाकिस्तान के लोगों के कहने पर आपने मान लिया हैं। आप पाकिस्तान से दोस्ती बनाइये, वह अलग बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कहना मानकर आतंकवादी कानून में इस तरह की कोई भी कार्रवाई हम मुनासिब नहीं मानते हैं।

हम यह कहना चाहते हैं कि यह कानून 2002 में बना। इसकी तीन वर्ष की मियाद थी, हालांकि जिस दिन यह बना, उसी दिन से, यह पैदा ही विवाद में हुआ था। अभी इस कानून की जवानी भी नहीं आई थीं। तब तक यह समप्ति के कगार पर भी चला गया। विवाद में तो इसका जन्म हुआ था और उन विवादों की चर्चा चल रही हैं कि इसका बहुत सा दुरूपयोग हुआ। हम भी मानते हैं कि दुरूपयोग हुआ हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि दुरूपयोग नहीं हुआ हैं, लेकिन जो भी कानून बनते हैं, कहीं न कहीं इसमें नुक्ताचीनी तो होती ही हैं और दुरूपयोग होता हैं। सीआर.पी.सी. हो या आई.पी.सी., राज्यों ने भी अलग से कई प्रकार के कानून बनाये हैं, जैसे बिहार में अपराध नियंत्रण

अपराहन 4.59 बजे

[**श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन हुए।*]

कानून बना हुआ हैं, इस तरह से राज्यों में भी कानून बने हुए हैं। सीआर.पी.सी. और आई.पी.सी. में आप कहते हैं कि विधि सम्मत, तो सब कुछ खिलाफ हुआ। आपने कानून बनाया हैं कि दहेज नहीं लेना हैं, जो दहेज लेता हैं, वह तो विधि के खिलाफ हुआ।

अपराहन 5.00 बजे

उसके खिलाफ सीआरपीसी के अन्तर्गत हम कार्रवाई करते हैं, आईपीसी से आपकी कार्रवाई चलती हैं। कानूनी प्रक्रिया से आप जो पोटा कानून और निवारण कानून बना रहे हैं, उसमें क्या अंतर पड़ता हैं। हमने जो कानून देखा हैं, उसमें हमें पुलिस द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए। आज भी आपके सीआरपीसी, आईपीसी जो डायरी लिखते हैं, उस डायरी के आधार पर न्यायालय में बेल पर बहस होती हैं, दूसरे किसी आधार पर नहीं होती हैं। सीआरपीसी, आईपीसी में आपका कहा हुआ न्यायालय मानता हैं। कहीं किसी का कहा हुआ नहीं माना जाता। न मुद्दई का माना जाता हैं न मुदाले का माना जाता हैं केवल पुलिस का कहा हुआ ही माना जाता हैं। सीआरपीसी, आईपीसी में केवल शब्दों का हेरफेर हैं। इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं हैं। आपको इतनी बैचेनी क्यों थी? पोटा में जमानत का प्रावधान थोड़ा सा कड़ा हो गया था। अब आप उसमें ढील कर रहे हैं यानी उसे नरम बना रहे हैं।

देश विशेष परिस्थितियों से गुजरा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हुई थी, श्री शिवराज पाटिल जी, उन दिनों यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। उनके प्रति मेरे मन में आज भी सम्मान हैं। उनको नेता के रूप में हमने स्वीकार किया था। श्री राजीव गांधी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। देश में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि केन्द्र सरकार को आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा चाहे किसी तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का सवाल हो या किसी हवाई जहाज के अपहरण का सवाल हो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैंने घंटी आपको बैठने के लिए नहीं बजाई हैं। मैं यह घंटी इसलिए बजा रहा हूं कि आप अपना भाषण थोड़ा जल्दी समाप्त करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वैसे आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका हैं लेकिन आप थोड़े समय में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः कई बार इस देश की सरकार को आतंकवाद के सामने झुकना पड़ा हैं। हम भी यह मानते हैं कि कोई कानून किसी की धड़-पकड़ नहीं करता। कानून कोई यंत्र नहीं हैं लेकिन कोई मजबूत कानून बनाने से वैसी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों पर एक भय का वातावरण कायम जरूर होता है। आपने अभी एक मैसेज दिया कि पोटा कानून समाप्त हो गया। हम इसे कुछ नरम करने जा रहे हैं तो जो आतंकवादी घटना करने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ेगा। वैसी परिस्थिति में जब अखबार छापता हैं कि 250 लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कश्मीर में प्रवेश करना चाहते हैं। वे आतंकवादी लोग हैं। यह अखबार छापता हैं कि घटना आये दिन घट रही हैं और 12, 15 17 या 20 आदमी मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप क्यों एनडीए के बारे में कह रहे हैं। हम न एनडीए की नौकरी करते हैं और न ही कांग्रेस की नौकरी करते हैं। आप पहले सुनिये। हम सही बात कह रहे हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः प्रभुनाथ सिंह जी, आप चेयर को एड्रैस करके बोलेंगे तो ये लोग शायद खड़े नहीं होंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जो परिस्थितियां हैं उस स्थिति में सरकार की किसी कार्रवाई से आतंकवादियों का मनोबल बढ़े तो सरकार को इन सवालों पर सचेत रहना चाहिए कि उनकी किसी कार्रवाई से आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़ सके।

सभापति जी, जिस समय आप अपनी सीट से बोल रहे थे, तो उस समय एक चर्चा चली कि आरोपी को ही साबित करना हैं कि हम निर्दोष कैसे हैं। राज्यों के अपने-अपने कानून हैं। कानून पंजाब में भी हैं, बिहार में भी हैं। जब अपराध नियंत्रण कानून लाया जायेगा, जब बोर्ड में लोग जाते हैं तो उसमें आरोप ही साबित करता हैं कि हम निर्दोष कैसे हैं। वैसे भी जो जनरल मामले होते हैं, उसमें भी आरोपी को ही न्यायालयों में साबित करना पड़ता हैं कि हम निर्दोष कैसे हैं। दूसरा कोई नहीं साबित करता कि ये निर्दोष कैसे हैं। अब कौन सी बात हो गयी? आप तो वकील हैं। आप कोर्ट में काला कोट पहनकर बोलते हैं तो असर नहीं करता लेकिन यहां तो आपको सफेद कोट और कुर्ते में बोलना पड़ता हैं।

आप वहां की भाषा यहां क्यों बोलते हैं। सदन के माध्यम से आपको देश को एक मैसेज देना हैं। आज देश में मैसेज जा रहा हैं कि केन्द्र की सरकार जो कानून बनाने की बात कर रही हैं, उससे आतंकवादीयों का मनोबल बढ़ रहा हैं। ...*(व्यवधान)*

विशेष अदालत की चर्चा चलती हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सिर्फ प्वाइंट्स कवर कीजिए। उस हिसाब से बाकी सदस्य भी बोलेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जहां तक विशेष अदालत की बात हैं, कई ऐसे मामलों में विशेष अदालत बनाई जाती हैं, जैसे बिहार में पशुपालन घोटाला हुआ, उसके लिए विशेष अदालत हैं, सीबीआई की विशेष अदालत हैं, महिला दहेज उत्पीड़न के लिए अलग से विशेष अदालत बनी हुई हैं, अनुसूचित जाति के मामलों हेतु राज्यों में अलग से विशेष अदालत बनी हुई हैं। अगर इसमें भी विशेष अदालत बन जाती तो क्या आसमान से तारा टूट जाता। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई अनहोनी होने जो रही हैं जिसके लिए गृह मंत्री जी को इतनी परेशानी की जरूरत थी। जो नया कानून बनाया हैं, उसमें इन्होंने क्या-क्या किया हैं-धारा 16 से 23- इन्होंने उसमें शब्द उठाकर रख दिया। इन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी हैं। आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, उसकी साजिश में शामिल होना या उसे किसी तरह का संरक्षण देना, सब कुछ वही रखा हैं, अलग कहां किया हैं। इसी तरह धारा 27 (1) और पोटा का 9 (1) - शब्द हूबहू वही हैं, कहीं कोई अंतर नहीं हैं। जब कोई अंतर नहीं हैं तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी। पोटा को मोटा लिख देते, सोटा लिख देते, और कड़ाई होती। कह देते कि उससे भी कड़ा कानून बना रहे हैं। इससे आतंकवादियों का मनोबल गिरता। लेकिन आपने इसमें क्या किया हैं, यह हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हां, थोड़ा सा जमानत के मामले में आपने प्रावधान नर्म किया हैं। जमानत के मामले में नर्मी करके, आपने क्या उपलब्धि की। पुलिस को उसमें अधिकार दिया गया था कि आरक्षीत अधीक्षक स्तर का पदाधिकारी डीजीपी से आदेश लेकर सम्पति जब्त कर सकता हैं। इसमें भी लिखा है कि जांच अधिकारी डीजीपी से आदेश लेकर सम्पत्ति जब्त कर सकता है। जांच अधिकारी दरोगा भी हो सकता हैं, जमादार भी हो सकता हैं। आपने उसे और छोटा पदाधिकारी बना दिया। वैसे भी जो धन जब्त किया जाता हैं, पुलिस जब चाहती हैं, न्यायालय से आदेश लेकर जब्त कर लेती हैं। इसमें कौन सी ऐसी विभिन्नता आई हैं। सीआरपीसी, आईपीसी या कुछ और चीजों में इतनी परेशानी की क्या जरूरत थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: टोकने से मामला गड़बड़ हो जाता हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, जो चर्चा चली कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई हैं और जो लोग उसका अनुपालन करने वाले हैं, उन्होंने किसी के दबाव में या स्वयं गलतियां की हैं जिससे निर्दोष लोग गिरफ्तार हुए और जेलों में बंद हैं। हम कहना चाहते हैं कि उस सरकार की एजेंसी पुलिस थी जो उनको गिरफ्तार करती थी या कार्यवाही करती थी। क्या यह सरकार अपनी एजेंसी बदलने जा रही हैं? क्या इसमें कार्यवाही करने के लिए पुलिस को हटाकर कोई दूसरी एजेंसी बनेगी? अगर पुलिस को हटाकर कोई दूसरी एजेंसी नहीं रखेगी, पुलिस को ही कार्यवाही करनी हैं तो इसमें सुधार कैसे होगा। कहीं थाने में डकैती हो जाएगी तो क्या थाने को हटाया जाएगा या डकैती रोकने की प्रक्रिया मजबूत की जाएगी। एसपी के जिले में कहीं कोई हत्या की घटना हो जाए तो क्या एसपी को हटा दिया जाएगा, उस जिले को तोड़ दिया जाएगा या वहां मजबूती से कार्यवाही की जाएगी। आप कर क्या रहे हैं। सड़क पर ऐक्सीडैंट हो गया तो क्या करेंगे।

हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं और जो अखबारों में छपा हैं, सिर्फ उसकी एक-एक लाइन पढ़कर सुना देते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं लेकिन आप पढ़िए मत।

श्री प्रभुनाथ सिंह: 250 आतंकवादी घुसपैठ को तैयार-एक लाइन पढ़कर छोड़ देता हूं। किस परिस्थिति में आप यह करने जा

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

रहे हैं। आप यह देश के हित में कर रहे हैं या नहीं, इसे आप तय कीजिए, सरकार तय करे। आतंकवादियों का मनोबल नहीं बढ़े, हम यह निवेदन करना चाहते हैं। पोटा रद्द हुआ तो वामपंथी ग्रुप सक्रिय-सिर्फ हैडिंग पढ़कर मैंने सुना दीं।

'आतंकवाद एशियाई देशों के लिए खतरा'। नटवर सिंह, आपके विदेशी मंत्री हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं।

सभापति महोदयः धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंहः धन्यवाद का मतलब आप हमें बैठने को मत कहिए।

सभापति महोदयः मैं बैठने के लिए ही कह रहा हूं। आपको पन्द्रह मिनट हो गये हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंहः मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमको लगता है कि सरकार जो बनी, उसी समय से हमें लगता है कि कुछ अव्यावहारिक अनहोनी बातें शुरू हो गई जिनके चलते इस मामले में भी अनहोनी हो रही है। आज तक देश में जब भी कोई व्यक्ति राजनीति के महत्वपूर्ण पद पर बैठा है तो कोई भी राजनीतिक चर्चा जो जमीन से निकलकर ऊपर तक आई है। यह पहली बार हुआ है कि देश के प्रधान पद पर आपने ब्यूरोक्रेट को बिठाया है। ऐसी अनहोनी के चलते, देखिए, देश के सारे व्यवसाय में अनहोनी होती जा रही है। अगर इस अनहोनी को रोकना है तो शिवराज पाटील जी जैसे लोग अगर प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे होते तो हमें...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयलः ये क्या कह रहे हैं? आप अपना बयान वापस लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये धरती से उठकर आये हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बहुत समय हो गया है, अब आप बैठिए। अपनी बात समाप्त करिए। मुझे अगला नाम बुलाना पड़ेगा, वह मैं नहीं चाहता कि आपने बैठने से पहले मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊं। समय बहुत हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयलः सभापति जी, इन्होंने जो अभी कहा है,...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः सोनिया जी, देख रही हैं। आपको मंत्री बना देंगी। क्यों चिंता करते हैं? सोनिया जी, जरा इनको मंत्री बना दीजिए। हम भी पैरवी कर देते हैं।...*(व्यवधान)* हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

सभापति महोदयः इसके पहले मैं दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कहूं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि पांच मिनट से ज्यादा किसी को समय नही दे पाऊंगा। पांच मिनट में घंटी बजाऊं तो अपनी बात को समाप्त कर दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): सभापति महोदय, मैं आतंकवाद निवारण (निरसन) विधेयक, 2004 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह विनाशकारी कानून है। हम लोगों के अधिकार में कटौती करने वाले ऐसे कानून के खिलाफ हैं। पीडी अधिनियम, डी आई आर, एन एस ए, टाडा और अंततः 'पोटा' आ गया है, हम सभी ऐसे क्रूर कानून के खिलाफ हैं।

महोदय, हमें खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि हम पिछली सरकारों द्वारा अपनायी गई गलत नीतियों के कारण स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय समता कायम नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हमें आज इस देश में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में असंतोष और राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों में अंतर स्पस्ट है। राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप एक गम्भीर मामला है, परन्तु, लोगों के बीच असंतोष की भावना अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। उसके कई कारण हैं। कई विदेशी एजेंट हैं जो मौके का फायदा उठाने की ताक में हैं और वे लोग ऐसे संगठनों जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार से ऐसे संगठनों की सहायता कर रहे हैं। वे लोगों को भड़का रहे हैं। और उस राज्य में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं यहां जम्मू और कश्मीर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने चार से पांच दिनों के लिए मणिपुर राज्य का दौरा किया है। वहां कानून-व्यवस्था कहां है? हम मानवाधिकार की बात करते हैं। परन्तु मणिपुर में कोई मानवाधिकार कहां है? वहां सेना विशेष संरक्षण अधिनियम लागू है। उस अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसा उपसंध है कि एक हवलदार भी किसी व्यक्ति को, उसके खिलाफ वारंट न होने पर भी, गिरफ्तार कर सकता है। किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा सकती है और यहां तक कि किसी भी व्यक्ति पर गोली भी चलायी जा सकती है।

इस प्रकार से अधिकारों का पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है। मनोरमा के मामले में क्या हुआ? पुलिस उसके घर में आधी रात को धावा बोलकर उन्हें ले गई, सेना के ट्रक में रखा और अगले दिन सुबह 6 बजे उसका शव मिला। क्या हो गया है। क्या यही कानून व्यवस्था है। किसी समूह के साथ कोई संबंध हो सकता है। परन्तु, सेना के अधिकारियों को इस प्रकार उनकी हत्या करने का अधिकार किसने दिया है? इसके साथ ही यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उनका बलात्कार हुआ था। आपने देखा

कि अगले दिन इम्फाल में क्या हुआ। एक वृद्ध महिला ने कांगला फोर्ट के सामने नग्न प्रदर्शन किया था। वहां नारा था "सेना के लोग हमारा बलात्कार करो"। पूरे देश ने यह देखा। अब हमें कानून-व्यवस्था की स्थिति को समझना चाहिए।

प्रमुख मुद्दा लोगों में असंतोष का हैं। असंतोष की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? मणिपुर में कैसी स्थिति हैं? यह एक छोटा राज्य हैं और इसकी आबादी 26 लाख हैं। और रोजगार कार्यालयों में पांच लाख नाम पंजीकृत हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं। यहां एक भी तकनीकी संस्थान नहीं हैं। उस राज्य में केवल एक आई आई टी हैं। जिससे कुशल कामगार मिलते हैं। वहां भी स्थिति ऐसी हैं। छात्रों ने अपनी किताबें हमारे सामने जलाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि वे अपनी किताबें क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, "हमारा कोई भविष्य नहीं हैं। सेना वाले लोग हमें मार डालेंगे। इसलिए हम पढ़ाई क्यों करें? हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे।" और इसके बाद उन्होंने अपनी किताबों को जला दिया।

केन्द्र सरकार को इन सभी मामलों में कदम उठाने चाहिए। केवल दमनात्मक उपायों, गैर कानूनी कार्यकलापों संबंधी विधेयक के निरसन के माध्यम से आप जन आंदोलन को दवा नहीं सकते। इसके लिए सरकार को जनानुकूल नीतियां लानी चाहिए न कि जन विरोधी नीतियां। हमारा प्रमुख मुद्दा यही हैं। इसी वजह से देश में असंतोष व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में हमने कई सरकारों को देखा हैं जिन्होंने जन विरोधी नीतियों को अपनाया हैं। यह यूपीए सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में ईमानदारीपूर्वक प्रयास करे। जहां तक इन समस्याओं का संबंध हैं, मैं माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को आगे चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेज दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर) महोदय, मैं समझता हूं कि आज यह इतिहास की एक विडंबना हैं या फिर एक संयोग सचमुच यह बहुत दुःख की बात हैं कि हम पोटा निरसन पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि आज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि हम एक (राजपूताना राइफल्स) के बहादुर सैनिक अनंतनाग में आई ई डी विस्फोट में मारे गए हैं। उनकी लाशें अभी तक उनके घर भी नहीं पहुंची हैं और हम पोटा को निरस्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस बात का आभारी हूं कि आपने मुझे पोटा को निरस्त करने के विरुद्ध बोलने का समय दिया हैं।

आज विश्व में आतंकवाद सभ्य समाज के लिए एक सबसे बड़ा खतरा हैं। जैसाकि हम जानते हैं, सभ्य समाज विनियमों और कानूनों से अधिशासित होता हैं और यह एक संवैधानिक ढांचा से अधिप्रेरित हैं जिसके तहत हम सभी रहते हैं। आतंकवाद का यह खतरा सीमा पार से देश के अन्दर पनपता हैं और भारत के खिलाफ जिस सरकार की यह सुनियोजित कार्रवाई होती हैं उस सरकार के सदस्य जब यहां आते हैं और इस सरकार के वरिष्ठ सदस्य से मिलकर पोटा को निरस्त किए जाने का अनुरोध करते हैं, तो वे इस अनुरोध का विश्व भर में टी वी कैमरों पर खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं।

निश्चय ही वह छवि इस देश के लिए शर्मनाक हैं। एक देश जो नीतिगत रूप से भारत का विरोधी हैं, उस देश की कार्य कारणी के सदस्य भारत के आंतरिक मामलों में इस हद तक हस्तक्षेप करें और हम इसकी इजाजत देते रहें और हमारे माननीय गृह मंत्री का इसमें कोई विरोध भी न हो। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत ही शर्मनाक स्थिति हैं। इस स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए आज हम इस पर बेकार की चर्चा कर रहे हैं। बेकार इसलिए कि घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की इस टुकड़ी अर्थात आर-आर (राजपूताना राइफल्स) को स्थापित किया गया था यह देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के लिए यह ही ऐसी यूनिट हैं जिसे स्थापित किया गया था। यह भारतीय सेना की सबसे सुसज्जित यूनिट हैं। यह उन यूनिटों में से सबसे पहली यूनिट हैं जिसे सेना प्रमुख की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला हैं। और इस यूनिट के कारण आतंकवादी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ हैं और यहां हम पोटा को निरस्त करने की बात कर रहे हैं।

जैसाकि हम जानते हैं, राज्य का यह नैतिक कर्तव्य होता हैं कि वह कानून बनाकर व इसको सख्ती से लागू कर अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। जैसाकि हम जानते हैं, यह समाज कानून से शासित होता हैं। राज्य आज आतंकवाद से जकड़ चुका हैं, समाज इसकी गिरफ्त में हैं। इस स्थिति में, सरकार घोषणा करती हैं कि वह अगर उसी के शब्दों में कहे तो आतंकवाद को रोकने के उपायों को कमजोर कर रही हैं।

यह समझना कठिन नहीं होगा कि इस तरह का ढीलापन क्यों हुआ हैं। इस कारण हैं कि इस देश में आतंकवादी हलचल, सीमा पार से आतंकवाद की एक-एक हरकत चाहे वह उत्तर में हो या पूर्व में, सत्तारूढ़ दल की नीतियों में हैं स्थायी रूप से व्याप्त हैं। यह बात मैं पूरी ऐतिहासिक तहकीकात और ऐतिहासिक सच्चाई के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं हैं कि यह सरकार इस देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने वाले कानूनों में ढील दे रही हैं।

इस देश में शासन से जुड़ी अनोखी बात यह हैं कि आतंकवाद या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं जिन्हें

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

सरकार लागू करना चाहती हैं। समस्या इनके क्रियान्वयन में हैं। भारत में पर्यावरण पर सबसे कठोर कानून हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका क्रियान्वयन कितने अनुचित तरीके से हो रहा हैं। यदि सदस्यों का पोटा के दुरूपयोग पर आक्रोश हैं, तो क्या इसके लिए कानून दोषी हैं या इस कानून को लागू करने वाले दोषी हैं क्या इसमें विभिन्न राज्य सरकारों का दोष नहीं हैं कि जिन्होंने संविधान के प्रावधानों और कतिपय नागरिकों के अधिकारों का स्पस्ट रूप से उल्लंघन किया हैं? यह एक साजिश हैं कि इस सदन का एक वर्ग या यूं कहें कि जैसाकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रभुनाथ सिंह ने कहा हैं, कतिपय समुदाय के ठेकेदार अपने आपको रक्षक साबित करने की कोशिश कर रहा है।

मैं उन सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में आतंकवाद का सबसे अधिक शिकार जम्मू और कश्मीर के निर्दोष नागरिक ही रहे हैं, निर्दोष महिलाएं, बच्चे और निर्दोष पुरूष रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में जब से आतंकवादी हिंसा भड़की हैं तबसे उनकी सुनियोजित तरीके से हत्याएं हुई हैं। जब ये सदस्य समाज को सुरक्षा देने की बात करते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के हालात पर भी वे उतना ही चिन्तित हों।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 5.25 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार के 'पोटा' के निरसन और साथ ही अन्य संशोधन विधेयक के पुरःस्थापन के निर्णय का समर्थन करता हूं। यह हमारी परम्परा रही हैं कि जब भी कानून बनाया जाता है इसका दुरूपयोग किया जाता हैं। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रावधानों के दुरूपयोग की बातें करता हैं और भूल जाता हैं। इस बार तो एक उदाहरण ही पेश किया गया।

हम सभी आपातकाल के दौरान 'मीसा' के दुरूपयोग के कारण कानून की ज्यादतियों के शिकार हैं। हमने 'मीसा' के दुरूपयोग के संबंध में बात की हैं। उन्होंने यह कहा था कि 'मीसा' का इस्तेमाल राजनैतिक नेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जाएगा; इसका इस्तेमाल केवल देश-द्रोहियों अथवा कालाबाजारियों के विरुद्ध किया जाएगा परंतु क्या हुआ? यहां तक कि श्री जयप्रकाश नारायण से लेकर अनेक लोगों को जेल में डाला गया। पहले कोई समीक्षा समिति नहीं बनाई गयी। जब समीक्षा समिति गठित भी कर दी गई उसके बाद भी लोग जेलों में बंद रहे। यह केवल एक परम्परा हैं। मामला यह है कि कोई भी कानून के मूल में नहीं जाना चाहता हैं। यह देखने के लिए कि मानवाधिकार का समावेश किया गया हैं कि स्वतंत्रता की गारंटी दी गई हैं कि नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (एन एस ए) 'टाडा' और 'पोटा' आया। मैं अपना अनुभव यहां विस्तार से नहीं सुनाना चाहता क्योंकि इसे यहां पहले ही अन्य माननीय सदस्य बता चुके हैं।

क्या कोई भी संसद सदस्य श्री वैको जैसा असहाय हो सकता हैं? उन्हें 'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। मेरे मित्र जो वहां बैठे थे क्या कर सकते थे? उन्हें क्यों बंदी बनाया गया था? उन्होंने कौन सी आतंकवादी कार्यवाही की थी? उन्हें क्यों 'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था? यदि किसी संसद सदस्य की कोई सुरक्षा नहीं है, इस, कानून के विरुद्ध कोई सुरक्षा नहीं हैं तो एक आम आदमी का क्या होगा? क्या यह बात बहुत दुःखदायी नहीं हैं कि हजारों लोग जेल में बंद हैं? 'पोटा' के अधीन बच्चों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मैं गुजरात के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात में गिरफ्तार किए गए लोगों में से मेरे विचार से 99 प्रतिशत एक ही समुदाय से थे। क्या वे आतंकवादी ही थे?

कुछ मित्रों ने कहा था कि हमें श्री कोलिन पावेल से जो भी वे आतंकवाद के बारे में कहते हैं सबक सिखना चाहिए। क्या संयुक्त राज्य अमरीका से मिला आदेश हमारे लिए बाध्यकारी हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या पूरे विश्व में ऐसा ही चल रहा हैं? श्री पावेल ने इराक में क्या किया? वे इराक और फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों के कुछ अलग घोषणापत्र होते हैं? उन्हें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। वह इस कड़ी से केवल अंतिम लिंक निकाल कर यह सब कह सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हैं। सिर्फ ताकत से ही आतंकवाद को दबाया नहीं जा सकता।

महोदय, यहां स्थिति भिन्न हैं। विभिन्न स्थितियों के लिए लोगों को बाध्य किया जाता हैं। इसके लिए कारण भी मौजूद हैं। वर्तमान कानून भी कोई अलग नहीं हैं। जहां तक यूपीए के नए अधिनियम का संबंध हैं। मेरे विचार से 'पोटा' से कुछ प्रावधानों को यहां जोड़ा गया है। सच कहूं तो इसे स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि इसे इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

एक और बात हैं। मैं यहां तमिलनाडु के संबंध में एक और बात उद्धृत करूंगा ...*(व्यवधान)* मैं अभी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सच तो यह हैं कि पिछले साढ़े छह सालों से श्री मदनी जेल में हैं। पहले उसे किसी धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया

था। उसके बाद जब वे उसे जेल में नहीं रख पाए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सहारा लिया। साढ़े छह वर्ष तक वे बिना किसी मुकदमे के जेल में हैं। अन्य सभी लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया गया परन्तु वे अभी भी तमिलनाडु की जेल में पड़े हुए हैं। यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हैं।

कुछ मित्र कह रहे थे कि 'पोटा' को वापस लेना सभ्यता के विरुद्ध हैं। क्या बालकों का, निरपराध लोगों का वध मानव अधिकारों से वंचित रखना सभ्यता हैं? हमने मणीपुर से माननीय सदस्य को सुना। मणीपुर में क्या हो रहा हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या हम शांत बैठ कर यह कह सकते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हैं, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है देश में क्या हो रहा हैं? कानून के द्वारा लोगों को नहीं दबाया जा सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय, 'पोटा' के निरसन का समर्थन किया जाएगा परन्तु अन्य विधयेकों को स्थायी समिति में अवश्य भेजना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री एल. गणेशन कृपया संक्षेप में बोलिए। हमारे पास अधिक समय नहीं हैं। मेरा विश्वास हैं कि आप सहयोग करेंगे।

श्री एल. गणेशन (तिरूचिरापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे पूरी नम्रता और ईमानदारी से अपील करना चाहता हूं। तमिलनाडु के सभी राजनैतिक दलों में से, तमिलनाडु के सभी नेताओं में से हमारे दल एम.डी.एम.के. और हमारे नेता श्री वैको को ही चुना गया और उनके साथ राजनैतिक पूर्वाग्रह युक्त तमिलनाडु राज्य सरकार ने विद्वेष और प्रतिशोध पूर्ण बर्ताव किया।

श्री वैकों एक वरिष्ठ सांसद रहे हैं ओर उनके जोशीले भाषण आज भी दोनों सभाओं और साथ ही राज्य सभा में गूंज रहे हैं। उन्हें उनके आठ सहयोगियों के साथ 'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और लगभग 19 महीनों तक हिरासत में रखा गया था। इस लम्बी अवधि के दौरान एक कैदी के मां की और दूसरे कैदी की पोती की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें कैद में बेहद कष्ट झेलने पड़े।

महोदय, हमने केन्द्रीय समीक्षा समिति को एक ज्ञापन दिया था। मुझे आशा हैं कि आपको याद होगा कि आपने और 300 अन्य संसद सदस्यों ने भी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समिति के चेयरमैन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। उन्होंने कार्यवाही का संचालन इस प्रकार किया कि जैसे यह पूर्णतः आपराधिक मामला हो। इतनी बहस और विचार-विमर्श के बाद समीक्षा समिति ने यह निर्णय दिया कि यहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हैं और इसलिए श्री वैको और उनके सहयोगियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। परंतु सुश्री जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने उन्हें रिहा नहीं किया। अतः वास्तव में क्या हुआ? हमें एक स्थान से दूसरे स्थान 'पोटा' न्यायालय से समीक्षा समिति, समीक्षा समिति से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय इत्यादि-इत्यादि तक भागना पड़ा और आज भी हमारी सुनवाई चल रही हैं।

इसलिए, मेरा निवेदन यह हैं कि 'पोटा' का घोर दुरूपयोग हुआ है और बल्कि मैं तो कहूंगा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया हैं। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है और सुश्री जयललिता को क्या हुआ हैं परंतु एक बात निश्चित हैं कि उन्हें रात्रि का अंधकार पसंद हैं। उन्होंने पुलिस को आधी रात कलाईंगर करूनानिधि के शयनकक्ष का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। कलाईंगर करूनानिधि कौन हैं? वह अस्सी वर्ष से अधिक आयु वाले नेता हैं। वह एक वरिष्ठतम तथा सौम्य राजनेता हैं। क्या वह एक अपराधी हैं? क्या उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता हैं; यदि कोई पुलिस वाला उनसे मिलकर उसे बताता हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाता हैं वह बेझिझक बाहर आएगा और अपने आपको गिरफ्तार करवा लेगा। परंतु उन्हे आधी रात को उनके बिस्तर से खीचकर गिरफ्तार किया गया और दूसरे सभी मामलों में ऐसा ही हो रहा हैं।

इन सभी अत्याचारों के परिणामस्वरूप गत आम चुनाव में अंततः क्या हुआ? यहां हम सभी संसद सदस्य हैं। हम जानते हैं कि आप में से अधिकांश दो या तीन अथवा उससे भी अधिक बाद संसद सदस्य रह चुके हैं परंतु क्या आपने अपने जीवन में इतनी भारी विजय देखी हैं जितनी कि हमने तमिलनाडु में देखी हैं? गत लोक सभा चुनाव में तमिलनाडु और पांडिचेरी में हमे शत-प्रतिशत विजय प्राप्त हुई हैं। हमने 40 में से 40 सीटों पर विजय हासिल की क्यों? क्या कारण हैं? यह सब जनतांत्रिक गठबंधन के नेता डा. कलाईंगर करूनानिधि और मेरे नेता श्री वाईको के अथक प्रयासों का परिणाम हैं। न केवल यही अपितु डा. कलाईंगर करूणानिधि द्वारा की गई इस घोषणा के कारण भी भारी बहुमत मिला कि श्रीमती सोनिया गांधी गठबंधन का नेतृत्व करेंगी। इन सभी प्रयासों के संयुक्त परिणामस्वरूप हमें यह आश्चर्यजनक जीत मिली हमने सुश्री जयललिता को करारी हार दी।

[श्री एल. गणेशन]

अतएव महोदय मुझे 301 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन से उद्धरण देने और समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

श्री वाईको को राजनीति में स्वर्गीय तिरू अन्ना, द्र.मु.क के संस्थापक नेता लाए थे और बाद में स्वर्गीय थिरू अन्ना के उत्तर.धिकारी थिरू कलाईंगर करूणानिधि द्वारा इसे विकसित किया गया। श्री वाईको 1978 से 1996 तक लगातार तीन कार्यकाल तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा में भी संसद सदस्य रहे थे। श्री वाईको गत चार दशकों से अहिंसा और शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यों के लिए जाने माने लोकतंत्रिकवादी नेता हैं। वे मा.द्र.मु.क. के संस्थापक नेताओं में से एक हैं और 1993 में मा.द्र.म.क. की स्थापना से ही दल के महासचिव रहे हैं। अपने दीर्घ और अबाध राजनीतिक जीवन में आतंकवाद की बात तो दूर कभी किसी के भी विरुद्ध हिंसा का आशय लेने का आरोप नहीं लगाया। किसी भी ऐसे व्यक्ति की समझदारी पर संदेह करना चाहिए जो उन्हें आतंकवादी कहना चाहता हैं।

महोदय हमारे नेता श्री वाईको के बारे में यहां और अन्यत्र काफी कुछ कहा गया हैं। कई लोगों ने उन्हें एक आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जबकि अन्य कुछ लोगों ने उनकी रक्षा की। मैं सुशिक्षित व्यक्ति हूं, मैं उन्हें छात्र जीवन से जानता हूं और उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरा विनम्र अनुरोध यह हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सी बात की हैं। परंतु मैं जानता हूं कि उन्होंने पिछली सरकार को बचाया है। मैं इस मामले को दबाना नहीं चाहता। उन्होंने हमेशा ऐसा प्रयास किया और उन्होंने दृढ़ता के साथ पूर्ववर्ती सरकार को बचाया। उसके बारे में कोई संदेह नहीं हैं परंतु उन्होंने उसे क्यों बचाया? हमें यह जरूर समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह हैं कि यदि वह एक मित्र हैं तो वह एक निष्ठावान मित्र हैं और यदि वह शत्रु हैं तो एक ईमानदार शत्रु हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल की बैठक में क्या हुआ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग): उन्होंने उन्हें क्यों बचाया?

श्री एल. गणेशन: रा.ज.ग. की बैठक में पोटा विधयेक लाने से पहले उन्होंने पोटा विधयेक पारित करने का जोरदार विरोध किया। आप ध्यान दें रा.ज.ग. बैठक में भी श्री वाईको ने पोटा विधयेक का पुरजोर विरोध किया। मुझे यहां और हर जगह फैली इस गलत अवधारणा को दूर करना चाहिए कि उन्होंने कानून का समर्थन किया परंतु मैं यहां ईमानदारी और निष्ठा से कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेशन, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री एल. गणेशन: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। मैं कहूंगा कि उन्होंने पोटा का समर्थन नहीं किया। जब तत्कालीन विधि मंत्री ने उनसे उसी सदन में पोटा को पारित करने के पक्ष में बोलने का अनुरोध किया तो उन्होंने सीधे-सीधे मना कर दिया था। अतएव यह कहना कि पोटा विधेयक पारित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही; बिल्कुल गलत और झूठ हैं।

तमिलनाडु की जनता बहुत अधिक खिन्न और आक्रोश में हैं। हमारे शांतिपूर्ण आन्दोलनों और जन आन्दोलनों और हमारे आन्दोलनों को सहज समर्थन देने और तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को बार-बार अभ्यावेदन देने के परिणामस्वरूप उन्होंने आधे अधूरे कदम उठाए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उस अतएवं मैं अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं - हम उस दल के हैं जो नाराज हैं जो पीड़ित हैं तथा जो प्रभावित हैं। इस पर विचार किया जाए कि हमें कितनी यातनाएं दी गई हैं। कम से कम हमें अपनी भावनाएं जनता के समक्ष व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं परंतु आपको समय का ध्यान रखना चाहिए, कृपया सहयोग दें।

श्री एल. गणेशन: अब हमारी सरकार पोटा को रद्द करना चाहती हैं और इसने पोटा (निरसन) विधेयक पुर: स्थापित कर दिया हैं। यदि पोटा को समाप्त करने पर कोई आंसू बहाता हैं तो उन्हें आंसू बहाने दें। परंतु हमे खुशी हैं कि अब पोटा समाप्त कर दिया गया हैं।

सुयंक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत वायदा किया था और कहा था कि वे इसे हटाएंगे, समाप्त करेंगे और पोटा अधिनियम को निरस्त कर देंगें। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया हैं मुझे इस बात की खुशी हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं तथा मैं इस सरकार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं।

परंतु इसमें भी बहुत खतरा हैं कि मुझे एक दोस्त की तरह माना जाएगा या दुश्मन की तरह। एक निष्ठावान और ईमानदार मित्र के रूप में मैं यह चेतावनी देना चाहूंगा कि इसमें भी वही खामियां हैं। पूर्ववर्ती अधिनियम वाली कमी यहां इसमें भी बरकरार हैं। समय की कमी के कारण मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहूंगा।

अब मैं आतंकवाद निरोधक (निरसन) अधिनियम में संशोधन पर आता हूं धारा की उपधारा 3 के बाद निम्नलिखित उपधारा अर्थात् 3 (क) मूल अधिनियम की धारा 60 के निरसन के बावजूद इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार

द्वारा गठित समीक्षा समिति ने मूल अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी मामले को इस आशय से समीक्षा की हैं कि क्या उसके अन्तर्गत आरोपी के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं अथवा नहीं और फिर यह राय बनाकर कि आरोपी के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता यदि मूल अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई हैं तो जैसा भी मामला हो, उक्त स्वीकृति रद्द मानी जाए तथा स्वीकृति जारी करने की तिथि से विधि के समक्ष कोई महत्व नहीं रखेगी।

मामलों में न्यायालय द्वारा दी गयी जिन स्वीकृति के अनुसरण में मुख्य अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता हैं, उन्हें मुख्य अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (4) के अंतर्गत संवीक्षा समिति द्वारा निदेश जारी किए जाने की तिथि से निवर्तित माना जायगा।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं हैं। आप कृपया अपनी बात कहें। मैंने आपको 15 मिनट का समय दिया हैं।

श्री एल. गणेशन: यह क्या हैं? बहुत से सदस्यों के अत्यधिक समय लिया हैं। अत: कुछ मामलों या कहिए वाइको के मामले में समीक्षा समिति निष्कर्ष पर पहुंची हैं और निदेश दिए हैं कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला नहीं बनता हैं और इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं गया। इसमें कोई समस्या हैं। अत:, जब हम कानून बनाते हैं तब हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वहां पर अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं अपने अनुभवी नेता जो भाकपा (मा.) के सदस्य हैं और जिन्होंने कहा हैं कि बेहतर होगा कि विधेयक को चयन समिति के पास भेजा जाए, का तहे दिल से समर्थन करता हूं। हम वहां पर बैठेंगे, इस पर बारीकी से चर्चा करेंगे और फिर अधिनियम की खामियों को दूर करेंगे। मैं, सबसे पहले सरकार की इस बात की सराहना करता हूं कि उसने अपना वादा निभाया और अपील भी करता हूं कि खामियों को दूर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपका हस्तक्षेप बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद।

अभी 3 अथवा 4 माननीय सदस्यों को बोलना हैं। आप कृपया सहयोग करें और तीन अथवा चार मिनट तक बोलें। अन्यथा, मैं माफी चाहता हूं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। मैं विधयेक का महत्व समझता हूं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): जम्मू और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया हैं और आप मुझे केवल तीन मिनट में उत्तर देने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी योग्यता को दर्शाता हैं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती: आपको मुझे कुछ और समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपके वाक्-कौशल पर विश्वास हैं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती: मैं 'पोटा' के निरसन का समर्थन करती हूं। मेरा यकीन हैं कि किसी भी प्रकार के अपराध, हिंसा अथवा विद्रोह से भी निपटने के लिए पूरे विश्व में हमारे देश के कानून सबसे कठोर हैं। लेकिन, किसी भी कानून की प्रभाविता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती हैं अर्थात् क्या जनता की सुरक्षा के लिए कानून का अनुसरण और इसे लागू किया जा रहा हैं? और क्या यह अमीर और गरीब, प्रभावशाली और साधारण, धार्मिक और गैर-धार्मिक लोगों, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तथा पुरूष और महिला में भेदभाव किए बगैर समान आधार पर न्याय प्रदान करता हैं?

[हिन्दी]

मेरी आपसे गुजारिश है कि पोलीटिकल वेंडटा का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।

[अनुवाद]

वह है श्री वाइको का मामला। हमने उसे देखा हैं श्री इश्तखार जिलानी ऐसा दूसरा पीड़ित था जिसे छह महीने के लिए जेल में केवल इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने कंप्यूटर से कुछ अनलोड कर लिया था जो कि आसानी से उपलब्ध था। ये तो केवल दो मामले हैं। लेकिन हजारों लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं हैं, जिन्हें किसी बुनियाद के नाम पर, शायद गरीबी के नाम पर, शायद मजहब के नाम पर, उन्हें जेल में रख दिया गया यह सोचकर कि वे एंटी नैशनल हैं। जम्मू-कश्मीर की आबादी 1,20,000 हैं। उसमें से एक बहुत छोटे से परसेंटेज ने बन्दूक उठाई हैं जिसका आप 15 साल से इतनी फौज लेकर मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

यह हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।

[सुश्री महबूबा मुफ्ती]

[हिन्दी]

लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पर रहे हैं। जब भी कोई काला कानून बनता हैं, जिसके कारण किसी को जेल के अंदर डाला दिया जाता, उसे एंटी नैशनल बना दिया जाता हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनसे लड़ने के लिए कहां से फौज लाएगें?

[अनुवाद]

इसलिए, कृपया अल्पसंख्यकों को ऐसे मत खदेड़ो। यह मेरा अनुरोध हैं।

[हिन्दी]

सर, हमारी स्टेट में, जब यह पोटा यहां पास किया गया, तब वहां लागू किया गया था।

[अनुवाद]

मेरा राज्य सबसे अधिक बदकिस्मत हैं।

[हिन्दी]

वहां हमारे स्टेट में भी पोटा था, वहां लागू किया गया। जब से कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी हैं, हमने इसे इम्लीमेंट नहीं किया हैं। हमारे जो मित्र यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूं। उसका नतीजा सबसे पहले यह हुआ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को न सिर्फ वहां झंडा लहराया, बल्कि हजारों की तादाद में बच्चें, औरतें और बुजुर्ग भी हमारे स्टेडियम में मौजूद थे। उसका नतीजा यह हुआ कि पोटा को छोड़ कर श्री आडवाणी जी ने भी अनकंडीशनल हुर्रियत के साथ बात शुरू की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो वजीर आते थे वे उड़ी जैसी आर-पार की जंग की बात करते थे, उन्होंने 40 हजार लोगों के बीच में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का ऐलान किया। वह भी इसी गवर्नमेंट की खूबियां हैं। उन्होंने एक हिलिंग टच दिया, उसका नतीजा हैं। आप जिस हिलिंग टच की मुखालित करते हैं, उसे सोफ्ट टैरेरिज्म कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लीडर श्री वाजपेयी जी उसे श्रीनगर में जाकर एनडोर्स किया।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा: ''कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए 'हीलिंग टच' की नीति ही एकमात्र नीति है।

[हिन्दी]

इसलिए उसकी कद्र कर लीजिए।

महोदय, मुझे यह कहना हैं कि पोटा जैसे कानून, जिसमें

[अनुवाद]

अनियंत्रित एवं विवेकाधीन शक्तियां।

[हिन्दी]

मिल जाते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं,

[अनुवाद]

कि कुछ लोग उसका दुरूपयोग कर सकते हैं।

[हिन्दी]

और यही हो गया। मणिपुर का मनोरमा का उदाहरण हमारे पास हैं। वहां हाल ही में मदर और बेटी के रेप का उदाहरण हमारे पास हैं। जब तक इस किस्म के पावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जितना भी हमने प्राप्त किया होता हैं, हम पीछे चले जाते हैं। इसलिए मेरा मानना हैं कि

[अनुवाद]

जनता शक्ति का मूलस्रोत है।

[हिन्दी]

महोदय, लोगों के पास जो ताकत होती हैं, आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए आप पूरे आवाम को एलिएट मत कीजिए।

[अनुवाद]

आपको लोगों का दिल और दिमाग को जीतना चाहिए चाहे वह पूर्वोत्तर हो, चाहे जम्मू और कश्मीर अथवा चाहे पाकिस्तान के लोग ही क्यों न हों। हमें उन्हें जीतना होगा। मैं कहूंगी कि वाजपेयी जी यह कार्य बहुत अच्छी तरह से करते रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं डा. मनमोहन सिंह जी को भी काम्प्लीमेंट करना चाहती हूं कि न्यूयार्क में उनकी जो बात हुई हैं, अभी वहां से जो वजीरेआजम आए थे, यह बहुत अच्छा हुआ।

आखिर में मैं गवर्नमेंट से एक गुजारिश करूंगी कि जितने भी केसेस हैं, उन्हें रिव्यू किया जाए और जल्द से जल्द उन पर डिसीजन लिया जाए। यहां बीजेपी वाले बार-बार उंगली दिखाते हैं कि आप उस सरकार के साथ हैं कि जिसने अपनी बेटी के लिए आतंकवादियों को रिहा किया। मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

कि उस वक्त आप उस सरकार का समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। आपने अपना समर्थन वापिस नहीं लिया था।

[हिन्दी]

आपने कुछ मुद्दों पर, श्री वी. पी. सिंह जी के साथ सपोर्ट विदड्रा नहीं की,

[अनुवाद]

लेकिन आपने 'मंडल' पर अपना समर्थन वापिस ले लिया।

[हिन्दी]

और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के लिए सपोर्ट विदड्रा किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रो. एम. रामदास कृपया संक्षेप में कहें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु की पट्यली मक्काल काची पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। हम पोटा के निरसन और साथ ही विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में लाए गए संशोधनों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

पोटा के निरसन के संबंध में काफी सारे तर्क लिए गए हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि हमें शुरू में ही पोटा स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि भारतीय संविधान में निहित विद्यमान कानूनों और विनियमों के माध्यम पोटा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता था उदाहरण के लिए देश में आतंकवाद से निपटने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ख), धारा 121 (ख) धारा 122 और अन्य धाराओं का आसानी से प्रयोग किया जा सकता था। अत: हम नहीं चाहते कि पोटा को जारी रखा जाए क्योंकि यह मानव अधिकारों का और व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का हनन करता हैं।

महोदय, हमें खुशी हैं कि यह राष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय संसद द्वारा किया जाता हैं, स्वतंत्रता के प्रश्न पर एक ऐसे दिन चर्चा कर रहा हैं, जब देश मानव स्वतंत्रता, मानव अधिकारों और समानता के समर्थक डा. अम्बेडकर को याद कर रहा हैं। आज हम इस सभा में पोटा के निरसन को पूर्ण रूप से समर्थन करके पोटा को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं।

अतः हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि हमसे पहले के एम.डी.एम.के. के वक्ता ने ठीक ही कहा हैं कि अधिनियम का किस प्रकार से अत्यधिक दुरूपयोग हुआ हैं। यदि हम दर्ज हुए कुल मामलों की संख्या देखें तो यह संख्या 617 हैं। महोदय, इसमें से 172 मामले केवल गुजरात के हैं। तमिलनाडु में अकारण ही एम.डी.एम.के. के नेता को राजनैतिक द्वेष के कारण अभियोजित किया गया हैं। अधिनियम का आश्रय यह नहीं हैं। इसके अभिप्राय का दुरूपयोग किया गया हैं। सरकार ने वहां पर अधिनियम के अभिप्राय का दुरूपयोग किया हैं और उसे ऐसा करने के लिए उचित रूप से दण्डित किया गया हैं। अत:, ऐसे दुरूपयोग को रोका जाना चाहिए। पोटा अधिनियम का निरसन ही इसका एकमात्र उपाय हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैंने अभी दो मिनट भी नहीं बोला हैं।

अध्यक्ष महोदय: काश आपकी घड़ी मेरे पास होती।

प्रो. एम. रामदास: इस पोटा निरसन विधेयक का समर्थन करते हुए हम गृह मंत्री से केवल यह आग्रह करते हैं कि वे पोटा के निरसन को मूल लक्ष्य प्रभाव से लागू करें क्योंकि कई निर्दोष लोगों को दण्ड दिया गया हैं। नैसर्गिक न्याय की अपेक्षा है कि उनकी प्रतिपूर्ति की जाए। वे लोग जो जेल में बंद पड़े हुए हैं और श्री वैको जैसे सांसद जिन्हें 19 महीने से अधिक अवधि तक जेल में बंद रखा गया, उनकी हम क्या प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं? समीक्षा समिति के यह कहने के बाद भी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं हैं, मामला वापस नहीं लिया गया हैं। संसद की ओर से इसकी अनुमति देना पूर्णतया अन्याय होगा। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना चाहिए और पर्याप्त प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

अब संशोधन के दूसरे भाग पर आते हुए हम इस विधयेक का पूर्ण समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार को आतंकवाद विधयेक के दुरूपयोग को रोकने में सरकार की मदद करेगा जो कि पहले हो रहा था। इसके बाद एजेंसियां केवल संदेह के आधार पर किसी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती। एक अभियुक्त जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। विशेष न्यायालय के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया हैं। अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित

[प्रो. एम. रामदास]

करना होगा। इन सभी बातों के लिए, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

परंतु इस बात को सुनिश्चित किए जाने के लिए कुछ और सावधानी बरतनी होगी कि इस संशोधन को भविष्य में कम से कम राजनीतिक बैर के लिए उपयोग न किया जाए। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि समीक्षा समिति, जो इस संशोधन में केन्द्रीय भूमिका निभाने जा रही हैं, को अधिक अधिकार दिए जाएं। इस समय समीक्षा समिति के पास मामलों की जांच के लिए केवल सीमित अधिकार हैं। हम महसूस करते हैं कि यह पोटा समीक्षा समिति को दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी जाएं ताकि वह कोई भी साक्ष्य मांग सके और उसे कर सके। इससे पहले कि किसी अभियुक्त को इस अधिनियम के अधीन चार्जशीट किया जाए; पोटा समीक्षा समिति को अपना पूरा मत देना चाहिए और केवल उसके बाद चार्जशीट दाखिल किया जाना चाहिए। यदि ये दो प्रावधान किए जाते हैं और समीक्षा समिति को अधिक अधिकार दिए जाते हो, हम समझते हैं कि हम आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने में सक्षम होंगे।

अंत में, यदि यहां पर आतंकवाद को समाप्त करना हो, हमें एक आधुनिक पुलिस प्रणाली का विकास करना होगा और पुलिस के लोगों को इस प्रकार से सेट करना होगा कि वे इस समस्या का समाधान बेहतर तरीके से करने में सक्षम हों।

मैं अंतिम रूप से यही कहूंगा कि जब हम पोटा के निरसन और इस संशोधन के समर्थन की बात करते हैं तो किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ हैं और हम राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं। हम इस देश की मर्यादा और इस देश की सुरक्षा बनाए रखने में किसी से कम नहीं हैं। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कानून के निरसन से कांग्रेस आई सरकार इस देश में या देश के बाहर आतंकवादियों को गलत संकेत या आमंत्रण दे रही हैं पाकिस्तान या किसी और देश को यहां पर लाने का कोई औचित्य नहीं हैं। यह भारत हैं। यह हमारी मातृभूमि हैं। हम इस देश के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितना कि इस सभा का कोई भी व्यक्ति हैं। इसलिए अपने संस्थापक अध्यक्ष डा. अय्यर की ओर से हम इस कदम के लिए सरकार की सराहना करते हैं। इन दो गतिविधियों के लिए हम सरकार का समर्थन करते हैं। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचला नहीं जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके भाषण के बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं परंतु मेरे पास समय की कमी हैं। मुझे खेद हैं।

अब श्री असादुद्दीन ओवेसी कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं पोटा के निरसन का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं इस क्रूर कानून के निरसन के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु मेरी एक शिकायत हैं जिसे मेरे माननीय मित्र ने सही तरीके से यहां उठाया है जिस आधार पर हम इस अधिनियम का निरसन कर रहे हैं कि यह गलत कानून है, विधान के इस हिस्से ने हमारे राष्ट्र को बांट दिया है, असंगति पैदा की हैं और विभिन्न समुदायों के बीच असंतोष उत्पन्न किया हैं और इसका उपयोग आम आदमी के खिलाफ किया जा रहा था जबकि इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना था।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह निरसन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद पड़े हुए हैं। हमें उन्हें कम से कम राहत तो देनी ही चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध हैं कि सम्पूर्ण निरसन विधयेक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना संभव नहीं हैं तो कम से कम धारा 4 व और 32 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इन सभी मामलों के लिए केन्द्रीय समीक्षा समिति के लिए एक वर्ष का काफी लंबा समय है।

मैं गुजरात में जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहता हूं परंतु 30 अक्टूबर को हैदराबाद में गुजरात पुलिस का एक दल कथित अभियुक्त को गिरफ्तार करने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आया। गुजरात पुलिस के इस दल ने एक युवक की नृशंस हत्या कर दी। चार दिन पहले एक अभियुक्त को श्री हरेन पांड्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके पिता की मृत्यु हो गयी पर उसे अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश आने की अनुमति नहीं दी गयी। यह सब गुजरात राज्य में हो रहा हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि समीक्षा समिति में गुजरात के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं वाद-विवाद और भा.ज.पा. के अपने माननीय मित्रों के भाषणों को सुन रहा था। व्यंग्योक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने इस्लाम के बारे में भी कोलिन पॉवेल के कथन का संदर्भ दिया। क्या श्री पॉवेल को इस्लाम या मुस्लिमों के बारे में कुछ पता भी है? मैं यह कहना चाहता हूं कि 'संघ परिवार' की विचारधारा के जन्म लेने के पहले से ही मुस्लिम इस देश के प्रति निष्ठावान रहे हैं और इतिहास गवाह हैं कि हमने देश की सुरक्षा के संबंध में कभी-भी समझौता नहीं किया हैं।

[अनुवाद]

माननीय मित्रों से मेरा अनुरोध हैं कि ये व्यंग्योक्तियों की जाएं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि श्री एहसान जाफरी के हत्यारों पर 'पोटा' क्यों नहीं लगाया गया। यह उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया गया जिन्होंने इकबाल बानो का बलात्कार किया? यह उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया गया जिन्होंने नरोदा पटिया में जनसंहार किया था?

श्री हरिन पण्ड्या के पिता ने श्री लालकृष्ण आडवाणी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था ...*(व्यवधान)*....*

प्रो. विजय कुमार मलहोत्राः महोदय यह टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दी जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः महोदय, इन्होंने उन लोगों के नाम लिए हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं .....*(व्यवधान)* वे अपने आपको नहीं बचा सकते। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तांत से वह अंश निकाल दिया जाएगा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री ओवेसी महोदय, कृपया अपनी बात समाप्त करे। हम समय के अनुकूल नहीं चल रहे हैं।

श्री असादुद्दीन ओवेसीः महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया धारा 49 और 32 की जांच करें।

अमीर मीना ने कहा हैं:

[हिन्दी]

खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम,
अमीर सारे जहां का दर्द, हमारे जिगर में हैं

यह मुसलमानों के बारे में हैं। आपके बारे में हैं कि-

सितमनगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी, जिन्हें होंगी,
हमें तो देखना हैं कि तू जालिम कहां तक हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (संशोधन) विधयेक के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि मनोनीत प्राधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं हैं। कृपया वे मनोनीत प्राधिकारी के उपबंध को हटा दें। संपति की जब्ती स्थानीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप से संबंधित इस विधेयक विशेष को स्थायी समिति को भेजा जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के माध्यम से पोटा का निरसन करने संबंधी सरकार के निर्णय का विरोध करता हूं। तेलगू देशम पार्टी ने आतंकवाद निवारण विधेयक को पारित करने में समर्थन किया था।

मान लीजिए कुछ राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता का दुरूपयोग करते हुए और अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध जाली मुकदमें चलाए जाते हैं पाया जाए तो क्या हम भा.द.सं का निरसन कर देंगें? क्या हम अन्य आपराधिक विधियों को भी निरस्त कर देंगें। जब तमिलनाडु सरकार ने पोटा का दुरूपयोग किया था और मा.द्र.मु.क. साथियों ने मुझसे संपर्क स्थापित किया तो उनकी रिहाई के लिए दिए गए अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में से मैं भी एक था। यदि हमें किसी भी प्रकार की गलती या दुरूपयोग की जानकारी मिलती हैं तो हमें इन उपबंधों की ओर ध्यान देना होगा। उन उपबंधो पर ध्यान देने की बजाए से पोटा का निरसन सही नहीं हैं।

सायं 6.00 बजे

यह राष्ट्र के हित में नहीं हैं।

अब आतंकवाद दिनों दिन बढ़ रहा हैं। यह आतंकवाद प्रभावी रूप से का मुकाबला करने का एक साधन हैं। कल जम्मू और कश्मीर और असम में क्या हुआ था? अतः इन सब मामलों के बाद हम इस विधेयक का निरसन कर रहे हैं। इससे देश में शांति स्थापित नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था बदत्तर होती जा रही हैं। माओवादी साम्यवादी दलों ने नेपाल से तमिलनाडु तक एक रास्ता देने की घोषणा की हैं .....*(व्यवधान)*

अतएव, इन स्थितियों में हम इस विधेयक का निरसन कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

समय बताएगा और कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी यह महसूस करेगी कि उन्होंने अनावश्यक रूप से इस विधेयक का निरसन क्यों किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरेननायडु आप अपनी बात कह चुके हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरेननायडु: पूर्ववर्ती सरकार ने भी 'मीसा' और 'टाडा' का अधिनियमन किया था। दोनों विशेष कानून हैं.....*(व्यवधान)* इसलिए कृपया इस विधेयक को और आगे चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए।

अतएव माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को और आगे चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 6 बज गए हैं। क्या सभा इस बात से सहमत हैं कि सभा को एक निश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता हैं?

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): हम अनुरोध करते हैं कि सभा का समय डेढ़ घंटा बढ़ा दिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक हैं। मैं सभा की इस सहमति को मान रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): इस चर्चा में भाग लेने का मेरा कोई विचार नहीं हैं। मैं यह चर्चा बड़े ध्यान से शुक्रवार से ही सुन रहा हूं और आज भी सुन रहा हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही की ओर से शुरू की गई यह चर्चा पहले भी तीन बार सुनी जा चुकी हैं, पहली बार लोक सभा में, दूसरी बार राज्य सभा में और फिर संयुक्त सत्र में। इसका सार संक्षेप यही हैं कि चूंकि यह दुर्व्यवहार्य हैं, इसलिए इसको निरस्त किया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में भारत का मामला एकमात्र उदाहरण हैं जहां कि आज यह बात सर्व स्वीकार्य हैं कि सभ्य समाज और विशेषकर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद हैं और महान लोकतंत्र में मौजूदा कानून इस खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह कारण है कि हमने पिछली लोक सभा में निर्णय लिया कि भारत को भी लोगों की इस आम भावना को समझना चाहिए। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भी कहा गया कि सभी देशों में आतंकवाद के खिलाफ विशेष कानून होने चाहिए। हमने ऐसा किया आज इस विशेष कानून को निरस्त किया जा रहा हैं। विश्व में ऐसा करने वाला यह पहला देश होगा। आतंकवाद आज भी पूरे देश में व्याप्त हैं, और यह कहा जा सकता हैं कि पोटा भी इसे रोक नहीं पाया हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। किन्तु, ऐसा देखा गया हैं कि पोटा से इस पर कुछ हद तक अंकुश लगा हैं और इससे उन लोगों को दंडित भी किया गया हैं जो इस अपराध में लिप्त रहे हैं। पर, मेरा कहना हैं कि मैंने इस चर्चा को सुना हैं और पाया हैं कि जो लोग-पोटा को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थे, वे चाहते थे कि इसे स्थायी समिति के हवाले कर दिया जाए और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पोटा को निरस्त करने के पक्ष में थे ...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): पोटा का दुरूपयोग किया गया हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपने मेरी अनुमति नहीं ली हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कुछ ऐसे भी लोग थे जो पोटा को निरस्त करने के पक्ष में थे। इनमे से कई सदस्यों ने तो कहा कि इस विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक को स्थायी समिति के हवाले कर दिया जाए। वर्तमान में जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उन्हीं की अध्यक्षता में इस विशिष्ट संस्थान ने स्थायी समिति का गठन किया गया था यद्यपि ऐसा कहा गया है कि अध्यादेश के प्रतिस्थापित करने वाले साधारणत: विधयेक को स्थायी-समिति के हवाले नहीं किया जाएगा, फिर भी ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान मैंने पाया कि एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधुत विधि (संशोधन) विधेयक को और बारहवीं लोक सभा में लाटरी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1998, वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1998 को स्थायी समिति के हवाले किया गया था और उनकी रिपोर्ट भी आ गई जबकि उक्त सभी विधेयकों को अध्यादेशों के स्थान पर लाने की बात कही गई थी।

मैं समझता हूं कि जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय का सवाल हैं, तो गृह मंत्रालय की वर्तमान स्थायी समिति की सभापति आप से मिल चुकी हैं और उन्होंने कहा हैं कि "हम इस पर शीघ्र रिपोर्ट पेश करना चाहेंगे क्योंकि मैं समय की कमी को समझ सकती हूं।" इसलिए इस अंतिम क्षण में मैं आपसे और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सदस्यों को आम राय, जो कुछ

पोटा को निरस्त करने संबंधी विधेयक के संदर्भ में हैं और कुछ अन्य विधेयक के संदर्भ में हैं, को देखते हुए इन्हें स्थायी समिति के हवाले किया जाए। सरकार को चाहिए कि वे इन्हें स्थायी समिति में भेज दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री सलीम, केवल एक मिनट, आप केवल अपनी बात का उल्लेख करेंगे।

मोहम्मद सलीमः हां महोदय, मैं केवल अपनी बात कहूंगा। हमारे पास दो अलग-अलग अध्यादेश हैं और दो अलग-अलग विधेयक हैं और, दो अलग-अलग सांविधिक संकल्प भी हैं। हमने इस सभी को एक साथ ही सभा में और कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के लिए विचारार्थ उठाया है। हमने इस पर चर्चा की है।

अब, जहां तक पोटा को निरस्त करने का सवाल है, तो हमारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। मैंने भी अपने अनुरोध में कहा है कि इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। आज भी हम चाहते हैं कि इस निष्ठुर अधिनियम को निरस्त किया जाए।

जहां तक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम में संशोधन का सवाल है तो यह बिल्कुल ही अलग तरह का अधिनियम है। यह वैसा विधान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर किसी प्रकार के परामर्श या आगे चर्चा की जरूरत है क्योंकि उसकी परिभाषा आदि की तरह उसी प्रावधान को, जैसाकि पोटा में है, हम यहां रखते हैं तो यह कठिन होगा ... *(व्यवधान)* यह आप पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय इसे स्थायी समिति में भेजने पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि मैं भेज सकूंगा।

मोहम्मद सलीमः आप नेताओं की बैठक में इस पर विचार कर सकते हैं। हमारे पास दो सप्ताह का समय है और हम इस समय का उपयोग कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमीः दोनों को एक साथ कैसे पास कराएंगे।

मोहम्मद शाहिदः इस कानून के खत्म होने के साथ-साथ जो बेगुनाह लोग इस आरोप में जेल में डाल दिए गए हैं, उनको भी जेल से छोड़ा जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय गृह मंत्री-

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, बस मुझे एक मिनट का समय चाहिए। कृपया मुझे अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हमारे पास केवल डेढ़ घंटे का समय है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने मुझे सूचना दी है, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। माननीय मंत्री जी, कृपया जबाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर उनका विचार जानना चाहता हूं। मैंने उनसे इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

मंत्री महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के प्रस्ताव के संबंध में आप क्या कहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः सलाह मशविरे के लिए भेजने पर आपका क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आज इस तरह टीका-टिप्पणी मत करते रहिए.

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः शुरू में ही बता दें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, यदि आप चाहते हैं कि मैं शुरू में ही इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करूं तो मैं ऐसा करूंगा। यदि आप मुझे यह अनुमति दें कि मैं अपने भाषण के अंतिम सिरे में इस पर विचार व्यक्त करूं तो मैं ऐसा करूंगा क्योंकि यदि मैं केवल इसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं, बाद में, अपने भाषण को जारी रख पांऊगा अथवा नहीं। अत: मैं अंत में इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप इस मुद्दे को शामिल करते हुए अपना उत्तर दें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं ऐसा ही करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): क्या आप इसे स्थायी समिति के पास भेज रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी को निदेश कैसे दे सकता हूं? मैं उन्हें निदेश कैसे दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र दे सकती हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं माननीय मंत्री को यह निदेश दे सकता हूं कि वह किस प्रकार से उत्तर दें?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसका निर्णय आपको करना हैं। कृपया इस मुद्दे पर चर्चा करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उस मुद्दे पर उत्तर देने से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अन्त में नहीं बल्कि अभी ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार के मत का संबंध हैं, वह तो सभी को मालूम हैं। लेकिन अब इस विशेष मुद्दे पर मैं सरकार के विचार जानना चहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी यदि आप चाहते हैं तो आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं आपके निदेश का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप वह क्यों नहीं बता रहे हैं जो वह पूछ रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे उनके विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सबसे पहले।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी सबसे पहले आप इस पर अपना मत दें कि क्या आप इसे स्थायी समिति के पास भेजना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमारे पास स्थायी समिति की प्रथा है, हमारे पास भारत का संविधान हैं। भारत के संविधान में यह प्रावधान हैं कि जब भी आवश्यकता हो और जब भी आकस्मिकता हो, तब अध्यादेश जारी किया जाए और अध्यादेश जारी करने के बाद संविधान में निश्चित अवधि भी दी गयी हैं। अब इस अवधि में अध्यादेश को कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें विधेयक लाकर अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: स्टैंडिंग कमेटी तो सात दिन में रिपोर्ट दे सकती हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए। हमें नियमावली के अनुसार चलना चाहिए और हमें पूर्व में कुछ परिस्थितियों में जो किया गया हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपकी बात सुन ली हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा ऐसा बर्ताव उचित नहीं हैं। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं यह जानता हूं और मुझे लगता हैं कि हमारे लिए, इस सभा के लिए और इस देश के लिए पोटा जैसे विशेष विधान का निरसन उचित कदम नहीं हैं। मेरी पार्टी, मेरे साथी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मेरे सहयोगी इसका विरोध करेंगे। यदि सरकार इस मामले को स्थायी समिति के पास भेजना चाहती हैं तो हम अपनी राय बदल सकते हैं लेकिन इसके विरोध में हम सभा से बहिगर्मन करना चाहेंगे।

सायं 6.11 बजे

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदयः गृह मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः अब राम कृपाल यादव जी को बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दें।

अध्यक्ष महोदयः आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलें।

श्री रघुनाथ झाः उनका जवाब हो गया, वे चले गए। अब राम कृपाल यादव जी को बोलने का अवसर दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी, कृपया आप थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे अनुमति दें। काश, आप यहां पर बैठे होते। मैं समझता हूं कि यह बहुत लंबे समय से चल रहा हैं। माननीय सभापति यहां पर थे। यदि श्री राम कृपाल यादव बोलना चाहते हैं तो वह माननीय मंत्री जी के भाषण के पश्चात् स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, मैं इस विधयेक को स्थायी समिति को सौंपने के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं। पोटा, अध्यादेश के माध्यम से अस्तित्व में आया और जब उस अध्यादेश को विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करते समय उसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था। अतः, अब भी इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने का कोई अर्थ नहीं हैं जब इसका निरसन किया जा रहा हैं। मैं यही कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी दोनों बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं। पोटा आर्डिनेंस के जरिए आया, आर्डिनेंस के जरिए रिपील हो जाए, यह बात समझ में आती हैं। लेकिन पोटा के ही दूसरे आवरण में अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट उसके जरिए आए, इस पर हम लोगों का प्रोटेस्ट हैं। यह ठीक बात नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह बात कह दी गई हैं।

माननीय सदस्यों, हालांकि हम साधारणतया यह महसूस करते हैं, कि खासतौर पर जब सभा की बैठक बुलायी गयी हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कानून को अध्यादेश के द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, लेकिन संविधान में अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने का प्रावधान हैं। इसलिए उस तरह से अध्यादेश लाना भी गैर-कानूनी नहीं हैं। प्रश्न यह हैं कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। मेरी यह राय हैं कि साधारणतया कोई भी विधेयक को प्रवर समिति को भेजी जाए लेकिन यहां पर लघु सत्र होने के कारण ऐसा करना अनिवार्य हैं। ये महत्वपूर्ण अध्यादेश 12 जनवरी 2005 को व्यपगत हो जाएंगे। अतः, मुझे लगता हैं कि यह देखना मेरा कर्तव्य हैं कि अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले इन विधेयकों को सभा के सदस्यों के निर्णय के आधार पर पारित किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटीलः धन्यवाद, महोदय, मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, वह श्री मोहन सिंह हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः तब तो वह इस सीट को लक्षित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटीलः ये मन को मोह लेने वाले मोहन सिंह जी हैं। इन्होंने जो नुक्ता यहां पर उठाया हैं, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। हम जानते हैं कि पोटा लाया गया और पोटा व्यपगत हो गया और कांग्रेस पार्टी टाडा को पारित करने के लिए और इसके व्यपगत होने के लिए भी उत्तरदायी थी। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि क्रूर प्रकृति के ऐसे कानून सांविधिक पुस्तिका में नहीं होने चाहिए। यही कारण हैं कि पोटा बनाने संबंधी विधेयक का कांग्रेस पार्टी तथा उसके सहयोगी दलो जो सं.प्र.ग. सरकार के सदस्य हैं, ने इस सभा में तथा राज्य सभा में इसका विरोध किया था।

महोदय, इतना ही नहीं। चुनाव के दौरान अधिकांश दलों ने अपने-चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि पोटा निरस्त कर देगें।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

और बात यहीं तक नहीं हैं जब साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पोटा निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहते हुए वे यह कहना भूल गए कि आतंकवाद देश को प्रभावित कर रहा हैं और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस तरह इन दोनों हितों में संतुलन बनाए रखना था और यही कारण हैं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के एक खंड में ये दो बातें कही गई थी पहला, आतंकवाद से निपटा जाएगा और दूसरी ओर यह बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया कि पोटा निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कुछ मत पाने के लिए यह इसी तरह की अन्य बातों के कारण पोटा निरस्त किया जा रहा हैं। हम चुनावों के बाद यह कह रहे हैं। आम चुनाव पहले ही हो चुके हैं और आम चुनावों में पोटा निरस्त करने के लिए दलों को तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जनादेश दिया गया हैं और हम वही कर रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र में हमने जनता से जो वादा किया था, हम उसे ही पूरा कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को पोटा नामक कठोर कानून को निरस्त किए जाने के प्रयास को अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

श्री बंसल ने बड़ा ही जोरदार भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। उन्होंने बताया कि पोटा किस प्रकार आपत्तिजनक था। पोटा में क्या आपत्तिजनक था। इसमें जमानत का प्रावधान आपत्तिजनक था। सामान्यत:, दंड विधि के तहत जमानत का प्रावधान एक नियम हैं, न कि कोई अपवाद हैं। हत्या, डकैती, बलात्कार आदि के मामले में जिन्हें यद्यपि गैर-जमानती अपराध तक कहा जाता हैं जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, अथवा बहुत ही गंभीर स्वरूप के मामले में भी न्यायालय जमानत दे देता हैं। गैर-जमानती अपराध वे हैं जिनमें पुलिस जमानत नहीं देती हैं और न्यायालय जमानत देता हैं और न्यायालय आमतौर जमानत दे देते हैं। यहां तक की हत्या के मामलों में जमानत दी जाती है।

संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक सीमित समयावधि में अभियोग-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो जमानत दे दी जाएगी। लेकिन पोटा में जमानत संबंधी यह प्रावधान बहुत ही कठोर था। न केवल जमानत नामंजूर कर दी जाती बल्कि आरोपी को लम्बे समय तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। वे न्यायालय जा सकते थे और कह सकते थे कि जमानत न दी जाए। यदि न्यायालय को यह निर्णय करना होता कि जमानत दी जानी चाहिए तो कानून में ही इसका प्रावधान था कि न्यायाधीश को बताना पड़ता था कि आरोपी निर्दोष है। श्री बंसल ने बिल्कुल सही कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह निर्णय देने जैसा है और जमानत की अर्जी पर विचार करते समय इस प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं, जैसे कि आरोपी को जेल में रखने के बजाए मुक्त कर दिया जाए और उसके बाद उस पर मुकदमा कर दिया जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही कठोर प्रावधान है। यह भारत के दांडिक विधिशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है और हमने इसे समाप्त कर दिया है।

दूसरी बात पुलिस के समक्ष अपराध कबूल करने से संबंधित है। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। भारत में मामले की छानबीन पुलिस करती है और वह मामले में एक पक्ष बन जाती है। पुलिस को इस बात में दिलचस्पी होती है कि आरोपी को सजा मिले। इसलिए न्यायालय को निहित स्वार्थ वाले पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह सामान्य सिद्धांत है जिसका दांडिक विधिशास्त्र में अनुसरण किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिस सदैव ही गलत बयान देती है। वह सही कार्य भी करती है और सही बयान भी देती है। फिर भी वह एक पैरोकार बन जाती है और यही कारण है कि दांडिक विधिशास्त्र में यह प्रावधान है कि पुलिस के समक्ष की गई अपराध स्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं होती। यह बहुत ही अच्छा प्रावधान है और यह प्रावधान रोम के कानून से ब्रिटेन के कानून तक तथा ब्रिटेन के कानून से भारतीय कानून तक के हजारों वर्षों के लम्बे सफर के अनुभव के पश्चात् अस्तित्व में आया है। साक्ष्य अधिनियमन और दंड प्रक्रिया संहिता में भी यह प्रावधान है।

इसमें काफी खामियां थीं और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकृति मान्य होगी, और यह कि इसका साक्ष्यगत महत्व होगा। इसे भी समाप्त कर दिया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कथन प्रमाणित करने की जिम्मेदारी के बारे में है। दांडिक विधि-शास्त्र के अनुसार जब तक किसी आरोपी को दोषी नहीं पाया जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। तब वह न केवल आत्मरक्षा कर रहा होता है बल्कि राज्य की ताकत का भी विरोध कर रहा होता है। राज्य के पास पुलिस तंत्र होता है, राज्य मामले की छान-बीन करता है, राज्य न्यायालय में एक पक्ष होता है और राज्य वकील की सेवाएं लेने की स्थिति में होता है। किसी वकील ने कहा था, कानून की नजरों में सभी बराबर है लेकिन न्यायालय में नहीं।'' इसका कारण यह है कि न्यायालय में यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी पक्ष की ओर से किस प्रकार का वकील बहस कर रहा है। यदि वकील कानून का अच्छा जानकार नहीं है या शुल्क के रूप में उसे मोटी रकम नहीं दी गई है, तो वह निष्पक्ष नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा एक व्यक्ति ठीक आपके बगल में बैठे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: वह वित्त मंत्री है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके दूसरे 'अवतार' में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बातें कर रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, हमारा नाम आपके बाद ही आता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह चर्चा दोनों नामी वकीलों पर छोड़ता हूं।

एक तरफ तो राज्य की शक्ति होती है दूसरी ओर आरोपी होता है, और ऐसा सोचना गलत है कि आरोपी स्वयं यह साबित करे कि वह निर्दोष है। एक सकारात्मक बात को साबित करना संभव है लेकिन एक नकारात्मक बात को साबित करना बहुत ही कठिन है। यदि मैं यह साबित करना चाहूं कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं तो मैं क्या करुं और कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? वस्तुत:, ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता जो यह साबित करे कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर वहां उपस्थित था अथवा नहीं था। इसी प्रकार की अन्य बातें। इसलिए, 'नकारात्मक' साबित करना सकारात्मक साबित करने से ज्यादा कठिन है और यही कानून है कि कानून यह कहता है कि अभियोग पक्ष ही यह कार्य करें। यह प्रावधान भी उसमें हैं।

इसके बाद आतंकवादियों के संबंध में सूचना का प्रश्न आता है। नागरिकों द्वारा पुलिस को सूचना दी जानी थी और यदि किसी क्षेत्र विशेष में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हो तो आम आदमी के लिए यह बहुत कठिन होता है कि वह थाने में जाए और कहे कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग अमुक स्थान पर छिपे हुए हैं। मैंने नियम के कुछ ही प्रावधानों का उल्लेख किया है और हमने देखा है कि कानून में प्रावधान दूसरे कानून में नहीं हैं।

हम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के संशोधन द्वारा किस प्रकार के कानून बनाने का प्रयास कर रहे है? आतंकवाद को नियंत्रित करने तथा इसे रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानना चाहिए कि 'आतंकवादी कृत्य' किसे कहा जा सकता है। आतंकवादी कृत्य की एक परिभाषा होनी चाहिए। दुर्भाग्य से 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा पोटा को छोड़कर भारत में किसी भी संविधि में नहीं दी गई है। यदि पोटा को समाप्त कर दिया जाता तो जांच अधिकारियों और यहां तक कि न्यायाधीशों के लिए भी यह निर्णय करना कठिन होता कि किस प्रकार के कृत्य को 'आतंकवादी कृत्य' कहा जा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक था कि 'आतंकवादी कृत्य' को परिभाषित किया जाए। हमने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा को शामिल कर दिया है। दूसरा काम हमने आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में किया है। आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए धन एकत्र किया जाता है, कभी-कभी यह धन निर्दोष लोगों को जबरन भगाकर या अपहरण करके एकत्र किया जाता है। अब, यह धनराशि उन लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियां चला रहे है। इसलिए, सरकार को आतंकवादी संगठनों के पास उपलब्ध इस प्रकार के धन को जब्त करने का अधिकार है। इसके बाद भी कई आतंकवादी संगठनों को दूसरे देशों से धन मिल रहा है। इसलिए यह देखना जरुरी हो गया है कि धन के इस प्रवाह को रोका जाए। कानून में यह प्रावधान भी है।

इस कानून में साक्षियों को सुरक्षा देने का भी प्रावधान है। किसी को इस प्रकार के प्रावधान में कोई दोष दिखाई नहीं देता है।

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में यह कहा गया है कि यदि विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है तो भारत को उसका साथ देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संकल्प पारित किया है। इस कानून में यही कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद किसी खास संगठन को आतंकवादी संगठन कहती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का वह संकल्प भारत को मान्य होगा और उस संगठन को आतंकवादी संगठन माना जाएगा। हमने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में यह संशोधन करने का सुझाव दिया है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। इस भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पोटा के कुछ कठोर नियमों को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में भी शामिल किया गया है। यह सही नहीं है। यही कारण है कि मैंने यह जानना चाहा कि वह कौन से कठोर प्रावधान है जिसे हम विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। वे सभी प्रावधान जो व्यक्ति के विरुद्ध थे, किसी के खिलाफ थे अब वे उसमें शामिल नहीं हैं। ऐसे प्रावधान है जो सम्पत्ति के विरुद्ध है। ऐसे प्रावधान भी है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित संकल्प के सहित कानून के दायरे को बढ़ाते हैं। ऐसे प्रावधानों को कठोर नहीं कहा जा सकता और इसकी तुलना पोटा के प्रावधानों से नहीं की जा सकती है। पोटा में मौजूद सभी आपत्तिजनक प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। उन्हें समाप्त कर दिया गया है। उन्हें नए कानून में सम्मिलित नहीं किया गया है। नए कानून में उसे ही शामिल किया है जो पुलिस तंत्र तथा सरकारी तंत्र को उन आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सहायक हो जो देश

[श्री शिवराज वि. पाटील]

के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों को अजांम दे रहे हैं। हम जानते हैं कि यह एक सच्चाई है और हमें इस सच्चाई का सामना करना है।

पोटा में अंतिम खण्ड है, जिसमें एक प्रावधान है और इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि एक वर्ष में प्रत्येक मामला निपटा दिया जाएगा। न्यायालय में लंबित पड़े मामले नहीं रहेंगे। उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। जांच कार्य भी समाप्त कर दिया जाएगा। हर चीज समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्री ने इस अंतिम खंड का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि वे जानते थे कि कुछ कानूनों में इस प्रकार के खंड के प्रावधान किए जाते हैं। हमारे कानूनों में पुलिस या सरकार के समक्ष लम्बित ऐसे आपराधिक मामलों के विरुद्ध अंतिम खंड का प्रावधान है।

इसके लिए समीक्षा समिति होती है। समीक्षा समिति मामलों की जांच करनी होती है। सरकार, विधानमंडल का इरादा यह सुनिश्चित करना होता है कि बहुत ही गंभीर स्वरुप के मामले ही न्यायालय में जाएं और अन्य सभी प्रकार के मामले समाप्त कर दिए जाने चाहिए। यदि संसद पर हमला होता है और ऐसे मामले को रद्द कर दिया जाता है तो यह अनुचित होगा। इस प्रकार के मामले न्यायालय में जाने चाहिए। बाकी सभी मामले एक वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएंगे। यह देखने के लिए निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं, पहले राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही समिति थी अब हमने राष्ट्रीय स्तर पर तीन समितियों का गठन किया गया है।

कानून हमारी मदद करता है और इसीलिए हमें कानून की आवश्यकता है। हम देश में विधि के नियम का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन कठोर कानूनों से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम कठोर नियम नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि हम हितों में संतुलन बनाए रहे हैं। नई विधिशास्त्र में यह कहा गया है कि कानून और कुछ नहीं केवल देश में व्यक्तियों या नागरिकों के हितों में संतुलन बनाए रखने वाला एक साधन है। वास्तव में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर तो हम कानून को दुरुस्त करना चाहेंगे और चाहेंगे कि कानून का राज हो दूसरी ओर हम नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगे। हम यह देखना चाहेंगे कि कानून में कोई कठोर प्रावधान नहीं हो। यही कारण है कि हमने पोटा को समाप्त कर दिया है। हमारे दूसरे कानून में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि निर्दोष लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

हम वार्ता, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता के सिद्धांत को स्वीकार कर, अच्छे कानून और अपना पुलिस बल तथा सशस्त्र सैनिक बल के सामर्थ्य को बढ़ाकर तथा उनको मजबूत बनाकर अच्छे शासन तथा लोगों के सहयोग से आतंकवाद की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब शाम के साढ़े छः बज चुके हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए दो मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, जब तक यह कार्यवाही का विषय पूरा नहीं हो जाता सभा की बैठक का समय कृपया बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस विषय की कार्यवाही को पूरा हो जाने तक सभा का समय बढ़ाने के लिए सभा का अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा। जब तक इस विषय पर कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती। सभा का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें समाप्त करने दीजिए। इस सबके लिए कोई टाइम होता है। आप जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: आतंकवाद भारत में और विश्व में विकसित तथा विकासशील देशों की एक सच्चाई है। हमें इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल ताकत से बल्कि न्याय देकर भी निपटना पड़ेगा। इसलिए, शुरुआती दौर में वार्ता, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की कोशिश होनी चाहिए लेकिन फिर भी यदि आवश्यक हुआ तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निर्दोष लोगों के जान-माल की रक्षा करें, जिसमें हम नहीं चूकेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इस कानून को समाप्त कर रहे है और अन्य कानून में संशोधन कर रहे है। मुझे आशा है कि यह सभा इन दोनों विधेयकों को पारित करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण मत कीजिए, केवल क्लेरिफिकेशन पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: आपके निर्देशानुसार मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी यू.पी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारा कामन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके कमिटमैन्ट के अनुसार आप पोटा कानून को समाप्त करने जा रहे हैं। इस उचित कदम के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पोटा बिल जब संसद में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसी समय देश के करोड़ों लोगों को आशंका थी कि इस कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाया जायेगा और अपने राजनीतिक गतिविधियों को भी टारगेट बनाया जायेगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं-एन.डी.ए. के शासन में जितने भी राज्य थे, उन्होंने इस कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वह आपके सामने है। माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा ने आंकड़े प्रस्तुत किये कि गुजरात में कितने लोगों को किन केसिज के दरम्यान बंद किया गया, वे कौन लोग थे। झारखंड में क्या किया गया तथा दूसरे प्रदेशों में क्या किया गया। हम अपने नेता श्री लालू प्रसाद तथा माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब पोटा कानून पास हो रहा था, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि किसी भी कीमत पर अपने राज्य में मैं इस काले कानून को लागू नहीं करूंगा और उसके साथ-साथ दूसरे प्रदेशों ने भी निर्णय लिया था, जो यू.पी.ए. सरकार के पार्ट हैं और परिणाम आपके सामने हैं। मैं अपनी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अपने नेता लालू प्रसाद जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्षं महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये लोग लम्बा-चौड़ा भाषण कर रहे थे, परंतु अब चले गये हैं। यहां रहते तो ज्यादा अच्छा होता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल क्लेरिफिकेशन पूछिये।

[अनुवाद]

आप स्पष्टीकरण के नाम में बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: वह कह रहे थे कि हमारी सरकार इस कानून के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ाना चाहती है। इस देश का सिर उसी दिन झुक गया था, जब इस देश के विदेश मंत्री ने आतंकवादियों को सरकारी जहाज और सरकारी खर्चे से कंधार छोड़ने का काम किया था। वह संदेश की बात कर रहे थे। उन्होंने उसी दिन संदेश दे दिया था। आजादी के बाद के इतिहास में शायद यह पहली घटना है कि कोई विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर रहा हो। यह बता रहे थे कि इससे आतंकवाद बढ़ेगा। हम कहते हैं कि आतंकवाद उसी दिन बढ़ गया था और स्थिति इतनी खराब हो गई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही ढंग से लागू होगा, यह पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: स्थिति इतनी खराब हो गई कि संसद पर हमला हो गया, यह स्थिति उत्पन्न हो गई।

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, प्लीज कोआपरेट कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं कोआपरेट कर रहा हूं। यह मेरी अपनी भावना है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। इन्होंने दो मिनट का समय मांगा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: आज देश को विश्वास में लेना होगा। कोई कानून बनता है तो बने, लेकिन उसकी जो सोच है, उसके हिसाब से वह कानून साफ-सुथरा होना चाहिए। आप जानते हैं कि इतना बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हमारे देश में है, उसे टारगेट करके, उसका कत्लेआम करके आप चाहते हैं कि अमन-चैन हो-कहां से अमन-चैन होगा। गुजरात में इन्होंने जो निर्दोष लोगों को मारा है, जेलों में बंद किया है, वहां अमन-चैन कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में साम्प्रदायिक संगठनों ने मस्जिद गिरा दी। आज के ही दिन वह गिराई गई थी। आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री आपके प्रश्न नोट करेंगे। उन्होंने आपका प्रश्न पहले ही नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बिल को लाकर, काले कानून को समाप्त करने का काम किया है। यह उन्होंने एक बहुत बड़ा और कारगर कदम उठाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिन बेकसूर लोगों को एन.डी.ए. सरकार के समय में पोटा के अंदर गिरफ्तार किया गया, जैसे श्री वाइको को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उक्त कानून में बन्द करने का काम किया, गुजरात में हजारों की संख्या में पोटा में बन्द करने का काम किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्लीज डा. कृपाल यादव जी, अब समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादवः पूरे देश में 80 साल के बूढ़े से लेकर 10 साल तक के बच्चों तक को उन्होंने इस कानून के तहत बन्द करने का काम किया है, उन्हें छोड़ने का काम आप करेंगे कि नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूं और ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। बहुत हो गया। यहां व्यवस्था जैसा कुछ तो होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): स्पीकर सर, मोहतरिम शिवराज वी पाटिल जी को मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पोटा जैसे काले कानून को खत्म। ...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): جناب اسپیکر صاحب، محترم شیوراج پاٹل جی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوٹا جیسے کالے قانون کو ختم کیا۔۔۔(مداخلت)

अध्यक्ष महोदयः कांग्रेचुलेशन्स की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछिए।

डा. शफीकुर्रहमान बर्कः स्पीकर सर, मैं आनरेबल होम मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पोटा में बन्द किया गया है ...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): جناب اسپیکر صاحب، میں آنریبل ہوم منسٹر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پوٹا میں بند کیا گیا ہے۔۔۔(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न क्या है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्कः स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन बेकसूर सैकड़ों लोगों को पोटा में बन्द किया गया है, क्या उन्हें रिलीज करेंगे और क्या उनके केसेस को विथड्रा करेंगे?

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): جناب اسپیکر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن بے قصور سیکڑوں لوگوں کو پوٹا میں بند کیا گیا ہے، کیا انہیں ریلیز کریں گے اور کیا ان کے کیسوں کو واپس لیں گے؟

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्ट रुप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस विधेयक को इस अध्यादेश के निरसन से अलग करने पर सहमत होंगे। सरकार का समर्थक होने के नाते मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता हे जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस समय में अपने दल सी.पी.आई. की ओर से आपसे अपील करता हूं कि इसे असम्बद्ध किया जाए और इसे स्थायी समिति को अग्रेषित किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः मैं उस पर पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं पोटा के निरसन हेतु यह विधान लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। हमारा यह अनुरोध है कि अब जो विधेयक विचार करने तथा पारित करने हेतु लाया जा रहा है उसे स्थायी समिति को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मैं एक निर्णय दे चुका हूं। आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री बसुदेव आचार्य: इस पर व्यापक विचार-विमर्श करने हेतु इसे स्थायी समिति को अग्रेषित करने में क्या कठिनाई है?

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: आपके पास अलादीन का कोई चिराग तो नहीं है, जिसके माध्यम से आप इस नये कानून के दुरुपयोग को रोक सकेंगे। वही पुलिस है, जो दुरुपयोग करती थी, वही राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने पोटा का दुरुपयोग किया। आपने टाडा बनाया तो टाडा का दुरुपयोग किया। वही लोग हैं, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका आप जवाब दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न पूछ लिया।

...*(व्यवधान)*

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): महोदय, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण देने दें। मुझे केवल एक मिनट दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. गणेशन: महोदय, यह केवल एक स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको नहीं पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. गणेशन: यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप निर्णय ले सकते हैं कि 'यह क्या है।' मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पोटा के निरसन और विकल्प के तौर पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप संबंधी जो कानून है, वह अस्तित्व में आएगा, इस संबंध में पूरे सदन ने चर्चा की।

महोदय, जहां तक पोटा का सवाल है, यह कोई दल विशेष का सवाल नहीं है, सही मायनों में यह देश का सवाल है। यहां से हमारे एक मित्र चले गए, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे और जब कभी भी आतंकवाद पर चर्चा हुई तो सभी दलों ने एक स्वर से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा राष्ट्र आपके साथ है। ...*(व्यवधान)* लिहाजा दलों की सीमा तक इस सवाल को कैद नहीं किया जा सकता। हम सब लोग इस सवाल पर एकमत हैं और एक राय के हैं।

महोदय, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था तो बहुत जोर देकर श्री आडवाणी जी ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर पोटा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह जो नया कानून बनने वाला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका संकल्प केवल 'पोटो' के बारे में है। स्वयं को वहीं तक सीमित रखिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं विदड्रा कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, विदड्रा करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा यह चाहती है कि श्री रामजीलाल सुमन द्वारा पुरःस्थापित सांविधिक संकल्प को वापस ले लिया जाए?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे वापस ले लिया है। रामजीलाल सुमन जी आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं आप बहुत सहयोग करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप किसी अन्य विषय पर जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप अभी कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कृपया बहुत संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा होने के लिए हमने एक की बजाए तीन कमेटियां बनाई हैं। *...(व्यवधान)* हम एक साल के अंदर ये सब कर लेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: महोदय, जो जेल में हैं, *...(व्यवधान)* बिल पास होने के बाद उन्हें रिलीज कर देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: उन्हें एक साल तक राह देखनी होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने कहा कि इसका पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसकी वजह से आपको यह डर लग रहा है, सैक्शन 153(ए), सिर्फ इस वक्त ही हमने अमेंडमेंट करके कानून में नहीं लाया है। सैक्शन 153(ए) आफ इंडियन पीनल कोड 1972 में अनलाफुल एक्टीविटिज में था और तब से आज तक इसका उपयोग पार्टी के खिलाफ नहीं, रिलीजियस आर्गनाइजेशन या कोई ग्रुप ऐसा, जो देश का बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ होगा। *...(व्यवधान)* 1972 से जो नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा।

इसे स्थायी समिति को अग्रेषित करने में कठिनाई के बारे में कहा गया, उसका मैंने जवाब दे दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, जो जेल में बंद हैं, उन्हें आप छोड़ेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हां-हां, छोड़ेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: आप ज्यादा कानून के चक्कर में मत पड़िये। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: बिल्कुल सही बात है। आपकी बात हमें पूरी तरह मान्य है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अगले विधेयक में अवसर दूंगा। अब आप कृपया बैठ जाइए।

मंत्री महोदय, क्या आपकी बात समाप्त हो गई है?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले विधेयक पर चर्चा के दौरान आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004 है, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं और हम लोग इसमें पार्टी नहीं बन सकते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले विधेयक को मतदान के लिए सभा में रख रहा हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप बैठिये, प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा मद संख्या 17 पर विचार करेगी।

श्री राजीव रंजन सिंह–उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हम लोगों का इसमें विरोध है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मोशन के बारे में है।

[अनुवाद]

प्रक्रिया का उल्लंघन न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा मद संख्या-18 पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष जी, हम लोगों का इसमें विरोध है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004 के बारे में लैफ्ट पार्टीज का, समाजवादी पार्टी का और तमाम मित्रों का इस पर एतराज है, इसलिए इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजिये। आपने निर्णय दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं तो हम उन्हें बाद में लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लेकिन मैं इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: गृह मंत्री महोदय से मेरा यह विशिष्ट प्रश्न है कि क्या वे इस विधेयक को अध्यादेश से अलग रखने के लिए सहमत होंगे। मेरा यह पक्का विश्वास है, सरकार के एक समर्थक के रूप में, कि इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनका राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध विद्वेष के कारण दुरुपयोग किया जा सकता है जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा। अत: इस समय मैं अपने दल, भा.क.पा. की ओर से आपसे अपील करता हूं कि आप इसे इससे अलग करे और इसे स्थायी समिति को भेजें।

अध्यक्ष महोदय: इस पर मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): पोटा को समाप्त करने हेतु विधेयक लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारा अनुरोध है कि दूसरा विधेयक जिस पर विचार करने तथा पारित करने के लिए लाया जा रहा है, को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक विनिर्णय दे दिया है। आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री बसुदेव आचार्य: इस पर व्यापक विचार के लिए इसे स्थायी समिति को भेजने में क्या समस्या है?

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, क्या मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी: आपके पास अलादीन का कोई चिराग तो नहीं है, जिसके माध्यम से आप इस नये कानून के दुरुपयोग को रोक सकेंगे। वही पुलिस है, जो दुरुपयोग करती थी, वही राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने पोटा का दुरुपयोग किया। आपने टाडा बनाया तो टाडा का दुरुपयोग किया। वही लोग हैं, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका आप जवाब दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): महोदय, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दीजिए। केवल एक मिनट का समय दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए। आपके नेता पहले ही बोल चुके है।

...(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन: महोदय, यह केवल एक स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया आप बैठ जाइए। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन: यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप निर्णय कर सकते है कि यह क्या हैं? मैंने पहले ही फैसला कर लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पोटा के निरसन और विकल्प के तौर पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप संबंधी जो कानून है, वह अस्तित्व में आएगा, इस संबंध में पूरे सदन ने चर्चा की।

महोदय, जहां तक पोटा का सवाल है, यह कोई दल विशेष का सवाल नहीं है, सही मायनों में यह देश का सवाल है। यहां से हमारे एक मित्र चले गए, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे और जब कभी भी आतंकवाद पर चर्चा हुई तो सभी दलों ने एक स्वर से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा राष्ट्र आपके साथ है। *...(व्यवधान)* लिहाजा दलों की सीमा तक इस सवाल को कैद नहीं किया जा सकता। हम सब लोग इस सवाल पर एकमत हैं और एक राय के हैं।

महोदय, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था तो बहुत जोर देकर श्री आडवाणी जी ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर पोटा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह जो नया कानून बनने वाला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका संकल्प केवल पोटो से संबंधित है। आप अपने को उसी तक सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं विदड्रा कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, विदड्रा करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री रामजीलाल सुमन द्वारा लाए गए सांविधिक संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपने संकल्प वापस ले लिया है। सहयोग के लिए सुमनलालजी आपको धन्यवाद। मुझे पता है आप बहुत ही सहयोग करने वाले सदस्य रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किसी अन्य विषय की चर्चा करने लगे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल सही। कृपया बहुत ही संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा होने के लिए हमने एक की बजाए तीन कमेटियां बनाई हैं। ...*(व्यवधान)* हम एक साल के अंदर ये सब कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: महोदय, जो जेल में हैं, ...*(व्यवधान)* बिल पास होने के बाद उन्हें रिलीज कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: उन्हें एक साल तक राह देखनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने कहा कि इसका पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसकी वजह से आपको यह डर लग रहा है, सैक्शन 153(ए), सिर्फ इस वक्त ही हमने अमेंडमेंट करके कानून में नहीं लाया है। सैक्शन 153(ए) आफ इंडियन पीनल कोड 1972 में अनलॉफुल एक्टीविटीज में था और तब से आज तक इसका उपयोग पार्टी के खिलाफ नहीं, रिलीजियस आर्गनाइजेशन या कोई ग्रुप ऐसा, जो देश का बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ होगा। ...*(व्यवधान)* 1972 से जो नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा।

[अनुवाद]

इसे स्थायी समिति के पास भेजने में कठिनाई के बारे में कहा गया, उसका मैंने जवाब दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, जो जेल में बंद हैं, उन्हें आप छोड़ेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हां-हां, छोड़ेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: आप ज्यादा कानून के चक्कर में मत पड़िये। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: बिल्कुल सही बात है। आपकी बात हमें पूरी तरह मान्य है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं दूसरे विधेयक में आपको मौका दूंगा। अब आप कृपया बैठ जाइए।

मंत्री जी क्या आपने समाप्त कर दिया है?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: दूसरे विधेयक पर चर्चा के दौरान मैं आपको मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004 है, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं और हम लोग इसमें पार्टी नहीं बन सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले विधेयक को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

[हिन्दी]

आप बैठये, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 को समाप्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी।

श्री राजीव रंजन सिंह-उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हम लोगों का इसमें विरोध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मोशन के बारे में है।

[अनुवाद]

हमें प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 18 पर चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष जी, हम लोगों का इसमें विरोध है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2004 के बारे में लैफ्ट पार्टीज का, समाजवादी पार्टी का और तमाम मित्रों का इस पर एतराज है, इसलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजिये। आपने निर्णय दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने संशोधन रखे हैं तो हम उस पर बाद में विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इस मुद्दे पर मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है, इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या मुद्दा है? आपका मुद्दा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां जो लोग बैठे हैं, उनमें से समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों और तमाम मित्रों की यह मांग है कि इस पर जोइंट कमेटी में चर्चा होनी चाहिए। हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

सायं 6.48 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामजीलाल सुमन और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं सुन सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप कल अथवा परसों एक बैठक बुला सकते हैं, उसमें हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं। इस विधेयक को लेकर हमारी एक आशंका है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हमें कड़ी आपत्ति है। हम कांग्रेस पार्टी से आग्रह करते हैं कि वे ऐसा न करें। हम कांग्रेस पार्टी से आग्रह करते हैं, कि वे बिना विचार-विमर्श के ऐसा न करें ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय पहले ही निर्णय दे चुके हैं। यदि आप अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं तो यह ठीक नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं, हम अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम विचार-विमर्श चाहते हैं। बिना विचार-विमर्श के उन्होंने ऐसा किया है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, विधेयक को पारित करना एक दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणव मुखर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के पश्चात्, यदि माननीय सदस्यों की कुछ राय है तो वे माननीय मंत्री महोदय के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं। हमें अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती नहीं देनी चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इसे एक दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर रहा हूं

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब किसी बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। विषय को स्पष्ट रूप से उठाया गया था और माननीय मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। इसके पश्चात् प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: अध्यक्ष महोदय, इसे स्टैडिंग कमेटी में भेजा जाये। ...*(व्यवधान)* हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.50 बजे

(तत्पश्चात् श्री इलियास आजमी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हम आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम आपके निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम विचार-विमर्श चाहते हैं ...*(व्यवधान)*। इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: इसके पारित होने के पश्चात्, मैं उनसे इस पर विचार-विमर्श करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री आपके साथ विस्तृत विचार-विमर्श के लिए सहमत है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह विधेयक पारित होने के पश्चात् होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम वाकआऊट नहीं कर रहे हैं हम मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम इस पर घोर विरोध प्रकट करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जानता हूं कि आप विरोध कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करें। आपके पास एक अवसर था और आप अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। विषय मेरे समक्ष आया और मुझे इस पर निर्णय देना था। मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मैंने माननीय मंत्री और दूसरे पक्ष को भी सुना है। निजी तौर पर कहूं तो मैंने यह कहा है कि मैं विधेयक को हमेशा ही स्थायी समिति के पास भेजे जाने का पक्षधर रहा हूं जिसका आपने हमेशा ही समर्थन किया है। परन्तु यदि इसे इस सत्र में पारित नहीं किया जाता तो यह विधेयक व्यपगत हो जायेगा। इसलिए केवल यह ध्यान में रखते हुए मैंने अपना निर्णय दिया है। इसके लिए पूर्वोदाहरण भी हैं। यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो क्या किया जा सकता है। निश्चय ही जैसा कि आपने कहा है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आप मंत्री महोदय से बात कर सकते हैं मुझे आशा है कि वे आपकी बात सुनेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, तो वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी: संशोधन के माध्यम से यह लाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वे सभी सुझावों पर विचार करेंगे। आचार्य जी आप हमेशा ही अच्छे सुझाव देते हैं। मुझे विश्वास है कि वे इन पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं श्री आचार्य और श्री दासगुप्त से विचार-विमर्श करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, हमें इसे पारित करना है। दोनों ही पक्ष आपके समक्ष हैं। हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना ही उचित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता ने भी कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे एक संशोधन लायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी: विचार-विमर्श के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो नए संशोधन किए जा सकते हैं। परन्तु अब हमें कोई नये उदाहरण स्थापित नहीं करने चाहिये जहां अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गए निर्णय कि हम अवहेलना करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको आश्वस्त कर दूं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: बहु-दलीय सरकार चलाने का यह कोई तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप ही यह निर्णय लें। मैं यह निर्णय नहीं ले सकता कि सरकार किस प्रकार चलायी जायेगी सौभाग्य से यह कार्य अध्यक्ष का नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा की कार्यवाही कल 7 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2004/16 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री मोहन सिंह श्री बालासाहिब विखे पाटील	61
2.	श्री लोनाप्पन नम्बाडन	62
3.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री अजय चक्रवर्ती	63
4.	श्रीमती डा. पुरन्देश्वरी श्री मनसुखभाई डी. वसावा	64
5.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	65
6.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	66
7.	श्री एस. अजय कुमार श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	67
8.	श्री प्रबोध पाण्डा	68
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री रघुनाथ झा	69
10.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	70
11.	श्री देविदास पिंगले श्री पारसनाथ यादव	71
12.	श्री हेमलाल मुर्मू	72
13.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी	73
14.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	74
15.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री निखिल कुमार चौधरी	75
16.	श्री उदय सिंह श्री पवन कुमार बंसल	76
17.	श्री काशीराम राणा श्री हरिकेवल प्रसाद	77
18.	डा. अरूण कुमार शर्मा श्री मोहन रावले	78
19.	श्री रामजीलाल सुमन श्रीमती जयाप्रदा	79
20.	श्री परसुराम माझी	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	773, 844
2.	आदित्यनाथ, योगी	756
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	694, 795, 829, 853
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	869
5.	अजय कुमार, श्री एस.	792
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	854
7.	अंसारी श्री फुरकान	776
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	848
9.	आठवले, श्री रामदास	743, 823, 825
10.	आजमी, श्री इलियास	782
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	742
12.	बैठा, श्री कैलाश	740
13.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	791, 851
14.	बर्मन, श्री हितेन	777, 894
15.	बर्मन, श्री रनेन	777
16.	बखला, श्री जोवाकिम	777
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	737, 820
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	715
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	699, 821
20.	बोस, श्री सुब्रत	777
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	704, 890
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	713, 807
23.	चलिहा, श्री किरिप	778, 912
24.	चंदेल, श्री सुरेश	749, 832
25.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	792, 810, 881
26.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	875
27.	चिन्ता मोहन, डा.	734, 907
28.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	797, 899
29.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	760, 836
30.	चौधरी, श्री पंकज	754, 907
31.	चौधरी, श्री अधीर	711, 713, 800, 818, 918

1	2	3
32.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	873, 897
33.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	789
34.	देवरा, श्री मिलिन्द	863, 888
35.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	886
36.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	866, 898
37.	गढ़वी, श्री पी.एस.	758, 919
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	731, 816
39.	गंगवार, श्री संतोष	752
40.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	764
41.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	729
42.	हसन, श्री मुनव्वर	721, 748, 831
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	719, 806, 861
44.	झा, श्री रघुनाथ	791, 896
45.	जोगी, श्री अजीत	770, 911
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	706, 892, 916
47.	कामत, श्री गुरूदास	884
48.	कनोडिया, श्री महेश	856, 876
49.	करूणाकरन, श्री पी.	744, 904
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	799, 849, 855
51.	खां, श्री सुनील	723
52.	खारबेनथन, श्री एस. के.	766, 790, 841
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	811, 866, 870
54.	कृष्ण, श्री विजय	746, 763, 828
55.	कुरूप, श्री सुरेश	765, 792, 840
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	815
57.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	802, 901
58.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	797, 877
59.	माधवराव, श्रीमती मनोरमा	735, 817
60.	महाजन, श्री वाई.जी.	756, 875
61.	महतो, श्री बीर सिंह	703, 721, 868
62.	महतो, श्री सुनिल कुमार	703, 782, 847
63.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	739, 794, 823
64.	माझी, श्री परसुराम	690, 785
65.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	721
66.	मनोज कुमार, श्री	751
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	701, 722, 823, 827
68.	मोदी, श्री सुशील कुमार	753, 828, 906
69.	मोहन, श्री पी.	878
70.	मुकीम, मो.	882
71.	मोल्लाह, श्री हन्नान	695, 803, 914
72.	मूर्ति, श्री ए.के.	691, 783
73.	मुन्शी राम, श्री	736, 788, 796, 819, 849
74.	मुर्मू, श्री हेमलाल	798
75.	नागपाल, श्री हरीश	721
76.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	792, 810
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	866, 898
78.	नायक, श्री अनन्त	728, 762, 839
79.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	707, 910
80.	निखिल कुमार, श्री	828, 865, 891, 900
81.	नीतीश कुमार, श्री	734, 859
82.	ओराम, श्री जुएल	697, 780
83.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	696, 889
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	794, 852
85.	पलनिसामी, श्री के.सी.	708, 893, 917
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	793
87.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	720, 808
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	705
89.	पासवान, श्री राम चन्द्र	797
90.	पासवान, श्री सुकदेव	864
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	702, 754, 787
92.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	885, 913
93.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	769
94.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	883, 909
95.	पिंगले, श्री देविदास	796, 854
96.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	720
97.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	805, 842
98.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	790, 850
99.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	792

1	2	3
100.	राजेन्द्रन, श्री पी.	733
101.	रामदास, प्रो. एम.	712, 718, 895
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	772, 824
103.	राणा, श्री काशीराम	703
104.	राव, श्री के.एस.	739, 794, 823
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	723, 728, 814
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	767, 811
107.	रावले, श्री मोहन	779, 798, 815, 846
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	718, 804, 860
109.	रावत, प्रो. रासा सिंह	692, 887
110.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	727,. 813
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	867, 905
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	717
113.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	784
114.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	713, 789, 857
115.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	703, 782
116.	साहु, श्री चंद्रशेखर	771
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	698, 834
118.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	801, 858
119.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	745, 826
120.	सेन, श्रीमती मिनाती	880
121.	सेठी, श्री अर्जुन	732, 900
122.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	722, 809, 862
123.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	781, 797, 856, 889
124.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	694, 795, 829, 853
125.	शिवन्ना, श्री एम.	775
126.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	725, 796, 797, 811, 849
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	774, 845
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	747, 830

1	2	3
129.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	741, 903
130.	सिंह, श्री चन्द्रभान	750, 833
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	758, 768, 843, 848, 909
132.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	746, 763, 828
133.	सिंह, श्री मोहन	788, 849
134.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	740, 824
135.	सिंह, श्री सीताराम	759, 908
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	738, 822
137.	सिंह, श्री सूरज	726, 812
138.	सिंह, श्री उदय	800, 857, 907
139.	सुब्बा, श्री एम.के.	693
140.	सुब्बारायण, श्री के.	857
141.	सुमन, श्री रामजीलाल	802, 859
142.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	724, 810, 848
143.	स्वाईं, श्री खारबेल	879
144.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	700, 716, 724, 915
145.	थामस, श्री पी.सी.	755, 792
146.	तुम्मर, श्री वी.के.	872
147.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	757, 835
148.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	756, 872, 874
149.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	805
150.	विनोद कुमार, श्री बी.	761, 838
151.	यादव, श्री बालेश्वर	710, 786, 823, 907
152.	यादव, श्री भाल चन्द्र	854
153.	यादव, श्री गिरिधारी	703, 721
154.	यादव, श्री पारसनाथ	797
155.	यादव, श्री राम कृपाल	714, 797, 837
156.	यादव, श्री रमाकान्त	730, 797,
157.	येरननायडु श्री किन्जरपु	709, 902
158.	जाहेदी, श्री महबूब	871

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	61, 64, 67, 68, 72, 74, 80
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	65, 69, 71, 79
पर्यावरण और वन	:	62, 70, 76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	63
पर्यटन	:	66, 77
जल-संसाधन	:	73, 78
युवक कार्यक्रम और खेल	:	75

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	691, 693, 694, 696, 698, 700, 705, 706 711, 716, 723, 726, 730, 733, 737, 738, 744, 745, 746, 757, 761, 762, 767, 769, 774, 781, 794, 796, 802, 804, 805, 811, 813, 822, 829, 835, 850, 851, 854, 862, 864, 865, 867, 869, 875, 876, 878, 882, 885, 886, 889, 891, 893, 899, 904, 907, 909, 911, 912, 913, 915, 917, 918
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	695, 714, 719, 724, 725, 739, 740, 756, 783, 786, 788, 791, 807, 827, 842, 848, 849, 856, 859, 860, 863, 868, 870, 871, 873, 883, 892, 895, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 908, 910, 916
पर्यावरण और वन	:	690, 697, 699, 702, 703, 712, 721, 722, 731, 735, 748, 756, 770, 773, 775, 778, 780, 784, 795, 800, 806, 810, 815, 816, 820, 823, 826, 830, 831, 833, 836, 840, 844, 847, 852, 855
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	710, 814, 819
श्रम और रोजगार	:	713, 720, 734, 743, 749, 776, 782, 787, 790, 817, 818, 824, 832, 846
पर्यटन	:	715, 717, 718, 727, 742, 763, 768, 771, 792, 797, 799, 809, 834, 839, 841, 845, 866, 877, 879, 881, 884, 888, 905, 919
जल संसाधन		701, 707, 728, 729, 736, 741, 751, 753, 755, 758, 772, 801, 803, 808, 812, 825, 828, 838, 843, 853, 857, 858, 861, 872, 874, 887, 890, 894, 896, 906, 914
युवक कार्यक्रम और खेल	:	692, 704, 708, 709, 732, 747, 752, 754, 759, 760, 764, 765, 766, 777, 779, 785, 789, 793, 798, 821, 837.

पी.एल.एस.–48/5/4/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।